(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 32 वां दिवस [संख्या 17

1] [2

सोमवार

दिनांक 23 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, होली की राम राम।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से भी।

प्रश्न। प्रश्न संख्या 385। सुश्री पुष्पा जैन।

राज्य में खोले गये अकाल राहत कार्य

385. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नवम्बर-दिसम्बर, 1980 तथा जनवरी व फरवरी, 1981 में किस-किस तहसील में कितने कितने लोगों को अकाल राहत कार्यों में रोजगार मिला है और इस रोजगार के भुगतान में कितना-कितना खर्च हुआ और कितना भुगतान बाकी है?

(2) मजदूरी का भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अनुसार कहां-कहां भुगतान नहीं किया गया और क्यों?

(3) किस-किस तहसील में किस-किस माह में कितना-कितना घास-चारा वितरित किया गया और किस मूल्य पर?

(4) अब तक किस-किस तहसील के कितने-कितने गांवों को टैंकर्स से पानी दिया गया, कब-कब और कितना? इस पर तहसील के आधार पर कितना-कितना व्यय हुआ?

(5) पिनाई के लिए किस-किस तहसील में अब तक कितनी-कितनी सहायता दी गई है?

(6) किस-किस तहसील में इन महीनों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कितना-कितना खाद्यान्न व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण किया गया।

अकाल राहत मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में स्थगन के लिए निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय दें उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि कल ही अकाल की डिमाण्ड हाउस में डिस्कस होगी और आज मंत्री महोदय इस प्रश्न को स्थगित करा रहे हैं। आज यह सवाल क्यों आया? जो सूचना अब तक एकत्रित की गई है उसका भी इसमें जवाब आयेगा। सारी सूचना आवश्यक नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित नहीं किया जाये क्योंकि यह प्रश्न जन-जीवन से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : हमारे सचिवालय में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि ऐसे प्रश्न जिसमें अति विस्तृत जानकारी एकत्रित करनी हो उसको हम आम तौर से अलाऊ नहीं करते हैं लेकिन यदा कदा कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत ही विस्तृत जानकारी के होते हैं, वह सेक्रेटेरियेट में चले जाते हैं। मन्त्री महोदय से मेरा एक निवेदन है कि यदि सूचना अति विस्तृत चाही गई है और उसमें यदि अधिक समय लगेगा, अधिक श्रम का व्यय होगा, तो उनको यह चाहिए कि हमें तुरन्त सूचित करें कि इसमें विस्तृत जानकारी चाही गई है और यह सम्भव नहीं होगा तो हम उस प्रश्न को उस हिसाब से देखेंगे कि कहां तक इस प्रश्न को ले सकते हैं। मैं स्वयं काफी एडीटिंग करने में समय देता हूं यदि कदा ऐसे प्रश्न आते हैं, जो विस्तृत जानकारी के होते हैं। इस प्रश्न के अन्तर्गत जो बिन्दू उठाये गए हैं, विधान सभा में उस पर बहस होगी और मन्त्री महोदय उसका जवाब देंगे। प्रश्न का क्षेत्र बहुत विस्तृत है इसलिए इसको स्थगित करके न केवल प्रश्नों के जरिये जो जानकारी चाही गई है वह माननीय सदस्यों को और इस सदन को उपलब्ध करा देंगे।

[1

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं भी ध्यान रखूंगा। जो सूचना है, वह अति विस्तृत है। प्रश्न के बारे में कुछ बातें की जा सकती हैं, कल इस प्रश्न के बारे में सूचना उपलब्ध करा दी जाये जो सम्भव हो.......

श्रीमती पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह अकाल से सम्बन्धित प्रश्न है। इस पर सरकार द्वारा उत्तर नहीं देने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : जो जानकारी चाही गई है वह अति विस्तृत है। और मंत्री महोदय नहीं दे पायेंगे। यदि उसके बाद आप स्पष्टीकरण चाहेंगी तो मेरा ध्यान आकर्षित कर दें।

श्रीमती पुष्पा जैन : अकाल का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की, और इसको आज मंत्री महोदय स्थगित करने के लिए कह रहे हैं। क्या यह जाहिर नहीं होता कि इस सवाल को जानबूझ कर टाला जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : विस्तृत जानकारी है। 26 जिले हैं, एक-एक जिले में दस-दस कार्य खोले गए हों, नवम्बर-दिसम्बर की

(श्री अध्यक्ष)

पूछा गया है, यह बहुत ही विस्तृत हो जाता है, और एक विभाग से ही सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस क्वेश्चन, डिबेट का जवाब दें, उसके साथ दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मंशा सही होगी, आपसे कई बार हमने निवेदन किया है कि अकाल के सम्बन्ध में सरकार से जो सूचना मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। अकाल के सम्बन्ध में प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है, उसमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। कल 'अकाल' विषय पर चर्चा होगी। इस प्रश्न के सम्बन्ध में एडजोर्नमेन्ट मोशन कॉल अटेन्शन भी दिये जा चुके हैं, लेकिन माननीय सदस्यों को सदन में किसकी पूरी जानकारी नहीं है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। इसमें जो सूचना चाही गई है, मैं नहीं सोचता कि वह सारी सचिवालय में न हो। सचिवालय में सब सूचना है। मैं समझता हूं कि अकाल राहत के बारे में पूर्ण सूचना सचिवालय में है। इस सम्बन्ध में जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि जिले वार सूचना दें, तहसीलवार सूचना मांगी गयी है। तहसीलों में कौन-कौन से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। मजदूरी को जो पेमेन्ट होता है वह हर महीने अकाउन्ट होता है, कितने मजदूर हैं, कितना भुगतान किया गया है और कितना बाकी है, इसमें सरकार को कोई विशेष जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वाटरली रिपोर्ट सरकार के पास आती है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके बेसिस पर यह बताया जा सकता है कि कितना धन खर्च हुआ है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, कितना खाद्यान्न वितरित किया गया है, किस-किस तहसील में कितना बांटा गया है, सरकार के पास यह सारा अकाउन्ट रहता है, इस बात का अकाउन्ट है, सारा अकाउन्ट है। इसकी जानकारी मिल जाती तो कल जो डिबेट है, वह डिबेट इस सामग्री के मिल जाने पर रोचक होती। इस पर कई शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी दिये गये हैं। और यह एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आया है। इसको आप सम्बन्धित मन्त्री महोदय को इतना आदेश दें कि इसकी सूचना उपलब्ध करें। वे लिखित उत्तर दें। उत्तर देने के बाद चर्चा होगी, यह मन्त्री महोदय की ओर से सदन में लिखा जाये।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय द्वारा जो बिन्दु उठाये गये हैं, उस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि प्रश्न एक में यह पूछा गया है कि नवम्बर-दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में किस-किस तहसील में, कितने-कितने लोगों को रोजगार मिला है, यह बहुत ही विस्तृत जानकारी है और मेरे ख्याल से यह जानकारी एकत्र करना बड़ा मुश्किल कार्य होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अलग से जानकारी दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय को विदित है कि अकाल प्रशासनिक अनुभव भी है। आप जानते हैं कि इसमें कितनी विस्तृत जानकारी चाही गई है। इसलिये यह निवेदन किया है आपके समक्ष। इस प्रश्न पर जो जानकारी उपलब्ध हो वह कल कराई जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरी आपत्ति है। आप इस को प्रश्न के रूप में न रख कर हम को जानकारी नहीं दिलाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को कल रख लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : जितना सम्भव होगा, उतनी जानकारी आपको अलग से पेपर बना कर दे देंगे।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक रिपोर्ट दी जा चुकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जितना यथा सम्भव होगा। कितना विस्तृत प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया है, कितने-कितने गांवों को टैंकर्स से पानी दिया गया, कब-कब और कितना? फिर भी जितना हो सकेगा, यथा-संभव ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, संख्या तो नहीं मिलेगी। गांवों की सूची चाहते हैं, यह तो बड़ा मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : जो सूचना उपलब्ध हो·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन सरल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वीकार करना होगा कि अकाल राहत काम राजनैतिक आधार पर खोले जा रहे हैं। हम यह सदन को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। तहसीलवार सूचना नहीं होगी तो हम हाउस को नहीं बता सकेंगे। तहसीलवार सूचना देने में क्या आपत्ति है?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये सम्भव नहीं है कि ढाई लाख से ऊपर के काम की स्वीकृति तो यहां से दी जाती है और ढाई लाख से कम काम की स्वीकृति जिलाधीश महोदय द्वारा दी जाती है। इसमें उन सब कामों की सूची चाही गई है, यह काम कितने गांव, तहसील के अन्दर फैला हुआ है, और इस को देखते हुए यह मुमकिन नहीं है। इसी तरह से भुगतान की एक एजेन्सी है जिसमें यह पूछा गया है कि कितना भुगतान किया गया, नहीं किया गया तो क्यों? कहीं पर 15 फरवरी तक भुगतान हो गया है, कहीं पर बाकी है। हर स्थान की अलग अलग स्थितियां हैं। कल सारी जानकारी कि कितना भुगतान हुआ है, नहीं हुआ है, कब तक का बाकी है, यह जानकारी उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : वाद विवाद के समय उत्तर देंगे तो वह क्या काम आयेगा।

श्री हनुमान प्रभाकर : कितना अनाज किस तहसील में बांटा गया, कितना पानी बांटा गया, कितना डीजल बांटा गया, यह बताना सम्भव नहीं हो पायेगा········।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी सम्भव है और दी जा सकती है, सरकार के पास में सारी जानकारी उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : जितनी जानकारी सम्भव हो सकती है उतनी आप उपलब्ध करा दें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि जितनी ज्यादा जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, मैं कल डिबेट के जवाब में दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उससे तो हम कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। डिबेट के पहले जानकारी चाहते हैं। कल को मैंने यह कहा कि बैराठ में कोई काम शुरू नहीं किया गया तो मन्त्री जी फौरन जवाब देंगे कि बैराठ तहसील में कैसे काम नहीं खोला गया। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि जानकारी नहीं है। ये देना नहीं चाहते हैं. तहसीलवाईज सारी जानकारी ये देना नहीं चाहते हैं सदन को। मान लो, मैं फलौदी का प्रश्न करता हूं, फलौदी में कितने काम खुले, तो ये फौरन कह देंगे कि इतने काम खुले। सारे माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं। खाली सारी जानकारी को इकट्ठा करना है। अकाल राहत के बारे में सारी जानकारी तहसील स्तर पर होती है कि कितने कामों की सैंक्शन भेजी थी और कितनों की आ गयी है और कितने काम शुरू हो गये हैं, कितने नहीं हुये हैं-सरकार को तो इस सारी जानकारी को एक जगह कम्पाइल करनी है, कम्पाइल करके सरकार सदन को जानकारी दे सकती है।

श्री अध्यक्ष : जितनी सम्भव हो सकती है उतनी जानकारी आप सदस्यों को कल सुबह उपलब्ध करा दें।

श्री हनुमान प्रभाकर : जवाब में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, फिर डिबेट के अन्दर ये प्रश्न नहीं किये जा सकेंगे, हालांकि यह प्रश्न के दायरे में नहीं आता है, यह यहां से कैसे निकल गया है, लेकिन अकाल पर चर्चा हो तो यह जानकारी सदन के सामने रखनी चाहिये। इसलिये जितनी ज्यादा सम्भव हो, उतनी दे दें।

श्री हनुमान प्रभाकर : 6-7 हजार गांव हैं उनकी सूचना कल सुबह देना मुमकिन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न काल में पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां दे सकते हैं, सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो तो, प्रश्नकाल में उठ सकता है। इस प्रकार की जानकारी....

श्री अध्यक्ष : जितनी जानकारी है उतनी दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं, पर वे मना कर रहे हैं कि जानकारी नहीं दे सकते हैं।

श्री हनुमान प्रभाकर : जिले के आधार पर दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अधिक से अधिक दी जायेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जिले के आधार पर दी गयी तो उसे देने से क्या फायदा है? उससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तहसील के आधार पर देने में क्या परेशानी है?

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन यह है कि इसमें पूरा प्रयत्न होना चाहिये और अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं यह करवायें।

अगला प्रश्न श्री छीतरलाल आर्य।

तहसील अटरू की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध गबन की शिकायतों में जांच

386. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सहरोद, तहसील अटरू के सरपंच श्री दुर्गालाल के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में गबन करने की जांच तहसीलदार व विकास अधिकारी अटरू द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो यह जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी और जांच पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील अटरू से ग्राम कुण्डी के सरपंच श्री शिवनारायण के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में गबन करने की जांच विकास अधिकारी के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी शीघ्र जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील अटरू के ग्राम कुजेड के सरपंच श्री महेन्द्र कुमार ने काम के बदले अनाज योजना में 6 लाख रुपये का गबन किया है? यदि हां, तो सरकार अब कब तक इसकी जांच करायेगी?

पंचायत राज मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : मैं पहले यह निवेदन कर दूं कि मैंने पहले इस प्रश्न को स्थगित करवाया था, इसलिये किसी प्रकार की गलतफहमी न हो, फिर मेरे पास जानकारी आ गयी, इसलिये मैं इसको उपलब्ध करवा रहा हूं।

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत सहरोद, तहसील अटरू के सरपंच श्री दुर्गालाल के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में गबन सम्बन्धी शिकायत की जांच तहसीलदार अटरू द्वारा की जा रही है। जांच के शीघ्र ही पूर्ण होने की सम्भावना है। जांच में विलम्ब होने का कारण शिकायत कर्ता द्वारा सबूत पेश नहीं करना है।

(2) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत कुंडी, तहसील अटरू के सरपंच श्री शिवनारायण के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में गबन की शिकायत की जांच तहसीलदार, अटरू के पास विचाराधीन है। जांच के शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं, अत: जांच के शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) तहसील अटरू के ग्राम कुजेड के सरपंच श्री महेन्द्र कुमार के विरुद्ध काम के

(श्री हनुमान प्रभाकर)

बदले अनाज योजना में गबन करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार, सहल से जांच कराई गई थी। जांच में प्राथमिक तौर पर अनियमिततायें प्रमाणित होने पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों का माप करवाया जा रहा है जिसके पूर्ण होने की सम्भावना है जांच पूर्ण होने पर ही वस्तु स्थिति सामने आयेगी कि सरपंचों ने कोई गबन किया है अथवा नहीं।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह सरपंच के विरुद्ध शिकायत कब प्राप्त हुई थी। किस तारीख को प्राप्त हुई थी और जांच कब शुरू हुई और अब यह कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री हनुमान प्रभाकर : मैंने कहा कि यह 17 तारीख को प्राप्त हुयी थी। मैंने इसको पहले स्थगित करवाया था जितनी जानकारी मिली थी उतनी ही मैंने दे दी है फिर तीन दिन की छुट्टी आ गयी थी तो दिन में जितनी जानकारी प्राप्त हो सकी, वह मैंने प्रस्तुत कर दी है।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : तो इसको स्थगित कर दिया जाय। तीनों कांग्रेस के सरपंच हैं। एक तरफ तो अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय तुरन्त निलम्बित कर देते हैं दूसरी तरफ कांग्रेस के तीन सरपंचों ने जो गबन किये हैं उनको रियायत दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रहे हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : प्रश्न का जवाब नहीं आता है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने इसका जवाब दे दिया है।

श्री सूरजपालसिंह (सोनमुख) : काम के बदले अनाज योजना में 6 लाख रुपये का काम कहां से आ गया?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 6 लाख का भी है। 15 लाख तक का है, आपको कुछ पता है नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय बतायेंगे जिन तहसीलों में जांच हो रही है वहां पर विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री हनुमान प्रभाकर : तीन की है। एक में पहला प्रश्न है 27-8-80 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसकी शिकायत की थी, फिर उसको सबूत पेश करने की तारीख दी गयी उस दिन वह उपस्थित नहीं हुआ अब फिर 30-3-81 को सबूत पेश करने को कहा गया है।

दूसरा का जहां तक सवाल है अभी इसकी प्रारम्भिक जांच तहसीलदार के पास विचाराधीन है।

तीसरे में, प्रारम्भिक जांच में कुछ अनियमिततायें पायी गयी हैं।

(श्री हनुमान प्रभाकर)

चूंकि प्रारम्भ में कुछ अनियमिततायें पायी गयी हैं, इसलिये विस्तृत जांच हो रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नम्बर दो, प्रारम्भिक जांच करने पर क्या पाया गया ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला।

ऊन पर आधारित उद्योग

387. श्री **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की सबसे बड़ी ऊन की मन्डी किस स्थान पर है ? ऊन आधारित उद्योग कहां कहां हैं ?

(2) क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में या संयुक्त क्षेत्र में ऊन आधारित वूल टौप्स का कारखाना लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां पर ?

(3) क्या विभाग राज्य में ऊनी गलीचे के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कुशल श्रमिकों को तैयार करने हेतु बीकानेर जैसे स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में कच्ची ऊन के उत्पादन की तुलना में औद्योगिक उत्पादन बहुत कम होता है ? यदि नहीं, तो ऊन का औद्योगिक उत्पादन कितना है एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अभी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है अत: इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

388। श्री मेघराज तावड़।

जावर माइन्स द्वारा गोव जावर कारखाने हेतु अवाप्त भूमि

388. श्री **मेघराज तावड़** (गोगुन्दा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जावर माइन्स कारखाने व माइन्स के उपयोग के लिये माइन्स से कितने किलोमीटर दूर तक भूमि किसानों को आवंटित नहीं की जा सकती ? इस सम्बन्ध में वर्ष 1969 से 1980 तक कितनी बार नोटिफिकेशन जारी किये गये ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जावर माइन्स द्वारा गोव जावर कारखाने के उपयोग के लिए किसानों की भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो भूमि का प्रति बीघा किसानों को क्या मुआवजा दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि अवाप्त की गई भूमि उपयोग में नहीं आने पर

(श्री मेघराज तावड़)

जावर माइन्स प्रशासन द्वारा किसानों से मुग्रावजा वापस जमा कराने को कहां गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री नानालाल) : यह विभाग को गलत चला गया था। जिस विभाग से संबन्धित था मैंने उससे जवाब प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया था पर जवाब नहीं आ सका, इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पिछली परम्पराओं के अनुसार मन्त्री महोदय को पहले सूचना दे देनी चाहिए। टेक्निकल ग्राउन्ड पर इसको टालना कतई उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर देते हैं। संबन्धित मन्त्रीजी को भेज देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : पता नहीं लग रहा है कि सदन होली के मूड में है या सरकार होली के मूड में है

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 389

श्री थानसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 390

श्रीमती कमला भील।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 391

श्री हेमाराम चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हेमाराम जी मुझे कह गए थे।

श्री अध्यक्ष : लिखित में दे गए थे क्या ?

श्री भूपालसिंह।

जे.के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा

392. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जे.के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा के द्वारा किस तारीख से पाजोलानिक सीमेंट का उत्पादन प्रारम्भ हुआ है तथा शेल पपड़ी, चायना क्ले, अब तक कितनी मात्रा में उपयोग की गई है ?

(2) उपयोग शुदा खनिज में शेल पपड़ी कहाँ से कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त की गई तथा क्या नियमानुसार लीज लाइसेंस प्राप्त कर ही खनिज का उपयोग हुआ है ?

(3) क्या सीमेंट फैक्ट्री के द्वितीय प्लांट की नींव खोदने से प्राप्त खनिज का उपयोग सीमेंट बनाने में किया गया है ? यदि हां, तो खनिज मात्रा बताई जावे। पूरी रॉयल्टी वसूल हुई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कोई मामला विचाराधीन है, तो कब से ? क्या सरकार इसमें कार्यवाही करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री नानालाल) : (1) मैसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स, निम्बा हेड़ा द्वारा माह अक्टूबर, 77 से पाजो लोनिक सीमेन्ट का उत्पादन प्रारम्भ किया गया तथा अब तक 49,675.00 टन शैल पपड़ी एवं 1,91,943 टन चायना क्ले का उपयोग किया गया है।

(2) उपयोगशुदा खनिज में शैल पपड़ी निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त की गई है :—

1) स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से 21,030.00 टन

2) अल्पावधि अनुज्ञापत्र द्वारा 24,200.00 टन

3) द्वितीय सीमेन्ट प्लान्ट की नींव खोदने से प्राप्त 1769.00 टन

4) अन्य स्रोतों से खरीद की हुई 2,676.00

योग : 49,675.00 टन

(3) जी हां। द्वितीय सीमेन्ट प्लान्ट की नींव की खुदाई से प्राप्त 1769 टन शैल पपड़ी का उपयोग पोजोलोनिक सीमेन्ट बनाने में किया गया है उसकी रायल्टी विभाग को जमा कराई जा चुकी है। किन्तु, चूंकि सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा खनिज की खुदाई के पूर्व अल्पावधि अनुज्ञापत्र नहीं लिया गया था अतः सीमेन्ट फैक्ट्री एवं कार्यरत ठेकेदारों के विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज नियम, 1977 के नियम 48 के तहत न्यायालय मुन्सिफ, निम्बाहेड़ा में वाद प्रस्तुत किया गया है तथा इस संबन्ध में आगे कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जायेगी।

श्री भूपालसिंह : डिपार्टमेन्ट का कोई बकाया नहीं है इसमें ?

श्री नानालाल : जी नहीं

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : रॉयल्टी कितनी जमा कराई जे.के. वालों ने ?

श्री नानालाल : जितनी रॉयल्टी इनकी बनती थी वह जमा हो चुकी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कितनी जमा कराई ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है माननीय सदस्य।

श्री भूपालसिंह : कितना रॉयल्टी का पैसा जमा कराया ?

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो फिगर्स बताये हैं, जितना उन्होंने काम में लिया है, उस सबकी रॉयल्टी दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मुन्सिफी में वाद कब पेश किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जे.के. वाले

(व्यवधान)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मनमाने ढंग से खदान कर रहे हैं........

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने गलत सूचना दी है तो अलग तरीके से उठाया जा सकता है। वह कह रहे हैं कि वाद पेश किया गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो वह तारीख बता दें।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : कितनी रॉयल्टी दी है, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि रॉयल्टी दी है। यह दी जा चुकी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जे.के. वाले सेल्स टैक्स की चोरी कर रहे हैं, रायल्टी की चोरी कर रहे हैं, सब प्रकार से चोरी कर रहे हैं.......

श्री भूपालसिंह : जब रॉयल्टी दे दी गई तो वाद किस बात का पेश किया गया।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 393

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमहेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

प्रति व्यक्ति औसत आय का अकलन

394. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी आंकी गई थी और उपलब्धि कितनी हुई ?

(2) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि जिन आधारों पर केन्द्रीय सरकार प्रति व्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाती है उन आधारों पर यदि राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय का हिसाब किया जाय तो यह बहुत कम आती है और केन्द्र और राज्य के बीच का अन्तर कम होता दिखाई नहीं देता ?

(3) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति औसत आय का सर्वेक्षण करवाया था ? यदि हां, तो कृपया जिलेवार प्रति व्यक्ति औसत आय (ग्रामीण क्षेत्रों की) सदन के पटल पर रखें।

योजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(1) पांचवी योजना के अन्तिम रूप में निर्धारित आकार के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत आय के अनुमान नहीं बनाए गए थे। नवीनतम जानकारी के अनुसार 1970-71 के स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1973-74 में 538 रु. व पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1978-79

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

में 591 अनुमानित की गई।

(2) राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा प्रयुक्त आधार को अविकल रूप में नहीं अपनाया जा सकता है।

(3) जी नहीं।

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि राजस्थान सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर भी औसत निकाला है। मेरा मूल प्रश्न यह है कि भारत सरकार के अनुसार जिस प्रकार से औसत आय है, राजस्थान सरकार के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है, इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : औसत आय निकालने के राज्य सरकार के और भारत सरकार के आधार अलग-अलग हैं। भारत सरकार रेलवे की आय को, बैंकों की, और कई तरह की आय को लेती है।

श्री **अहमद बक्श सिन्धी** (जोधपुर) : आपने कभी कोशिश की है क्या लगाने की ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : हां की है।

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, कि आजादी के बाद क्या राजस्थान सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है? इसका जिलेवार सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। भारत सरकार के औसत के मुकाबले में राजस्थान सरकार का औसत बहुत कम है। इसमें किसी निश्चित दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं कह चुका हूं, हमारे यहां का जो आधार है वह भारत सरकार से अलग है। भारत सरकार सारे हिन्दुस्तान का अनुमान लगाती है, हमारे यहां के आधार भी उसमें शामिल हैं। जो फिगर्स अवेलेबल है, उसके अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1973–74 में 538 रु. व पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के अनुसार 591 रु. पर केपिटा इन्कम होनी चाहिये।

श्री **अहमद बक्श सिन्धी** : होनी चाहिए यह नहीं, है कितनी, यह बताइये।

(व्यवधान)

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की औसत आय अभी फाइनल नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : एन.एस.एस. और आपका आधार एक जैसा ही है क्या ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : नेशनल सैम्पल सर्वे में भारत सरकार की बहुत सी बातें हैं जिनका अनुमान हम नहीं लगा सकते।

(व्यवधान)

श्री **दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : जैसे

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसे रेलवे, फॉरिन एक्सचेन्ज, बैंकिंग, बहुत से अनुमान हैं जो हम नहीं लगा सकते, हम तो अपने आधार पर लगाते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप भारत सरकार के आधार पर नहीं लगा सकते, लेकिन भारत सरकार के आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा राजस्थान में औसत आय बहुत कम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या प्रयत्न अपने हाथ में ले रही है। दूसरा प्रश्न यह है कि जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। मैंने प्रश्न किया है जिलेवार प्रति व्यक्ति औसत आय (ग्रामीण क्षेत्रों की) बताने की कृपा करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह । अलवर का ही रख देते।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 395

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामकंवार बैरवा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 396

श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 397

श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कैलाश मेघवाल।

राज्य में निर्माणाधीन सीमेन्ट कारखाने

398. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष में प्रारम्भ किये गए राज्य के तीन बड़े निर्माणाधीन सीमेन्ट कारखानों की क्या प्रगति है?

(2) सरकार से इन उद्योगों द्वारा किस किस प्रकार की सहायता की मांग की गई एवं किस किस प्रकार की सहायता दी गई?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1981 में सीमेन्ट का कोई नया कारखाना स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया गया है? यदि नहीं, तो कितने कारखानों का निर्णय लिया गया है?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) राजस्थान के तीन बड़े निर्माणाधीन कारखानों की प्रगति के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन उद्योगों द्वारा राज्य सरकार से भूमि, बिजली, पानी व वित्तीय सहयोग की मांग की गई थी। अधिकांशतः जमीन,

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
बिजली व पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। मंगलम् सीमेन्ट लि० को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि० जयपुर के माध्यम से पूंजी अंशदान के रूप में 60 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि० व श्री सीमेन्ट लि० को 60 लाख रुपये तक इक्विटी शेयर के रूप में अंशदान दिया गया है। बजट प्रावधान होने पर यह राशि दो वर्ष में दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। वर्ष 1980–81 में भारत सरकार द्वारा राज्य में तीन पोर्टलैण्ड सीमेन्ट एक सफेद सीमेन्ट, तथा एक पोर्टलैण्ड सीमेन्ट प्लान्ट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु आशय पत्र दिये गये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री **कैलाश मेघवाल** : सूची तो मुझे नहीं मिली। आपने कहा, सूची सदन की मेज पर रखी दी गई है।

श्री **अध्यक्ष** : सूची नहीं आई है, इसको स्थगित किया जाय।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : मैं पढ़ कर सुना दूं ?

श्री **अध्यक्ष** : छोटी है, तो पढ़ कर सुना दें।

श्री **कैलाश मेघवाल** : मुझे स्टडी करना पड़ेगा।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : आपको जितनी सूचना चाहिए दे दूंगा। छोटी सी है।

1. मेसर्स मंगलम सीमेंट, मोडक (कोटा) :

1177 बीघा 7 बिस्वा जमीन आवटित की जा चुकी है। फैक्ट्री की मुख्य बिल्डिंग पूर्ण हो चुकी है तथा फैक्ट्री द्वारा सीमेंट बनाने हेतु क्लीन्कर पीस कर सीमेंट की पैकिंग करना प्रारम्भ कर दिया है, परन्तु विद्युत कटौती के कारण उत्पादन में बाधा हो रही है।

2. मेसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि० बनास (सिरोही) :

कम्पनी को लगभग 2600 बीघा मय खनन हेतु भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें से 523 बीघा निजी भूमि अवाप्त करवाई जाकर कम्पनी को आवंटित की जा चुकी है। विद्युत मण्डल द्वारा पावर की स्वीकृति दी जा चुकी है। फैक्ट्री का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है एवं अब तक 30 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मशीनरी इत्यादि आना प्रारम्भ हो गया है तथा उनको स्थापित किया जा रहा है। जून, 1982 से सीमेन्ट उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

3. मेसर्स श्री सीमेंट लि० ब्यावर (अजमेर) :

विद्युत हेतु विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। पानी उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था कराई जा चुकी है। सरकारी भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा चरागाह भूमि के आवंटन की कार्यवाही जिलाधीश, अजमेर द्वारा की जा रही है। कम्पनी की आवश्यकतानुसार शेष

(15)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

भूमि की औपचारिकता पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र उपलब्ध कराई जा सकेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि जब इक्विटी पार्टीसिपेशन की राशि, जो 60 लाख रुपए सरकार ने निश्चित की है न दी जायगी? उक्त फर्म्स को बैंक से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी और यह काम चालू नहीं होगा?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि राज्य सरकार से इन उद्योगों द्वारा किस प्रकार की सहायता की मांग की गई एवं किस-किस प्रकार की सहायता दी गयी? इसके अन्दर मंगलम् सीमेंट लि0 को 60 लाख रुपया दे दिया गया और बाकी दोनों के लिए हमने कमिटमेंट दे दिया है कि 60 लाख इक्विटी पार्टीसिपेशन राज्य सरकार की इसके अन्दर रहेगी। मंत्रि-मंडल का निर्णय इस आधार पर हो चुका है और उनको कम्यूनिकेट कर दिया है। विरोधी दल के माननीय नेता ने पूछा कि जब तक हम उनको इक्विटी पार्टीसिपेशन की राशि नहीं देंगे तब तक दूसरी वित्तीय संस्थाओं से उनको सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी। मुझे इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं कि मुझे जानकारी नहीं। अगर उनको दिक्कत पैदा होती है तो इस बात का हम प्रयत्न करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र उनको यह राशि प्रदान की जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या यह सही है कि............

श्री प्रद्युम्न सिंह : जरा जोर से बोलिए।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या यह सही है कि जो फैक्ट्रियों की जमीन मांगी है, जिसमें 10 किलो मीटर की सीमा है, अलग अलग स्थानों पर 10 वर्ग किलोमीटर, उन्होंने इस तरह की मांगी है, वह दी जा रही है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने प्रश्न जो पूछा है उसका माइनिंग से सम्बन्ध है, माइनिंग रूल्स रिलेक्स हुए या नहीं। आपको यह सवाल माइनिंग विभाग से पूछना चाहिए था। आपने पूछा कि किस प्रकार की सहायता की मांग की गई। जो सुविधायें राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई हैं उनको मैंने सूची दे दी है, अगर इसमें माइनिंग रूल्स का वायोलेशन हुआ है तो उस विभाग से पूछें। मैंने इस सवाल को एन्टीसिपेट नहीं किया था। सरकार को रूल्स को रिलेक्स करने का पूरा अधिकार है, अगर रूल्स को रिलेक्स किया होगा सीमेंट उद्योग को पनपाने हेतु, तो करना चाहिए और भविष्य में भी करना पड़ेगा। सरकार को करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री कैलाश मेघवाल : किस रेट पर उनको बिजली और पानी दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : कलेक्टर, अजमेर ने ब्यावर के लिए 5 लाख की सुविधा दी है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

(16)

श्री छोगाराम बकोलिया (रैवदर) : बनास सीमेंट फैक्ट्री के बारे में जो भूमि अवाप्त की गई है, वहां आदर्श नगर का, पण्डित नेहरू द्वारा फाउन्डेशन स्टोन रखा गया था, उस आदर्श नगर को उजाड़कर फैक्ट्री लगाई गई है, क्या उनको पूर्णतः भूमि····

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

प्रश्न संख्या 399

श्री राधेश्याम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मुराद खां।

जिला भरतपुर में छोटे किसानों को खाद व बीज का विक्रय

400. **श्री मुराद खां** (नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्रय विक्रय सहकारी समिति, नगर, जिला भरतपुर में वर्ष 1980-81 में कितनी मात्रा में बीज तथा खाद प्राप्त हुआ ?

(2) उक्त खाद व बीज में से छोटे किसानों को रियायती दर पर कितना बेचा गया तथा नकद कितना बेचा गया ?

सहकारिता मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) क्रय विक्रय सहकारी समिति, नगर, जिला भरतपुर में वर्ष 1980-81 में 263.80 टन खाद एवं 210.65 क्विटल बीज प्राप्त हुआ।

(2) छोटे किसानों को समिति द्वारा 94.10 टन खाद व 28 क्विटल बीज रियायती दर पर बेचा गया तथा 263.6 टन खाद एवं 182.65 क्विटल बीज नकद पर बेचा गया।

श्री मुराद खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि छोटे काश्तकारों के लिए वहां के अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई थी, लेकिन जानबूझकर उनको रियायती दर पर खाद व बीज न देकर उसको ज्यादातर ब्लेक में बेचा गया है। मेरा अनुरोध है कि, जो क्रय विक्रय संघ का मैनेजर है उसको तुरन्त सस्पेंड किया जाय और इसकी जांच कराई जाये ताकि वहां के छोटे काश्तकारों में सरकार के लिए विश्वास कायम रहे।

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय सदस्य की जानकारी के आधार पर मैं जांच कराऊंगा।

प्रश्न संख्या 401

श्री अध्यक्ष : श्री शिवदान सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हंसराज शर्मा।

जिला सीकर के स्कूल्स में अध्यापकों के पदों में अभिवृद्धि

402. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हंसराज शर्मा)

(1) क्या राजस्थान में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में छात्रों के अनुपात से अध्यापक पदस्थापित किए हुए हैं? यदि हां, तो जिला सवाई-माधोपुर में कितने नए अध्यापक लगाये हैं?

(2) क्या यह सही है कि प्राइमरी स्कूल्स में 50 से लेकर 100 तक छात्रों को पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने हेतु एक ही अध्यापक नियुक्त है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा ऐसे स्कूल्स की संख्या कितनी है?

(3) क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर क्षेत्र में बराबर अध्यापकों की मांग के बाद भी अध्यापक नहीं लगाए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला सवाईमाधोपुर में छात्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया था? यदि हां, तो कितनी और कब तक बढ़ा दी जावेगी?

(5) लक्ष्य निर्धारित करने के बाद छात्रों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? क्या सरकार ने अध्यापकों की संख्या में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी की है?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद):

(1) जी नहीं। जिला सवाई माधोपुर में इस वर्ष तृतीय वेतन शृंखला के 35 पद तथा द्वितीय वेतन शृंखला के 9 पद दिए गए हैं।

(2) यह सम्भव है कि कुछ स्कूल्स में 50 से ऊपर छात्र संख्या होने पर भी एक ही अध्यापक हो। पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(3) यथासम्भव अतिरिक्त अध्यापकों की मांग पूरी करने के प्रयत्न किए जाते हैं। पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(4) जी हां। सवाईमाधोपुर जिले में 1980-81 में छात्रों के नामांकन का लक्ष्य 1.49 लाख तय किया गया था। छात्रों का नामांकन 1.54 लाख हो गया है जो लक्ष्य से अधिक है।

(5) लक्ष्य निर्धारण के बाद छात्रों की संख्या में 11,100 की बढ़ोतरी हुई है। जी नहीं, अध्यापकों की संख्या में अनुपाततः बढ़ोतरी करना सम्भव नहीं हो सका।

श्री हंसराज शर्मा : क्या यह सही है कि छात्रों के अनुपात में अध्यापकों को लगाना सम्भव नहीं हो सका है उसके बावजूद भी छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी कर केवल बकरे-बकरियों की तरह स्कूल्स में इकट्ठा करने का क्या कारण है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि ...

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न का जवाब पहले आने दें।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कई बार कहता रहा हूं कि छात्रों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों की संख्या उनके अनुपात में कई

(18)

(श्री चन्दनमल बैद)

जगह पर कम हो सकती है। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे राजस्थान में सवाई-माधोपुर क्षेत्र में 80-81 में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 81 हजार छात्र थे और 77 हजार छात्रायें थीं और प्रधान अध्यापक इसमें 1798 पुरुष अध्यापक हैं और महिला अध्यापक 218 हैं। कुल इस प्रकार 2014 अध्यापक हैं और छात्रों के अनुपात की दृष्टि को देखते हुए यह वन इज टू 49 छात्र रहती है। मैं यह मानता हूं और स्वीकार करके चलता हूं कि कई जगह पर यह पद कम हैं और जो अनुपात है वन इज टू 50 का वह पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और इसके लिए विसंगतियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना भी चाहूंगा कि क्या यह सही है कि प्राइमरी स्कूल में पंचायत समितियों के अध्यापकों को लगा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न नहीं है वहां पर कई जगहों पर मिडिल स्कूल्स के टीचर्स को लगा दिया गया है पंचायत समितियों के अध्यापकों को लगा दिया गया है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न, मैं जो पूछना चाहूंगा कि इतने कितने स्कूल हैं जहां पर सवाईमाधोपुर जिले में अध्यापकों का अनुपात वन इज टू 50 नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : यह विस्तृत प्रश्न है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है 80-81 में मिडिल स्कूल का जहां तक सवाल है 46 हजार छात्र हैं और दस हजार छात्रायें हैं इस प्रकार कुल 56 हजार छात्र छात्रायें हैं उसके अनुपात में 1577 पुरुष अध्यापक है और महिला अध्यापक 175 है। इसका अनुपात जो आता है वह भी वन इज टू 5 है। यह तो मैं मानता हूं कि अध्यापकों की संख्या कहीं पर कम हो सकती है और इसके लिए मैंने विस्तृत जानकारी मंगायी है और मैं इसके लिए विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कई जगह पर स्कूल्स बिना अध्यापकों के खाली पड़े हुये है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय, सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज वहां स्कूल्स की हालत खराब है। स्कूल्स में अध्यापक नहीं हैं। सवाई माधोपुर जिले की····

(श्री हंसराज शर्मा)

(व्यवधान)

कई जगहों पर जहां कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की बस्तियां हैं वहां पर स्कूल्स में अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकों की कमी को दूर किया जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप शांत रहें। माननीय सदस्य, कृपया सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालें।

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों की करीब दो हजार अध्यापकों की कमी है ? राजस्थान की पंचायत समितियां और जिला परिषदों के अन्दर और क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस कमीशन के बोर्ड के सदस्य पूरे नहीं होने के कारण यह कमी है ? और यही कारण है कि आज सवाई माधोपुर जिले में 1500 अध्यापकों की कमी है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह मान कर ही चल रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर करीब पांच हजार अध्यापकों की कमी है। और इसका कारण यह है कि पंचायत समितियों और जिला परिषद सर्विस सलेक्शन बोर्ड के चेयरमेन की अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हो सकने के कारण नियुक्ति में बाधा आ रही है और जब शिक्षा विभाग की मांगों पर बहस चल रही थी उस वक्त भी मैंने सदन में आश्वासन दिया था कि इस कमी को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने की कोशिश की जावेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह तो नहीं है कि पंचायत राज्य विभाग के मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्री जी में आपस में तालमेल नहीं है इसलिए यह राजस्थान में नौ हजार अध्यापकों की कमी है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के अन्दर आज 20 से ज्यादा स्कूल बन्द पड़े हुये हैं क्योंकि वहां पर स्कूल्स में अध्यापक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है। अगला प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

उदयपुर नगर की झीलों से सिंचाई बन्द करना

403. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यहबताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर की झीलों से कुल

(20)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है। कृपया तीन वर्षों में सिंचाई से प्राप्त होने वाली राशि का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर इन झीलों के कारण ही देश विदेश के पर्यटकों का केन्द्र रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस आय के लालच को छोड़ कर सिंचाई बन्द करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) उदयपुर नगर की झीलों से कुल 1450 बीघा क्षेत्र में सिंचाई होती है। वर्ष 1977-78 में रुपये 19681, वर्ष 1978-79 में 12929 रुपये व वर्ष 1979-80 में 9012 रुपये सिंचाई शुल्क प्राप्त हुआ।

(2) यह सही नहीं है कि केवल झीलों के आकर्षण के कारण ही उदयपुर पर्यटक केन्द्र है। यह एक कारण हो सकता है। इन तालावों से सिंचाई बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 77-78 में 19000 और 78-79 में 12 हजार 929 और 79-80 में नौ हजार 12 रुपये प्राप्त होते हैं इतने से रुपयों के लिए, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर नगर की सुन्दरता को खराब किया जा रहा है। क्या सरकार इस लालच को छोड़ कर उस नगर की सुन्दरता को कायम रखती है तो सरकार को क्या नुकसान है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के जवाब में बताया कि 19 हजार, 12 हजार और 9 हजार की रकम कोई बड़ी नहीं है पर बात सारी यह है कि जिन लोगों को वर्षों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है उससे उनको वञ्चित होना पड़ेगा उन लोगों का क्या होगा। वहाँ पर इन 450 बीघा के क्षेत्र में हो सकता है कोई गरीब काश्तकार होंगे हो सकता है उसमें दूसरे लोग भी हो सकते हैं पर सम्पन्न लोगों की कोई बात नहीं लेकिन गरीब काश्तकारों को जो वर्षों से सिंचाई की सुविधा का लाभ पहुंच रहा है वह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को इन झीलों से सिंचाई की व्यवस्था है उसके अलावा उनके पास और साधन से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है। और अगर एकाएक इस सुविधा को हम समाप्त कर देते हैं तो उनके लिए यह उचित नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहाँ पर सिंचाई के लिए लोगों के पास ऐसे क्षेत्र में कुंए भी हैं और वह सिंचाई कर सकते है। लेकिन मन्त्री महोदय से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि उस एरिया में कुछ बड़े-बड़े लोगों की इसमें बाड़ियां आयीं हुई हैं वहां पर सौभाग-पुरा में थोड़े बहुत किसान हो सकते हैं। बाकी तो सभी प्रतिष्ठित लोगों की बाड़ियां ही हैं उनके कुंए भी है उनके पास पर्याप्त सोर्स कुंए मे पानी के हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उदयपुर नगर की सौन्दर्यता को कायम रखने के लिए इन झीलों से सिंचाई के लिए

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पानी देना बन्द किया जाय क्योंकि इससे जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं वह उसमें सिर्फ 10-5-15 सेठ लोग हैं। बाकी गरीब काश्तकार तो बहुत कम हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सुविधा तो वर्षों से उन लोगों को उपलब्ध हो रही है बन्द करना उचित नहीं है। दूसरे इन झीलों में पानी की कमी भी नहीं होती है और अगर कभी पानी की कमी हो तो उन झीलों को देवास योजना से पानी दिया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन झीलों से न केवल इन लोगों को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है इसके अलावा बहुत सी कालोनीज में भी पानी दिया जाता है, सहेलियों की बाड़ी के बगीचे को भी पानी दिया जाता है और लक्ष्मी निवास को भी पानी दिया जाता है। कोई सारा पानी सिंचाई के ही लिए झीलों से पानी लिया जाता है वह बात नहीं है और उदयपुर नगर की सौन्दर्यता तो सहेलियों की बाड़ी वगैरह को पानी देने से बढ़ता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां भी तालाब हैं वहां पर पानी नीचे कुओं में अपने आप आ जाता है। लेकिन जब वर्षा नहीं होती है तब वहां पर पानी कुओं में कम हो जाता है। और इसका असर सिंचाई के लिए पड़ता है लेकिन यहां पर सवाल सहेलियों की बाड़ी को पानी देने का नहीं है और न उन क्षेत्रों की सिंचाई से पैसे प्राप्त करने का है, सवाल आमदनी का नहीं होकर पर्यटन का है पर्यटकों को बढ़ावा देने की बात है,

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने वही प्रश्न उठाया है जो कि माननीय प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न पूछा है। मैं अभी इस बारे में कोई कमिटमेन्ट देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं फिर से विस्तृत जानकारी प्राप्त करूंगा कि पता लगाएं कि और कुओं में पानी है तो क्या किया जा सकता है। मैं यहां कोई कमिटमेन्ट देने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं मैं उनके ऊपर विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री अमरा राम।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न भी है।

श्री अध्यक्ष : इसके पश्चात्। श्री अमरा राम।

लूणी नदी के तटों की मरम्मत

404. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लूणी नदी में सन् 1979 में बाढ़ आ जाने से ग्राम समदड़ी तहसील सिवाना से तिलवाड़ा, तहसील पचपदरा तक लूणी के तट पूरे टूट गए थे ? यदि हां, तो इन तटबन्धों को पुनः बांधने के लिए सरकार क्या कर

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

रही है ?

(2) क्या यह सही है कि लूणी नदी की तटबन्दी के लिए केन्द्र सरकार ने पांच करोड़ रुपए स्वीकृत किए ? यदि हां तो चालू वर्ष में इस राशि में से कितने रुपए खर्च किए जायेंगे ?

(3) क्या अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत लूणी नदी के तटबन्धों को बांधने हेतु कार्य प्रारम्भ कराया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य किन-किन स्थानों पर चल रहा है ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री प्रद्युम्नसिंह):

(1) जी, हां। इन तटबन्धों के पुनः निर्माण हेतु जनियाना, सिलोरा से जेठानारी कनाना पारलू एवं गोचरिया के ग्रांकलन तैयार किए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। इन ग्रांकलनों की जांच के पश्चात् उन पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री ग्रमराराम चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी तक कोई ऐसे एस्टीमेट वहां तैयार करके कोई काम प्रारम्भ नहीं किया गया है ग्रौर वर्षा बिल्कुल नजदीक ग्रा रही ग्रौर वहां लूणी नदी के किनारे पर जो लोग रहते हैं, वह डर रहे हैं। वह ग्रपने मकान नहीं बना सकते, जो किनारे पर रह रहे हैं ग्रौर जिन्होंने मकान बनाये हैं वह भी घबरा रहे हैं, क्योंकि दो फुट भी ग्रौर पानी ग्रा गया, जगह जगह से लूणी नदी की बैल्ट है, वह टूट गई है ग्रौर डेमेज होने के कारण पानी दो फुट भी ग्रगर ग्रायेगा तो उनके मकान सेफ नहीं रहेंगे, उनकी जान सेफ नहीं रहेगी ग्रौर किसानों के जो खेत हैं, कुएं हैं ग्रौर सरकार ने जो ग्राठ ग्राठ हजार रुपए देकर कुग्रों का निर्माण किया है यदि यह शीघ्र ही एक दो दिन में ही काम प्रारम्भ नहीं किया गया तो लोगों को बहुत ही भय हो गया है ....

श्री ग्रध्यक्ष : भाषण नहीं। माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री अमराराम चौधरी : वर्षा ऋतु में यह काम पूरे नहीं होंगे ग्रौर बाढ़ ग्राने के बाद यदि प्रारम्भ करेंगे ग्रौर लूणी नदी में दो फुट भी पानी ग्रा गया तो तट बन्धों को ठीक कर भी नहीं सकेंगे। मेरा तो यह निवेदन है कि यह जो बैल्ट है वह तुरन्त ही चालू करायें ग्रौर ग्रभी से चालू करायें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं माननीय सदस्य। ग्रापने ग्रपनी बात कह दी। मन्त्री महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह सही है कि काम शुरू नहीं हुग्रा लेकिन उनके एस्टीमेट्स तैयार हो गए हैं ग्रौर इसी बजट में वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज के लिए 20 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है ग्रौर उनको प्राथमिकता पर लेने का सरकार का इरादा है।

श्री ग्रध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री अमरराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय यह कार्य कब प्रारम्भ करा देंगे, तारीख तो, बता दें ?

श्री अध्यक्ष : शीघ्र ही करा देंगे ।

श्री अमरराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, तारीख तो बता दें, ताकि जनता को बताया जा सके कि कौनसी तारीख से हो जायेंगे । तारीख बहुत जरूरी है । जनता में बहुत वातावरण खराब हो रहा है । मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय तारीख बता दें कि कब काम प्रारम्भ कराने जा रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य, मैंने आप से निवेदन किया कि हमने इस साल बजट में 20 लाख रुपये का प्रावधान किया है जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा क्षति हुई है । जैसा आपने कहा कि दो फुट भी पानी आ गया तो किनारे के लोगों को हानि हो सकती है, तो मैंने निवेदन कर दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रावधान कर दिया गया है । इस कार्य को शीघ्र ही हाथ में लिया जावेगा । जो वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज हैं और जो प्रावधान किया है उनको ध्यान में रखते हुए इफेक्टेड एरिया को शीघ्र हाथ में लेंगे । अब हाउस में कमिटमेन्ट देना कि तारीख बता दें कि कौनसी तारीख को काम प्रारम्भ किया जाएगा तो यह नहीं हो सकेगा । मैं तारीख बता दूं और काम प्रारम्भ नहीं हो सके तो फिर ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाएगा । इसलिए मैं कोई कमिटमेन्ट करने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री गुलाबचन्द कटारिया । आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26–2–81)

राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का विभिन्न मदों पर व्यय

81. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 18 जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक मुख्य मन्त्री सहित राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्यगण का टेलीफोन, गाड़ी व यात्रा भत्ता तथा आतिथ्य सत्कार में कितना खर्चा हुआ ? कृपया प्रत्येक मंत्री के बारे में विवरण, मदवार सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या सरकार अकाल की स्थिति में इस व्यय को नियन्त्रित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व्यय में कमी की जायगी ?

राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह : (1) टेलीफोन, गाड़ी, यात्रा भत्ता तथा आतिथ्य सत्कार के खर्च का मन्त्रीवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी, हां । व्यय को यथासम्भव नियंत्रित रखा जा रहा है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

(24)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि वर्ष 1980-81 में इस मन्त्री परिषद् के लिए कुल कितना मद रखा गया और 5 महीनों में उसका कुल कितना प्रतिशत पैसा खर्च कर चुके हैं ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह सही है कि राज्य मन्त्रीमण्डल के, मुख्य मंत्री और 4 मंत्री इनका खर्चा टेलीफोन का और बाकी बचे हुए उपमत्रियों, जिनके पास कोई काम नहीं है उनका खर्चा इन मन्त्रियों से भी अधिक हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : ठाले बैठे और क्या करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि, इस साल के प्रावधान के बारे में तो मेरे पास जानकारी नहीं है कि बजट में कितना प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी नहीं है, इसको मैं एडमिट करता हूं। जहां तक टेलीफोन के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्रिमण्डल छोटा होने के कारण मन्त्रियों के पास और उप मन्त्रियों के पास भी विभाग अधिक थे इसलिए टेलीफोन के ऊपर खर्चा अधिक होना स्वाभाविक था। इस प्रश्न के बारे में तो मेरा यह उत्तर है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दें कि जो आपने यात्रा की और जो गाड़ियां काम में लाये उसमें 5 उपमन्त्रियों ने 2.2 लाख रुपया खर्च किया, कुल 5 महीनों में, जिनके पास कोई काम नहीं है और उसकी एवज में आपके मुख्य मन्त्री सहित 3 मन्त्री और हैं उनके ऊपर 2 लाख रुपया हुआ। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि इन मन्त्रियों ने जो बेकारी भत्ता लिया है, उन्होंने राजस्थान के खजाने का बहुत बड़ा नुकसान किया, व्यर्थ में, बिना किसी काम के ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मोटर गाड़ियों के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है मेरा उत्तर यही है कि पूर्ण संख्या मन्त्रिमण्डल की 9 थी, जिसमें मुख्य मन्त्री और 3 केबिनेट स्तर के मन्त्री थे और उपमन्त्रियों के साथ अटैच किया हुआ था। आप जानते हैं प्रशासनिक बोझ उनके ऊपर अधिक था और राजस्थान के अन्दर दौरा करना बहुत लाजिमी था, पैट्रोल की कीमतें पहले के मुकाबले अधिक बढ़ चुकी हैं इसलिए खर्चा होना स्वाभाविक है। जब जनता पार्टी की सरकार थी तब भी, उस समय आपके खर्चों के अन्दर किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ठीक है, आपने कुछ निर्णय लिये थे और आपने सीलिंग बांधी थी। जो सीलिंग आपने निर्धारित की थी, आज भी उन्हीं के ऊपर हम चल रहे हैं। हमने अभी तक उनको बदला नहीं है। लेकिन मैं यह कहूं कि वेस्टफुल एक्सपेण्डीचर है यह कहा गया। एक तरफ तो माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं कि मन्त्री लोग जनता की समस्या सुनने के लिए दौरा नहीं करते हैं और दूसरी तरफ दौरा करते हैं तो आरोप लगाते है। अतः यह आपके आरोप बेबुनियाद हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जो आपने गाड़ियों का दिखाया है उसमें एक मन्त्री श्री नरेन्द्रसिंह जी हैं उनके अधिकांश दौरे, जयपुर-दिल्ली के बीच में हुए हैं जो कि, प्रशासनिक नहीं हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्या आप इस बारे में डिटेल बताने के लिए तैयार हैं कि कितनी बार उन्होंने जयपुर-दिल्ली यात्रा की और उसमें कितना खर्चा हुआ? मन्त्रिमण्डल में जितने लोग हैं उनमें से सबसे अधिक गाड़ी का खर्चा लगायें तो 0.4 लाख से ऊपर केवल एक ही मन्त्री का है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री बनने के बाद कहां कितने दौरे किये यह तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन खर्चा कितना हुआ, उसका ब्यौरा दे दिया है।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : बेकारी भत्ते के ऊपर इतना खर्च करना क्या मुनासिब है?

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस प्रश्न में जिस पीरियड का, जिस-जिस मद में खर्चा वर्तमान मन्त्रिमण्डल के बारे में पूछा गया है, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इतने ही पीरियड का गत जनता-पार्टी की सरकार में, जो मन्त्री मण्डल था, उसमें कितना खर्चा हुआ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान्, जब यह प्रश्न मेरे सामने आया था तो मैंने इस बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी क्योंकि मैं जानता था कि इसको पालिटिकल प्रश्न बनाने की कोशिश की जायगी इसलिए मैंने वर्तमान मुख्य मंत्री और भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा किए गए खर्च के कम्परेटिव फिगर्स निकलवाये थे। श्रीमान्, उसी अवधि का, जितना पीरियड वर्तमान मुख्य मन्त्री जी का उतना ही पीरियड भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी का जो टेलीफोन खर्चा हुआ, वह वर्तमान मुख्य मंत्री जी का 10,488 रुपये और तत्कालीन मुख्य मन्त्री का 29,812 रुपये। गाड़ियों का खर्चा उसी पीरियड का भूतपूर्व मुख्य मंत्री का 1,07,764 रुपये और वर्तमान मुख्य मन्त्री का 71,790 रुपये ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : हवाई जहाज का और जोड़ दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो भत्ता खर्चा है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का 49,00 रुपये

(व्यवधान)

जवाब दे रहा हूं, श्रीमान्, जवाब देने दीजिए। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का 4900 रुपये और वर्तमान मुख्य मन्त्री जी का 3,338 रुपये। दैनिक खर्चा वर्तमान मुख्य मन्त्री जी का 15,576 रुपए और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी का 27,344 रुपए। यह मैंने फिगर्स उसी पीरीयड के निकलवाये हैं। मैं जानता था इस प्रश्न को राजनैतिक प्रश्न बनाया जायगा कि इस सरकार के मन्त्री फिजूलखर्ची कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : तिगुनी है-साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दोनों मन्त्रिमण्डलों ने, मैं यह नहीं कहता कि फिजूलखर्ची की, शासन की मजबूरियां हैं, खर्च करना पड़ता है, उन्होंने भी खर्च किया और हमने भी खर्च किया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : प्रश्न संख्या 202।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने जो स्थगित कर दिया है वह तो आना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समय अधिक लगा देते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : स्थगित तो आना ही चाहिए।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 मार्च, 1981)

पंचायतों को देय अनुदान का उपयोग

202. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1980-81 में पंचायतों को देय अनुदान में से किस-किस माह में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस राशि में से मजदूरों की बकाया का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो इस रूप में कितनी राशि की कटौती हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन पंचायत क्षेत्रों में मजदूरों की कोई बकाया नहीं थी, उन पंचायतों की अनुदान राशि से भी कटौती की गई है ? यदि हां, तो किन-किन पंचायतों से ऐसी कितनी-कितनी राशि की कटौती की गई ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 202 स्थगित किया गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर महाविद्यालय खोलना

389. **श्री थानसिंह मीणा** (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का नए महाविद्यालय खोलते समय जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का विचार है ?

उत्तर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा व वित्तीय प्रावधान उपलब्ध न होने से राज्य सरकार राज्य में नए महाविद्यालय नहीं खोल रही है।

(27)

आवासन मण्डल द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित मकान

390. श्रीमती कमला (सागवाड़ा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आवासन मण्डल के आवंटन सम्बन्धी नियमों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को निर्मित मकानों के आवंटन हेतु आरक्षण प्राप्त है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को मकान आवंटित किए गए हैं ?

(2) अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कितना कोटा निर्धारित है और भवनों का आवंटन कितने प्रतिशत को किया गया है ? कृपया आवंटन की जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) बोर्ड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का 14 प्रतिशत कोटा है। अब तक बोर्ड द्वारा आवंटित कुल मकानों में से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए 931 मकान आवंटित किए गए हैं जो कुल आवंटित मकानों का 5 प्र.श. है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण सम्मिलित रूप से 14 प्र.श. है। मकानों के आवंटन की जिलेवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिला बाड़मेर के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

391. श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम भोजासर, बोडवा, नोसर, सोभेसरा नया, सोभेसरा जूना, भिशूलिया, साजन की ढाणी, सेवनियाला, सरणू चिमनजी, सरणू पानजी, सरणू भीमजी की ग्रामीण जनता के लिए पेयजल कहां से उपलब्ध हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों के आस पास 100 किलोमीटर तक पीने का मीठा पानी नहीं होने से इन ग्रामों की जनता को पेयजल की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार के पास इस समस्या का क्या निदान है ?

उत्तर

(1) ग्राम भोजासर एवं सेवनयाला के अतिरिक्त ग्रामों के ग्रामवासी अपनी पेयजल आवश्यकता ग्राम में अथवा ग्राम के आस पास स्थित स्रोतों से पूर्ण कर रहे हैं। ग्राम भोजासर एवं सेवनयाला में जिलाधीश द्वारा टैंकरों से व्यवस्था की जा रही है।

(2) जी नहीं। सोभेसराजना के अतिरिक्त सभी ग्राम समस्याग्रस्त हैं। ग्राम सरजू चिमनीजी हेतु वर्ष 1980-81 में योजना स्वीकृत की जा चुकी है। शेष ग्रामों को धन उपलब्ध होने पर लाभान्वित करना सम्भव होगा।

गंग नहर का नवीनीकरण

393. श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महेन्द्रसिंह)

गंग नहर के नवीनीकरण का कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है और इसके कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है ?

उत्तर

गंग नहर के नवीनीकरण के प्रस्ताव बना कर भारत सरकार को भेजे हुए हैं जिन पर काफी समय से भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय में विचार विमर्श चल रहा है। जब तक इन प्रस्तावों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ करना सम्भव नहीं है। गंग केनाल के नवीनीकरण से सम्बन्धित साधुवाली लिंक का तखमीना शीघ्र तैयार किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही दी जाने की संभावना है।

जयपुर-डिग्गी-मालपुरा सड़क की चौड़ाई बढ़ाना

395. **श्री राम कंवार बैरवा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-डिग्गी मालपुरा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु कई वर्षों से निरन्तर जन प्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही है ?

(2) यदि हां, तो इस सड़क की कब तक चौड़ाई बढ़ा दी जायगी ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या मासी या बांडी नदी से होने वाली आय को देखते हुए सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि सांगानेर के पास सड़क के छोटे से टुकड़े को चौड़ा किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) ऐसा कुछ जानकारी में नहीं है।

(2) ट्रैफिक की व अन्य वरीयताओं को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को चौड़ा करना निकट भविष्य में सम्भव नहीं है।

(3) मासी व बांडी नदियों से होने वाली आय खनिज विभाग को जाती है।

(4) जी हां।

राज्य में फिल्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन की स्थापना करना

396. श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या जनसम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने फिल्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन का गठन किया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह कॉरपोरेशन ग्रामीण क्षेत्रों में छविगृह बनाने हेतु प्रान्तीय स्तर पर स्थापित फिल्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से ऋण व अनुदान प्रदान करेगी ?

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(2) यदि हां, तो क्या राज्य में फिल्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन के गठन का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन हेतु निर्मित छविगृहों के लिए सरकार रियायती दरों पर भूमि एवं ऋण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। फिल्म वित्त निगम की योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में छविगृह बनाने के लिये ऋण देने का प्रावधान है।

(2) विचाराधीन है।

(3) विचाराधीन है।

प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रदत्त सुविधायें

397. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मन्डी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में सभी खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं ?

(2) क्या ये खिलाड़ी ग्रन्तर्राज्यीय खेलों में प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ?

(3) क्या ग्रन्य राज्यों द्वारा जो सुविधायें अपने खिलाड़ियों को प्रदान की जाती हैं उसकी तुलना में राज्य में ग्रधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(4) क्या सरकार पृथक से क्रीड़ा विभाग खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, राज्य सरकार, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार स्वीकार करती है तथा ऐसे खिलाड़ियों के व्यक्तिगत आये प्रार्थना पत्रों पर विचार कर उचित मामलों में मासिक खुराक भत्ता भी देती है।

(3) ग्रन्य सभी राज्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं।

जिला गंगानगर की सड़कों की मरम्मत

399. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की डामर की सड़कों की हालत ग्रत्यन्त दयनीय होने से जनता को काफी ग्रसुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ग्रौर कौन-कौन सी

(श्री राधेश्याम)

सड़क की निर्माण की योजना बनाई गई है यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार इन सड़कों को जिले के लिए उपलब्ध धनराशि के आधार पर इनका रख रखाव करवा रही है। जब जब कोई सड़क का भाग खराब होता है तो उन कि. मी. का रिनुअल कोट उपलब्ध धनराशी के अनुसार करवाने की कार्यवाही की जाती है।

नदी नालों के पानी से की गई सिंचाई

401. श्री शिवदान सिंह (पिड़ावा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसानों ने सूखा के मुकाबले के उद्देश्य से कई स्थानों पर अपने खेतों के समीपवर्ती नदी नालों के पानी से निजी पंपिंग सैट्स द्वारा सिंचाई की है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पानी का टैक्स वसूल कर रही है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भांति से की हुई सिंचाई के पानी का झालावाड़ जिले में टैक्स वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी टैक्स वसूली पर रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग इस तरह की गई सिंचाई का लेखा नहीं रखता है। इस तरह की गई सिंचाई के लिए सरकार कोई टैक्स वसूल नहीं करती है।

(2) जी, नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम बड़ेखान (लालसोट) का प्राथमिक विद्यालय

395. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम बड़ेखान, ग्राम पंचायत बिलोना, तहसील लालसोट, जिला जयपुर के प्राथमिक विद्यालय के लिए शाला भवन न होने के कारण उक्त शाला की व्यवस्था ठीक नहीं थी ?

( ) क्या अकाल राहत योजना के अन्तर्गत शाला भवन बन जाने की सरकार को जानकारी है ?

(3) क्या वहां अध्यापकों की व्यवस्था है ? नहीं है, तो अब कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम बड़ेखान, ग्राम पंचायत बिलौना में प्रा० विद्यालय गत 20 वर्ष से चालू है जो कि भवन न होने के कारण लक्ष्मीनारायण की ढाणी में एक मन्दिर में चल रहा था।

(2) हां। यह सही है कि अकाल राहत योजना के अन्तर्गत पंचायत द्वारा एक

(पंचायत मंत्री)

विद्यालय भवन निर्मित किया है जो कि जहां विद्यालय चल रहा है उससे आधा किलो मीटर की दूरी पर है। इस शाला भवन पर पंचायत द्वारा काम के बदले अनाज योजना में रु 6006-36 पैसे व्यय किए गए हैं।

(3) प्राथमिक विद्यालय बड़खान में एक अध्यापक कार्यरत है।

जिला जयपुर में जहरीली शराब के पकड़े गये प्रकरण

396. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला जयपुर में विगत 6 माह में जहरीली शराब के कितने मामले पकड़े गये ?

उत्तर

पांच।

केशवराय पाटन बस स्टेण्ड की समुचित व्यवस्था का अभाव

397. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या केशवराय पाटन में निगम की बसों के लिए ठहराव स्थल (बस स्टेण्ड) की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी नहीं। बस स्टेण्ड हेतु भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होने पर बस स्टेण्ड की व्यवस्था की जा सकेगी।

नये उद्योगों की स्थापना हेतु सुविधाएं

398. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में अधिक उद्योग लगाने हेतु उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए गत एक वर्ष में क्या क्या नई सुविधायें प्रदान की गई ?

(2) प्रदेश में देश के अन्य भागों से आकर राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए सरकार अब और क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है ?

(3) ऐसी कौन सी सुविधायें हैं जो केवल राज्य सरकार ही प्रदान कर रही है अन्य सरकारें नहीं ?

(4) क्या कलकत्ता की भांति राज्य में भी नए लगने वाले उद्योगों पर पांच साल तक बिक्री कर माफ करने की सुविधा सरकार प्रदान करेगी ?

(5) क्या प्रदेश में लगे उद्योगों के प्रधान कार्यालय प्रदेश के बाहर स्थापित हैं ? क्या सरकार उन उद्योगों के समूहों के प्रधान कार्यालयों को राज्य में ही रखने को

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

बाध्य करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत वर्ष प्रदेश में अधिक उद्यगो लगाने हेतु उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाओं के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य में उद्योग लगाने हेतु अन्य भागों से आकर राज्य के उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अलग से कोई सहायता या सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। उन्हें भी अन्य उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। विद्यमान सुविधाओं के अलावा ऐसे उद्योगपतियों को अलग से सुविधायें दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) सभी राज्य सरकारें क्या-क्या सुविधायें प्रदान कर रही हैं इसकी पूर्ण सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ?

(4) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 5 ग के अधीन नवीन उद्योगों को प्रारम्भ करने की तिथि से पांच वर्ष तक कच्चे माल के क्रय पर बिक्री कर से छूट प्रदान की गई है।

(5) राज्य में लगे जिन उद्योगों के प्रधान कार्यालय प्रदेश के बाहर स्थापित है उनको राजस्थान में प्रधान कार्यालय रखने हेतु कानूनन बाध्य किए जाने सम्बन्धी कोई नियम नहीं है फिर भी राज्य सरकार का भरसक प्रयास रहा है कि राज्य में लगने वाले नए उद्योग अपना प्रधान कार्यालय राजस्थान में ही रखें तथा पूर्व स्थापित प्रधान कार्यालयों को उद्योगों के द्वारा राज्य के बाहर ले जाने के प्रस्ताव का विरोध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

फालना में पथ परिवहन निगम

का डिपो स्थापित करना

399. **श्री असलम खां** (बाली) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में फालना आगार से राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसेज का आवागमन होता है ?

(2) क्या यह सही है कि फालना पर पहले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो था ? यदि हां, तो उसको वहां से क्यों हटाया गया ? क्या बसों की संख्या की दृष्टि से वहां डिपो रहना जरूरी है ? कितनी बसेज रहने पर डिपो कायम किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर–फालना, जालोर-फालना, भीलवाड़ा-फालना, उदयपुर वाया फालना–माउन्ट आबू, सिरोही-फालना की बसेज फालना रेलवे स्टेशन से आती हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी

(श्री असलम खां)

बसों का आवागमन होता है व आगार की कितनी बसेज कहां कहां चलती हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा पाली जिले में फालना संचालन इकाई से 45 वाहनों का आवागमन होता है।

(2) जी नहीं। किसी स्थान पर डिपो कायम करने के लिए 30 वाहनों का होना मापदण्ड निर्धारित किया हुआ है। फालना से वर्तमान में 15 अनुसूचित सेवाओं का संचालन किया जाता है अतः यहां पर एक संचालन इकाई स्थापित है जिसका प्रशासनिक नियन्त्रण जालौर आगार के अधीन है। यह संचालन इकाई सहायक आगार प्रबन्धक के अधीन नियन्त्रित होती हैं।

(3) जी हां। फालना में बस स्टेण्ड रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थापित हैं। अतः वहां से प्रस्थान लेने वाली सभी बसें रेलवे स्टेशन से ही आती जाती हैं। फालना संचालन इकाई से फालना होकर संचालित वाहनों की संख्या 45 है। फालना इकाई से निगम की वाहनें जिन मार्गों पर संचालित होती हैं तत्सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

रामगंजमण्डी से बस सेवाओं में अभिवृद्धि

400. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी से जयपुर जो निगम की बस संचालित होती थीं वह अब कुछ दिनों से बन्द कर दी गई हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और अब पुनः कब तक संचालित कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि रामगंजमण्डी से सांय 5 बजे संचालित होने वाली बस सायं 7 बजे या 7.30 पर संचालित होना ज्यादा लाभकर होगा ? इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या कोटा से रामगंज मंडी तक दिन में दो बसें संचालित करने की भी मांग निगम से की गई है ?

(4) क्या अभी दिन में रामगंज मंडी से कोटा के लिए कोई बस या साधन नहीं है ? यदि हां तो सरकार कब तक बस सेवा प्रारम्भ कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्रीष्मकालीन समय सारिणी में उक्त वाहन रामगंज मण्डी से जयपुर के लिए सायं 7.00 बजे संचालित करने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

(3) जी हां। उपरोक्त मांग के अनुसार संचालन प्रारम्भ करने के लिए संभाग प्रबन्धक, कोटा को यात्री भार उपलब्धता

(यातायात मंत्री)

तथा सम्भावित आय के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण कर सर्वे रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।

जी नहीं। अभी दिन में रामगंज मण्डी से कोटा के लिए 3 सीधी वाहन सेवाएं संचालित हैं, लेकिन कुछ समय से एक सेवा, वाहन की स्थिति खराब होने के कारण बन्द है जिसे शीघ्र चालू करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(4) इसके अलावा झालावाड़ से रामगंज मण्डी के लिए 10 अप व 10 डाउन सेवायें संचालित हैं, जो कोटा से जाने वाले यात्रियों को सुकेत से रामगंज मण्डी के लिए मिल जाती हैं। यदि रामगंज मण्डी से कोटा के लिए अतिरिक्त सीधी बस सेवा हेतु पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध हुआ तो दिन में अतिरिक्त सेवा प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

गुलपाड़ा से जुरहेरा सड़क निर्माण में अवाप्त भूमि

401. श्री चाव खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गुलपाड़ा से कस्बा जुरहेरा वाया अजरू की सड़क वर्ष 1970 में स्वीकार की गई थी ? यदि हां तो यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के निर्माण हेतु कृषकों की भूमि अवाप्त की गई थी ? यदि हां, तो अब तक भूमि का मुआवजा नहीं देने के क्या कारण हैं और अब कब तक कृषकों को अवाप्त भूमि का मुआवजा दे दिया जायगा ?

(3) क्या सरकार तहसील कामां में कस्बा पहाड़ी से गंगोरा तथा पुनाना सड़क को वाया भौरी धींमरी से पहाड़ी तक बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार कस्बा कामां से वाया ग्राम कनवाड़ा होती हुई कदम खण्डी तक सड़क निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह कहना अभी संभव नहीं है।

(2) जी हां। मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। चूंकि यह सड़क स्वीकृत मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती, अतः अभी कह सकना सम्भव नहीं।

(4) जी नहीं। चूंकि यह सड़क स्वीकृति मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती है अतः अभी कह सकना सम्भव नहीं है।

ग्राम नांगल (दौसा) के उप सरपंच द्वारा आवंटित भूमि

402. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा-लाल-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सोट सड़क पर स्थित ग्राम नांगल तहसील दौसा में रोड़ बाउण्ड्री में से उक्त ग्राम के उप सरपंच ने लोगों को भूमि आवंटित की है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच द्वारा श्री हरिनारायण गुप्ता को रोड बाउण्ड्री की भूमि को पड़त आबादी भूमि के नाम से 30×20 भूमि आवंटित की गई है ?

(3) यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार वैधिक कार्यवाही है ?

(4) यदि नहीं, तो सरकार कब तक इस अवैध कब्जे को हटा देगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सत्य यह है कि दी गई भूमि का नाप 5' गज×10½ गज है।

(3) यह वैधिक कार्यवाही नहीं है।

(4) इस अवैध कब्जे को हटाने की नियमानुसार कार्यवाही प्रगति पर है।

जिला सीकर के सरपंचों के विरुद्ध विचाराधीन जांच

403. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कितने सरपंचों के खिलाफ जांच कार्यवाही चल रही है और कब से ? कृपया सरपंचों के नाम व पंचायत समिति वार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) कितने सरपंचों को अब तक निलम्बित किया गया तथा कितनों के विरुद्ध पुलिस में केस दर्ज किए गये हैं ? कृपया अलग-अलग विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 33 शिकायतों की जांच की कार्यवाही जिला स्तर पर चल रही है। सरपंचों की सूची पंचायत समितिवार संलग्न कर दी गई है। इन शिकायतों के अतिरिक्त 12 शिकायत की जिलाधीश से प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। सूची संलग्न है।

(2) श्री बाबूलाल सरपंच ग्राम पंचायत अजीतगढ़ प. स. श्रीमाधोपुर को दि. 28-10-80 एवं श्री रामदयाल सरपंच, ग्राम पंचायत, मुंडरू को दिनांक 26-3-80 को निलम्बित किया गया है। इसके अलावा 9 सरपंचों के विरुद्ध जिलाधीश की सूचना के अनुसार पुलिस की कार्यवाही चल रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, पलासरा
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, रूघनाथगढ़
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, रैवास
4. सरपंच, ग्राम पंचायत, कुमास जागीर
5. सरपंच, ग्राम पंचायत, सिगोदड़ा

(पंचायत मंत्री)

6. सरपंच, ग्राम पंचायत, धौंद

7. सरपंच, ग्राम पंचायत, अजीतगढ़

8. सरपंच, ग्राम पंचायत, जयरामपुरा

9. सरपंच, ग्राम पंचायत, खंडेलसर

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

प्राथमिक भूमि विकास बैंक, अजमेर द्वारा ऋण वसूली के उपयोग में लाये गये वाहन

404. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 6 जून, 1980 के बाद प्राथमिक भूमि विकास बैंक अजमेर द्वारा ऋण की किश्तों की वसूली के कब-कब क्या-क्या प्रयास किए गए और कितनी वसूली की गई ? वसूली का प्रतिशत क्या रहा ?

(2) इस वसूली हेतु विभागीय एवं किराये के किन-किन वाहनों का प्रयोग किया गया और उन पर कुल कितना खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) दिनांक 6-6-80 के बाद प्राथमिक भूमि विकास बैंक, अजमेर ने वसूली योग्य ऋण की किश्तों की वसूली के निरन्तर प्रयत्न किये हैं। बैंक का लक्ष्य 48.11 लाख की वसूली का था जिसके विरुद्ध 8 लाख की वसूली हुई जो 17 प्रतिशत है।

(2) वसूली हेतु विभागीय एवं किराये के वाहनों का प्रयोग किया गया जिनका मय खर्चे के विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

भाषाई अल्पसंख्यक एस. डी. आइज.

405. **श्री तकीउद्दीन** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने कुछ जिलों में भाषायी अल्पसंख्यक शिक्षण कार्य के परिवीक्षण हेतु प्रथम वेतन शृंखला के एस.डी.आइज. की नियुक्ति के लिए कुछ सुझाव माह जुलाई, 1978 में राज्य सरकार को प्रेषित किये थे ? यदि हां, तो कृपया सुझावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अल्प भाषा के शिक्षण कार्य को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए सरकार विभिन्न जिलों में भाषायी अल्पसंख्यक एस. डी. आइज. प्रथम वेतन शृंखला की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई नीति रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो अल्प भाषा ज्ञान से अनभिज्ञ प्रथम वेतन शृंखला एस.डी. आइज. के अभाव में यह कार्य किस प्रकार चलाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) निदेशक प्राथमिक, एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजा गया है लेकिन अल्पसंख्यक भाषायी विद्यालयों के शिक्षण कार्य

(शिक्षा मन्त्री)

के परिवीक्षण के लिए एक परिपत्र एस. डी. आइज. की व्यवस्था के बारे में अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा गया था, जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) इस हेतु अलग से कोई पद अल्पभाषाई एस.डी.आइज. का स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध एस.डी.आइज. पदों में से ही अल्पभाषायी विद्यालय परिवीक्षण के लिए आंतरिक व्यवस्था इस प्रकार किये जाने के राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 13(56) शिक्षा-1/77 दि. 5.8.80 के बिन्दु संख्या-5 के अनुसार व्यवस्था है। निदेशक द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्टि 9 देखें)

तहसील सलूम्बर को आवण्टित गेहूं

406. **श्री थार्नासह मीणा** (सलूम्बर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील सलूम्बर में जुलाई 1980 से जनवरी, 1981 तक कुल कितनी बोरी गेहूं आवण्टित किया गया ? उक्त समय में उक्त तहसील के लिए जिला रसद अधिकारी उदयपुर के पास कितने बोरी गेहूं की मांग की गयी थी ?

उत्तर

तहसील सलूम्बर में जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक आवण्टित गेहूं की मात्रा निम्न रूपेण है :—

क्र.सं.	नाम माह	मात्रा (मै. टनों में)
(1)	जुलाई, 1980	300
(2)	अगस्त, 80	200
(3)	सितम्बर, 80	100
(4)	अक्टूबर, 80	15
(5)	नवम्बर, 80	31
(6)	दिसम्बर, 80	3
(7)	जनवरी, 81	20

तहसील द्वारा उक्त अवधि में जिला रसद अधिकारी के पास कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी।

कृषकों को विद्युत, खाद, डीजल तथा सीमेंट आदि को सस्ते दरों पर उपलब्धि

407. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती हुई खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर या कम करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो इस हेतु अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(३४)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए उनमें कमी लाने हेतु क्या सरकार किसानों को मिलने वाली बिजली, खाद, डीजल तथा सीमेंट आदि सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु अपने करों में कमी करके अथवा अनुदान देकर सस्ते दामों पर उपलब्ध करायेगी।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भारत सरकार से प्राप्त आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई हैं।

(3) राज्य सरकार ने किसानों को पहले से ही करों में राहत दे रखी है। खेती के काम आने वाले औजार, वाटर पम्प सैट्स आदि कर से मुक्त हैं। खेती के काम आने वाली बिजली पर विद्युत कर नहीं लगता है। ट्रैक्टर व खाद पर बिक्री कर से किसानों को राहत देने के लिए केवल 4% व 5% की दर ही लागू है। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इससे अधिक राहत देना सम्भव नहीं है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अलवर कोतवाली में दर्ज प्रकरण

408. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 1 जनवरी, 1981 को अलवर कोतवाली में 125 बोरी ग्वार मय ट्रक के पकड़ने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है ?

(2) यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ? ट्रक का मालिक कौन है एवं मुल्जिम किसे बनाया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बोरियों को चुंगी नाका अलवर में जौ की बोरियां बता कर रसीद कटवाई गई थी ? यदि हां, तो प्रशासन नगरपालिका ने क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या इस प्रकरण में बिक्री कर अपवचन का भी मामला बनता है ? यदि हां तो क्या रसद विभाग के अधिकारियों ने बिक्री कर अधिकारियों को सूचित कर बिक्री कर वसूल करने की कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.81 को फर्म कुन्दन लाल प्यारेलाल, मुबारिनपुर के द्वारा 125 बोरी ग्वार बिना बिल के ट्रक नं. आर.जे.ए. 6945 द्वारा भेजने पर एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए भार साधक अधिकारी कोतवाली, अलवर को प्रतिवेदन दिया गया। परन्तु इन्चार्ज कोतवाली, अलवर ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

(2) एफ.आई.आर. में श्री रामजी-लाल पार्टनर फर्म कुन्दनलाल प्यारेलाल को मुल्जिम बनाया गया परन्तु इन्चार्ज कोत-

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

थाना, अलवर द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करने के कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

(3) व (4) यह सही है कि चुंगी नाका, अलवर में जौ की बोरियां बतला कर रसीद कटवाई गई थी। जिला रसद कार्यालय, अलवर के पत्र क्रमांक 162-24 दि. 16.2.81 द्वारा प्रशासक नगरपालिका, अलवर को कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया। उनके द्वारा की गई कार्यवाही की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ग्वार पर बिक्री कर 4% देय होता है जिसके लिए बिक्री कर विभाग को जिला रसद कार्यालय, अलवर के पत्र क्रमांक 5070 दि. 18.3.81 द्वारा लिखा गया है।

श्रीजी की मोरी जयपुर में गटर लाइन डालना

409. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या श्रीजी की मोरी, चौकड़ी सरहद, जयपुर में गटर लाइन डालने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। सन्दर्भित क्षेत्र में मुख्यतः राज्य सरकार के भवन, कार्यालय इत्यादि स्थित हैं। इन भवनों की अपनी व्यवस्था होने के कारण विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजना में इस क्षेत्र हेतु व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है।

भूमि विकास बैंक, अजमेर में कृषकों को ऋण देने के विचाराधीन प्रकरण

410. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्राथमिक भूमि विकास बैंक, अजमेर में कितने काश्तकारों के ऋण प्राप्ति के प्रार्थना पत्र कब-कब से किस-किस प्रयोजन हेतु विचाराधीन हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

कुल 127 काश्तकारों के ऋण प्रार्थना-पत्र विविध प्रयोजन हेतु विचाराधीन चल रहे हैं। (सूची संलग्न है)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय का सलूम्बर में स्थानान्तरण

411. श्री थानसिंह (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अधिशासी अभियन्ता सिंचाई आधुनिकीकरण जयसमन्द का कार्यालय अभी कहां स्थित है तथा कार्यालय का क्या नाम है?

(श्री मानसिंह)

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय जयसमन्द नहर आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता है ? यदि हां, तो इसका कार्यालय जयसमन्द सलूम्बर में क्यों नहीं रखा जाता है ?

(3) क्या सरकार इस कार्यालय को सलूम्बर में स्थानान्तरित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता सिंचाई आधुनिकीकरण का कार्यालय अभी उदयपुर में स्थित है, तथा इसका नाम कार्यालय अधिशासी अभियन्ता आधुनिकीकरण खण्ड सिंचाई उदयपुर है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । प्रशासकीय दृष्टि से इस कार्यालय का उदयपुर रखा जाना ज्यादा उपयुक्त है ।

पंचायत समिति जैतारण की प्रस्तावित पेयजल योजनायें

414. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति जैतारण जिला पाली के कितने ग्रामों में पेयजल हेतु योजना बनी है व कितने ग्रामों की योजनायें विभाग के विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) सन् 1980-81 में पंचायत समिति जैतारण के कितने ग्रामों की पेयजल योजनायें बनाई गई हैं व कब तक इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पाली के सभी समस्याग्रस्त ग्रामों हेतु फिजिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार किया गया है । इस प्रतिवेदन में जैतारण तहसील के 38 ग्रामों हेतु 19 योजनायें प्रस्तावित हैं । इसी प्रतिवेदन में वर्ष 1981-82 में 6 योजनाओं को स्वीकृत करना प्रस्तावित है । सूची संलग्न है ।

(2) वर्ष 1980-81 में पंचायत समिति जैतारण की 4 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है । शेष योजनाओं की स्वीकृति धन उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा आवंटित भू-खण्ड

415. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास

(श्री कैलाश मेघवाल)

न्यास, अजमेर के अधीन भू-खण्ड संख्या 230 के समीप 125 वर्ग गज जमीन का भू-खण्ड का टुकड़ा रिक्त था।

(2) क्या यह सही है कि इस टुकड़े को भू-खण्ड सं. 230 के मालिक को केवल रु. 9.75 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से आवंटित किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में सामान्य बाजार भाव रु. 71/—प्रति वर्ग गज है?

(4) क्या सरकार न्यास को हानि पहुंचाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी!

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) इस सम्बन्ध में जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम बड़े कोयल एवं खोखरी (लाडनूं) में पेयजल व्यवस्था

416. श्री रामधन (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या लाडनूं तहसील के बड़े कोयल, खोखरी गांव में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो सरकार ने पेयजल की क्या व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) व (2) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से इन ग्रामों में कोई पेयजल योजना चालू नहीं है। भविष्य में धन उपलब्धता के अनुसार इन ग्रामों को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित करना सम्भव होगा।

आई. ए. एस. व आई. पी. एस. अधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न प्रकरणों में की गई कार्यवाही

417. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या कार्मिक विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में प्रदेश के कितने आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार के मामले आज तक प्रकाश में आए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) भ्रष्टाचार के मामलों में गत पांच वर्षों में क्या कोई आई. ए. एस. एवं आई. पी. एस. अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया? यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरूद्ध और उनके नाम क्या-क्या हैं?

(3) क्या भ्रष्टाचार, बलात्कार या अन्य प्रकार के मामलों में प्रदेश में किसी

(42)

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारी को नौकरी से निकाला गया या अन्य कोई सजा हुई ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में प्रदेश में 14 आई. ए. एस. और 10 आई. पी. एस. अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आये हैं। इन मामलों में आवश्यक जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई जिसके फलस्वरूप 16 मामले तथ्यहीन पाए जाने के कारण समाप्त किए गये, 7 मामले अभी जांच में हैं और एक मामले में विभागीय जांच का सुझाव है।

(2) कोई नहीं।

(3) भ्रष्टाचार/बलात्कार या अन्य प्रकार के मामलों में किसी आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारी को नौकरी से नहीं निकाला गया। अलबत्ता विभागीय जांच के फलस्वरूप एक आई. पी. एस. अधिकारी को चेतावनी दी गयी और एक अन्य आई. पी. एस. अधिकारी को भविष्य में सतर्क रहने के लिए चेतावनी के अलावा उनकी दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई हैं।

ग्राम सेन्ती चित्तौड़गढ़ में पेयजल व्यवस्था

418. श्री **शोभाराजमल** (चित्तौड़गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

चित्तौड़गढ़ के निकट सेन्ती ग्राम में जलप्रदाय की क्या व्यवस्था है ? क्या वह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार का इस ओर क्या प्रयास है ?

उत्तर

संदर्भित ग्राम को वर्तमान में चित्तौड़गढ़ शहर की वितरण व्यवस्था से ही जल उपलब्ध कराया जा रहा है। अपर्याप्त व्यवस्था में सुधार हेतु वर्ष 1980-81 में ग्राम हेतु पम्प व टैंक योजना भी स्वीकृत की जा चुकी है।

जिला सीकर के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक

419. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस समय कितने अधिशेष अध्यापक हैं ?

(2) उपरोक्त कितने विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है अथवा जहां बिल्कुल अध्यापक नहीं हैं ?

(3) जिला सीकर के उपरोक्त विद्यालयों में राज्यादेश से कितने स्थानान्तरण हुए है ? कृपया अध्यापकों की श्रेणी के अनुसार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) 14 माध्यमिक विद्यालयों में पद

(शिक्षा मन्त्री)

क्रमोन्नति के कारण 26 अध्यापक अधिशेष हैं।

(2) 36 विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है तथा ऐसा एक भी विद्यालय नहीं है जहां बिल्कुल अध्यापक नहीं हों।

(3) 1980-81 में तृतीय वेतन श्रृंखला के 300 अध्यापकों एवं द्वितीय वेतन श्रृंखला के 147 अध्यापकों के राज्यादेशों से स्थानान्तरण किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जिला सीकर में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकें

420. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या जन अभियोग निराकरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में अप्रेल, 1980 से अब तक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की कितनी बैठकें हुई ?

(2) इन बैठकों में कितने मामले निपटाये गये तथा इन मामलों में हरिजनों पर अत्याचार के कितने मामले थे ?

(3) क्या भूराराम भंगी (हरिजन) की जमीन हड़पने सम्बन्धी मामला विचारार्थ आया ? यदि हां, तो यह किस प्रकृति का था तथा क्या कार्यवाही की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में अप्रेल, 1980 से अब तक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की पांच बैठकें हुई।

(2) इन बैठकों में 42 मामलों का निपटारा किया गया तथा इनमें पांच मामले हरिजनों से सम्बन्धित थे।

(3) जी हां।

श्री भूरा राम भंगी (हरिजन) का जमीन सम्बन्धी मामला विचारार्थ दिनांक 9 फरवरी, 1981 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत हुआ। श्री भूराराम की भूमि से सम्बन्धित मामले में राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 14-4-77 को निर्णय हो चुका है। इस निर्णय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल ने अपील खारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जिसके अनुसार प्रतिवादी श्री अली पुत्र महमदा को खातेदार माना गया है। अतः अब कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

423. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या जन अभियोग निराकरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों की सिफारिश के आधार पर सन् 1980 में कितने कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखें।

(जन अभियोग निराकरण मंत्री)

उत्तर

जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों की सिफारिश के अधार पर सन् 1980 में 135 कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत समिति श्रीनगर के अन्तर्गत कुओं को दिये गये विद्युत् संबंध

424. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दिनांक 6 जून, 1980 के बाद जिला अजमेर की श्रीनगर पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले किन-किन काश्तकारों को कुए में इंजन लगाने के लिए बिजली के कनेक्शन किस-किस तारीख को अभी तक दिये हैं? कृपया नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पदस्थापना के प्रतिक्षारत अधिकारी

425. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में वर्तमान में कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा व राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापन प्रतीक्षा में हैं? कृपया पद श्रृंखलावार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी पदस्थापन की प्रतीक्षा में नहीं है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में हैं :—

चयन वेतन श्रृंखला

1. श्री एस. एस. भण्डारी

वरिष्ठ वेतन श्रृंखला

श्री स्वरूप नारायण सक्सेना

साधारण वेतन श्रृंखला

शून्य

पचायत समिति कोलायत के विद्यालय

426. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर तहसील कोलायत की पंचायत समिति कोलायत में प्राथमिक

(श्री देवीसिंह भाटी)

शालाओं में कितनी शालाएं अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें ?

(2) ऐसी शालाओं में अध्यापकों की कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि नये अध्यापकों की भर्ती पर पाबन्दी है ? यदि हां, तो यह पाबन्दी राज्य सरकार कब तक हटा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) कोलायत तहसील की कितनी शालाओं में भवन की व्यवस्था है ? कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र की तीन निम्नांकित प्राथमिक पाठशालाएं अध्यापकों के अभाव में बन्द रही हैं ; —

1) मोटावता

2) पाबसर पश्चिमी

3) खेंतालाई बुर्ज

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध हटाते ही प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध करा दिये जावेंगे।

(3) जी हां। नये अध्यापकों की भर्ती पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा रखा है। प्रतिबन्ध शीघ्र ही हटा कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा दी जावेगी।

(4) कोलायत तहसील में 58 पाठशालाओं में भवन व्यवस्था है। जहां-जहां पाठशालाओं के लिए भवन नहीं है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

रींगस में रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिया का निर्माण

427. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रींगस (सीकर) में जयपुर सीकर मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिया बनाये जाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) क्या उक्त पुलिया अथवा बाईपास के लिए पूर्व में सर्वेक्षण भी करवाया गया था ?

(3) इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) धनाभाव के कारण यह काम वरीयता सूची में नहीं आता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत तहसील प्रतापगढ़ में हुए कार्य

428. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला चित्तोडगढ़ में वर्ष 1980-81 में किन किन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी गई है ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों के अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहती है ? यदि हां, तो अब तक तहसील प्रतापगढ के कितने अधूरे कार्यों को पूरा किया गया है ? कृपया सूची पंचायत समितिवार सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत चित्तोडगढ जिले में काम के बदले अनाज योजना के अपूर्ण कार्यों में से पानी पीने के कुएं, एनीकट्स, शाला भवन, औषधालय भवन, पंचायत घर व पुलियों के अधूरे कार्यों को वर्ष 1980-81 में पूरा कराने का प्रयत्न जारी है । सूची पंचायत समितिवार सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में अपूर्ण कार्यों में से प्रतापगढ़ तहसील की पंचायत समिति, प्रतापगढ़ के 34 कार्यों को पूर्ण कराने हेतु स्वीकृति दी गई है । सूची पंचायत समितिवार सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(3) इसके अतिरिक्त जिलाधीश को आवश्यकतानुसार स्वयं अपने स्तर पर राहत कार्य खोलने के लिए परीक्षण राहत कार्यों के अतिरिक्त 10.00 लाख रुपये की धनराशि आवन्टित कर दी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राज्य बीमा की कटौती का समय पर इन्द्राज करना

429. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य कर्मचारियों के वेतन से होने वाली राज्य बीमा कटौती से सरकार को वर्ष 1978-79, 1979-80 में कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

(2) इस प्राप्त राशि का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है ?

(3) क्या कर्मचारियों को उनके वेतन से कटौती के प्रमाण स्वरूप कोई प्रमाण-पत्र हर वर्ष दिया जाता है ?

(4) क्या उनके वेतन से होने वाला इस कटौती का इन्द्राज उनके व्यक्तिगत खातों में प्रति माह कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक सबके खातों में इन्द्राज कर दिये गये हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में राज्य बीमा फण्ड में प्राप्त निम्न राशि सरकारी खजाने में जमा हुई :—

वर्ष 1978-79-रु. 14,44,02,805.32

वर्ष 1979-80-रु. 16,11,92,443 79

(2) इस राशि का उपयोग बीमेदारों के दावों के भुगतान के लिए किया जाता है।

(वित्त मन्त्री)

(3) हां।

(4) जी नहीं। व्यक्तिगत खातों में इन्द्राज वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही एक साथ किया जाता है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 फरवरी, 1981)

अजमेर नगर में बसाई गई कच्ची व पक्की बस्तियों का विकास

77. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या नगर आयोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दस साल यानि 1 जनवरी, 1971 से 1 जनवरी, 1981 तक अजमेर नगर में कितनी बस्तियां नई बसाई या बसी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन बस्तियों में से कितनी बस्तियां पक्की व कितनी बस्तियां कच्ची हैं ?

(3) इन बस्तियों में से किस किस बस्ती में नागरिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं, यथा सड़क, नल, बिजली, ड्रेनेज आदि की पूर्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक करने का विचार है ?

उत्तर

(1) 1.1.71 से 1.1.81 तक नगर परिषद क्षेत्र में 13 बस्तियां अनधिकृत रूप से बसीं और नगर विकास न्यास क्षेत्र में 1971 से पूर्व 60 कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं और 21.8.71 के बाद जयपुर रोड पर चुंगी चौकी के सामने किशनगंज में कुछ अवैध निर्माण हुए हैं। नगर विकास न्यास द्वारा 6 योजनाएं भी क्रियान्वित की गई।

(2) उक्त बस्तियां पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की निर्मित हैं।

(3) उपलब्ध साधनों के अनुसार नल, बिजली आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 मार्च, 1981)

पथ परिवहन निगम का लेखा जोखा

124. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम को गत तीन वर्षों में कितना-कितना घाटा किन-किन कारणों से प्रति वर्ष हुआ व घाटा पूर्ति हेतु निगम ने क्या-क्या उपाय किये व उनमें कहां तक सफलता मिली ? निगम को गत तीन वर्षों में कितना लाभ हुआ ?

(2) राज्य में निगम के पास कितनी बसेज चालू हालत में हैं, कितनी बेकार पड़ी हुई हैं व कितनी नई बसेज वहां से खरीदने का एग्रीमेंट किया है ?

निगम के पास जो बसेज ऑन रूट हैं उनके अनुपात में ड्राइवर व परिचालक तथा

५८

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों का अनुपात कितना है ? इसका अनुपात सही करने हेतु निगम ने पिछले 6 माह में क्या कदम उठाये हैं ?

(4) राष्ट्रीयकृत मार्ग जो परिचालकों व अधिकारियों की मिली भगत से घाटे में चल रहे हैं उसमें सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं व उनमें कहां तक सफलता मिली है ?

(5) गत दो वर्षों में कितने परिचालकों को टिकिट की चोरी में पकड़ा गया व उनमें से पुनः कितनों को बरी करके बहाल किया ? कृपया दिनांक 1 जनवरी, 1978 से 1 जनवरी 1981 तक के निलम्बित परिचालकों की संख्या व पुनः बहाल किये हुओं की सूची सदन के पटल पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद परिचालक पुनः बहाल हुए है ? यदि हां, तो कितने परिचालक चोरी में बिना टिकिट ले जाते हुए पकड़े जाने के बावजूद किन कारणों से बहाल हुए हैं ? रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कितने अर्से तक निगम कार्यालय के चक्कर लगाने पर फैसला होता है ? शीघ्र निर्णय करने हेतु क्या नीति तय की गई है ?

उत्तर

1 परिवहन निगम को गत तीन वर्षों में हुई हानि निम्न प्रकार है :—

1977-78	164-18 लाख रु.	(प्रोवीजनल)
1978-79	159-66 ,,	,,
1979-80	429-74 ,,	,,

हानि के प्रमुख कारण निम्न हैं;—

1—डीजल आइल व लुबरीकेन्ट के भावों में भारत सरकार द्वारा वृद्धि ।

2—स्पेयर पार्ट्स, टायर एवं ट्यूब्स के भावों में वृद्धि ।

3—महंगाई भत्ते में वृद्धि ।

4—बैंकों के ऊंचे ब्याज की दरों पर ऋण की उपलब्धि ।

5—कीमतों में वृद्धि के काफी पश्चात् किराये में वृद्धि का होना भी एक कारण रहा क्योंकि बढ़े हुए खर्च के साथ निगम को अपना संचालन जारी रखना होता है जबकि आय में उसके अनुपात में वृद्धि नहीं होती ।

निगम द्वारा हानि की पूर्ति हेतु निम्न कदम उठाये गये :—

1—अनावश्यक खर्चों, नई भर्ती एवं पदोन्नति पर रोक ।

2—निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया ।

3—अधिकत्तम उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गई ।

4—डीजल की खपत में कमी लाने के दृष्टिकोण से वाहनों में स्पीडोमीटर लगाये गये ।

5—यात्रा भत्तों के खर्चे में 15 प्रतिशत कटौती ।

6—निगम के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के उपयोग में कमी ।

(यातायात मन्त्री)

7– विभागीय वाहनों के उपयोग पर नियंत्रण प्रणाली।

8—किराया वृद्धि के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गये लेकिन इन प्रस्तावों के पश्चात् सरकार द्वारा फिर से आईल, लुबरीकेन्ट आदि के भावों में वृद्धि कर दी गई अतः विभिन्न उपाय काम में लाने के बावजूद भी हानि की पूर्ति नहीं हो सकी।

उक्त प्रयासों के बावजूद संचालन लागत में निरन्तर हुई वृद्धि के कारण सफलता नहीं मिल सकी। वर्तमान में वाहन क्षमता का 90 प्रतिशत यात्री भार प्राप्त हो रहा है जो समुचित उपयोग है। गत तीन वर्षों में कोई लाभ नहीं हुआ।

(2) परिवहन निगम के पास दिनांक 17-2-81को 2272 वाहनें थीं,वाहनों में 374 वाहनें मरम्मत तलब हैं। वर्ष 1980–81 में 200 वाहन निर्माताओं से खरीदना प्रस्तावित है।

(3) आनरूट वाहनों की संख्या के आधार पर माह नवम्बर, 80 में निम्न वर्गों का निम्न अनुपात रहा है :—

चालक	1.68
परिचालक	2.80
यातायात	0.29
तकनीकी	2.30
मत्रालयिक	0.84
च. श्रे. कर्मचारी एवं सुरक्षा	0.47
कर्मचारी अधिकारी	0.09
	8.47

निगम में प्रति वाहन मानव शक्ति के अनुपात को सही करने के दृष्टिकोण से विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यभार का मूल्यांकन किया जाकर पदों के आवंटन का विवेकीकरण किया गया और तद्सम्बन्धित आदेश जारी किये गये।

(4) निगम में एडीशनल एस. पी. के अधीनस्थ सतकर्ता विभाग स्थापित किया हुआ है। राष्ट्रीयकृत मार्गों के घाटे में चलने सम्बन्धित परिचालकों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से सम्बन्धित कोई शिकायत निगम प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक निरीक्षण प्रणाली में सुधार का प्रश्न है मार्ग पर चोरी रोकने हेतु 5 स्तरीय निरीक्षण व्यवस्था की हुई है। इस व्यवस्था मे गत माह मई से अक्टूबर, 1980 की अवधि में भ्रष्टाचार के 4814 मामले पकड़े गये इन मामलों में बिना टिकिट यात्रियों की संख्या 32,887 निहित थी।

(5) गत दो वर्षों यथा 1979, 1980 में कुल 8040 मामलों में परिचालकों को बिना टिकट यात्री ले जाते पकड़े गये उनमें से एक मामले में परिचालक को बरी किया जाकर बहाल किया गया।

दिनांक 1-1-78 से 1-1-81 तक निम्न मामलों में परिचालक निलम्बित एवं पुनः बहाल किये। मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	मामले जिनमें परिचालक निलम्बित किये गये	मामले जिनमें बहाल किये गये परिचालक
(1)	(2)	(3)

(50)

(यातायात मन्त्री)

(1)	(2)	(3)
1978	1071	557
1979	1396	845
1980	2027	1514

(6)जी हां ! आलोच्य अवधि यथा 1978-1979 एवं 1980 की अवधि में 2916 मामलों में परिचालक बहाल किये गये जिनके प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :—

1—दोष पूर्णतया प्रमाणित नहीं होना ।

2—स्थाई आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जांच सम्पन्न होने में विलम्ब होना ।

3—दोष की गुरुता के अनुरूप सेवा मुक्ति के अतिरिक्त अन्य दण्ड दिये जाने के कारण किसी परिचालक को बिना टिकट यात्री ले जाते हुए पकड़े जाने के पश्चात् राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी स्थाई आदेश 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय जांच किया जाना अनिवार्य होता है। और ऐसी विभागीय जांच में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना होता है, विभागीय जांच में शीघ्र फैसला हो इस संदर्भ में विभागीय जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाकर प्रत्येक संभाग में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है इसके साथ अतिरिक्त कार्यभार के शीघ्र निष्पादन हेतु पार्ट टाइम जांच अधिकारी नियुक्त किये गये। विभागीय जांच में गवाहों के समय पर बुलाने एवं विभिन्न जांच कार्यवाही में यातायात निरीक्षक सहायक यातायात निरीक्षक आदि के बयान लिये जाने की प्रक्रिया में औसतन 6 माह की अवधि लगती है। इसमें सुधार लाने के दृष्टिकोण से प्रधान कार्यालय पर सभी जांच कार्यवाही केन्द्रित की जाकर शीघ्रता से पूर्ण की जा रही है।

गन्ने के मूल्य का निर्धारण

137. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शुगर मिल्स द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने का मूल्य समय-समय पर सरकार की ओर से किसानों के हित में निर्धारित कराया जाता रहा है और उसमें बढ़ोतरी भी कराई जाती रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई बार पूर्व निश्चत क्रय मूल्य में गन्ने का क्रय-विक्रय चालू होने के कई दिनों बाद भी विक्रय मूल्य बढ़ाया गया है ? गत 20 वर्षों में मेवाड़ शुगर मिल्स भूपाल सागर द्वारा सरकार के हस्तक्षेप से गन्ने के क्रय-मूल्य में कब कब बढ़ोतरी की गयी ? कृपया पूर्व निश्चत मूल्य एवं बढ़ाये गये मूल्य का विवरण, तारीख सहित, सदन की मेज पर रखें।

(3) बढ़ोतरी की तारीख के पूर्व जो किसान मिल को गन्ना बेच चुके थे, उन्हें भी बढ़े हुए मूल्य का लाभ मिल द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो गत 20 वर्षों में कब कब यह लाभ दिया गया और कितना-2 चुकारा किया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(उद्योग मन्त्री)
उत्तर

जी हां ! यह सही है कि गन्ने का क्रय मूल्य समय समय पर राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में बढ़ाया गया है।

(2) जी हां ! यह सही है कि गन्ने का क्रय विक्रय चालू होने के बाद भी गन्ने के क्रय मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1967-1968 से 1980-81 तक के सीजन में गन्ने के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित भाव व मिल द्वारा दिये गये भाव की तालिका के सम्बन्ध में सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। बढ़ा हुआ मूल्य सीजन के आरम्भ से ही प्रभावशील किया गया। 1967-1968 के पूर्व का अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

(3) चूंकि सरकार द्वारा निर्धारित दरों से जो दरें मिल द्वारा बढ़ा दी गई हैं वो दरें सीजन के आरम्भ से ही प्रमाणित की गई। अतः प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न भाग (2) के उत्तर में दी गई सूची में अंकित सूचनानुसार 1967-68 से 1974-75 तक बढ़ाये गये मूल्य का पूरा भुगतान किया जा चुका है। चूंकि बढ़ाया गया मूल्य सम्मिलित कर एक मूल्य बना दिया गया था। 1975-76 से जो कुल मूल्य बढ़ाया है उसका विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री भगवानदास शास्त्री** : अलवर जिले में कृषि विभाग द्वारा सहायक कृषि अधिकारियों के स्थानान्तरण के विषय में।

(2) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : झालावाड़ जिले में कच्चे रूटों का राष्ट्रीयकरण न होना।

(3) **श्री हीरालाल आर्य** : पीपल्दा तहसील में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत काफी गांवों को बिजली से न जोड़ना।

(4) **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : आयुर्वेद रसायन शाला, कोटा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री कैशोलाल का लापता होना।

(5) **श्रीमती विद्या पाठक** : सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों में भारी वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को हानि।

(6) **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : राणा प्रताप सागर एवं गांधी सागर डैम के बीच के क्षेत्र में लकड़ी काटने के ठेके में हुई अनियमितता के विषय में।

(7) **श्री कैलाश मेघवाल** : विश्वकर्मा औद्योगिक एवं मालवीया औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में कुछ युवा उद्यमियों की सम्पत्ति नीलाम करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(52)

(श्री अध्यक्ष)

(8) **श्री बंसीलाल पटवा** : भीलवाड़ा जिले में अकाल के कारण पेयजल व घास की कमी।

इस विषय में माननीय सदस्य कल अकाल राहत की मांग पर सदन में चर्चा कर सकते हैं, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) **डा. उजला अरोड़ा** : 23 मार्च को 3 क्रान्तिकारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी देने के उपलक्ष में आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाये जाने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (नेता प्रतिपक्ष) अध्यक्ष महोदय, मैंने एक निवेदन किया था। इस सदन में डिप्टी स्पीकर का पद अभी तक नहीं भरा गया। आपने फर्माया था कि मैं समय निश्चित कर दूंगा। इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। नोटिस देने की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव भी रखे जायेंगे और चुनाव भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा भी या नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष : नहीं होने का तो प्रश्न नहीं है। अवसर ढूंढ रहा हूं जल्दी हो जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी सत्र में हो जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात को कैसे कहूं, इस पर विचार कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप विचार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बाकी कोई विचार भी नहीं कर रहा है। आखिर डिप्टी स्पीकर के चुनाव में विलम्ब क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी बाधा उपस्थित हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी कराऊंगा, मैं यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस पर सरकारी पक्ष मौन क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : डिप्टी स्पीकर के नहीं होने की वजह से कार्यभार मेरे ऊपर ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल्स में अमेंडमेंट कर दीजिए। डिप्टी स्पीकर के चुनाव की बात है और आपको समय निश्चित करना है फिर इसमें विलम्ब क्यों, समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : कल तक इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा। पहले श्री भगवानदास जी शास्त्री।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह जो विषय है बलिदान दिवस, मैं समझती हूं यह........

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्या को निवेदन किया कि आपको अवसर दे दूंगा। पहले भगवानदास जी शास्त्री का स्थगन प्रस्ताव है पहले उनको बोलने दें। जिस क्रम में नाम पुकारे हैं उसी क्रम से मैं अवसर दूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस स्थगन प्रस्ताव को आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं जनवरी से लेकर अब तक यह विचार कर रहा था कि वास्तविक जो घटना है कि शायद उप निदेशक के दिमाग में कोई सुधार आ जाय या अपनी गलतियों को संभाल लें, लेकिन जब मैंने मार्च तक देखा कि उनके रवैये में, अपने जो सहायक कर्मचारी हैं कृषि विभाग के, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, इतने उच्च कोटि के उप निदेशक होते हुए अपने सहायक कर्मचारियों को कहते हैं कि इस गांव में बढ़िया घी मिलता है मैं ऐसी छोटी बातों में विश्वास नहीं करता। पांच-पांच, दस-दस किलो घी और जब वे पैसा मांगते हैं कि 150 रुपया होगा, वे कहते हैं, कल दे दूंगा परसों दे दूंगा और तब तक उनका ट्रांसफर उनके हाथ में थमा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया और जीप में ऐश करे। किसी की छोटी-छोटी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, किन्तु उपनिदेशक महोदय ने चालीस दिन से ज्यादा अपने कर्मचारियों को परेशान कर रखा है, वह चाहे गेहूं के मामले में हो, चाहे घी के मामले में हो और चाहे किसी वस्तु के मामले में हो, जो कर्मचारियों द्वारा खरीदी गई है, उनको उनके पैसे वापस मिलने ही चाहिए। इस तरह करके वे भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं और भ्रष्टाचार की नीति निर्धारण करने के लिए अपने सहयोगी कर्मचारियों को लिप्त करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से अजमेर जिले में ऐसे उप निदेशक महोदय मौजूद हैं। अतः मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह गम्भीर चीज है और भ्रष्टाचार को पनपाने वाली चीज है। इसमें कोई सच्चाई है तो उनकी इन्क्वायरी बैठायें। उनको तुरन्त निलम्बित करके जो सहयोग देने वाले कर्मचारी हैं उनको अपने पास बुला कर, चाहे सैक्रेटेरिएट में बुला लें, चाहे यहां अपने चैम्बर में बुला लें और उनसे पूछताछ कर लें, ऐसी कौनसी मुसीबत है, उनको 1200-1200 रुपये तनख्वाह मिलती है और भ्रष्टचार में लिप्त हैं। जो सहायक कर्मचारी है उनको भ्रष्ट करने वाली बात है। यह एक कैन्सर का रोग है, टी. बी. का मर्ज तो ठीक होने लगा है किन्तु यह जो कैन्सर का मर्ज लग गया तो फिर ठीक होने वाला नहीं है इसलिये इसको सदा के लिए समाप्त करके अजमेर जिले में कृषि विभाग में एक विशुद्ध वातावरण पैदा करने की कोशिश की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्य।

झालावाड़ जिले में कच्चे रूटों का राष्ट्रीयकरण न होना।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव झालावाड जिले में जो कच्चे रूटों का राष्ट्रीयकरण किया

(श्री **बालचन्द्र आर्यवीर**)

है, उसके बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, झालावाड जिले में ऐसे कई कच्चे रूट हैं जो राष्ट्रीयकरण में ले लिये गये हैं और वर्तमान में निगम की बसेज जो पक्के रोड पर चल रही हैं, वही व्यवस्थित नहीं चल रही है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि ग्रामीण अंचल में बसों की व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो उसके परिणाम अच्छे निकलने वाले नहीं हैं। जो कच्चे रूट हैं और जिनको राज्य सरकार ने ले लिया है, उनको निकाला जाय और वहां पर प्राइवेट बस वालों को परमिट देकर ग्रामीण अंचलों में सुव्यवस्था करवाई जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में निगम की बसों की हालत पहले ही खराब है और कई-कई दिनों तक वहां खराब पड़ी रहती हैं. उनको अच्छी करने की कोई देखरेख नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस कार्य को, जो कच्चे रूट हैं—आवा से चिडावा, चिडावा से डग और डग से चिडावा जिनको राष्ट्रीयकरण में ले लिया है, सरकार से मांग करता हूं, जो कच्चे रूट हैं, उनको राष्ट्रीयकरण से निकाले और प्राइवेट बस मालिकों को दे ताकि ग्रामीण अंचलों की जनता को सुविधा दे सकें। यदि ग्रामीण अंचलों की जनता को इस प्रकार की सुविधा नहीं देंगे तो मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वहां की जनता--आन्दोलन करेगी और निगम की बसों को आगे नहीं बढ़ने देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।
(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

आयुर्वेद रसायन शाला कोटा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री केशोलाल का लापता होना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सरकार की जानकारी के लिए दिया था।

श्री अध्यक्ष : अब आप बोल लें और काम भी हो जाय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरे बोलने से काम हो जाय, किन्तु इसके बारे में पता लग जाता तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, दो बातें निवेदन करना चाहता हूं जो यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसको उदयपुर से ट्रान्सफर किया गया था जोधपुर। यह ट्रान्सफर 11-1-70 को किया गया इन्टेन्शनली ट्रान्सफर किया गया था और इसके कुछ दिन बाद से ही लापता और मौत होने का कारण वहां से शुरू होता है। उदयपुर से इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ट्रान्सफर जोधपुर डिपो में किया गया। 20-22 दिन के बाद ट्रान्सफर कर दिया कोटा में और कोटा में महीने भर ड्यूटी नहीं दी कि 18-4-70 से लापता बताया। मैंने इसके लिये प्रश्न भी पूछा था और एक स्थगन प्रस्ताव भी उस दिन दिया था। यह आकस्मिक अवकाश लेकर यहां से गया था, ऐसा बताया गया था। श्रीमन्, उसके एक नाबालिग बच्चा है उसने काफी प्रयत्न किया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
लेकिन ग्रपने पिता का ग्राज तक पता नहीं लगा पाया। विभाग ने मुझे बताया ग्राकस्मिक ग्रवकाश प्रार्थना-पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं है। इससे श्रीमन्, शंका यह होती है कि वह नौकरी पर था ग्रौर उसकी किसी कारण से मृत्यु हुई है। विभाग का बहुत बड़ा षड़यन्त्र है ग्रौर किसी रंजिश के कारण उदयपुर से हटा कर उसको यहां लाया गया। लगभग 6 महीने के बाद भी इस विभाग ने इसकी कोई जानकारी नहीं ली। उसके घर वाले उदयपुर थे ग्रौर उसकी पत्नी जो रसायन शाला में नौकरी करती थी उसको भी नहीं बताया गया। 23 तक उसकी पत्नी, जो उसी रसायन शाला में काम करती थी, उसको भी नहीं बताया गया ग्रौर 25 तारीख को उसके घर ले जाकर एक नोटिस चिपका दिया गया, तब जाकर उसकी पत्नी को सूचना हुई कि वह उपलब्ध नहीं है। उससे पूछा गया कि ग्रापके पति कहां है? श्रीमन्, ग्रापको सुन कर ताज्जुब होगा, उसकी पत्नी के कहने के बाद, तारीख 5.8.70 के दिन जब रिटन में दिया 6 तारीख को, तो उसको निलम्बित कर दिया। 19-4 से जिस दिन से ग्राकस्मिक ग्रवकाश में था ग्रौर पता नहीं लगा तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। श्रीमन्, 5 तारीख के बाद जब 6 तारीख को लिखित में दिया तो 6 ग्रगस्त के दिन पुलिस को एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज कराई, जिसकी फोटो स्टेट कापी भी मेरे पास है। श्रीमन्, मेरा बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन है, उसके परिवार में पिता तो पहले से लापता है, माता का स्वर्गवास हो गया, किन्तु एक मात्र जो उसका लड़का है, पढ़ा लिखा है—बी. ए. सैकिण्ड क्लास पास है लेकिन इस विभाग ने उसको भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना दिया। हमने बहुत कहा कि उसके पिता का पता लगाया जाय, गरीब लड़का है, किन्तु बी. ए. सैकिण्ड क्लास उसको भी चतुर्थ श्रेणी में न लगा कर एल. डी. सी. लगाया जा सकता था। श्रीमन्, ग्राज दिन तक उसको ग्रपने पिता की ग्रेच्युटी नहीं मिली, इन्श्योरेन्स नहीं मिला, क्योंकि उससे उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसको बेचारा वह देने में ग्रसमर्थ है, कोर्ट से भी वह बेचारा फाइनल नहीं करवा सकेगा, ग्रतः मेरा निवेदन है कि इस केस में जो दोषी पाया जाय उसको सजा दें ग्रौर जो उसका मासूम बच्चा है, उसको भी राहत पहुंचाई जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : ग्रध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में मैंने भी इसका प्रश्न उठाया था। सौभाग्य से श्री बद्रीप्रसाद जी गुप्ता उस समय ग्रायुर्वेद मन्त्री थे ग्रौर उन्होंने कहा था कि इस व्यक्ति का तुरन्त पता लगाया जायगा। तुरन्त पता लगाने की बात तो दूर रही ग्रब ग्राठ महीने के बाद माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया ने पुनः यह प्रश्न उठाया है। उसका मासूम बच्चा ग्राज के चार दिन पहले ग्रपने पिता की खोजबीन के लिए यहां ग्राया हुग्रा था ग्रौर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे पिता का पता लगाया जाय। सन् 70 से मेरे पिता लापता हैं छुट्टी लेकर गये थे ग्रौर ग्राज तक उनका कोई ग्रता पता नहीं है।

ग्रौर इसीलिए मेरा निवेदन है कि सरकार निश्चित ग्राश्वासन दे, कोई मन्त्री

श्री दाऊदयाल (जोशी)

महोदय दोनों, एक का तो विभाग बदल गया व दूसरे कहीं हैं नहीं। मेरा निवेदन है कि इस विषय में निश्चित रूप से आप जवाब दिलवायें। आज 10 साल 11 साल हो गये। 11 साल से आयुर्वेद विभाग का एक व्यक्ति लापता है और विभाग कोई पता नहीं लगाये, आश्वासन देने के बावजूद मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय में से कोई भी मन्त्री, वरिष्ठतम मन्त्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी हैं और उनके उदयपुर का ही वह रहने वाला निवासी है, उनके मन में करुणा जागृत हो जाय। कहीं न कहीं छिपी हो तो, उनके मन मस्तिष्क में हो दया तो वे उस व्यक्ति का निश्चित रूप से पता करने की कृपा करें, और अगले सदन में यह प्रश्न न उठाया जाय, वरना जब तक उसका पता नहीं लगेगा, हम लोग बराबर इस प्रश्न को उठाते रहेंगे और मंत्री महोदय उसकी खोजबीन को छोड़ कर सरकारी आश्वासन भी नहीं देंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। मैं आपसे पुनः पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं माननीय मन्त्री महोदय से इस बात का आश्वासन दिलायें कि अगले सत्र तक उसका पता बतायें अथवा वह मर गया, बाबाजी बन गया, मार डाला तथा हत्या हो गयी, कोई न कोई तो पता लगेगा। डिपार्टमेन्ट का आदमी है, डिपार्टमेन्ट का आदमी खो जाय, कोई पता नहीं लगे—

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आयुर्वेद बड़ा दरिद्र डिपार्टमेन्ट है, दया का पात्र डिपार्टमेन्ट है। इसलिए कोई खोज बीन नहीं होती है। कोई आई. ए. एस. आफिसर हो, आई. पी. एस. आफिसर होता—

श्री अध्यक्ष : विराज जायं। श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी,** राणा प्रताप सागर एवं गांधी सागर डैम के बीच के क्षेत्र में लकड़ी काटने के ठेके में हुई अनियमितता के विषय में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान का दूसरा पानरवा काण्ड सदन में रख रहा हूं। चाहता हूं वन मंत्री जी यहां हों, मैं चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कोई हो, स्थानापन्न मन्त्री महोदय, आये हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को बहुत गम्भीरता से लें। करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। इस नाते से, और दो करोड़ का इस बात में परिणाम निकलेगा, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। राणा प्रताप सागर डैम, और गांधी सागर डैम, इनके बीच का सारा एरिया जो है, इस एरिया में अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 1980 में इन तीनों महीनों में से किसी भी एक महीने में, गुलाब अब्बास नाम के ठेकेदार, जिनकी चर्चा पिछले विधान सभा में पानरवा काण्ड के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हो चुकी है। पानरवा काण्ड इस विधान सभा में और राजस्थान में जनता में बहुत जोर से छाया रहा। ये वही ठेकेदार हैं। इनको बुलाया,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

12.22 म प.

(श्री तकीउद्दीन सभापति, पदासीन)

गया और बुलाने के बाद इन दोनों के बीच में जो एरिया है, उसमें लकड़ी काटने का काम इनको बिना किसी पैसे लिये दे दिया गया। 74 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं सारी जानकारी आपके सामने संक्षेप में रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये ठेका 7 साल के लिए दे दिया गया, एक कौड़ी उनसे नहीं ली गयी। इस ठेके को सात वर्ष से दस वर्ष तक बढ़ाया जासकता है। इस बात की भी गारन्टी, गारन्टी किस ने की है? मत्स्य परियोजना अधिकारी, रावतभाटा। आपको सुन कर आश्चर्य होगा ये है दोनों झीलों के मामले का सवाल। मछली जरूर पकड़ते हैं, किन्तु वे आथोराइज्ड नहीं है। आपको यह भी सुनकर आश्चर्य होगा कि 1900, इस सारे एरिया में जो इन तीनों के बीच में वाटर लेवल है, वह है 1151—1162 तक का लेवल। 1151 सामान्य रूप से उसका दोनों बांधों के बीच में लेवल रहता है, पानी का, किन्तु 1162 तक के लेवल पर, जहां तक कभी कभार पानी जाया करता है, इन दोनों के बीच में। इसमें आने वाले जितने पेड़ हैं, उनको गुलाम अब्बास बड़े आराम से काट सकेंगे। काट कर उनसे लकड़ी का कोयला बना सकेंगे। पिछले एक महीने में इस लकड़ी का कोयला बना है, दो हजार बोरी, एक लाख रुपया उसकी कीमत है। एक कौड़ी नहीं चुकाई है इन्होंने। इनको उन दो हजार बोरी, एक लाख रुपये की लागत की बोरियों को उस स्थान से बाहर ले जाने की अनुमति मिल गयी है। डिप्टी सी. सी. एफ. जो कोटा में अवस्थित हैं, उन्होंने अपना आदमी लगाया हुआ है, वहां कि तुम परमिशन दो, इनको बाहर ले जाने की। डी. एफ. ओ. चित्तौड़गढ बैठा है, डी.एफ.ओ. चित्तौड़गढ़ से पत्र लिख रहा है। माननीय मन्त्री महोदय, मैं चाहता हूं आप नोट करें। प्रकीर्ण 15277—78 दिनांक 22-10-80 उन्होंने एक पत्र लिखा डिप्टी सी. सी. एफ. को, कि साहब ये क्या हो रहा है, न कोई विज्ञापन किया गया है, इसका ठेका हमको लेना है, न अखबारों में साया किया गया और पानरवा काण्ड के जो गुलाम अब्बास है, इनको काट रहे हैं और काट कर ले जा रहे हैं। उनको बाहर जाने की आज्ञा भी मिल गई है। तो डिप्पी सी.-सी. एफ. क्या लिख रहे हैं, वे लिखते हैं कि आपका पत्र मुझे मिला किन्तु पहले इस बात का प्रूफ लाओ कि यह जमीन वन विभाग की है। अभी वन विभाग के मन्त्री नहीं हैं,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

यह पत्र उनके पास पहुंचा, उलटा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं लकड़ी निकलवा रहे हैं, वहां से एक लाख रुपये की। एक लाख रुपये का कोयला एक महीने में वहां से निकलवा रहे हैं, आज निकल रहा है, कल निकल रहा है, तीन दिन पहले से निकल रहा है, वह कोयला निकल जायगा, अगर मेरी आवाज मन्त्री महोदय तक पहुंचे वे अध्ययन करें, ठेका सात साल का है, अगर एक लाख रुपये की एक महीने में निकलती है तो 12 लाख रुपये। 12 सत्ते 84। आठ करोड़ 40 लाख रुपये 10 साल में हो गये तो वह हो जायगी, 12 करोड़ रुपये, 12करोड़ रुपये में से शायद दो करोड़ उनकी लागत लगेगी। 10 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, राज्य सरकार को। मैं चाहता हूं इसकी हाई लेवल इन्क्वायारी हो क्योंकि आज इस बात को चक्कर में फंसाया है, कि मतस्य विभाग उसको देखता है सिंचाई विभाग उसको देखता हैं, कि उसको देखता है, वन विभाग। इसी चक्कर में डिप्टी सी. सी. एफ. ने यह बात लिखी। उसका उत्तर फिर डी. एफ. ओ. ने भेजा, उसकी तारीख और नम्बर भी बता रहा हूं, मैं आपको। 15543 - 47 चार पत्र लिखे प्रकीएा डेटेड 31-10-80, इसका जवाब लिख दिया उन्होंने कि यह तो जंगल की भूमि है, पानी के डूब में आ रही है। 1151 तक का उससे 1162 की जमीन चारों तरफ जंगल है, ये काट रहे हैं। इस जंगल को बचाइये किन्तु किसी तरह कुछ नहीं हो रहा है, वह आराम से कोयला बना कर निकालता जा रहा है। मैंने चाहा था कि सरकार से जानकारी हो, किन्तु आज मैं विधान सभा में इसलिए रखना चाहता हूं कि आज ही राज्य सरकार तुरन्त यहां से सब कागज मूव करके तुरन्त बैन लगाकर कोयले को बाहर न जाने दे और डिप्टी सी. सी. एफ. जो सिंचाई के एक्स0 इसर0 भी हैं, उस क्षेत्र के और उसके साथ साथ सारे जो अधिकारी सारे केस में इनवल्व्ड हैं, उनको तुरन्त निलम्बित किया जाय, जानकारी की जाय कि ये ठेका कैसे दिया गया, किस प्रकार इस तरह माल बाहर निकालने की अनुमति दी जा रही है। ये 10—12 करोड़ रुपये का सरकार को घाटा देने की प्रक्रिया कौन सी हो रही है? एक महीने में एक लाख रुपये का कोयला जाने कौन सी पद्धति से लकड़ी के जंगल को काट कर इस प्रकार की पद्धति बनाई जा रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई इन्क्वायरी हो, मुख्यमन्त्री स्वयं देखें, क्योंकि 3—3 विभाग इसमें इन्वाल्व्ड हैं और कोई किसी के इन्लूएन्स में है। जिसके माथे पर सारा गा रहा है, जो डी. एफ. ओ. बैठा है, चित्तौड़गढ में वह तो बड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि जमीन जंगल की उसकी है और सारे पत्र लिख रहा है, राज्य सरकार इस प्रकार कर रही है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इसीलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं माननीय मन्त्री जी, जो स्थानापन्न मुख्य-मन्त्री हैं, उनका सारा काम देखते हैं, सारे जवाब देते हैं, इस बात को नोट करें। 3 विभाग इसमें इन्वाल्व्ड हैं और कहीं आगे जाकर एक लाख का कोयला निकल गया और निकल कर चला गया तो ये दूसरे पानरवा काण्ड के रूप में राजस्थान में होगा और एक कालिख राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार के माथे पर फिर न लग जाय और वही अभियुक्त, वही इस प्रकार का ठेकेदार, जिसने वह सब काण्ड किया है, फिर हो गया है। पता नहीं राज्य सरकार की कौन सी कृपा है, जब-जब ये राज्य सरकार आती है, बार बार उसी ठेकेदार को तिलक लगाने की प्रक्रिया बन पड़ती है, इतना बड़ा स्कैण्डल हो रहा रहा है, स्कैण्डलम इस विधान सभा में आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं, सब विभागों की बैठक करके, तीनों विभागों की बैठक करके कोयला रुकवाने की अविलम्ब व्यवस्था करें यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मैंने आते ही इस प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव देना चाहा था, अध्यक्ष महोदय को और चैम्बर में जाकर उनसे बात की थी, उन्होंने कहा 'मैं इस विषय पर आपको भी बोलने दूंगा। मैंने माननीय वन मन्त्री महोदय से बात की जानकारी —

श्री सभापति : दो मिनट में।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमन् सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया कि पानरवा कांड को भी पीछे छोड़ देने वाला यह एक भयंकर काण्ड राजस्थान के इतिहास में जुड़ने जा रहा है। पानरवा काण्ड में इसी गुलाम अब्बास ने लाखों रुपये का घोटाला किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया पर इसी सदन में चार्ज लगे थे। आज फिर पानरवा कांड की पुनरावृत्ति हो रही है। पानरवा काण्ड के अभियुक्त श्री गुलाम अब्बास को, किसी प्रकार से सांठ गांठ करके और उदयपुर के कांग्रेसी शासकों के इशारों पर और आज के वर्तमान नेताओं के इशारों पर बारह करोड़ रुपयों की वन सम्पदा सादर समर्पित कर दी गई है। आज तक किसी भी लीज होल्डर को, ठेकेदारों को कोई भी काम दिया जाता है तो उससे सरकारी खजाने में रुपया जमा कराये बिना किसी प्रकार की कोई लीज नहीं दी जाती है। लेकिन इस गुलाम अब्बास से एक कौड़ी गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराई गयी है और सात साल के लिए लीज दे दी गई है। इसलिए, यहां पर मत्स्य विभाग चाहता था कि मछली का उत्पादन हो, एक तरफ तो वह योजना धरी रह गई और दूसरी तरफ पानी के अन्दर जो ठूंठ खड़े हैं और पानी के बाहर जो ठूंठ खड़े हैं उनको काटते जा रहे हैं। एक महीने के अन्दर, जनवरी के महीने में उस व्यक्ति ने एक लाख रुपयों का कोयला पैदा किया है, यह अपने आप में राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बद-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नामी की बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर मैंने वन मन्त्री जी को भी निवेदन किया था

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि आपके विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, आप इसको रोकिए।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आरोप लगाता हूं यह राजस्थान विधान सभा का दुर्भाग्य है कि माननीय वन मन्त्री जी कहने के बावजूद भी यहां पर उपस्थित नहीं हैं और यहां से चले गये हैं। यहां पर इतने स्थगन प्रस्ताव आते हैं जिन पर माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देते हैं। आज प्रद्युम्नसिंह जी यहां बैठे हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य....आर्डर प्लीज।

श्री दाऊ दयाल जोशी :मुख्य मन्त्री जी ने उन पर जिम्मेदारी डाल रखी है तो वे वन मन्त्री जी को स्वयं जाकर कहें। मुझे इस बात का खेद है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, अब समाप्त करें, दो मिनट हो गये हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मन्त्री महोदय अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं देखते हैं ? उनको बताना चाहिये। उनको यहां पर उपस्थित रहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पर व्यवस्था देते हैं और उस व्यवस्था को सुनना चाहिए। उनके कहने के बाद भी माननीय वन मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं और इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी की भर्त्सना करता हूं, उनकी निन्दा करता हूं। मुझे दुख है कि माननीय वन मंत्री जी इस मौके पर यहां पर उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, बिना विभाग के मन्त्री प्रद्युम्नसिंह जी को निवेदन करता हूं कि इस पानरवा जैसे कांड की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस बात को आप देखें और इस प्रश्न को बहुत गम्भीरता से लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सिंचाई से भी संबंधित है।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक(सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने आपका और सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं सोचती हूँ कि इस बात में काफी दम है। माननीय अध्यक्ष महोदय जब स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देते हैं तो सभी मंत्री महोदय से सम्बन्धित होती है और मैं यह सोचती हूँ कि यह आब्लीगेटरी है उनके लिए जिनका डिपार्टमेंट है उनकी प्रजेंस जरूरी है। एक्शन तो जब लेंगे, तब लेंगे, मगर मंत्री महोदय को कम से कम अपने डिपार्टमेंट के अन्दर, कहां गड़बड़ हो रही है, इसका तो पता चलता है। मैं सोचती हूं कि आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करेंगे।

(श्रीमती विद्या पाठक)

माननीय सभापति महोदय, तारीख 19 मार्च को मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के बहुत से गांवों में ग्रोलावृष्टि हुई। यह दुर्भाग्य है इस विधान सभा क्षेत्र का कि ग्रोलावृष्टि ऐसे समय में हुई जब कि बारिश ग्रक्सर नहीं हुग्रा करती है। जब फसलें खड़ी हैं ऐसे समय बारिश हुई ग्रोले पड़े उससे फसलों को बहुत नुकसान हुग्रा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत जयसिंहपुरा के कस्बे मोहनपुरा, मदाऊ, पीपला ग्रादि इन गांवों में बारह ग्राना, 75 प्रतिशत खड़ी फसल ग्रौर कटी हुई फसलें नष्ट हो गई हैं। नेवटा जो कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, उसके ग्रलावा कलवाड़ा, ग्रजयराजपुरा, छितरोली, बगरू के कुछ गांव, भगोरिया, कल्याणपुरा पंचायत के कुछ गांव, इस तरह से बहुत सारे गांवों में करीब-करीब चालीस प्रतिशत से पिचहत्तर प्रतिशत फसल नष्ट हो गई हैं। माननीय सभापति महोदय, ग्राश्चर्य की बात है कि यह वारदात हुई 19 तारीख को, लेकिन ग्रभी तक पटवारियों ने रिपोर्ट कलेक्ट करना शुरू ही नहीं किया है। मैं सोचती हूं कि यह मानवीय समस्या के प्रति, चाहे वह सरकारी ग्रधिकारी हों, चाहे सरकार स्वयं हो, उसका इस तरह का बहुत ही ग्रमानवीय व्यवहार है, माननीय सभापति महोदय। मैं ग्रापके माध्यम से सदन का ध्यान, ग्रापका ध्यान ग्रौर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहती हूं कि यद्यपि इन गांवों में बहुत से गांव ग्रकाल राहत के ग्रन्तर्गत नहीं हैं मगर फिर भी मानवीय दृष्टिकोण ग्रपनाते हुए, यहां की नितान्त ग्रावश्यकता को देखते हुए, वहां पर कुछ ग्रकाल राहत कार्य खोले जावें। कुछ इस तरह के इमीजियेट रिलीफ देने के कार्य खोले जावें जिससे वे ग्रपना रोजगार, कुछ साधन जुटा सकें। वसूलियां स्थगित करने के लिए इसकी प्रक्रिया ग्रपनाई जाने की व्यवस्था की जावे ग्रौर उनको, जो भी राहत नियमों के ग्रन्तर्गत दी जाने वाली है वह तुरन्त दिया जाना जरूरी है। इन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यही बात मैं ग्रापके माध्यम से सदन का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहती हूं।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में मंत्रिमण्डल के सदस्यों की उपस्थिति

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ग्रापकी व्यवस्था क्या हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : जोइन्ट रेसपॉसिब्लिटी है, मैं यहां पर बैठा हूं।

श्री सभापति : मन्त्रिमण्डल की कलेक्टिव रेसपॉसिब्लिटी है। यहां पर माननीय सदस्य जो भी वक्तव्य देते हैं, वह ग्रंकित होता है, लिखा जाता है ग्रौर मन्त्रिमण्डल के स्पेसिफिक सदस्य उसको पढ़ लेते हैं तो उनको जानकारी हो जाती है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि एक प्रश्न यदि····

(62)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसके विषय में मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि ऐसा लगता तो नहीं है कि कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है। पांच दिन पहले, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव पर बोली हूं पर अभी काम रुका नहीं अवैध तरीके से, इस तरह की एपेथी है कि एस. डी. ओ. को सूचना होने के बाद भी, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है जो स्वयं नियमों के विपरीत है। ऐसा लगता तो नहीं है, माननीय सभापति महोदय, कि यह कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है या उस रेसपांसिबिलिटी को ये ओन करते हैं।

श्री सभापति : वैसे अपना-अपना एंगल आफ विजन है। आपको नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में वह इल्लीगल कंस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है, सिर्फ लगता ही नहीं है वह बढ़ता दिख रहा है और इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया था, फिर भी सरकार मौन है और उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मैं इसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि जो आपने सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना की बात कही है, उसी के बारे में कहती हूं कि पिछले दिनों एक प्रश्न था, उन्होंने, मन्त्री महोदय ने यह कह कर, मेरा खुद का प्रश्न था, मेरा मुंह बन्द कर दिया था कि यह प्रश्न दूसरे विभाग से सम्बन्ध रखता है, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है लिहाजा उनको उत्तर देते समय जानकारी भी दे दी गई थी लेकिन उन्होंने यही कहा था कि उनको जानकारी नहीं है और उन्होंने कहा था कि मैंने सम्बन्धित विभाग को भेज दिया है। यह बात समझ में नहीं आती कि किस प्रकार से सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कही जाती है। लगातार, निरन्तर अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार किया जाता है। मैं समझती हूं कि इस पर आपकी व्यवस्था बहुत जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसमें व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, अभी बात हुई थी कि माननीय मन्त्री महोदय को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए। इस पर कहा गया कि कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि एक मामला किसी सम्बन्धित विभाग के मन्त्री से संबंधित हो, कोई बहुत बड़ा काण्ड होने जा रहा है माननीय सदस्य उनसे मिले थे और उनको बता दिया था कि इस मामले को आज वे विधान सभा में रखेंगे। उस समय जबकि उनकी जानकारी में यह बात है कि इस विभाग से सम्बन्धित बहुत बड़ा काण्ड आ रहा है तो तब इतना तो जरूरी होना चाहिए था कि उस समय वे यहां पर उपस्थित रहते।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब स्थगन प्रस्ताव यहां पर रखे जाते हैं तो विधान सभा सचिवालय की तरफ से इनके बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। जिसके बारे में सम्बन्धित विभाग को लिखा जाता है और उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ प्राप्त होता है वह सम्बन्धित मन्त्रियों को बिना पूर्व अनुमति के नहीं भेजा जाता है, उस समय वे देख लेते हैं और उन पर कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। इसलिए आपका यह मानना कि उनका यहां रहना आवश्यक है यह ठीक नहीं है। क्योंकि स्थगन प्रस्तावों पर जो सूचना सरकार के पास आ जाती है, सरकार तत्काल कार्यवाही करती है। यही मेरा निवेदन करना है, आपके माध्यम से।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैंने जब माननीय मन्त्री जी को जानकारी दी तब उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसा हुआ है, मैं आज ही फाइल मंगा कर देखता हूं। अगर उनको सूचना होती तो. अच्छा-ऐसा है क्या, मैं आज ही फाइल मंगाता हूं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन की सारी कार्यवाही लिखित रूप में हो रही है, उसको वे पढ़ लेते हैं, अवगत हो जाते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय आज की कार्यवाही को आज ही तो पढ़ नहीं सकेंगे, उनको जानकारी मिलेगी नहीं इसलिए यहां पर तो हमारा विचार प्रगट करना, नहीं करना बराबर होगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसमें आपने व्यवस्था दी ? इसमें आप व्यवस्था दें। हमने निवेदन किया कि आपकी वजह से करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। आप बिराजिये, उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया। आपने कहा मैं इसको देखूंगा सुनूंगा। मैं समझता हूं, श्री जी....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, माननीय सभापति महोदय, उद्योग मन्त्री जी को प्रिसाइड कर रहे हैं माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय, उनका ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें यह फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स सुनने के बाद महसूस करते हैं कि वाकई में गड़बड़ हो रही है और गड़बड़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, यह भी समझ में आ जायगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास एक अखबार है राजस्थान पत्रिका, 12 मार्च का। इस 12 मार्च के अखबार में एक कटिंग में नीलामी का नोटिस छपा, रीको का। रीको ने 1 मार्च को नीलामी का आदेश दिया है। मैं इसलिए तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह नीलामी 12 मार्च को होनी थी। 12 मार्च 12 मार्च को सवेरे एक नीलामी बजे, दूसरी नीलामी एक बजे और तीसरी नीलामी 3 बजे थी। उसकी शर्तें हैं

(64)

(श्री कैलाश मेघवाल)

"(1) Interested parties will have to deposit Rs. 1,000.00 in cash, before the auction begins, as earnest money."

दूसरी शर्त "The final bidder will have to deposit 25% of his offer on the spot, and the remaining amount will be payable by him within one month from the date issue of letter of acceptance by the Corporation for his bid."

तीसरी शर्त "Any outstanding dues on account of power and water will have to be paid by the party in whose favour the auction is approved" इसके बाद है, "The detailed terms and conditions can be obtained from our office located at Visbwakarma Industrial Area, Jaipur on any working day."

यह उसमें शर्तें थीं, माननीय सभापति महोदय। केवल 12 तारीख को सवेरे एक अखबार में, केवल मात्र एक अखबार राजस्थान पत्रिका में यह नीलामी की सूचना प्राप्त हुई। और 12 बजे से नीलामी चालू हुई। ऐसा ही माननीय सभापति, महोदय, अभी हुआ है। आज राजस्थान पत्रिका में, 23 मार्च का, दो उद्योगों से सम्बन्धित सम्पति की नीलामी की सूचना निकली है। आप देख लें, माननीय सभापति महोदय, 23 मार्च को, आज सवेरे 12 बजे नीलामी चालू होगी। उस नीलामी की शर्तें क्या हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। मेरा निवेदन है कि जो नये युवा उद्यमी आ रहे हैं, विश्वकर्मा और मालवीया औद्योगिक क्षेत्र में, मैं निवेदन करूं, उद्योगों की नयी तकनीक पर एक हिम्मत करके उस क्षेत्र में आ रहे हैं। अभी परसों-तरसों से उद्योग चलाने वाले हैं, उन्होंने कहा मुझको, बताइये, क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा आज नीलामी है, यह झगड़ा क्या हो रहा है। आप उद्योग मन्त्री को प्रिसाइड कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पहले से ही उद्योगपतियों को पकड़ कर ले जाते हैं, देखो यह सम्पत्ति है। पिछली बार चार दफा नीलामी हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आठ-दस लाख रुपये की सम्पत्ति को दो-दो लाख रुपये में नीलाम किया गया। क्योंकि जब नीलामी छूटने वाली है आज सवेरे मालूम पड़ा, पचास हजार रुपया लेकर चला जाय यह सम्भव नहीं है। सम्पत्ति कैसी है, क्या अच्छी है, क्या सामान है इसमें कितना बेकार है, यह देख लें, यह भी सम्भव नहीं है। यह भ्रष्टाचार चल रहा है, लाखों रुपयों की हेरा-फेरी हो रही है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आरोप लगाना चाहता हूं उद्योग के वह अधिकारी है, तथ्य हैं सारे, नाम इसलिये नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय रामकिशोर जी के गुप्तचर यहां पर लगे हुए हैं और यह नीलामी चालू की है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा सत्तापक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिना समझाये, बिना कोई कारण

(श्री कैलाश मेघवाल)

बताये, इस तरह की नीलामी हो रही है। किसी अखबार में यह नीलामी की सूचना नहीं छपी है। केवल एक अखबार राजस्थान पत्रिका में नीलामी की शर्तें जरूर हैं। अब कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह तो वह पूछ सकेंगे। यह मैंने कारण बताये हैं, मन्त्री जी इस सारे मसले को देखेंगे। कम से कम वह आदमी आ सकें, सरकार को ज्यादा पैसा चाहिये, अगर कुछ आयेंगे, दूसरे व्यक्ति आकर देख सकें, उत्पादन के बारे में देख सकें, आगे की सम्भावनायें देख सकें, इतना समय तो कम से कम देना ही चाहिए। मेरा निवेदन है कि सारे मसले को मन्त्री जी देखें और देखने के बाद जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वह अधिकारी, राजनैतिक सत्ता पार्टी से संबन्धित हो, लेकिन कानून के अनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही करके यह बन्द करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा भीलवाड़ा जिले में अकाल के कारण पेयजल व घास की कमी के कारण। इस विषय में माननीय सदस्य कल अकाल राहत की मांग पर सदन में चर्चा कर सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

डा० उजला अरोड़ा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं जा रहा था। सभापति महोदय खड़े हो गये, इसलिए बैठ गया।

श्री सभापति : डा. उजला अरोड़ा 23 मार्च को तीन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी देने के उपलक्ष में आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाये जाने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अनाउन्स कर दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) भगतसिंह का नाम अमर शहीदों में लिखा हुआ है। हिन्दुस्तान की आजादी के शहीदों के नाम में भगतसिंह का नाम जुड़ा हुआ है। भारत को जिन्होंने आजादी दिलायी है, उनका नाम लेने की फुरसत यहां के लोगों को नहीं मिलेगी। ढाल और तीर जो उनके कलेजे में घुसे सबको वह तिलमिला देंगे। आजादी मिली। अंग्रेजों ने उनका मृत्यु दिवस न मनाया, इसका उनको कुछ अफसोस नहीं है। जिन्होंने गोलियां मारी, फांसी पर लटकाया, तैंतीस साल आजादी मिले हो गये, 24 साल का नौजवान जो फांसी के फंदे पर झूल जाय, उसको याद करने की फुरसत नहीं है। मैं समझती हूं यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। चाहे कहीं का रहने वाला हो, सबने कुल मिला कर आजादी दिलायी। लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक, चाहे महात्मा गांधी हो, भगतसिंह कहीं पीछे नहीं आते। राजगुरू कहीं पीछे नहीं आते। इनको फांसी नहीं मिली लेकिन वह पीछे नहीं आते, सुखदेव कहीं कोई पीछे नहीं थे लाहौर की सेन्ट्रल जेल जिसमें इन्हें रखा गया, एक

(श्रीमती उजला अरोड़ा

दिन फांसी लगाने के लिये आदेश हो गये। वायसराय से जो आदेश लिया गया, वह गोपनीय रखा गया। मान्यवर, रात को चुपचाप अंधेरे मे फांसी पर चढ़ाने का संघर्ष किया गया। उस समय मैं कहना चाहूंगी रावी के किनारे जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, देश की जनता उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं केवल जो सरकार चाहता हूं वह मिलनी चाहिये, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं जीवित रहूं। उन्होंने अपने खत में कहा कि आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप न्याय करोगे। संघर्ष छिड़ा हुआ है हमारे हिन्दुस्तानी साम्राज्य के लिए इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम विद्रोही हैं। दूसरा शासन चाहने वाले को जो न्याय मिलता है,वह न्यायहमको दिया गया। उनकी बहन ने पत्र में लिखा "मैं सोचती हूं जो अपने लिए यौवन की उमंग लिए, 24 साल का, उसमें क्या कमी थी, वह लोग जिस तरह से अपने कफन के लिए जीते हैं, वह भी जी सकता था,. सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी—

"लहू पीते हैं लोग कफन के वास्ते,

हमको जीना मरना है वतन के वास्ते"

जो लोग वतन के वास्ते मरे, जिन्होंने जीवन का सब कुछ छोड़ दिया, आज हमको उनकी पुण्य तिथि मनाने की फुरसत नहीं है और राजकीय स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। लायलपुर के रहने वाले यदि उनके बावा, ये भी क्रांतिकारियों में थे, उन्हें निरस्त कर दिया होता और वह भागूवाला गांव जहां ये पैदा हुए, मेरे जिले में पैदा हुए मैं जानती हूं वहां की सरगर्मियां क्या थीं। हुजूम के हुजूम अपने आपको बलिदान करने के लिए तत्पर रहते थे और इस तरह के जो थे, उनकी दादी कहा करती थी, भागूवाला गांव की, और वह हथकड़ियां लेकर कहती थी कि किसी भागूवाला के हाथों में ही हथकड़ियां पड़ सकती हैं और आज, जिस देश की माताएं बहनें कल्पना करती हैं कि मेरा पुत्र भी भगत सिंह की तरह बलिदान हो जाय।

आज पुस्तकों के पन्नों में भगतसिंह का सन्दर्भ देखने को नहीं मिलता। मिलता है, 20 सूत्री कार्यक्रम और अन्य बातें। मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहती, लेकिन राजनीति साक्षात है। केवल मैं और मेरी सन्तान, मेरे पूर्वज जो स्टील के चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए उनके नाम आने चाहिये। मैं कहना चाहूंगी, फिर किसका नाम लिया जायगा अगर भगतसिंह के नाम पर हम यहां पर अपने उद्गार प्रकट नहीं करते, राजकीय सम्मान से उनका बलिदान दिवस नहीं मना सकते। मुझे यह कहने में बहुत खेद होता है कि आज की सरकार न जाने क्या व्यवस्था लेकर चल रही है। मैं यहां पर कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, सरकार यह व्यवस्था नहीं कर सकती तो हमारे राज्य को आगे आकर के आज का दिन बलिदान दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में मनाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगी कि पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में सन्दर्भ

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जोड़ जायं जिससे आने वाली पीढ़ी उनसे स्फूरित होकर अपने बलिदान के लिए, अपने आपको समर्पित करने के लिए इस देश की बलिवेदी पर, हमेशा तैयार रहें।

देश एक देवता है। मेरी मान्यता है कि देश में जो हजारों देवता हैं उनसे भी बढ़ कर देश एक देवता है। उस पर बलिदान होने के लिए हम स्वयं को, हमारी पीढ़ियों को तत्पर रह कर, अपने बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिये और कौन देता है यह ज्ञान? यह हमारे अनुभव देते हैं, हमारी पुरानी पीढ़ियां देती हैं लेकिन जब तक हमारी पुरानी पीढ़ी का सारा कार्यक्रम, सारे कार्य, कृतित्व यदि पुस्तकों में नहीं आंका गया और यदि उनकी याद रखने के लिए आज का दिन मुकर्रर नहीं किया तो मान्यवर, आज भी उन्हें, रावी के किनारे ले जाकर जहां उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया था, मैं आग्रह करूंगी कि आज का दिन····मेरा मन उदगारों से भर आया है, इसके लिए व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बन्शीलाल पटवा (अनुपस्थित)

सदन पटल पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री हनुमान प्रभाकर (पंचायत मन्त्री) सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से उद्योग (ग्रुप-ए) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ-4 (56) इण्ड ग्रुप-1/79 दिनांक 29-5-80 सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचना सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : पाइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर। यह 29-5-80 की सूचना है, इसके बाद सदन एक बार हो चुका है, यह दूसरा सत्र चल रहा है। दूसरे सत्र को भी करीब महीना भर हो गया है। इस विलम्ब का कारण क्या रहा है वह माननीय मन्त्री महोदय एक्सप्लेन करें और सदन को इसकी जानकारी दें।

श्री हनुमान प्रभाकर : 79 की अधिसूचना भी सदन की मेज पर रखी है····

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह जवाब नहीं है। माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में प्रत्येक सूचना, प्रत्येक नोटिफिकेशन, प्रत्येक रूल या प्रक्रिया, जिसके अधीन रखा जाता है, उसमें यह है कि तुरन्त जल्दी से जल्दी रखना पड़ेगा, जिसका यह आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, मैंने निवेदन किया था कि मन्त्री महोदय इसे विलम्ब से क्यों रख रहे हैं? पाइन्ट आॅफ आर्डर है, उसका जवाब दिलवाया जावे।

श्री हनुमान प्रभाकर : यह हमेशा करीब-करीब परम्परा रही है। जिस सत्र में ये आती है तो सदन की मेज पर रख दी जाती है।

श्री सभापति : यह पाइंट ग्राफ ग्रार्डर का विषय नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक निवेदन करूं, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि सदन में परम्परा बनी हुई है। ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है, सभापति महोदय। पहले कभी भी विलंब से र.ी जाती थी तो विलंब कारण एक्सप्लेन किया जाता था, उसके बारे में गलती को माना जाता था। ये इसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रौर कह रहे हैं कि परम्परा ऐसी बनी हुई है। जबकि परम्परा यह रही है कि तुरन्त, जल्दी से जल्दी सदन की मेज पर रखी जाय ग्रौर नहीं रखते हैं तो एक्सप्लेन करना चाहिए ग्रौर राजकीय मशीनरी के विलंब के लिए क्षमा याचना करनी चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : इतनी शालीनता तो बरतनी ही चाहिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, पुराने समय में भी इसी पीठ से ग्रासन के द्वारा जब कभी इस प्रकार की कोई ग्रधिसूचना देर से र.ी गई तो यहां से ताड़ना मिली है, प्रभारी मन्त्री ने इसके लिए क्षमा मांगी है ग्रौर ग्रागे के लिए यह हुग्रा कि उसको समय पर रखेंगे। यह तो बड़ा ग्राश्चर्य है कि 79 का जिक्र कर रहे हैं तो उसके बाद विधान सभा सत्र हुग्रा, उसमें रखी जाती उसके बाद जितने भी सत्र हुए उनमें ग्राप नहीं रख पाये यह गलती थी तो इसके लिये एक्सप्लेनेशनतो दिया होता कि गलती हो गई है। स्वीकार कर लें। खेद प्रकट कर लें। कुछ तो करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय मन्त्री महोदय ग्रगर कान पकड़ लें....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या ग्रापने माफ कर दिया ?

श्री सभापति : ऐसा है कि राज्य सरकार के कार्य में व्यस्त रहते हैं जब मौका मिल जाय, रख दी जाती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो कह दें कि देर हो गई। कुछ तो बतायें कि क्या बात हो गई थी।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो दो नम्बर का झगड़ा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, सदन की ग्रागे की कार्यवाही....

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, वहां ग्रध्यक्ष महोदय के चैम्बर में विपक्ष के माननीय नेताग्रों से वार्तालाप हो रहा है। स्टेटमेंट के बारे में। पुलिस ग्रौर विद्यार्थियों पर माननीय शिक्षा मन्त्री जी के वक्तव्य की बात उठाई जा रही है। यह करना चाहते हैं।

श्री सभापति : चिकित्सा मन्त्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, पुराने पर क्या व्यवस्था हुई ?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(1.02 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

जो उन्होंने सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र रखे हैं उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। माननीय मंत्री महोदय ने नहीं बताया कि देर से प्रस्तुत करने का कारण क्या है ।

एक माननीय सदस्य : माफी मांग लो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : माफी किस बात की मांग लें। आप 5-5 साल बाद रखते थे।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर माननीय मन्त्री महोदय कहने की स्थिति में नहीं हैं। व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायगा।

शासकीय वक्तव्य

कोटा शहर में मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री, कोटा शहर में मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री हीरालाल देवपुरा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में मच्छरों के प्रकोप के सम्बन्ध में, खास तौर से मलेरिया फैलने के सम्बन्ध में माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : दाऊदयाल जोशी ने भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी का भी नाम है।

श्री हीरालाल देवपुरा : श्री दाऊदयाल जोशी ने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया और आपने यह व्यवस्था दी थी कि इस पर सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाय। उसी अनुसार मैं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे रहा हूं जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

कोटा शहर में मच्छर अवश्य हैं, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि वहां पर मलेरिया का प्रकोप है तथा 50 प्रतिशत नागरिक मलेरिया से पीड़ित हैं, क्योंकि सभी मच्छर मलेरिया के मच्छर नहीं हैं । बुखार से पीड़ित लोगों का नियमित सर्वेक्षण किया जाता है। उसके अनुसार कोटा शहर में 7717 लोगों के खून की जांच की गई उसमें से 544 में मलेरिया बुखार पाया गया है । स्पष्ट है कि यह प्रान्त तथा देश के अन्य भागों के समान ही है।

फरवरी माह के अन्त से अप्रेल तक व जुलाई माह के अन्त से सितम्बर तक वर्ष में दो बार मच्छरों की संख्या में वृद्धि होती है। ये सारे मच्छर मलेरिया फैलाने वाले नहीं होते हैं। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर साफ

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पानी में पैदा होते हैं, तथा गन्दे पानी में वे मच्छर पनपते हैं जो मलेरिया नहीं फैलाते हैं।

कोटा शहर में नगरीय मलेरिया योजना के अन्तर्गत ओवर हैड टैंकों, छोटे बड़े गड्ढों, कुओं तथा नाले नालियों में लारवासाइड डालने, तालाब व गन्दे पानी के स्थानों पर मच्छरों के बच्चों को खाने वाली मछलियां छोड़ने तथा शहर में पायरेथ्रम के छिड़काव का कार्यक्रम चालू है। कुछ समय पूर्व ही कोटा में एक विशेष यंत्र द्वारा कीट नाशक मेलाथियोन का, विशेष प्रक्रिया से धुंआं छोड़ा जाना शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम प्रति दसवें दिन दोहराया जाता है, जिसमें शहर की जनता तथा नगरपालिका का सहयोग भी लिया जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से इस अभियान की सूचना जन साधारण तक पहुंचाई जा रही है। दैनिक राष्ट्रदूत दिनांक 18-3-1981 में भी एक आवश्यक सूचना प्रसारित की गई थी।

कोटा के तालाबों में जलकुंभी के कारण मच्छर नाशक व कीट नाशक कार्यक्रम सफलता से चल नहीं पा रहा है, क्योंकि मच्छर जल कुंभी के नीचे छिप जाते हैं। जल कुंभी को नष्ट करने में सिंचाई विभाग को जन साधारण का योगदान न मिलने के कारण कठिनाई हो रही है जिससे चिकित्सा विभाग को भी सफलता में अड़चन आ रही है। फिर भी इसको नष्ट करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कोटा शहर में डी. डी. टी. का फोकल स्प्रे कराया जा रहा है। बुखार से पीड़ित लोगों के रक्त की जांच की जा रही है। वर्तमान में राज्य में चिकित्सा संस्थाओं के अलावा कोटा में 102 मलेरिया औषधि केन्द्र, 17 बुखार उपचार केन्द्र एवं 7 मलेरिया क्लिनिक कार्यरत हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कोटा में 50 प्रतिशत नागरिक मलेरिया से पीड़ित नहीं हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मच्छरों को मारने तथा मलेरिया रोग की रोकथाम की समुचित व्यवस्था कर ली गई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जानकारी मंत्री महोदय को देना चाहता हूं ताकि जिस प्रकार की स्थिति, जो इतने सामान्य रूप से बताई गई है, वैसी नहीं है। 20 फरवरी के बाद थोड़ी तापमान में वृद्धि हुई, हवा में तेजी आई, तब से मच्छरों का प्रकोप भयंकर रूप से सारे शहर में हुआ है जिसकी जानकारी विभिन्न तरीकों से जिला प्रशासन को दी गई, किन्तु जिला प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जनवरी के महीने में जो इतना घनत्व है उसकी 2.8 है वह ऐसी लाइन है डेड लाइन जिसके ऊपर जाकर यह खतरनाक बिन्दु के ऊपर माना जाता है। फरवरी के महीने में और जनवरी के महीने के अन्त में 6.5 प्रतिशत प्रति घंटा घनत्व इसका पहुंच गया है और फरवरी के अन्त में 11 प्रति घंटा यह वहाँ का मेजर-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मेंट है जो कीटनाशक है उनका। यह क्यूलेक्स नाम का भिनभिनाने वाला मच्छर है, मन्त्री महोदय जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यह बात सही है कि प्रत्येक कीटाणु मलेरिया का कीटाणु नहीं होता है किन्तु यह जो क्यूलेक्स मच्छर है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, यह इतने परिणाम में हो गया है और उसकी जाति के कारण पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में और बिहार में महामारी प्रकट हुई थी। इसकी एक उपजाति दक्षिण में होती है और वह सहारक के रूप में मानी जाती है। इसीलिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यह क्यूलेक्स इतना भयंकर कीटाणु है, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया भी है, कोटा बैराज से लेकर गणेशपुरा तक सारा कोटा शहर चम्बल के किनारे बसा हुआ है। यह चार किलोमीटर लम्बा डेढ़ फर्लांग चौड़ा है। यह पहला वर्ष है जब, आप अगर यहां से उठा कर वहां तक एक नजर से देखेंगे, सारी जगह जल कुंभी छाई हुई है, ऐसा कभी पिछले वर्षों में नहीं हुआ है। यह जल कुंभी इन मच्छरों का आश्रय स्थल है और उनके प्रजनन का केन्द्र है। माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं ने बताया है कि इसमें डिफिकल्टीज आ रही हैं और जल कुंभी को नहीं हटा पा रहे हैं। पिछले वर्ष पानी छोड़कर हटाया गया था परन्तु, इस बार वहां पर पानी की कमी है। कोटा बैराज से पानी छुड़वावें और इस सारी जल कुंभी को हटवाया जाय। पानी की जरूर कमी है, परन्तु कोटा शहर के साढ़े तीन लाख लोगों के जन-जीवन से इसका सम्बन्ध है। इस नदी के किनारे किनारे अगर आप स्टेटेस्टिक्स देखेंगे, इस जल कुंभी के कारण नदी के किनारे इस प्रकार के मच्छर भयंकर मात्रा में हैं। जिन पाजिटिव केसेज की मन्त्री महोदय चर्चा कर रहे हैं, यह तो वे पाजिटिव केसेज हैं जो एक्स्ट्रीम केसेज हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, घर घर में लोग बीमार हैं, आज हालत यह है। इस प्रकार बीमारी की स्थिति हो गई है। एक तो जल कुंभी की अवस्था है, इसके लिए पानी छुड़वावें और किसी भी दृष्टि से इसको नहीं कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि जो कोटा का थर्मल प्रोजेक्ट है, और जो नयी पुलिया बन रही है, वहां पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं, वे वहां पर बाहर से आये हैं और नदी के किनारे रह रहे हैं। उनके सारे कार्य कलाप ऐसे हैं कि उसके कारण वहां पर यह मच्छरों की बीमारी हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह दूसरी बात है जिसका वे उपचार करें।

तीसरी बात, जो बड़ा तालाब है वह शहर के बीच में है, वहां पानी की कमी है पानी कम छोड़ा गया है और जून तक और पानी कम छोड़ा जायगा। वह प्रजनन केन्द्र बन गया है मच्छरों का। इस बड़े तालाब की पिछली बार, एडमिनिस्ट्रेटर महोदय, मेडिकल डिपार्टमेन्ट ने, नगर परिषद ने सफाई कराई थी, परन्तु वहां के एडमिनिस्ट्रेटर महोदय से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या उनकी शहर से गन्दगी हटाने की जिम्मेदारी नहीं है? मच्छरों को हटाने की जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए यह जो बड़ा

72

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तालाब है उसकी भी आप सफाई की व्यवस्था करें।

एक बात और। एक छोटा तालाब और है जिसका यू. आई. टी. कन्स्ट्रक्शन कर रही है। इसको डम्पिंग ग्राउण्ड बना रखा है। सारा कचरा, सारा कूड़ा सब कुछ इसमें लाकर डाला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह यह छोटा तालाब भी शहर के बीच में है और यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लगातार मच्छर पैदा होते जा रहे हैं। यह तीन बड़े कारण हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि एक तो आप इस जल कुंभी की व्यवस्था करें। पिछले वर्ष इस प्रकार की स्थिति नहीं हुई थी। आज वहां इसका घनत्व 11 तक पहुंच गया है। पिछले साल 2.8 से लेकर 3.6 तक ही पहुंचा था। जिला प्रशासन था, मैं भी वहां पर था, नगर परिषद थी, मिलिट्री थी, मिलिट्री का विभाग था, नदी किनारे सब विभाग थे। उन सब विभागों ने एक जोइन्ट कम्पेन किया था। आज तक वहां पर यह ज्वाइन्ट कम्पेन नहीं किया गया है। बल्कि मुझे यह कहते हुए दुख होता है, मन्त्री महोदय ने यह बताया कि पिछली बार यह कहा गया था कि वे 15 दिन की छुट्टी नहीं कर सकते हैं। 15 दिन तक सफाई अभियान नहीं कर सकते हैं। मगर मैं मन्त्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि रतलाम के अन्दर इस गन्दगी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यह प्रशासन की जिम्मेदारी है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम यह नहीं कर सकते हैं। यह मलेरिया का काम मेडिकल डिपार्टमेंट का है, जिसका परिणाम यह है कि पाजिटिव केसेज वहां पर हो रहे हैं, जिसकी मन्त्री महोदय ने चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसको गम्भीरता से लें। कहीं ऐसा न हो कि साढ़े तीन लाख की आबादी इस कोटा शहर में है, क्यों कि अभी तो सर्दी बढ गयी है लोग रात को गिलाफ ओढ़ लेते हैं, इसलिए एक्सपोज कम होते हैं, लेकिन एकदम गर्मी आयेगी तो क्या हालत होगी, अप्रेल, मई के महीने में। इसलिए आप अविलम्ब 15 दिन का एक विशेष सफाई अभियान चलावें।

इन सब प्रकार के माध्यम से आज मलेरिया हो रहा है। जहां तक धूआं छोड़ने वाली बात है, उस पर भी कोई कोर्ट में चला गया है तो उसमें भी बड़ी परेशानी हो रही है कई दिनों तक सामान नहीं लेने दिया गया है अभी इस बारे में कुछ हुआ हो, तो पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां पर जो प्रशासक महोदय हैं, वे पार्ट टाइम हैं, उनको फुरसत नहीं है, इसलिये वहां पर फुल टाईम शासक को लगाया जाय। कितने करोड़ की नगर परिषद् है वहां पर वह ए. डी. एम. का काम भी देखते हैं, नगर पालिका का काम भी देखते हैं और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं कि यह तो हमारा काम नहीं है, यह तो चिकित्सा विभाग का काम है। इन सब तथ्यों को मध्दे नजर रखते हुये देखें। वहां पर साढ़े तीन लाख जनसंख्या के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिये वहां जिला प्रशासन को कहें कि वह सबकी मीटिंग कर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सबको काम बांटे, स्वयं सेवी संस्थाओं को भी विश्वास में लें और वहां के राजनेताओं को भी विश्वास में लें। इन सबको विश्वास में लेकर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कोटा के निवासियों के साथ खिलवाड़ न हो पाये। मच्छर, मलेरिया को समाप्त किया जाय। छोटे तालाबों को डंबिग ग्राउण्ड न बनाया जाय और कूड़े को बाहर डाला जाय। बड़े तालाबों में, पानी नहीं आने के कारण मच्छर पैदा होते हैं। वहां स्पेशल दवाई डाल कर व्यवस्था करें। इन सबके बारे में कहना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था करें' यही मेरा निवेदन है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : पुण्य सलील चर्मण्यवती। आज कोटा नगरी की जनता के लिये अभिशाप बन रही है। उस पूरी चर्मण्यवती नदी, जिसका कि मैं चित्र लेकर आया हूं माननीय ललित जी की जानकारी के अनुसार और मेरी जानकारी के अनुसार, अभी दो दिन पहले की जानकारी के अनुसार 14 किलोमीटर पूरे क्षत्र पर केशोरायपाटन तक जलकुम्भी का भयंकर रूप से प्रकोप है। इस कारण से वहां पर मलेरिया हो रहा है। तो एक तो यह कारण है। दूसरा, छोटे तालाबों का और तीसरा, बड़े तालाब। इन तीनों ने मिलकर कोटा की हालत खराब कर दी है, ये मच्छर उत्पादन केन्द्र हैं। यह कहना कि मच्छरों का प्रकोप नहीं है तो, स्वयं नगर परिषद् के प्रशासक महोदय श्री रतनलाल बैरवा ने कैसे कहा है कि मच्छरों की बढ़ी हुई बाढ़ के लिये मलेरिया विभाग जिम्मेदार है, जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा निवेदन यह है कि कोटा नगर में आयुर्वेद के अनुसार सन्तक सतत् अन्येद्युष्क तृतीय और चतुर्थक यानि मतलब यह है कि मलेरिया की पांच कैटेगरियां आयुर्वेद ने की हैं-सन्तक, सतत, अन्येघुष्क तृतीयक और चतुर्थक, ये पांच कैटेगरी का मलेरिया भयंकर रूप से फैल रहा है। कहीं पर सन्तक है तो सतत नहीं है, और अन्येद्युष्क है तो तृतीयक नहीं है, परन्तु वहां पर मलेरिया भयंकर रूप से है। मेरा निवेदन करना यह है कि दोनों डिपार्टमेंट लापरवाही बरत रहे हैं। एक मशीन तीन लाख की लागत की डेढ़ साल पहले खरीदी थी, लेकिन मलेरिया विभाग को डीजल नहीं मिलने के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और वह फालतू पड़ी हुयी है। इसी प्रकार से डीपा मशीन, जो साढे सात लाख की है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आप कोटा में चले जाइये, कोटा की किसी भी गली में चले जाइये, मलेरिया भयंकर रूप से, मच्छर भयंकर रूप से हैं। कोई मन्त्री महोदय कोटा जाय और वह सर्किट हाऊस के अलावा और कहीं रह जाय तो वह रात को सो नहीं सकता है। अगर सोयेगा तो उसको पंखा चलाना पड़ेगा और अगर पंखा चलायेगा तो वह सुबह प्रतिश्याय रोग से पीड़ित हो जायगा। मेरा कहना यह है कि दोनों ही विभाग लापरवाही बरत रहे हैं। नगर परिषद कहता है कि हमारा पूरा स्टाफ जनगणना में गया हुआ है। मलेरिया विभाग के पास में 15 कर्मचारी हैं और

74

(श्री दाऊदयाल जोशी)

उसने ईमानदारी से, वे 15 कर्मचारी, लाखों-करोड़ों की तादाद में जो मच्छर हैं, उन पर वार करने के लिये लगा दिये हैं, लेकिन 15 कर्मचारी उन मच्छरों को कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि राज्य सरकार तुरन्त इसकी समुचित व्यवस्था करे साथ ही कोटा नगर का दुर्भाग्य है कि कोटा नगर परिषद् ने डम्पिंग ग्राउन्ड के लिये एक ग्राउन्ड खरीदा था नगर विकास न्यास से वहां पर नगर विकास न्यास किसी को भवन बनाने की स्वीकृति दे रही है। जिसके कारण से जो लाखों करोड़ों की इनकम देने वाला नगर का सारा मलबा छोटे तालाबों में डाला जा रहा है दो स्थानों में एक छोटा तालाब और दूसरा राम तलाई में डप किया जा रहा है जिसके कारण से भयंकरतम समस्या हो रही है वहां के लोग मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी यहां नहीं हैं, इसलिये स्वास्थ्यमन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कोटा का लाखों रुपयों का खाद बनाने का कच्चा माल, यह कूड़ा फैंके जाने के कारण बेकार हो रहा है। उसे तुरन्त कोटा नगर परिषद् के माध्यम से, करोड़ की इनकम का वह ग्राउन्ड उसे दिया जाय जिससे कि वहां पर खाद बनायी जाय और नगर परिषद् का इनकम का जरिया बढ़ सके। हर व्यक्ति वक्तव्य दे रहा है, हर राजनैतिक दल इस पर विचार कर रहा है कि मलेरिया है, उसको मिटाना है। अभी तीन दिन पहले नगर विकास न्यास के भूतपूर्व अध्यक्ष ने राज्य सरकार और अधिकारियों को प्रताड़ना देते हुये यह वक्तव्य दिया है कि राज्य सरकार मच्छरों को समाप्त नहीं कर सकी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनको रोकने के लिये तुरन्त व्यवस्था करें। एक वायुयान फरीदाबाद से आने वाला था, 37 हजार में आने वाला था, लेकिन बाद में उन्होने भी इसकी लम्बाई चौड़ाई देख कर कह दिया है कि इतनी छोटी जगह के लिये हम नहीं भेज सकते हैं। हालत यह हो गयी है कि नगर परिषद् ने तीन-तीन बार कोटेशन दे दिये हैं, परन्तु कोई कोटेशन देने को तयार नहीं है। 75 हजार का कोटेशन देने की बात चल रही थी परन्तु कोई कोटेशन देने को तैयार नहीं है। पुण्य सलील कर्मण्यवती नदी पूरी की पूरी जलकुम्भी में डूबी हुयी पड़ी है इसलिये राज्य सरकार को तुरन्त इस जलकुम्भी को हटाना चाहिये और छोटे तालाबों की समुचित व्यवस्था करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य कोटा मे आने वाले श्री चतुर्वेदी जी और जोशी जी ने बताया तो मैंने स्वयं ने अपने स्टेटमेंट में यह नहीं कहा है कि मलेरिया नहीं है। वहां पर 7714 करीब है जो कि करीब-करीब 7 प्रतिशत आता है वहां मलेरिया फैल रहा है, इसमें शक नहीं है। मलेरिया को चैक करने के लिये हो रही सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था है। जो व्यवस्था की गयी है वह सारी बतायी कि कितने केन्द्र खुले है, कितने सेंटर हैं, जहां सलाइड ली जाती है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ग्रौर ज्योंही पता पड़ता है कि मलेरिया है उसकी रोकथाम की व्यवस्था की जाती है। इसको रोकने के लिये जिस मशीन का ग्रापने जिक्र किया टोप मशीन का, कि जहां-जहां पर मच्छर पैदा होते हैं, उन मच्छरों को रोकने के लिए यह मशीन है, जो धुंग्रा छोड़ती है, जिसके कारण मलेरिया के मच्छर नहीं फैलते हैं ग्रौर खतम हो जाते हैं, इसको भी डालने की व्यवस्था की जा रही है। कोटा शहर के लिए, इसके ग्रलावा स्पेशल व्यवस्था जो सारे शहर के लिए हो रही है। जो दूसरी जगह काम नहीं करते हैं केवल कोटा शहर के लिये ही काम करते हैं। जिन मच्छरों का ग्रापने जिक्र किया, क्यूलेक्स मच्छरों का, तो ये मलेरिया के मच्छर नहीं होते हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मन्त्री रह चुके हैं इस विभाग के, ये जानते हैं कि एनोफीलेस मच्छर होते हैं, जो मलेरिया फैलाते हैं। इनको रोकने के लिये डी. डी. टी. वगैरह का छिड़काव किया जा रहा है। क्यूलेक्स मलेरिया के मच्छर नहीं हैं। हो सकता है इनसे दूसरी बीमारी होती हो, मैं नहीं कह सकता हूं कि कौनसी बीमारी होती है, लेकिन मलेरिया नहीं होती है। लेकिन मच्छर कोई भी हो इसको रोकने का उपाय होना चाहिये। यह बात ग्रापकी ठीक है कि मच्छर होने ही नहीं चाहिये चाहे वह कोई से ही क्यों न हों। इसके लिये उपाय किये जा रहे हैं। जो खास दिक्कत है ग्रौर जिसके लिये ग्राप भी चिन्तित हैं वह है जलकुम्भी। तो स्वास्थ्य विभाग इसके लिये चिन्तित है। राज्य सरकार चिन्तित है। वहां पर जलकुम्भी फैल गयी है जिसकी वजह से ही मच्छरों पर कन्ट्रोल करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसके लिये सिंचाई विभाग प्रयत्न कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग उसको कॉपरेट कर रहा है ग्रौर नगर परिषद् ग्रौर स्वायत्त शासन विभाग की भी मदद मिल रही है। इसमें जन सहयोग की भी ग्रावश्यकता है। यह ऐसी बीमारी है जो ग्रासानी से दूर नहीं हो सकती है, ज्यों इसको हटाते हैं त्यों ही यह बढ़ती जाती है। हम भी इसको भुगत चुके हैं। उदयपुर के ग्रन्दर पिछौला में यह फैली थी ग्रौर सारे के सारे तालाब पर फैल चुकी थी ग्रौर कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा था तो वहां पर सब लोगों ने मिल कर कुछ सरकारी प्रयासों के माध्यम से इसको ठीक किया, वहां पर मैन पावर लेबर ने उसको उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि जलकुम्भी कोई केमिकल से ठीक हो जायगी, तो वह तो नहीं कर पायेंगे कोई इसका ग्रागे जाकर क्या रिएक्शन होगा, हम नहीं कह सकते है। इसलिये उसके लिये जन सहयोग की ग्रापसे ग्रपील करता हूं कि वह मिले। ग्रापने कहा कि कोग्रार्डिनेशन नहीं हो रहा है तो मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी बात नहीं ग्रायी है कि स्वास्थ्य विभाग ग्रौर जिला प्रशासन ग्रौर वहां के नगर परिषद् प्रशासक में ग्रापस में समन्वय नहीं हैं, तो मैं इस बात को देखूंगा। जहां तक तालाब की बात है, जहां कि मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो बीमारी की दृष्टि से, मलेरिया की दृष्टि से, वे ऐसे मच्छर नहीं है। तो भी इस दृष्टि से जो भी करने की बात है सरकार ग्रवश्य करेगी। जिन तालाबों का जिक्र किया है,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

छोटे—बड़े तालाब हैं और एक तालाब का जो जिक्र आपने किया, मैंने कहा मलेरिया के मच्छर पैदा नहीं होते, उनको किस प्रकार से रोका जाय, इसके लिए उपाय किये जाने चाहिए। बड़े तालाबों में मच्छरों को मारने वाली जो मछलियां हैं, उनको हमने छोड़ा है और भी उपाय किये हैं। इसलिए यह नहीं माना जाय कि सरकार को चिन्ता नहीं है। आप उस क्षेत्र के हैं इसलिए आपके दिमाग में वजन ज्यादा हो सकता है, लेकिन सरकार के दिमाग पर भी वजन है, सरकार को भी इसकी चिन्ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार अपने स्तर पर, जो कुछ करना है, वह करेगी और इस तरह की घटना दुबारा न हो, इस चीज को इस तरह से लिया जाय कि यह एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, है यह सभी जगह फैल सकती है, उसको रोकने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है, केमिकल की जो बात कही है—

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आप पहले भी व्यवस्था दे चुके हैं, 12 दिन के बाद मुख्य मन्त्री जी सदन में पधारे हैं। आप आज्ञा दें तो....

(व्यवधान)

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : विरोधी पक्ष के नेता नहीं होने से हमने भी कई बार हो हल्ला मचाया था, आपने परवाह नहीं की।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

संकल्प प्रस्तुत करने की पूर्व सूचना

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया राज्य में आरक्षण विरोधी आंदोलन के सम्बन्ध में एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रोसिजर पूरा होना चाहिये। संकल्प चाहे मुख्य मन्त्री जी करें या कोई माननीय सदस्य प्रस्तुत करे, आप इसको रिलेक्स करें।

श्री अध्यक्ष : कौन से प्रोविजन का वायोलेशन हो रहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी संकल्प, मोशन हाउस में मूव किया जा सकता है, प्रायर नोटिस हो, 15 दिन पहले सूचना दी हो, सूचना हर मेम्बर को मिल गई हो, संकल्प की ग्राह्यता के बारे में आपका निर्णय हो जाय। नियम 306 के अन्तर्गत रूल को रिलेक्स करने के लिए ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से प्रस्ताव आवे, उसके बाद संकल्प प्रस्तुत हो जाय।

श्री अध्यक्ष : 106 तो मेम्बर्स अदर देन—

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने 306 कहा है।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर संकल्प प्रस्तुत हो, मैं समझता हूं माननीय सदस्यों

(श्री अध्यक्ष)

से उनकी राय ले लें, सरकार किसी भी समय....

श्री भैरोंसिह शेखावत : वक्तव्य किसी भी समय दे सकती है, संकल्प नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से वक्तव्य दिये जाने के बारे में, माननीय सदस्य को पता नहीं है ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : संकल्प नहीं...

श्री हीरालाल देवपुरा : संकल्प के बारे में ही कह रहा हूं कई बार ऐसा हुआ है, वक्तव्य दिया जाता है। और संकल्प के रूप में मोशन पारित कर दिया, वह स्थिति भी कई बार आई है, यह एक ऐसा मसला है, अध्यक्ष महोदय, जिनमें दोनों पक्ष....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरिट्स पर मत जाइये।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरिट्स पर नहीं जा रहा हूं। उसको संकल्प के रूप में पारित कर दिया जाये, इसमें आपत्ति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री यदुनाथ सिंह : प्रस्ताव कर दिया जाय रिलेक्सेशन के लिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप नियमों में शिथिलिकरण का प्रस्ताव कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 106 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

"A member other then a Minister, who wishes to move a resolution shall give fifteen clear days 'notice of his intention and shall, together with the notice, submit the text of the resolution which he wishes to move."

इसका मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, इस नियम का अभिप्राय.—इन्टेन्शन यह है कि मिनिस्टर के अलावा कोई भी माननीय सदस्य रिजोलूशन देना चाहता है तो 15 दिन का नोटिस देते हैं। 15 दिन की अवधि को अध्यक्ष महोदय कम कर सकते हैं। लेकिन मिनिस्टर के लिये नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मिनिस्टर मूव नहीं कर सकता।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह कार्य सूची में आ गया है, इसका मतलब ही यह है कि अध्यक्ष ने कन्सेन्ट दे दी है और अध्यक्ष ने कन्सेन्ट यह दी है कि मुख्य मन्त्री जी, जो इस सदन के नेता हैं,वह एक प्रकार का रिजोलूशन है इसको लाना चाहते हैं, मैं इसकी अनुमति देता हूं। उन्होंने समय निश्चित किया है, मैं समझता हूं गवर्नमेन्ट के लिए जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो इसमें कार्य सूची के अन्दर मुख्य मंत्री जी की ओर से लिखा गया है कि श्री जगन्नाथ पहाड़िया, मुख्यमन्त्री राज्य में—

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य में रिजोलूशन या संकल्प नहीं आता है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आता है वक्तव्य और संकल्प में अन्तर है। वक्तव्य पर मतदान नहीं होता, और सकल्प पर मतदान होता है, यह बहुत बड़ा डिफरेन्स है। और मतदान जिस प्रसंग में हुआ उस सम्बन्ध में प्रोसीजर फालो करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : सभी पक्षों की तैयारी के साथ आना पड़ता है।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, दरअसल रूल 106 को मिसइन्टर-प्रीट किया जा रहा है, विरोधी दल के माननीय नेता के द्वारा। रूल 106 यह कहता है कि अगर कोई सदस्य अदर देन मिनिस्टर, अगर किसी प्रकार का रिजो-लूशन मूव करना चाहता है तो उसके लिये लाजिमी है कि 15 दिन का नोटिस दे। यह प्रोविजो क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि मिनिस्टर के लिए पाबन्दी नहीं रखी गई है। ऐसी स्थिति में यह पाबन्दी 15 दिन की जो है, वह केवल मैम्बर्स के लिए है, अदर देन मिनिस्टर्स। यह पाबन्दी मिनिस्टर्स के लिए नहीं है और इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह पाबन्दी क्योंकि मिनिस्टर्स के लिए नहीं है। और यह सिचुएशन कभी भी पैदा हो सकती है एड-मिनिस्ट्रेशन के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी उचित समझे, इस सदन को विश्वास में लाना चाहता है कोई भी रिजो-लूशन लावे उसमें रूल को रिलेक्स करने की आवश्यकता नहीं उन्हें यह इन्हेरेन्ट पावर है, इसमें रिलेक्स करने की आवश्य-कता नहीं है। जिस समय सदन चल रहा हो सदन को कांफिडेन्स में लावे। इसलिए विरोधी दल के माननीय नेता ने जो रूल 106 को इन्टरप्रीट करने की कोशिश की, वह इस रूप में नहीं किया जाकर उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय, कि ट्रेजरी बैंचेज को इन्हेरेन्ट पावर हैं, इस सदन को कांफिडेन्स में लाने के।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने तर्क दिया है, उसके आगे आप देखेंगे रूल 108 " Subject matter of resolution-" उसके तहत में निवेदन करूंगा इसमें यह पाबन्दी है कि "Subject to the provisions of these rules, a member or a Minister may move a resolution relating to a matter of general public interest"

जो रूल्स एप्लीकेबल है उसके मातहत ही move कर सकते हैं, उनको बाईपास नहीं कर सकते।

'**श्री हरिदेव जोशी** : It is very clear.

भंवरलाल शर्मा :

Let me complete, Sir. यदि आप समझ गये हों तो ठीक है नहीं समझे हों तो मुझे कह दें। मेरा निवेदन है कि सब्जेक्ट टु दी प्रोविजन्स आफ दी रूलस तो रूल 108 कहता है कि अगर मंत्री महोदय भी कोई प्रस्ताव रखते हैं तो रूल्स का पालन तो करना ही पड़ेगा....

श्री अध्यक्ष : कौनसा रूल ?

श्री हरिदेव जोशी : It is Subject to rule 106.

श्री अध्यक्ष : रूल बतायें जिसके तहत मिनिस्टर कोई मोशन प्रस्तुत नहीं कर सकता हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपका ध्यान रूल 119 की ओर आकर्षित करता हूं। मैंने रूल 106 का रेफ़रेंस ही नहीं दिया है मैंने रूल 306 रेफर किया। इसलिए रेफर किया है कि उसमें रूल्स के शिथिलीकरण की व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि सदन में नियमों की व्यवस्था के अनुसार संकल्प को, चाहे किसी भी प्रकार का वक्तव्य हो, आपकी अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। ये संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सदन में कोई भी संकल्प मशीन के जरिए आ सकता है कि मैं इस मामले में एक पर्टीकूलर मोशन मूव करना चाहता हूं। उस मोशन की परिभाषा रूल 119 में दी हुई है—

"119 Discussion on a matter afpublicinterest,-Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion of a matter of general public interest shall take place except on a motionmade with the consent of the Speaker"

इसके बाद rule 120. "Notice of motion."

Then rule 122.

Speaker to decide admissibility of motion The Speaker Shall decide whether a motion or a part thereofis or is not admissible under these rules and may disallow any motion or a part there of when in his opinion it is an abuse of the right of moving a motion or is calculated to obstruct or prejdicially afftect the procedure of the House or is in contravention of these rules."

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस संकल्प को रिजोलूशन के रूप में लें और माननीय सदस्य भोपालगढ़ से आने वाले ने कहा है कि मिनिस्टर की आवश्यकता नहीं तो मिनिस्टर के बारेमें कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मिनिस्टर जिस समय चाहे रिजोलूशन मूव कर दें। इसमें कहीं नहीं है जल्दी में हूं इसलिए मै पहले भी रूलिंग्स हो गई हैं वह पटिकूलर पेज नम्बर तो मैं कोट नहीं कर सकता। इस सदन में दो तीन बार इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है जब सदन में किसी ने अवरोध उत्पन्न किया हमें और अध्यक्ष ने मार्शल या किसी प्रकार से बाहर जाने के लिए कहा हो, माननीय सदस्य बाहर गये और जिस समय मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मन्त्री थे उस समय दो तीन प्रस्ताव आये हैं कि रूल्स का शिथिलीकरण किया जाय, वह भी एक मोशन के रूप में कि अमुक नियम को, जो संकल्प या मोशन मूव करने के लिए, जिस प्रकार की भी परिस्थिति है, जिसके कारण इसे उस समय तत्काल नहीं लिया जा सकता, उसका शिथिलीकरण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया जाय ताकि मोशन सदन में प्रस्तुत कर सकें। अब वह सरकारी मोशन्स थे कि अमुक सदस्य को 10 दिन के लिए बाहर निष्कासित किया जाय, यह सदन में चर्चा हुई उसके बाद निर्णय हुआ। इन नियमों के अन्दर कहीं इस बात की व्यवस्था नहीं है कि मर्जी आए मिनिस्टर संकल्प प्रस्तुत कर दे। मैंने जैसा निवेदन किया, संकल्प और वक्तव्य में बेसिक डिफरेंस है कि संकल्प पर वोट होता है और जिस प्रश्न पर आप वोट लेना चाहते हैं उसमें अननोटिस्ड सदन को विश्वास में नहीं ले सकते। यह सदन का प्रिविलेज है कि आप कोई भी संकल्प प्रस्तुत करें उसकी इन एडवांस हमें जानकारी रहनी चाहिये ताकि वोट करवाना चाहें तो सदस्यों को सूचना दें सदन में चर्चा हो, यह जो सदन का प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज को बिना कास्ट पर माफ नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर मोशन को रिजोल्यूशन को आज मूव करने में हमें कोई आपत्ति नहीं, आज ही मूव किया जाय। हम केवल इतना चाहते हैं कि प्रोसिजर को एडाप्ट किया जाय ताकि भविष्य के लिए गलत परम्परा न पड़े।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि आज की कार्य सूची में है कि मुख्य मन्त्री वक्तव्य देंगे। प्रस्ताव का या कोई संकल्प मुख्य मन्त्री का, इसका उल्लेख नहीं था पर क्योंकि जैसा सदन जानता है लोक सभा में इस प्रकार का संकल्प आया था और वहां पारित हुआ है। उस संदर्भ में एक बात समझता हूं कि सरकार इस प्रकार का रिजोल्यूशन लाना चाहती है और जब रिजोल्यूशन लाना चाहती है तो वक्तव्य नहीं है और वक्तव्य नहीं है तो रिजोल्यूशन डीनोवो तरीके से आ रहा है और फ्रेश आ रहा है तो आपका जो अधिकार रूल 306 के नीचे है उसको सस्पेंड करके रिजोल्यूशन लाने की आप सरकार को अनुमति दें।

श्री अहमद बक्श सिंधी : विरोधी पक्ष के लीडर ने रूल 119 का हवाला दिया है यह हवाला बिलकुल गलत है, इस पर अप्लाई नहीं होता। यह मामला

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई कानून बताओ जिसमें अप्लाई होता है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं बताऊंगा कि कौनसा रूल लागू होता है यह रूल लागू नहीं है Discussion on a matter of public interest It is not a discussion at present. It is moving of a resolution.

संकल्प रिजोल्यूशन को कहते हैं। संकल्प और रिजोल्यूशन में यदि फर्क समझते हैं तो वह गलती है। वह एक ही चीज है। यह जो रूल 106 को भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इंटरप्रीट किया है, उससे मैं बिलकुल सहमत हूं और रूल 108 बिल्कुल साफ हो जाता है।

"Subject to the provisions of these rules a member or a Minister may move a resolution relating to a matter of general public interest."

वह है जब आपने सूची में दाखिल कर

(श्री महमद बक्श सिंधी)

लिया, सूची दे दी है तो फिर यह सवाल पैदा नहीं हो सकता कि संकल्प नहीं लिये जा सकते। Chief minister is within his rights to move the Resolution.

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इसको और स्पष्ट करना चाहूंगी। रूल 112 के तहत जो संकल्प है उसमें माननीय सदस्यों को अधिकार यह भी है कि वे संशोधन प्रस्तुत कर सकें। इसी परिभाषा में, संकल्प और संशोधन हो उसके टाइम को देख कर तब संकल्प प्रस्तुत किया जाय और पिछले दिनों संकल्प आए हैं, संशोधन मूव किये गये हैं, जिन पर माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं इसको भी आप देखें रूल 112 के तहत संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं इसलिए इतना होना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि सरकार की ओर से आरक्षण विरोधी आन्दोलन पर संकल्प आ रहा है यह तत्काल और एट वंन्स आया है और उसमें विपक्ष को अथवा किसी माननीय सदस्य को जो संशोधन प्रस्तुत करना चाहे या सदन में मत कराना चाहे तो उनको पूरा अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए इस संकल्प को अभी नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि संकल्प अभी लिया जाय लेकिन नियमों के अनुसार लिया जाय, नियमों का शिथिलीकरण किया जाय ताकि वह ले लें। मैंने इसका विरोध नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : तो फिर नियमों का शिथिलीकरण आसन कर सकता है, मैं उसी समय कर देता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपसे ही रिकवेस्ट की थी।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि 4-5 दिन से यह मामला विचाराधीन है। सरकार ने आज से 4-5 दिन पूर्व ही मुझे यह सूचित किया कि आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है, उस सम्बन्ध में सरकार एक वक्तव्य देना चाहती है।

उसके बाद 19 तारीख को विपक्ष के नेता महोदय ने एक संकल्प प्रस्तुत किया और सदन से निवेदन किया कि नियमों का शिथिलीकरण करके, इस संकल्प को आज ही लिया जाय। सरकार की तरफ से मुझे यह बताया गया कि सरकार की तरफसे एक वक्तव्य देना चाहते हैं अगले सोमवार को। उस वक्त मैंने यह व्यवस्था दी थी कि जब सोमवार को सरकार खुद इस प्रश्न को सदन में ला रही है तो इस संकल्प पर भी उस समय विचार करेंगे। उसके पश्चात आज सुबह मुझे सरकार ने यह सूचित किया था कि सरकार इस सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत करना चाहती है। तो मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं से बातचीत की और इस सम्बन्ध में मैंने एक बैठक भी आयोजित की। उस बैठक में यह तय किया गया कि सरकार की ओर से जब संकल्प ही आ रहा है तो यह स्वागत योग्य है और

(श्री अध्यक्ष)

सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को सदन में पारित करने की कोशिश करेंगे। जहां तक तत्काल किसी प्रस्ताव का सम्बन्ध है जब कोई संकल्प सदन में आता है तो सदन के समक्ष उसको तत्काल नहीं लाया जाता है आम तौर पर उसमें संशोधन प्रस्ताव भी आते हैं और संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भी किये जा सकते हैं। इसके अलावा उस पर वाद विवाद भी होता है लेकिन इस प्रश्न को सदन के अन्दर किसी न किसी रूप में यहां पर लाया गया था। प्रश्न यह है कि विपक्ष के नेता महोदय ने संकल्प प्रस्तुत किया था उस पर सरकार का वक्तव्य आने वाला था उसके लिये बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार की ऐसी मन्शा है कि सरकार की ओर से संकल्प लाया जाय और उसमें जैसा कि तत्काल प्रश्न नहीं आना चाहिए यह बात तो सही है, जब सरकार संकल्प लाना चाहती है और वक्तव्य देना चाहती है इन दो बातों में फर्क होता है जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया यदि इस विषय में अगर कोई नियमों में बाधा आती है तो वह बाधा इस हद तक मैं रिलेक्स करता हूं और अब मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो मेरा जो प्रस्ताव मूव किया था उसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमने तो नियमों में शिथिलीकरण करने की बात कही थी। मैं आपको रूल 306 पढ़ कर सुनाता हूं। इसमें है,

"Any member may, with the consent of tne Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House, and if the motion is carried, the rule inquestion shall be suspended for the time being."

अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे आप कि आपके पावर में इस रूल को रिलेक्स करने की नहीं है इसको रिलेक्स करने की पावर सदन को है।

श्री अध्यक्ष : तो मैं इसको मूव कर देता हूं हाउस में।

प्रश्न यह है कि यह संकल्प जो कि कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले इसको मूव तो कराईये।

श्री अध्यक्ष : आप का ही मोशन है उसको मूव मान लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रस्तावक ने प्रस्ताव को मूव नहीं किया है।

नियम का शिथिलीकरण

संकल्प की सूचना सम्बन्धित नियम 106 का शिथिलीकरण

श्री हीरालाल देवपुरा (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के

(श्री हीरालाल देवपुरा)
नियम 306 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी जो सदन में आरक्षण के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें नियमों में छूट दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन में आरक्षण के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत किया जाना है उसके लिए नियमों में छूट दी जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री महाराम : इसमें क्या बात थी कान को इस तरह पकड़ो चाहे उस तरफ से पकड़ो।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रस्ताव रखा उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं उसको इसी के साथ ले लेता हूं और इसी के साथ उसकी भी चर्चा हो जायगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रस्ताव रखा था उस पर आपको पहले व्यवस्था देनी चाहिये थी प्रक्रिया के अनुसार और उसके बाद में जो दूसरा प्रस्ताव आया है उस पर आपको व्यवस्था देनी चाहिये थी।

एक माननीय सदस्य : हाउस एक है।

शासकीय संकल्प

आरक्षण की संविधान सम्मत राष्ट्रीय नीति के प्रति प्रतिबद्धता

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : श्रीमन्, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन आरक्षण की संविधान सम्मत राष्ट्रीय नीति के प्रति अपनी सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराता है तथा राजस्थान की जनता से अपील करता हूं कि आरक्षण विरोधी किसी आन्दोलन में भाग नहीं लें।" श्रीमन्, जैसा कि हम सभी मानते है और हमारे राष्ट्र के लिए यह आवश्यक भी है कि सभी अंगों का विकास हो। श्रीमन्, सामाजिक त्रुटियों के कारण कुछ वर्ग विशेष आर्थिक और सामाजिक एवं दूसरी बुराइयों के कारण वह लोग शासन के शिकार हुए। इस कारण से कुछ जाति के लोग समाज में बहुत ही पिछड़े रह गये। इस समस्या के निवारण हेतु हमारे महापुरुषों में खास तौर से महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान हेतु मार्ग-दर्शन किया। और उन्हीं के आदर्शों के अनुरूप समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बहुमुखी विकास की महत्वपूर्णता की ओर विशेष रूप से ध्यान रखा गया और संविधान के आरक्षण को प्रारम्भ किया गया। आरक्षण के लिए मूल उद्देश्य यह है कि जो वर्ग पिछड़ गये हैं उनको कुछ हद तक सहायता दी जाय ताकि उनका भी विकास हो सके। इसलिए आरक्षि।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

वर्ग के अतिरिक्त भी और भी लोग हैं जिनके बहुमुखी विकास के लिए योजनायें चलायी गयी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज उन वर्गों के लोग अधिकांश गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान किया जावे। इस कारण आरक्षण की नीति को जारी रखा जाय। श्रीमन्, यह एक अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि संविधान के इस आरक्षण के प्रावधान के विरुद्ध ही गुजरात में आन्दोलन शुरू किया गया इसका असर राजस्थान के भी कुछ भागों पर पड़ा है। चूंकि वर्तमान में गुजरात के आन्दोलनकारी प्रधान मन्त्री जी से मिल रहे हैं ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं होगा कि इस सम्बन्ध में कुछ विस्तार से चर्चा की जावे। राजस्थान राज्य को निम्न वर्गों के बीच अच्छे सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं एवं अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था हमेशा अधिक सुचारू रूप से चली आ रही है। पिछले कुछ दिनों में आरक्षण की नीति को लेकर कुछ असमाजिक तत्वों ने भेदभाव पूर्ण नीति के तत्व उठाये हैं। और इस प्रकार उन राज्यों में आन्दोलन की परिस्थितियां शुरू हुई यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है और इस प्रकार के विषय को अगर बढ़ावा दिया गया तो सामाजिक तालमेल व सुरक्षा, सौजन्यता एवं दुर्व्यवहार हमेशा के लिए तहस नहस हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे प्रश्नों मे और आन्दोलन को पूरी तरह से निपटा जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, की सबसे बड़ी सन्तोष की बात यह है कि आरक्षण की नीति का सभी विरोधी दलों ने एक स्वर से समर्थन किया है। अभी हाल ही में लोक सभा ने एक प्रस्ताव पास कर आन्दोलनकारियों से यह अपील की है कि वे अपना आन्दोलन समाप्त कर ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे बातचीत के द्वारा समस्या का निराकरण किया जा सके। लोकसभा के इस प्रस्ताव को सभी राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है और इसका आम जनता द्वारा भी स्वागत किया गया है। आरक्षण की नीति एक राष्ट्रीय नीति है और संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत ही इसको क्रियान्वित किया जाता है अतः गुजरात व अन्य क्षेत्रों में हो रहा आरक्षण विरोधी आन्दोलन राष्ट्रीय एकता की इस नीति पर कुठाराघात करता है। मुझे यह प्रसन्नता है कि सदन के सभी राजनैतिक दल इससे सहमत हैं और मुझे विश्वास है कि संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है उसको पूरा करने में न केवल वह सहयोग देंगे बल्कि वह उसकी अगुवाई भी करेंगे। मैं सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित कर जनता से विशेषकर आन्दोलनकारियों से अपील की जाय कि वे अपने आन्दोलन को समाप्त कर दें और पुनः ऐसा वातावरण बनाये कि जिससे राष्ट्रीय एकता पर किसी प्रकार की आंच नहीं आये और किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं बढ़े। श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्य बातों के अन्दर न जाकर इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सदन में संकल्प प्रस्तुत किया है उसका तो समर्थन करता हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में दो बार आरक्षण के विरोध में आन्दोलन चले है। आरक्षण के विरोध में आन्दोलन इस बार गुजरात से प्रारम्भ हुआ है। और इस कारण पड़ोसी प्रदेश होने के कारण इसके पड़ोसी जिले जो है उसमें भी यह आन्दोलन भड़क गया। यह आन्दोलन किस समस्या को लेकर खड़ा हुआ और किस कारण यह आन्दोलन उत्पन्न हुआ उसके लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश में जिस प्रकार गरीबी बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के लिये उनकी रोजी रोटी की समस्या हर जगह उत्पन्न हो गई है और अपनी इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें किसी रूप से अपनी समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है और उस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिये हमारे देश के लोकतन्त्र के अन्दर जिस प्रकार के अधिकार हैं उन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए वह अपनी मांगों को पुरजोर शब्दों में रखने की चेष्टा करते हैं।

गुजरात में जो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई वह मेरिट के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई है कि मेरिट के आधार पर जिन लोगों का चयन होता है उसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। स्वयं प्रधान मन्त्री जी ने इस प्रकार के शब्दों में तो नहीं, लेकिन इस स्थिति को यह कह कर स्पष्ट किया है कि मेरिट की कास्ट के ऊपर, आरक्षण से आने वाले स्थानों पर कुछ चिन्तन करने की आवश्यकता है, वह चिन्तन चल रहा है। उस चिन्तन का क्या परिणाम होगा मैं इस ओर नहीं जाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जातीय आधार पर आरक्षण अन्य कहीं हैं या नहीं लेकिन, अपने देश में इसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता इस कारण से है कि अपने यहां पर जिस प्रकार से सारे समाज में जातियों का बंटवारा हुआ, हमने कुछ जातियों में, जन्म लेने के कारण पिछड़ा हुआ माना और पिछड़ा हुआ माना है जो पीछे रहते हैं। आज हम लोकतन्त्र की बात करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों के सामने रोटी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो, शासन की किस प्रकार की व्यवस्था है, उसकी उन्हें ज्यादा चिंता नहीं है। चिंता उसी व्यक्ति को होगी जो व्यक्ति उस शासन व्यवस्था के अन्दर रोटी का प्रबन्ध कर पाये। आज हिन्दुस्तान में बहुमत गरीबों का है, गरीब संगठित नहीं है, यह बात सही है। इसलिए गरीब यह समझता है कि हमें किसी न किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था के अन्दर चलना चाहिए कि जिस व्यवस्था से हमें रोटी मिल जाय। यही समस्या बेकारी की है। आज संघर्ष चल रहा है, जाब अपार्चुनिटी का—मैं उस सारे आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन, यदि हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रायवेट सैक्टर को छोड़ दें और टोटल जाब अपार्चुनिटीज को साथ लेकर चलें, तो आरक्षण का प्रश्न केवल 0.5 इन अपार्चु-निटीज पर लागू होता है और सारी अपार्चुनिटीज हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं। वह 0.5 जो अपार्चुनिटी है उस 0.5 अपार्चुनिटी में आरक्षण रह रहा है उसका विरोध चल रहा है।

अब यह विरोध कोई आज से चल रहा हो ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यों-ज्यों लोग अधिक सर्विस में जाना चाहते हैं और उसमें उनको स्थान नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आकर लोग इस प्रकार का चिन्तन शुरू करते हैं और संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। यह मैं कह सकता हूं कि पिछले 30 वर्षों में जिन संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि हम दस वर्षों का रिजर्वेशन रख कर गरीबों का उत्थान कर पायेंगे, गरीबी मिटा पायेंगे या समाज के अन्दर जातियों के आधार पर जिस प्रकार का भेदभाव बना हुआ है उसको मिटा पायेंगे तो न हम दस वर्षों में इसे पूरा कर पाये। उसके बाद में फिर दस वर्ष का एक्सटेन्शन हुआ न उसमें कर पाये। आगे फिर एक्स-टेन्शन हुआ और सही बात तो यह है कि हम अभी तक भी उस बात को नहीं कर पाये हैं। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, जो पीछे है उस वर्ग को हमें बराबर में लाने के लिए जो भी व्यवस्था है उसको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों में जो हार्ट बर्निंग चलती जा रही है कि एक को आरक्षण के कारण और कम मेरिट होते हुए भी जो मेरे से, मेरिट ज्यादा है उसके मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है तो मेरिट का तो ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आज कोई कह दे पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वह स्टेट की हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो उसमें केवल मेरिट के आधार पर सलेक्शन हो रहा है, टेक्निकली वह मेरिट के आधार पर सलेक्शन हो रहा होगा, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं तो कई ऐसे क्वालीफाइड आदमी जिनसे बात करें तो उनकी इन्टेलीजेन्स में कोई कमी नहीं, जीनियस, पैलरेड सब तरह से योग्य लोग सलेक्शन में जाते हैं तो योग्य आदमी पीछे रह जाते हैं।

राजस्थान में, कह सकता हूं कि पी. एम. टी. के अन्दर सलेक्शन होता है। कई फर्स्ट क्लास स्टूडेन्ट्स पास नहीं होते हैं और थर्ड क्लास स्टूडेन्ट्स निकल जाते हैं। तो जो यह सारे मेरिट का सलेक्शन है यह इतना सब्जेक्टिव हो गया है कि किसी प्रकार का मापदण्ड इसके लिए निर्धारित करना सम्भव नहीं है लेकिन जिनका सलेक्शन हो जाता है और उस सलेक्शन के बाद में, रिजर्वेशन के कारण से, उसको स्थान नहीं मिल पाता है तो उसको जलन होती है। मैं ऐसा समझता हूं कि मेरिट के सलेक्शन को भी किसी आधार पर लेकर चलेंगे कि कोई सलेक्शन में आ गया वह बहुत ज्यादा मेरीटोरियस है टेक्निकली कहते हैं कि उसका सलेक्शन हो गया, लेकिन आज मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी और मन्त्रिमण्डल के अन्य साथी यह जानते हैं कि जब कांफिडेन्शियल रिपोर्ट

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

लि ी जाती है तो उसमें भी यह सवाल खडा होता है। जब प्रमोशन कांफिडेन्शियल रिपोर्ट के आधार पर चलता है तो कई बार इस सदन में और लोक सभा में भी चर्चा हुई है कि कांफिडेन्शियल रिपोर्ट किस प्रकार से और किस आधार पर लिखी जाय। इसका भी हमारा कोई आधार नहीं है। तो जब मेरिट का प्रश्न आता है तो उसमें कई बार लोगों में जलन पैदा होती है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को सावधान कर देना चाहता हूं — उन लोगों से नहीं कि जो लोग मेरिट के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन, मैं उन जातियों के विशिष्ट वर्गों के नाम पर आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस रिजर्वेशन का लाभ भी कुछ जातियों ने ही उठाया है। राजस्थान में 56 जातियां हैं और 56 जातियों में हम अनुमान लगाकर चलें कि कितने लोग, इन लोगों में से आई. ए. एस., आई. पी. एस. या आर. ए. एस. में आये हैं। उनमें भी कुछ विशेष जातियों के लोग ही आई. ए. एस या आई. पी. एस. में आये हैं। बाकी के बिलकुल गरीब तबके के हैं जिनके लिए रिजर्वेशन है, जिनके लिए कान्स्टीट्यूशन में प्रोविजन है, जिनके लिए हमने प्रतिशत के आधार पर आरक्षण कर रखा है वह लोग नहीं आते हैं। आज भंगियों में नहीं है; आज मोचियों में नहीं है; आज नायकों में नहीं है। इस प्रकार की कई जातियां हैं, जिन जातियों में प्रतिशत के आधार पर लोगों का सलेक्शन नहीं होता। तो कोई यह समझे कि आरक्षण से जितनी जातियों के लोग आरक्षण में आये हैं उनको स्थान मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए चेतावनी देता हूं कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिस व्यवस्था से अपर कास्ट के लोग, जिनको कहा जाता है उनको जलन है, यह तो है ही, लेकिन इस कास्ट के अन्दर जिनके लिए हमने रिजर्वेशन रखा है, उनमें जलन पैदा नहीं हो जाय, उससे भी बचने की आवश्यकता होगी। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मन्त्री से, कि संकल्प आपने प्रस्तुत किया है हम उस संकल्प के साथ हैं लेकिन कुछ हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में भी, जो गरीब हैं उनको, किसी न किसी प्रकार से सहायता मिले, हम इसके बारे में चिन्ता करें इसके बारे में किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि समाज में जो लोग पीछे हैं यदि उनको साथ में नहीं लिया····

श्री परसराम मदेरणा : अन्त्योदयी पिछड़े हुए भी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पिछड़ों में भी अन्त्योदयी है। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं तो समझा था कि श्री परसराम जी बोलेंगे। वह तो नहीं बोले, लेकिन, मुझे संकेत दिया है। इस सारी स्थिति में हमें इस प्रकार का विचार करना चाहिए।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दूसरे, मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में जालौर, फालना और पाली इन तीन जिलों में जिस प्रकार का आन्दोलन चल रहा है इस आन्दोलन को सरकार कहीं भड़का नहीं दे और सरकार कैसे भड़कायेगी। मुख्य मन्त्री जी की नीयत भड़काने की नहीं है, मन्त्रि-मण्डल की नीयत भड़काने की नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन जिस प्रकार से वहां लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है, डंडे के बल पर दबाने की कोशिश की जा रही है–मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि आन्दोलन चले या नहीं चले, लेकिन डंडे के बल पर यदि दबाने की कोशिश की गयी, लोगों के साथ ज्यादती की गयी तो अपने आप आन्दोलन भड़कने की स्थिति में आ गा। इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग जिला प्रशासन को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं, उनसे कहें कि नर्मी का व्यवहार करें और तर्कसगत व्यवहार करके कनविन्स करने की कोशिश करें बजाय इसके कि डंडे चलायें। औरतों की और बच्चों की पिटाई करके इस आन्दोलन को दबाने की कोशिश करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आन्दोलन नहीं हो, हमारा सहयोग सदा आपके साथ है लेकिन सब मिलकर ऐसा वातावरण बनायें कि राजस्थान में आन्दोलन नहीं चल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प मुख्य मन्त्री जी ने रखा है और जिसका समर्थन माननीय भैरोंसिह जी ने किया है, उसी का समर्थन करने मैं खड़ा हुआ हूं। अभी इसके बारे में माननीय भैरोंसिह जी ने एक बात कही कि लोगों में आक्रोश और जो भावना पैदा होती है कि क्वालीफाइड आदमी रह जाता है और डिस्क्वालीफाइड आदमी या कम मेरिट वाला आदमी चुना जाता है। लेकिन, श्री भैरोंसिह जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उस आदमी को जो नीचे तबके से आया है, जो छोटे हैं जो गांवों में रहते हैं उनको अवसर और अपार्चुनिटी मिले, अगर वह पब्लिक स्कूल में जाने काबिल होता है तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस लिए मेरा निवेदन यह है कि आज गवर्नमेंट को यह रिजोल्यूशन इस हाउस में लाना पड़ा है। जब तक शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक कुछ होना नहीं है। आरक्षण के विरोध में जिन लोगों से जलूस निकलवाये जा सकते हैं, उनको भड़काया जा सकता है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मान लीजिये आरक्षण खतम भी कर दिया जाय तो जिन लोगों को आंदोलन करने के लिए भड़काया जा रहा है उनको नौकरियां फिर भी नहीं मिलने वालीं। सेठ और साहूकार के पढ़े लिखे लोग ही नौकरियों पर जायेंगे। डिस्पेरिटी तो समाज में रहती है। यह कहना कि क्वालीफाइड आदमी इसलिए रह जाते हैं मैरिट्स के ऊपर नहीं किया जाता, तो उस से ज्यादा

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

क्वालीफाइड आदमी होते हैं, उनको भी लिया जाता है। यह रही शिक्षा की बात। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद कुछ वर्ग ही इस का फायदा उठा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक संशोधन पेश करना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि गरीब तबके से आगे बढ़ते बढ़ते इन्कम टैक्स पेयर्स में आ गये। आरक्षण की जो फैसेलिटीज मिलती हैं, जितने भी इन्कम टैक्स देते हैं उनको जो आरक्षण की फैसेलिटीज मिलती है' वह समाप्त की जानी चाहिये ताकि दूसरा जो पिछड़ा वर्ग है, उनको आरक्षण का लाभ मिल सके और आरक्षण विरोधी किसी तरह का आंदोलन न हो पाये।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल मोदी (प्रगतिशील दल)।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने जो संकल्प पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे तत्व जो इस आरक्षण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उन तत्वों से शक्ति से निपटना चाहिए। माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि उनसे सख्ती से न निपटा जाये। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसमें वे लोग हैं जो स्वार्थ की भावना लेकर चलते हैं। उनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है कि आरक्षण बन्द हो या आरक्षण चालू रहे उनको सिर्फ एक यह मतलब है, किसी तरह से झगड़ा रहे और वे गांव में लूटमार करके गुण्डा गर्दी चलायें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नीम का थाना में आरक्षण के विरोध में आंदोलन हुआ, गाड़ियां लूटी गई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, लोगों को परेशान किया, दुकानदारों को लूटा, आखिर नतीजा यह हुआ कि पुलिस को सख्ती करनी पड़ी और फायरिंग हुई और उस फायरिंग से निर्दोष लोग मारे गये जो वहां खड़े थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण के मामले में मेरा दिल पूरी तरह से आपके साथ है और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप सख्ती से हैण्डल करें और किसी तरह की ढिलाई न करें। उनको अच्छी तरह से समझा दें आखिर इसके विरोध में क्यों है। जो आन्दोलन करने के लिए भड़काते हैं उनका साथ नहीं दें। इसके अन्दर आपका जो प्रशासन है सजग रहे, लोगों को मिले और ऐसे तत्वों की जांच करे और समय रहते इस पर नियंत्रण करे, यही निवेदन करता हुआ इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमन्त्री जी ने जो संकल्प इस सदन में रखा है उसके बारे में मेरे दल की ओर से पूरा समर्थन करता हुआ एक दो बातें कहना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि सदियों से पिछड़े लोगों को हमारे संविधान में अधिकार दिये गये हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिए, वह पूरी तरह से नहीं मिल

(श्री मोहनलाल मोदी)

पाती हैं । 34 साल के बाद में भी हरएक डिपाटमेंट में जहां भर्ती होती है वहां 28 प्रतिशत इनकी भी की जानी चाहिए । अगर आंकड़े उठाकर देखें तो वह नहीं है। वहां टुकड़ों में भर्ती इस प्रकार से की जाती है जिससे वह आरक्षण की परिभाषा में नहीं आ सकती । इसलिए 34 साल के बाद भी किसी भी डिपाटमेंट को देख लें जितनी संख्या उनकी होनी चाहिये वह नहीं मिलती है । आज म्यूनिसिपैलिटी में जितने सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी चतुर्थ श्रेणी में लिया जाये तो भी उनकी संख्या इतनी नहीं होती है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है । आज भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं चाहे इधर बैठने वाले सरकार में हों, चाहे उधर बैठने वाले, आरक्षण का मामला जिस गति से हाथ में लेना चाहिये था, उसको गति नहीं मिली है । अध्यक्ष महोदय, जिस वर्ग को मैं जानता हूं, ट्राइब के इलाके से आ रहा हूं, वहां वास्तव में यह बात है कि लोगों को आज तक भी मालूम नहीं है कि उनके लिए शिक्षा की सुविधा है, उनके लिए छात्रावास है । कुछ लोग जो समझदार हैं उसका फायदा उठाते हैं, काफी लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और आज भी आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहे है । जो साम्प्रदायिक भावना रखने वाले हैं वे लोक इसके पीछे हैं । वे इस आन्दोलन को भड़का रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आज भी जब तक पिछड़ा हुआ तबका समाज के समक्ष नहीं आता है तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार सख्ती से काम ले आज भी जो लोग अपने इलाके में घोड़ी पर निकल नहीं सकते, हरिजन और दूसरी शादी के लिए घोड़ी पर बैठकर निकल नहीं सकते । अध्यक्ष महोदय, मै चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हैं, सदन के तमाम लोग मेरी इस बात के विरोध में नहीं होंगे कि उनके साथ आज भी अन्याय किया जा रहा है, छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है । उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिये, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय न लेता हुआ एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि आन्दोलन को डण्डे के बल से नहीं निपटाना चाहिए, यह बात ठीक नहीं है । मैं जानता हूं कि जिस तरह के तत्व आज इस आन्दोलन में भड़काने की बात कर रहे हैं, कभी लातों के भूत बातों से नहीं मानते । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए अगर सख्ती नहीं की गई तो यह आन्दोलन और भड़क सकता है । सरकार जो सकल्प लाई है उसको पहले लाना चाहिए था । हमारे उदयपुर में भी यह आन्दोलन आया, विश्वास कीजिये वहां हमारे आदमियों को भी आन्दोलन के लिए भड़का रखा था । मैं दौड़कर उदयपुर गया । मैने कहा कि हम लोगों को सीधी टक्कर में नहीं आना चाहिए । मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आरक्षण के विरोध में जो लोग हैं, जिन लोगों को भड़काया जा रहा है, ऐसे आदमियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए । अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि आरक्षण का जो कोटा है वह कोटा पूरा नहीं हो पा

(श्री मोहन लाल मोदी)

रहा है उस कोटा को पूरा किया जाय, चाहे मेडिकल में हो, चाहे इन्जीनियरिंग में हो, चाहे नौकरी में हो, उस कोटा को पूरा किया जाना चाहिए। केवल आरक्षण का नाम लेने से यह समाज आगे नहीं आ सकता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दल के साथ, जो मुख्य मन्त्री जी ने संकल्प रखा है, उसका समर्थन करता हूं और हर समय हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह

श्री त्रिलोकसिंह (कलेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प और प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने रखा है मैं मेरे दल की ओर से और मेरी तरफ से उसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि 33 साल के अर्से में, गांधी जी और उनके चेलों से, कि इस देश में न तो गरीबी मिटी है और न ही नफरत दूर हुयी है। हर आदमी से गांव में और शहर में गरीब आदमी से आज भी नफरत की जाती है और यहां तक नफरत की जाती है कि हमारा कोई मन्त्री या मुख्य मन्त्री किसी मंदिर में जायगा तो मन्दिर का देवता पीठ फेर जायगा और मन्दिर में जाने के बाद वह पुजारी उसकी पूरी सफाई करेगा। दोस्तों, यह क्या बात है? गरीब को जो कुछ मिला, उसके मैं खिलाफ नहीं, मेरी पार्टी खिलाफ नहीं, हद तहे दिल से समर्थन करते हैं। मगर देश में जो दोगली नीति है, जिसकी वजह से यह धारणा पैदा हुई है कि गरीब से नफरत करने वाला न खतम होगा और न मिटेगा। जिस देश में गायत्री और कृष्ण रहेगी उस देश में नफरत रहेगी। जिस देश में गरीब के पास रोटी-रोजी नहीं होगी उसमे लोग नफरत करेंगे। कुछ लोगों को यदि कोई सरकारी अधिकारी का दर्जा दे दे तो उसकी भी हालत नाजुक है।

तो अध्यक्ष महोदय ऐसी हालत में गरीब का उत्थान कैसे होगा यह नीति बहुत दोष पूर्ण है—जब तक इस देश में जो सोर्स आफ प्रोडक्शन हैं, उत्पादन के साधन हैं, इनसे छीने नहीं जायेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। राजनैतिक सत्ता जब तक इन लुटेरों से नहीं छीनी जायगी, तब तक गरीब का भला नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्यों से, कि क्या इस तालीम से कांग्रेस ने अपनी धरती से गरीबी को और नफरत को मिटा दिया? हिन्दुस्तान में महात्मागांधी और जवाहर लाल नेहरू ने 30 साल में गरीबों को पनपाया है लेकिन खतम नहीं किया। ठीक है, जो कुछ है, मै उसका समर्थन करूंगा, मगर मैं पूछना चाहूंगा, क्या इतना देकर गरीब का भला किया जा सकता है—राजस्थान में क्या होगा, क्या नहीं होगा वह बात छोड़ दीजिए। अगर हो तो बुरी बात है, उसको नहीं मिला है। गरीब का बच्चा होटलों में कप-प्लेट धोता है, गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है आज भी वह भीख मांगता है जो देश के लिए शर्म की बात है और उनकी जिम्मेदार यह कांग्रेस की हुकूमत है। अगर कोई इन्कलाबी सरकार होती तो इस तमाम गरीबी को और छूआछूत को जमीन दोज कर देती, इसलिए करना होगा। इसका कोई महत्वपूर्ण इलाज करना होगा। और देश के गरीबों के लिए सामन्तवाद और पूंजीवाद के खिलाफ कुछ करना होगा।

(श्री त्रिलोक सिंह)

जो सदन में आज मुख्य मन्त्री जी ने संकल्प रखा है, यह बहुत ही सराहनीय है। मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं मैं करता हूं, मेरी पार्टी की ओर से करता हूं और अपील करता हूं मेरे प्रदेश के लोगों से, कि इस तरह की गन्दी चीज को राजस्थान में पैदा नहीं होने दें। मगर पैदा होगी तो हम सब मिलकर बिना किसी आइडियोलोजी के और बिना किसी भेदभाव के मुकाबला करेंगे। अपने प्रदेश में यह चीज पैदा नहीं होने देंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह सवाल उठता है कि जो आन्दोलन चल रहा है, आरक्षण विरोधी जो आन्दोलन चल रहा है यह सिर्फ शहरों में क्यों चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : और वह भी उन शहरों में जहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोग आइ. ए. एस., आई.पी.एस. में आये नहीं हैं, उन शहरों में चल रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी: मेरा सुझाव है काफी अर्से से हिन्दुस्तान में इस पर बहस चल रही है। सबसे पहले मैं इसके लिए शिक्षा विभाग को दोषी मानूंगा। क्या गांव में ऐसी कोई व्यवस्था की है कि गरीब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सके। अभी जब शिक्षा की डिमाण्ड चली थी तब भी मैंने कहा था कि स्कूल खोल दिये गये हैं लेकिन उनमें अध्यापक नहीं हैं-छात्र हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाला नहीं है। तो मेरा मतलब है सबसे पहले इसमें सुधार कीजिये। गावों में जो शिक्षा लेना चाहता है चाहे वह किसी भी जाति का हो उसको शिक्षा मिलनी चाहिये। फिर मेरिट और डि-मेरिट का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि भगवान ने कोई फर्क नहीं किया है। जब सभी प्रकार के छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो किसी के आगे और पीछे रहने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सबसे पहले अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कीजिये। अगर सही और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी तो हर एक छात्र कम्पीटीशन, एग्जाम देकर अपने आप आगे आयेगा। उस पर तो हम सोच नहीं रहे हैं और बार बार मीटिंगस बुलाई जाती हैं, मन्च तैयार किये जाते हैं, लेकिन सही निदान के लिए कोई तैयार नहीं होता है।

मेरा निवेदन है, अगर आरक्षण विरोधी माहौल जो देश में बन रहा है और गुजरात से चालू हो रहा है-किसी और प्रान्त में चालू न हो जाय, इसका पुख्ता प्रबन्ध पहले से ही कर लेना चाहिये। बड़े दुःख की बात है कि ऐसे आन्दोलन चलाये जा रहे हैं जिससे सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं अतः मेरा मुख्य निवेदन यह है कि जब तक शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं होगा फ्री एजूकेशन की व्यवस्था नहीं होगी और जो गरीब तबके के छात्र हैं, उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का सुधार होने वाला नहीं है। हो सकता है पी. डब्ल्यू. डी. का सेक्रेट्री जो आज बना हुआ है और जो उस परिवार के आगे आने वाले सदस्य हैं वे भी आइ. ए.

(श्री देवी सिंह भाटी)

एस. आइ. पी. एस. में आयेंगे लेकिन जो गरीब का परिवार है उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है।

आज गांवों में यह स्थिति है कि गरीबों को पता नहीं है कि हमको कुछ सुविधायें दे रखी हैं, नागरिकों को उन सुविधाओं का पता तक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं इसके निदान के लिये यह चाहूंगा कि बार-बार जो ऐसे मामले उठते है, आरक्षण विरोधी जो आन्दोलन चलाये जा रहे हैं, इसकी मूल गहराई में जाना चाहिये। ऐसे आन्दोलन खड़े करना, चाहे कोई भी तबका करे किन्तु ऐसा माहौल न बने इन सबके मूल में यही बात है कि शिक्षा नीति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस प्रकार की बहस करने मे कोई फायदा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने संकल्प किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं, 33-34 साल से जो आरक्षण चलता आ रहा है उसमें भावना विशेषकर प्रस्ताव में हम करते है, आरक्षण का कोटा जरूर है, जिन लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिये, उनको अभी तक नहीं मिला है। विशेषकर उन्हीं लोगों को मिला है, जो सम्पन्न लोग हैं। किसी जाति के, चाहे अनुसूचित जनजाति के हैं या अनुसूचित जाति के हैं, जो सम्पन्न लोग हैं, जिनके पास जमीन भी है, साधन सम्पन्न हैं, उन्हीं लोगों को फायदा मिला है। इसलिए मेरा खास तौर से निवेदन यह है कि जो लोग साधन सम्पन्न है, उनके बच्चे, गरीब तबके के, असलियत में गरीब हैं, उन लोगों को फायदा मिलना चाहिये। मैं मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से इस संकल्प का समर्थन करता हू।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक एक पार्टी से एक-एक ही माननीय सदस्य बोले हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : वह सही है। कुछ मुद्दे उठे हैं। मैं बोलना भी नहीं चाहता था।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज जो मसला सदन में आया है और एक संकल्प, और सर्व सम्मति से राय इस सदन की बनी। यहां तक तो सही है लेकिन;माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मुद्दे उठाये गये हैं। उन दोनों पर मैं अपना केवल स्पष्टीकरण दे रहा हूं यह एक चिंतन, एक विवेकपूर्ण विश्लेषण, पहला तो ये उठाया गया 1949 में कान्स्टीटवेंट असेम्बली में जब इस विषय पर बहस चली, उसमें केवल इसलिए कि भई जातिगत आरक्षण देना है और जातिगत आरक्षण किसको देना है कि जो हिन्दू समाज में अछूत माने जाते हैं और केवल इसलिए कि आर्थिक आधार नहीं, जो कि सोशल लेटर था, उस सोशल लेटर में कुछ

(९५)

(श्री कैलाश मेघवाल)

जातियों की छाया तक से अस्पृश्यता बरती जाती थी। तो एक मुद्दा उस समय तय हुआ था कि आरक्षण में यह आर्थिक आधार नहीं देखा गया, मूलतः भावना देखी गयी, क्योंकि अभी एक दूसरी बात और कही गई, वह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ लोगों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक पीढ़ी तैयार.... इसका लाभ मिला।

एक माननीय सदस्य : आपको मिला गया?

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे मिला है, ये कहते हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 33 साल की ये असफलता स्वीकार कीजिये कि आज एक पीढ़ी को तैयार होने में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 साल चाहिये और 16 साल की पीढ़ी तैयार होने के बाद बच्चे इस स्थिति में आ सकते हैं। वह साईंटिफिक युग में भी आज भी आपके यहां नहीं है, टेक्नोलाजी–टेली कम्यूनिकेशन में आज भी दूसरी जो सर्विसेज हैं, वहां नहीं है। आज एक माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी कहीं कहीं कुछ दिखने लग गयी है। केवल उसकी तरफ हमारी दिशा हो जाय, कुछ ही वर्गों ने उठाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे देश में एस. सी. की, एस.टी. की जनसंख्या 17 करोड़ है। राजस्थान में एस. सी., एस. टी. की जनसंख्या एक करोड़ है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सबने एक बात स्वीकार की है कि आज 33 साल के बाद भी यह मालूम नहीं है लोगों को कि हमको ये सुविधायें मिल रही हैं, हम इस देश में जी रहे हैं इसमें केवल यह कह देना कि कुछ आर्थिक रूप से सम्पन्न हो गये दूसरी पीढ़ी, हर पीढ़ी पर एनवायरमेन्ट का असर होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोशियोलोजिकल स्टेट्स, हैरिडिटी, एनवायरमेन्ट का बहुत बड़ा असर होता है। आप पढ़ा दीजिये लेकिन पब्लिक स्कूल में जो वहां से पढ़कर आते हैं, दो प्रश्न आपके सामने मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं, इस को आप ध्यान में रखें कि जातिगत ये जातियां उठकर सोशल लेडर में खपें, इससे छुआछूत मिटे, इसमें आर्थिक आधार कहीं नहीं है। आर्थिक रूप से 25 साल पहले, जैसे हैं कोई भी हरिजन आज भी जल सकता है, हरिजन लोगों से छुआछूत आज भी बरती जाती हैं। गांवों में आज भी देखा जा सकता है दूसरे कुछ लोग माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी के दूसरी पीढ़ी आपको देख रही है; केवल उनको आधार बना कर आप यह कहना चालू कर रहे हैं, किन्तु आप इस सम्बन्ध में कदम नहीं उठा रहे यह एक विवेकपूर्ण विश्लेषण नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि बजट बढ़ाना चाहिये। 33 साल में इनके लिए जितना होना चाहिये, वह नहीं हुआ, इसलिए बजट बढ़ाइये। आपके बजट की स्थिति क्या है, मैंने एक सवाल पूछा था, आपने बताया एस. सी., एस. टी. के पढ़ने वाले बच्चों को पूरी छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। यह आपके बजट की स्थिति है। क्योंकि यह बहुत कम बजट है, यह उस समय का बजट है जब कि लाखों में एक आध व्यक्ति पढ़ता था, उसको स्कालरशिप देनी पड़ती थी, उस समय का बजट इसी आधार पर चलाया जा रहा है

(श्री कैलाश मेघवाल)

और इसमें इस विशाल जनसख्या को कुछ नहीं मिल रहा। कुछ मिले, यह विवेकपूर्ण विश्लेषण नहीं है। मेरा यही निवेदन है, इसी निवेदन के साथ मैं इस संकल्प का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री कुछ कहना चाहेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : श्रीमन्, मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सदन के सभी दलों ने क्योंकि सभी लोगों के नेताओं ने इसका समर्थन किया मैं ऐसा मानता हूं कि सारे सदन ने सर्व सम्मति से इसका समर्थन किया। इसलिए मैं नहीं चाहता, और मुद्दे हमारे सामने हैं ही नहीं, उनके बारे में चर्चा हो। विरोधी दल के नेता ने 2-3 बातें बहुत मुद्दे की कही हैं, उनमें कोई मतभेद का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि भारत में जो संरक्षण की व्यवस्था की गई थी, यह जाति पर आधारित थी। जैसा अभी मेघवाल जी ने कहा, समाज की व्यवस्था ही कुछ ऐसी चली आ रही थी, इसलिए आवश्यक हो गया था कि जो तबके सामाजिक आधार पर पिछड़ गए थे, जिनका कुछ आर्थिक आधार नहीं था, उनको कुछ सहायता मिले और इसीलिए न केवल उस समय की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के नेताओं ने, बल्कि सारे देश ने इस बात को महसूस किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कि अब समय आ गया इनको ज्यादा दिन तक पिछड़े हुए नहीं रखा जा सकता। मैं सी. पी. आई. और सी. पी. एम. के माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है और किसी भावना से नहीं लेता, मैं मानता हूं कि उनकी भावना भी इसी प्रकार की है और सवाल इस बात का पैदा होता नहीं कि सख्ती से निपटा जाय, न निपटा जाय। कुछ माननीय सदस्य कहते हैं, सख्ती से निपटें, कुछ कहते हैं, सख्ती से न निपटें। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, इस बात का कोई अभी से विचार करके चलना नहीं चाहते। अगर आवश्यकता इस बात की हो कि बहुत आसानी के साथ बिना किसी सख्ती के साथ काम चल सकता है तो मैं ऐसा मानने वालों में से हूं, सरकार ऐसा मानने वालों में से है, कभी-कभी क्षणिक आवेश में कोई ऐसी बात हो जाती है, इसलिए नाहक तूल देकर सख्ती बरत करें उसे क्यों बढ़ाया जाय। लेकिन, श्रीमन्, मान लें, कहीं ऐसा कुछ हो जाय, जिसकी वजह से सख्ती बरतना आवश्यक हो जाय तो उस समय के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय आप सब को तैयार रहना चाहिए। उस समय पुलिस हो, सरकार हो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे कामों से निपटने के लिए, न केवल आरक्षण के मामले के अन्दर, बल्कि समाज विरोधी जितने भी कार्य हैं, उन सब के अन्दर सख्ती बरतनी पड़े, जब बहुत आवश्यक हो, तब तो उसको बरतना, मेरे ख्याल से अनुचित बात नहीं है। मैं आशा करके चलता हूं, ऐसी भावना रखकर हम लोग चल पायेंगे। दूसरी बात एक और कही गयी, वह कहीं कुछ हद तक, व्यक्तिगत तौर पर सही हो सकती है कि जिला

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
प्रशासन के अन्दर कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो किन्हीं कारणों से, अब मैं कारणों में जाना नहीं चाहता, हो सकता है ललित चतुर्वेदी जैसे लोग हों, हो सकता है, उनको स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं हो। मैं उस बारे मे जाना नहीं चाहता, अगर ऐसा कुछ हुआ है, उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको इस बात की हिदायत देंगे कि नाहक इस बात को तूल न दें, लेकिन आवश्यकता हो तो सख्ती से निपटें। इसी प्रकार से एक बात बहुत मुद्दे की है, शिक्षा नीति में परिवर्तन के बारे में, उसको हम मानते हैं अब, श्रीमन्, बहुत बार मुकाबला होता है, कम्पीटीशन होता है और ठीक मैं अगर मुकाबला उसका करूं तो मेरे सामने सिवाय इसके एक उदाहरण आता है कि एक टांग वाले को, दो टांग वाले के साथ दौड़ाने की कोशिश अब तक की गयी थी। एक टांग वाला दो टांग वाले के साथ नहीं दौड़ सकता। इसके कारण से यह बात ठीक है अभी शिक्षा मंत्री ने जो कही, इसलिए जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनको भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, बस बात की व्यवस्था की जाय।

एक माननीय सदस्य : एक ही शिक्षा नीति होनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : एक शिक्षा नीति तो बहस का विषय बन जायेगा। एक ही शिक्षा दे दो यह तो एक बहुत ऐसा गहन सवाल है जिस पर अलग से चर्चा चाहिए। सब परिवारों को बराबर की शिक्षा का मौका तो आप दे देंगे। लेकिन इस देश में कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पायेंगे, जब तक आप उनकी मदद नहीं करोगे। इसलिए तो इस बजट के अन्दर हमने कहा। चौथे दर्जे तक शायद बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए नहीं की हमने। उनको इसलिए कुछ थोड़ा सा प्रोत्साहन दें क्योंकि वह तबका ऐसा है, हमारे समाज के अन्दर जिसमें ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम लड़कियों को समान रूप से भेज सकें। इसी प्रकार से जाति बिरादरी का मामला हो, जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन उनके घर की व्यवस्था ठीक नहीं है, उनके लिए समान मौके तो हैं लेकिन उन परिवारों की व्यवस्था भी हमको देखनी पड़ेगी कि जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कई बार, जब तक आर्थिक मदद नहीं करोगे, तब तक बच्चे जा नहीं पायेंगे। इसलिए मैं इससे सहमत हूं कि इसमें बहुत विस्तार की आवश्यकता है। इसको देखना आपको पड़ेगा। एक बात जो आपने कही थी, लिस्ट है उन व्यक्तियों की जो इनकम टैक्स पेयी है, हमने जवाब दे दिया, ये सवाल जरूरत का नहीं है, निकाल दें, आर्थिक व्यवस्था का नहीं, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर तो हमारे छोटे किसानों के लिए, सीमान्त किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अन्त्योदय योजना के जरिए से कर रहे हैं। पेंशन की व्यवस्था की हुई है, वृद्धावस्था पेन्शन है, विधवाओं की पेन्शन का सवाल है, विकलांगों के लिए कुछ करने का सवाल है, वह अलग से चलता है मामला। इसी प्रकार से और कुछ बना रहे हैं, उसमें कुछ

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
सोचा जा सकता है, उसमें कोई सरकार का न तो कोई इस प्रकार का संकुचित विचार है और न रख कर चल सकती है, कोई सरकार हो, कोई पार्टी की सरकार हो, इस देश के अन्दर, वह—

श्री अध्यक्ष : इनका मन भी तो बदलती रहती है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : बेसहारा हैं, उनको सहारा देना ही पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा सवाल पैदा होता नहीं। इसलिए इसमें कोई दूसरा सवाल पैदा होता नहीं। श्रीमान्, जो बातें यहां पर सुझाव के रूप में कही गई है, मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि समय-समय पर ऐसे सुझाव देते रहेंगे और उनसे लाभ लेते रहेंगे और इस बात की व्यवस्था करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आभार प्रगट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सभी नेताओं ने राजस्थान की भावना को, राजस्थान की जनता के मत को व्यक्त किया है। यहां पर इस प्रकार की परम्परा रही है कि मिल जुल कर काम करते रहे हैं, उसी प्रकार से शांति बनाए रखेंगे और राज्य में शांति और व्यवस्था कायम कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

माननीय सदस्य यदि खड़े होकर संकल्प का अनुमोदन करें तो यह ज्यादा प्रभावशाली ढंग समझा जाएगा।

प्रश्न यह है कि आरक्षण के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह आपने ठीक नहीं कहा है।

भावना यह जाहिर हो कि सर्व सम्मति से पारित किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने यही निवेदन किया है कि सर्व सम्मति से पारित किया गया।

नियम का शिथिलीकरण

अमर शहीद भगतसिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये नियम का शिथिलीकरण

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल 106 में एक प्रस्ताव मूव किया है।

श्री अध्यक्ष : किस रूल में ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : रूल 106 में। 306 के तहत आपसे समय की छूट चाह रही हूं। मैं समझती हूं कि यह कोई विवाद का विषय नहीं है, कोई राजनैतिक संदर्भ नहीं है और जितने भी दल बैठे हैं, जितने भी सदस्य बैठे हैं, उनसे किसी की असहमति नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इस संकल्प को प्राइवेट मेम्बर्स डे के संकल्प हैं उनके साथ रख देते हैं। इस पर लम्बी

(श्री अध्यक्ष)

चौड़ी चर्चा होगी, इतिहास भी आएगा। सारे देश के अन्दर कैसे होना चाहिए, क्यों इतने लम्बे अर्से तक नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इस संकल्प को....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, अभी प्राइवेट मैम्बर्स डे तो निकट में आने वाला नहीं है और सदन समाप्त हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : हर पखवाड़े में एक दिन आता है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी निकट में आने वाला नहीं है, इसलिए मैं कहना चाह रही थी। मेरा मतलब यह है कि आज 23 मार्च है, आज के दिन उन्हें फांसी लगी थी। मान्यवर, वे तो अमर हो गए, वे तो शाश्वत है, भगतसिंह शाश्वत हैं, अमर है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। यदि हम लोग इस संकल्प को प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से एक समय की आवश्यकता है। देर हो जाने, देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात है। वैसे देरी हो गई तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राजस्थान अगर सचेत होकर इस संकल्प पर श्रद्धांजलि अर्पित कर देता है तो मैं समझती हूं कि आज का दिन जो है उसका मान होगा। अगर आज नहीं करके चार दिन बाद करें तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आज के दिन असेम्बली में हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब यहां पर बैठे हैं, आज का विशेष दिन है। आज के दिन उनकी पुण्य तिथि है। मैं समझती हूं कि मुख्य मन्त्री भी मेरी भावना से असहमत नहीं होंगे, अन्य माननीय दलों के लोग भी असहमत नहीं होंगे। यदि आप इस प्रस्ताव को रखें जिसको मैंने बड़ी भावना से रखा है और मैंने केवल अपनी भावना से ही नहीं, पूरे देश की जनता की भावना से प्रस्तुत किया है, इस सदन की मान्यता के हिसाब से प्रस्तुत किया है। हम सभी लोग अपने देश की गरिमा को और बलिदान की महत्ता को समझने वाले हैं। मान्यवर, कोई राजनैतिक प्रश्न इसमें नहीं है। यदि मेरे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में आपत्ति हो तो माननीय मुख्य मन्त्री जी प्रस्तुत कर दें, मेरे लिए कोई एतराज की बात नहीं है। सिर्फ यह है कि यह बात होनी चाहिए। मेरी मान्यता है कि आज के दिन भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज गवर्नमेंट ने फांसी दी थी और फांसी भी जिस तरह से दी गई थी वह आप सब को विदित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसको संकल्प के रूप में ले लें और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम इसको राजकीय सम्मान के साथ पुण्य तिथि के रूप में भविष्य में मनायेंगे, तो मैं समझती हूं कि यह बहुत अच्छा सुझाव और प्रस्ताव है। और असहमति हो, तो आप चाहें तो सदन का मत ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आप थोड़ा सा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं आपकी बात समझ गया हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आप असहमत हों तो देश की जनता क्या कहेगी कि राजस्थान विधान सभा में दो मिनिट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रस्ताव वापस ले लिया । शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में इतनी आनाकानी करेंगे ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समझती हूं कि हम लोगों के श्रद्धांजलि अर्पित करने में पीछे रहने का कोई सवाल नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । यह कोई नया प्रश्न नहीं है, बहुत गम्भीर विषय है ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर । माननीय सदस्या, अगर आपको इस प्रश्न को रखना था तो काफी दिन पहले लाती तो मैं आरक्षण के सम्बन्ध में, जैसे सभी पक्षों के माननीय सदस्यों से मैंने बात की, इसी तरह से इस बारे में बात करता ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर....

श्री अध्यक्ष : इसमें है, श्रद्धांजलि के अलावा, यह शहीद दिवस के रूप में मनाया जावे । इसका मतलब है कि एक नीति सम्बन्धी निर्णय लेना होगा । सरकार से भी जानकारी करनी पड़ेगी । अन्य बहुत से प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं । तो आपने यह बहुत ही अल्प काल हम को दिया है । आपने संकल्प दिया है तो मैं अपना निर्णय इस पर सुरक्षित रखता हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज का ही तो अवसर है, आज का दिन है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । यह ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर ज्यादा चर्चा हो । आप जानती हैं कि इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपकी व्यवस्था को स्वीकार करती हूं लेकिन एक बात निवेदन करना चाहती हूं कि आपकी व्यवस्था शहीद दिवस मनाने के सम्बन्ध में हो सकती है लेकिन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनिट का मौन रखा जावे इसमें क्या आपत्ति है....

श्री अध्यक्ष : पहले आपको सूचना देनी चाहिए थी....आर्डर आर्डर....आज ही आपको याद आई....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, आज ही दिन है और आज ही विधान सभा सत्र में है । मान्यवर, इसके लिए आपको...

श्री अध्यक्ष : शहीद दिवस मनाने के लिए पहले से तैयारी होती है । यह चर्चा का विषय होता है, अलग अलग पक्षों के माननीय सदस्यों से, नेताओं से बात करनी पड़ती है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह ऐसा विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सरकार से भी राय लेनी होती है। बहुत से विषय निर्विवाद होते हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सदन के नेता से पूछना चाहती हूं इस विषय में, कि क्या वे मेरी राय से सहमत है कि दो मिनिट का मौन रख कर सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की जावे। मान्यवर ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर....माननीय सदस्य।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं माननीय सदस्या की गलत फहमी दूर कर दूं कि सरकार ने स्वयं पहले से प्रस्ताव तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था लेकिन यह कहा गया है कि इस तरह की परम्परा नहीं है तो हम स्वयं चुप हो गए। हमने हमारा प्रस्ताव दे दिया था इसलिए यह कहना कि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आपका प्रस्ताव है, यह मैं स्पष्ट कर दूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मेरी भावना यह है कि चाहे आप सरकार की तरफ से रख दें, मेरी तरफ से नहीं रखें। मैं अपना नाम नहीं चाहती, सरकार की तरफ से रख दें, इसमें कोई राजनैतिक विवाद का विषय नहीं है। मैं इसको लाकर कोई अपना नाम नहीं चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सदन में परम्परा पड़े कि यदि सदन सत्र में हो तो महान पुरुषों की पुण्य तिथि के दिन कम से कम दो मिनिट का मौन रखा जावे। मैं समझती हूं कि यह समयोचित और उचित होगा। अगर आप मुझ से सहमत हैं तो उसमें क्या आपत्ति है। आज हम सत्र में है तो दो मिनिट का मौन ही तो रखना है। जिन्होंने सिर कटा दिये, क्या उनके लिए दो मिनिट का मौन रखने में भी कोई आपको आपत्ति है? कौन सा ऐसा नियम है जिसकी अवहेलना करने का प्रश्न उठता है कि दो मिनिट का मौन नहीं रखा जा सकता? आने वाली पीढ़ी हमको धिक्कार देगी अगर आज हमने खड़े होकर दो मिनिट का मौन नहीं रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई चर्चा का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप भी चार पांच साल से इस सदन की सदस्या है। आज 23 मार्च कोई पहली दफा नहीं आया कि आज ही आपको याद आया हो। आपने आज जो संकल्प दिया है मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि हां कहूं या ना कहूं। इसलिए, माननीय सदस्या, इसको चर्चा का विषय नहीं बनायें। आपने जो प्रस्ताव दिया है उस पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मौन खड़े रह कर मेरे दल के साथियों के साथ

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं चाहती हूं, मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं, उसमें आप सहयोग करें न करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसमें सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

श्री अध्यक्ष : सभी हैं, सभी पक्ष और विपक्ष हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह बलिदान दिवस है। जिन्हें गोली मारी गई थी मेरे बाबा थे। लेकिन यह बलिदान है जिसमें उनको फांसी पर झुलाया गया है, उनको बलिदान दिया गया है, देश के लिए कुर्बानी दी गई है ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं समझती हूं कि अंग्रेज गवर्नमेंट ने जिस तरह के अमानवीय अत्याचार किए, अत्याचार और इस बात को आने वाली नई पीढ़ी को मालूम कराने के लिए कि किस तरह से आजादी आई....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह आज का विषय नहीं है। मैं निर्णय सुरक्षित रखता हूं। इस पर विचार करेंगे, अन्य दलों के माननीय सदस्यों से, नेताओं से बात करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है, मान्यवर लेकिन श्रद्धांजलि अर्पित करने में क्या आपत्ति है आपको। आज विधान सभा सत्र है, आप इसमें व्यवस्था दे सकते हैं, इसमें रूल-रिलैक्स करना हो तो वह भी कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं, माननीय सदस्या।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं खड़े होकर मौन रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, आप मुझे चाहे जो दण्ड दें। आज के दिन मैं यहां पर हाउस को प्रेरित करने के लिए चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष : हफ्ते भर पहले इस संकल्प को लाना चाहिए था। सब पक्षों से पूछ लेते। इसकी जांच कर लेते। क्या बात है, क्या नहीं है। यकायक सदन के सामने इस प्रश्न को लायी हैं। मैंने निर्णय सुरक्षित रखा है। इसको विवाद का विषय नहीं बनायें। विषय ऐसा है जिस पर तत्काल मैं हां या ना नहीं कह सकता हूं।

अनुदान की मांगें
मांग संख्या 36-सहकारिता.
मांग संख्या 9-वन, एवं
मांग संख्या 43 खनिज

अनुदान की मांगों पर विचार।

अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (सहकारिता मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री हनुमान प्रभाकर)

करता हूं कि मांग संख्या–36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,34,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान जावे।

श्री **बुलाराम** (वन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,69,87,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : खनिज विभाग के बारे में, श्री नानालाल।

श्री नानालाल (खनिज मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,32,62,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(1) सहकारी समितियों के एकीकरण से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़)

(2) प्रतापगढ़ तहसील में सहकारी समितियों के ऋणों की फर्जी वसूली को रोक कर न्यायिक जांच करवाने बाबत चर्चा के लिए।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ की सहकारी समितियों द्वारा फर्जी कर्ज उठाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

(4) बिलाड़ा मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी में हुए गबन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर)

(5) सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री **गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर)

श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)

श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई)

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

श्री **जीतमल जैन** (अलवर)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

(6) सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

(7) सहकारी बैंकों के ऋण देने की नीति में होने वाली देरी को दूर कर शीघ्र ऋण दिलाने वाली नीति लागू करने पर चर्चा के लिए।

(8) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भंग कर पुनः चुनाव कराने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

(9) सहकारी समितियों का चुनाव नहीं होने से इन संस्थाओं में अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

(10) सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार व लम्बे समय से आडिट न होने व आडिट हुई समितियों में आडिट बिन्दुओं की पालना न किए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

(11) सवाई माधोपुर जिले में भूमि विकास बैंक द्वारा कुओं के लिए दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय)

(12) ग्राम सेवा सहकारी देवरी (सिकराय) द्वारा अभी तक चार्ज नहीं दिये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

(13) सरकार सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद)

(14) सहकारी बैंकों के कर्जे विभाग कोटा जिला के प्रभावी व सत्ताधारी दल से सम्बन्धित व्यक्तियों में लाखों रुपया वर्षों से बकाया है उसे वसूल करने में असमर्थ रहा है इस पर चर्चा के लिए।

(15) सहकारी उपभोक्ता भण्डारों व मेडिकल स्टोर्स में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

(16) नैनवा मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि. की शाखा की स्थापना प्रत्येक पंचायत समिति में करने एवं दी बूंदी

(104)

(श्री सूर्य कुमार)

सैन्ट्रल कोग्रापरेटिव बैंक लि. की एक शाखा देई में तथा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बूंदी की एक शाखा नैनवां में स्थापित करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)

(17) सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता को समाप्त किया जाये, इस पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

(18) सहकारी ऋण सुविधा से एक गांव वंचित न रहे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

(19) सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

(20) बाड़मेर जिले की तहसील शिव में 500-600 वर्ग मील तक कोई सहकारी समिति न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हरि सिंह (कुम्हेर)

(21) सहकारी संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जावे तथा उनकी कार्य प्रणाली में सुधार किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

(22) सहकारी विभाग के कर्मचारी किसानों को कम ऋण देकर अधिक वसूली करते हैं और वसूली नहीं होने पर उनके सामान कुर्क कर ले जाते हैं तथा शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की जाती अतः इससे किसानों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

(23) कोआपरेटिव बैंकों के कार्यों पर असंतोष के संबन्ध में चर्चा के लिए।

(24) सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि क्रय कर प्लाट आवंटन में किये घपलों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(25) सहकारी ऋणों की वसुली में होने वाली अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

(26) सहकारी विवादों पर सुनवाई की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(27) सहकारी ऋणों की वसूली पर स्थगन आदेशों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(28) सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचारों की जांच करवाये जाने के संबध में चर्चा के लिए।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(29) सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना)

(30) सहकारी समितियों को सक्रिय करने एवं उनके कार्यकलापों में आवश्यक संशोधन करने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)

(31) कोटा जिले की सहकारी बैंकों में भारी गबन होते हुए भी उनके विरुद्ध आई0पी0सी0 के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

(32) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल के चुनाव कराने हेतु चर्चा के लिए ।

(33) सहकारिता की आड़ में पनप रहे भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिए ।

(34) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को केन्द्रीय सरकार से वापस राज्य सरकार के अधीन लेने हेतु चर्चा के लिए।

(35) सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की व्यवस्था सुधारने हेतु चर्चा के लिये ।

(36) जयपुर नगर व प्रदेश की अन्य गृह निर्माण सहकारी समितियों की जांच कराने बाबत चर्चा के लिए।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

(37) सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता पर चर्चा के लिए।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

(38) सहकारी संस्थाओं के चुनाव न होने से पैदा हुई कठिनाइयों एवं परेशानियों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल-बाजार)

(39) सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिए ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(40) सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराने बाबत चर्चा के लिए ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

(41) सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

(42) टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

(43) सहकारिता के तहत कर्जों में घोटालेबाजी एवं सहकारिता पर नौकर-

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

शाही हावी हो रही है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

(44) विभागीय कर्मचारियों द्वारा वसूलियों में नियमों की अवहेलना कर किसानों को नाजायज परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसरी चन्द चौधरी (किशनगढ़)

(45) किशनगढ़ के सहकारी क्षेत्र में सूती धागे की मिल्स लगाने में विभागीय असफलता बाबत चर्चा के लिये।

श्री नानूराम (आसीन्द)

(46) सहकारी ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)

(47) ग्राम सेवा सहकारी समितियों का स्पेशल आडिट कराकर धन के दुरुपयोग को रोका जावे और जिन समितियों का चुनाव हुए 3 साल से अधिक हो गया उनके चुनाव तुरन्त कराये जावें, पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

(48) सहकारिता विभाग मे व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

(49) बांसवाड़ा जिले में विभागीय कर्मचारियों द्वारा आदिवासी लोगों को मारपीट कर ऋणों की वसूली करने के संबन्ध में चर्चा के लिए।

(50) सहकारी विभाग बांसवाड़ा जिला में आदिवासी गांवों में सहकारिता के माध्यम से ऋण देने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(51) सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

(52) सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों की उपज को गिरवी रखकर ऋण देने पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

(53) सरकार की निष्क्रियता के कारण प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सका इस पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

(54) सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किसी निश्चित अवधि में पूर्ण करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

(55) सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह (जैतारण)

(56) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी)

(57) डूंगरपुर जिले में डीजल पम्पस के लिये भूमि विकास सहकारी बैंक लि0 पर पाबन्दी लगाने द्वारा दिये जाने वाले ऋण से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

(58) डूंगरपुर जिले में सहायक रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

(59) सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

(60) सहकारी समितियों के चुनाव अविलम्ब कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)

(61) सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

(62) सहकारी ऋण उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाडा)

(63) बिलाड़ा मार्केटिंग सोसायटी को पुनः सक्रिय करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

(64) जिला सवाई माधोपुर में भूमि विकास बैंक द्वारा कास्तकारों को नये कुएं बनाने के लिए दिये जाने वाले ऋण में 200 किलोमीटर की दूरी की पाबन्दी हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

(65) विभाग कुशलगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण जनता को सहाकारी बैंकों से समय पर ऋण दिलाने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

(66) विभाग कुशलगढ़ क्षेत्र में सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा)

(67) सराड़ा तहसील में सहकारिता को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(108)

श्री रामधन (लाडनू)

(68) सहकारी समितियों की ऋण वितरण व वसूली की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

(69) सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(70) ग्राम सेवा सहकारी समिति तलाब में गबन की जांच में अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(71) बुनकर सहकारी समिति मांगरोल में मकान बनाने हेतु दिये गये ऋण में हुई अनियमितता के संबन्ध में चर्चा के लिये।

वैद्य भैरू लाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

(72) प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी समिति बनाने व उसमें एक पूर्णकालिक व्यवस्थापक के प्रावधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड (गोगुन्दा)

(73) सहकारिता में हुये घोटालों की जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

(74) सहकारिता में भारी अनियमितता, गबन, घोटाला व भ्रष्टाचार है जिसके संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

(75) सहकारी संस्थायें निष्क्रिय हैं उनमें भ्रष्टाचार व एकाधिकार है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह (भादरा)

(76) सहकारिता आन्दोलन में कमजोर वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए अधिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरू लाल (मनोहरथाना)

(77) उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाली सहकारी समितियों को अनुदान की कम राशि पर चर्चा के लिये।

(78) सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की अविलम्ब जांच कराई जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

(79) सहकारिता विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार के बाबत चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

(80) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सांथरिया पंचायत समिति बस्सी को वर्ष 1974 से ऋण नहीं दिये जाने व केवल 100 सदस्यों में समिति का ऋण बकाया होने के कारण समिति के देनदार 700 सदस्यों को ऋण सुविधा से वंचित रखे जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

(81) जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक में प्रशासक के कार्यालय में 7 लाख का घाटा एवं साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने के क्रम में चर्चा के लिये।

(82) जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र को दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव कराने हेतु स्थानीय दलगत राजनीति से प्रेरित व्यक्ति को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर बिना सदस्यों को सूचना दिये पक्षपातपूर्ण तरीके से चुनाव कराये जाने के क्रम में चर्चा के लिये

श्री भैरूलाल (उदयपुर ग्रामीण)

(83) सहकारिता आन्दोलन की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)

(84) सहकारिता आन्दोलन में बढ़ते भ्रष्टाचार तथा घोटालों के बारे में चर्चा के लिये।

श्री लच्छुराम (मण्डावा)

(85) सहकारिता आन्दोलन में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(86) पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

(87) सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(88) लालसोट व बस्सी क्षेत्रों में अकाल के होते हुए भी सहकारी संस्थाओं द्वारा जबरन ऋण वसूल करने पर चर्चा के लिये।

(89) बांदीकुई क्षेत्र के किसानों से केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा जबरन ऋण वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

(90) खण्डेला क्षेत्र में सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों द्वारा अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

(91) खण्डेला पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सदस्यता के लिये हिस्सा राशि जमा कराने के बावजूद सदस्य नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

(92) क्रय विक्रय सहकारी समिति, श्रीमाधोपुर में गबन पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

(93) राजस्थान राज्य सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन एवं राजस्थान कोआपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन्स केडर आथोरिटी लि. जयपुर के बीच सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के वेतन आदि के बारे में हुए एग्रीमेन्ट को लागू करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

(94) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर के प्रशासक को नियमों

(110)

(श्री कैलाश मेघवाल)

के प्रतिकूल रु. 1600/—माहवार मकान किराया देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(95) सहकारी ऋण दात्री संस्थाओं के स्वरूप एवं ढांचे के बारे में चर्चा के लिये।

(96) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा संचालित "उपहार" में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये।

(97) दी सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, भरतपुर को वर्ष 79-80 की आडिट रिपोर्ट द्वारा पकड़ने आये गबन को दवाने व उसके प्रमाण व पत्रावलियों को नष्ट करने की कार्यवाहियों को रोकने में विभाग असफल रहा इस पर चर्चा के लिये।

(98) दी सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, भरतपुर के अन्तर्गत पिछले वर्ष 37 सहकारी समितियों की जांच के फलस्वरूप बने मुकदमों व अनुसंधान को दबाने तथा उसमें लिप्त कर्मचारियों के निलम्बन को निरस्त करने के योजनापूर्वक हो रहे षड़यन्त्र को रोकने में विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

(99) स्टोरेज प्रोजेक्ट की व्यवस्था से हो रही अनियमितताओं को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (वस्सी)

(100) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम उपभोक्ताओं को जरूरत की वस्तुएँ जैसे कपड़ा, मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेन्ट आदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(101) दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के जयपुर जिले में बिना मतदाता सूची प्रकाशित किये व निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को दिये बिना ही अभी हाल ही में मनमाने तरीके से कराये गये चुनावों को निरस्त कर निष्पक्ष चुनाव पुनः कराने में विभाग असफल रहा इस पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(1) नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर काले हिरणों का अभ्यारण्य बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए—

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

(2) वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा तहसील प्रतापगढ़ में भारी आतंक एवं आदिवासियों पर अत्याचार ढाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(3) आदिवासियों को कृषि एवं घरेलू कार्यों पर इमारती लकड़ी वन विभाग द्वारा न दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(4) ग्राम रतनपुरिया तहसील प्रतापगढ़ के भूमिहीन कृषकों का बारह वर्षों से जंगलात की भूमि पर कब्जा है अब तक नियन्त्रित न करने से उत्पन्न स्थिति एवं सम्पूर्ण तहसील में जंगलात की भूमि पर कब्जे को अब तक रेगूलेराइज न कराने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

(5) वृक्षों की कटाई पर कोई रोक न लगाने तथा वनों को नष्ट होने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

(6) बीकानेर डिवीजन में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने हेतु वन विभाग द्वारा खटाई के वृक्षारोपण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री भालचन्द्र आर्यवीर (डग)

(7) वनों की कटाई को रोकने एवं वृक्षारोपण के दिखाये गये झूठे आंकड़ों के खिलाफ जांच कराई जाय तथा वनों का स्वामित्व वनवासियों को प्रदान किया जाय, पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

(४) राज्य में वनों की घटती हुई संख्या एवं सीकर जिले के विभिन्न स्थानों पर वनारोपण कार्यक्रम पर चर्चा के लिये।

(9) वनों के उचित संरक्षण एवं देखभाल को अधिक गतिशील बनाने तथा अनियमितताओं को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

(10) वन विभाग में व्याप्त अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

(11) वन विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(112)

(श्री रामकिशोर मीणा)

(12) वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

(13) विभाग वनों के संरक्षण में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

(14) कोटा जिले की वनसम्पदा का लाभ वहां के आदिवासियों को दिया जाय, इस संबंध में चर्चा के लिये।

(15) कोटा जिले में वन अधिकारियों द्वारा समुचित ध्यान न देने से वनसम्पदा का छोटे कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन ह्रस करवाया जा रहा है जिससे तेजी से वन नष्ट हो रहे हैं, इस बाबत चर्चा के लिये।

(16) तेंदू पत्ते की बिक्री में हुए घोटाल की जांच बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

(17) नदियों, नालों, सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण, चरागाह, भूमि पर वृक्षारोपण तथा पहाड़ों और पहाड़ियों पर वृक्षारोपड़ के सम्बन्ध में।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

(18) गोचर भूमि में मिक्स प्लान्टेशन व नंगे पहाड़ों पर वृक्षारोपण तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जावे इस पर चर्चा के लिए।

(1) श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)
(2) श्री भालूखां (चूरू)

(19) वनों की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

(20) अजमेर के वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(21) प्रतिबन्धित श्रीनगर, अजमेर वन के कर्मचारियों एवं उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से हरे एवं प्रतिबन्धित वनों को अवैध रूप से कटवाने पर चर्चा के विए।

(22) मानसून में नदी एवं तालाबों के किनारों पर बबूल के पेड़ लगाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव)

(23) बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के वनों में सेवण घास खत्म होने होने पर चर्चा के लिए।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर)

(24) सरकारी अफसर रिश्वत लेकर जंगल कटवा रहे हैं जिससे बरसात नहीं होती, इस पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(2) अनधिकृत रूप से वनों का नष्ट किया जाना रोका जावे, इस हेतु चर्चा के लिए

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

(26) झालावाड़ जिले में सिर पर लकड़ी ढोकर लाते उन गरीब लोगों से वन विभाग के नाका गार्ड प्रति व्यक्ति रिश्वत लेते हैं, इस पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूलाल (उदयपुर ग्रामीण)

(27) वन विभाग की भूमि पर नाजायज काबिज लोगों को भूमि नियमित करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (पचपदरा)

(28) वनों का वैज्ञानिक तरीके से विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

(29) जंगलों की अवैध कटाई पर रोक के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(30) विशेष योजनायें बनाकर सीकर जिले के वनों का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(31) वन विभाग उच्च अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(32) विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने सम्बन्धियों को सेवा में रखने के स्थान पर स्थानीय व्यक्तियों को ही प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(33) जयपुर शहर में गीली लकड़ी की आवक व वन विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(34) वन विभाग में मुख्य वन संरक्षक पर होने वाले व्यर्थ व्यय को कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(35) वन विभाग के ढांचे में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

(36) कोटा जिले की लाडपुरा तहसील में केवलनगर व बाढ़देह बस्तियां जो वर्षों से जंगलात की भूमि पर बसी हुई हैं, उन्हें विभाग द्वारा नियमित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

(37) लघु वन उपजों का संग्रहण सरकारी कब्जे से हटाकर वनवासी लोगों के अधिकार में दिये जाने हेतु चर्चा के लिए।

(38) ठेकेदारों द्वारा की जा रही अवैध कटाई को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

(39) टोंक एवं निवाई की नंगी पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

(40) राज्य व्यापार मण्डल द्वारा वन विभाग में जलाऊ लड़की एवं बांस उद्योग में घोटाले के क्रम में चर्चा के लिए।

114

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

(41) सिरसका टाइगर प्रोजेक्ट से आस पास के करीब 100 ग्रामों के अस्त-व्यस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

(42) वन चरागाहों के किए जा रहे दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(43) वन संरक्षण की असफलताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल-बाजार)

(44) वनों को अवैज्ञानिक ढंग से कटाई किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(45) वन सम्पदाओं को अक्षुण रखने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

(46) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव कडिया एवं मचोन्द में वन क्षेत्र घोषित करने से आदिवासियों के लिए रोजगार समस्या उत्पन्न हो गयी है, इस पर चर्चा के लिए।

(47) चूने एवं भट्टे के व्यापारियों द्वारा वन की अवैध कटाई को रोकने में विभाग को असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

(48) बीकानेर जिले में जंगलों की अनियमित कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

(49) टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र के वनों की हो रही अंधाधुंद कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

(50) वन सम्पदा की रक्षा करने में अधिकारियों की लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

(51) जसवंतपुरा, दांतलावास वगैरह ग्रामों के लोगों के साथ वन विभाग के कर्मचारियों के सौतेले व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(52) वन अधिकारियों द्वारा पशु पालकों का शोषण करने व समय पर पशुओं को चरागाह में प्रवेश नहीं देने से पशु पालकों को होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(53) वनों के अन्दर अच्छे फलदार व पशुओं के चारे के लिए काम में आने वाले पौधों का विकास किया जाय व अच्छी घास के बीज आदि डाल कर वनों में पशुओं घास के बीज आदि डालकर वनों में पशुओं

(श्री रतनाराम चौधरी)

को अच्छी किस्म की घास उपलब्ध कराई जाय, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

(54) कोटा जिले में नाजायज रूप से वनों की कटाई से हुयी क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(55) किसानों द्वारा उनके खेतों पर जगल लगाने में विभाग द्वारा सुविधाए दिये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)

(56) वन विभाग के कर्मचारी द्वारा वन विभाग के आदेशों की अवहेलना कर आदिवासिओं तथा लघु कृषकों की वन-सपदा से वंचित रखना तथा उन्हें परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(57) वन विभान द्वारा स्थानीय निवासिवों एवं आदिवासियों को ईंधन-कोयला लड़की तथा कत्था व्यापार न देकर बाहरी व्यक्तियों को देना जिससे उनका जीवन कष्टमय हो गया है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(58) भीलवाड़ा के वनों की सुरक्षा करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

(59) आमेर तहसील के पश्चिमी-उत्तरी क्षेत्र में तथा सामोद व चीथवाड़ी के पहाड़ों में वृक्ष लगाने पर चर्चा के लिए।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

(60) वनों की सुरक्षा का प्रबन्ध करने एवं पशु-पक्षियों की सुरक्षा करने तथा पेड़ पौधों के काटने की रोकथाम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

(61) जोधपुर जन्तुआलय की बिगड़ी स्थिति को सुधारने व विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी)

(62) डूंगरपुर जिले में आदिवासी कृषकों द्वारा वन विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जे किये जाने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर)

(63) परबतसर तहसील में ग्राम बिदोयाद में जंगल की नाजायज कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

(64) राज्य सरकार वन रक्षा करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए।

(65) ग्रामीण क्षेत्रों के वनों में पुनः वृक्षारोपण कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

(66) राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला में वनों की रक्षा करने व भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिए।

(श्री फतेसिंह)

(67) राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र में इमारती व खेती सम्बन्धी लकड़ी का फ्री (माफी) पास देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा)

(68) वन विभाग द्वारा उदयपुर जिले की उपेक्षा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

(69) पीपल्दा क्षेत्र में चल रहे वन विभाग के कार्यों में शिथिलता आने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(70) वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जनता को नाजायज परेशान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(71) वनों की अवैधानिक कटाई के से वनों के बर्बाद होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(72) वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(73) वन विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं बने होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(84) इटावा में वन अधिकारी का कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़)

(75) प्रत्येक पहाड़ को अनिवार्यतः वनों से आच्छादित करने की पांच साला योजना बनाये जाने और जयपुर नगर के 25 किलो मीटर के घेरे में सघन हरे वृक्षों की वृक्षावली लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क)

(76) जयपुर नगर के आस पास के पहाड़ों पर लगे वृक्षों की अवैज्ञानिक कटाई पर चर्चा के लिए।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

(77) वन विभाग द्वारा गोगुन्दा, कोटड़ा, झाड़ोल में किये जा रहे अत्याचारों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

(78) बाड़मेर जिले में वनों के बड़े बड़े भूखण्ड रोकने पर आपत्ति पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

(79) नये वन लगाने पर जो राशि कम हो रही है उसकी 90% राशि का अपव्यय हो रहा है इस पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

(80) रणथम्भोर, सवाई माधोपुर में अवैध रूप से जंगली जानवरों को वन विभाग कर्मचारियों द्वारा मार दिया जाता है। जिसकी रोकथाम के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती, इस पर चर्चा के लिए।

(81) सवाई माधोपुर के जंगलों की अवैध रूप से कटाई करवाई जा रही है जिससे समस्त जंगल नष्ट होता जा रहा है, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

(82) झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र में गूजरों का खेड़ा ग्राम की चरागाह भूमि बेचकर रजिस्ट्री करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(83) झालावाड़ डग विधान सभा क्षेत्र में चरागाह भूमि पर कई व्यक्तियों ने कब्जे कर रखे हैं इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भेरू लाल (मनोहरथाना)

(84) कृषि कार्यों के औजारों को बनाने हेतु कारीगरों के पास लाई जाने वाली लकड़ी को ट्रांजिट पास से मुक्त की जाने हेतु चर्चा के लिये।

(85) झालावाड़ जिले में सदैव की भांति सूखी जलाऊ लकड़ी का परमिट न देने पर जिले की जनता के सामने उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(86) झालावाड़ जिले की गंजी पहाड़ियों पर प्लान्टेशन के माध्यम से पौधे लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

(86) पंचायत समिति मनोहर थाना क्षेत्र में मवेशियों को चरने की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

(88) ग्राम पंचायतों द्वारा चरागाह भूमि में लगे पेड़ों के गोंद का ठेका देने पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पंचायत के ठेकेदारों को परेशान करने पर चर्चा के लिये।

(89) ग्राम पंचायतों के चरागाहों के पत्ता तेदू के ठेका भी वन विभाग द्वारा दिये जाने और ग्रामों को उसके मुआवजे वा भुगतान न करने से पंचायतों के सामने उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

(90) वन विभाग के अधीन पेड़ों की सुरक्षा न होने एवं विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिए।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

(91) जयपुर जिले में बैनाड़ा, बांसखोह एवं तूंगा में वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने एवं वन की रक्षा करने के लिए समुचित व्यवस्था के क्रम में चर्चा के लिये।

(92) वन महोत्सव के अन्तर्गत जयपुर जिले में बांसखोह-लवाण सड़क, बस्सी तूंगा सड़क, चाकसू-कोटरवावदा सड़क, कोटरवावदा से तूंगा सड़क रोजवाड़ी से माधोगढ़ सड़क, कानोता से सामरिया सड़क के दोनों ओर सघन वृक्षा रोपण वन विभाग द्वारा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(93) तूंगा प्लाटेन्शन (बस्सी) में मवेशियों को चराई की छूट दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

(94) किसानों को अनावश्यक वृक्ष काटने व लकड़ी शहर में लाकर बेचने के लिए ट्रांजिट पास की व्यवस्था लागू कर वर्तमान में लकड़ी लाने में वन चोकियों पर व्याप्त खुले भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

(95) बस्सी की ग्राम पंचायतों की चरागाह भूमि का विकास एवं मिक्स प्लान्टेशन करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा)

(96) जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में वनों का विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लच्छराम (मण्डावा)

(97) सड़कों पर वृक्षारोपण की वन विभाग की नीति पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

(98) वनों का समुचित रूप से संरक्षण न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला)

(99) पंचायत समिति खण्डेला के ग्राम वालबाड़ में वन विभाग द्वारा गांव की नाकेबन्दी किये जाने पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(1) खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

(2) बड़े ठेकेदार के पुराने लीज समाप्त कर 1 कि. मी. से ज्यादा लीज नहीं देने व नई खनिज लीज नीति बनाने पर चर्चा के लिए।

(3) खनिज विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने पर चर्चा के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

(4) खनिज से वसूल की जाने वाली रोयल्टी में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री छोतरलाल आर्य (अटरू)

(5) खनिज सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान धनी है फिर भी समुचित उपयोग के अभाव में विकास अवरुद्ध हो गया है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

(6) राज्य में पोटास, अभ्रक, पायराइट, टंगस्टन तथा तांबा क्षेत्रों के विकास एव खनन कार्यों में गति लाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

(7) नागौर जिले में खड़ी की खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)
श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

(8) खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

(9) सरकार बयाना जिला भरतपुर के खनन मजदूरों में फैल रहे टी. बी. रोग के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाई, इस पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद)

(10) विभाग द्वारा खनन पट्टों के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (सीकर)

(11) नवीन खानों को लीज पर दिये जाने में प्राथमिकता, श्रमिक खनिज सहकारी समितियों, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को दी जावे इस पर चर्चा के लिए।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री मालू खां (चूरू)

(12) डूंगरगढ़, व चूरू विधान सभा क्षेत्रों का खनिज सम्पदा हेतु सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

(13) श्रीनगर, अजमेर, सिरोही जिला तथा मकराना, निम्बाहेड़ा, उदयपुर जस्ता आदि धातुओं की उपलब्धि में प्रमुख स्थान रखते हुए भी राज्य को इसका लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

(14) कोटा जिले को रामगंज मण्डी तहसील में खानों के खनन में बरती जा रही अनियमितता से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

(15) खनिज श्रमिकों की खनन के पट्टों में प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये।

(16) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बेरोजगारों को खनन पट्टे प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने तथा ऋण दिलाने में प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

(17) खनिज सम्पदा से राज्य सरकार को अपेक्षित आय प्राप्त न होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाल (किशनपोल)

(18) खानों का वैज्ञानिक ढंग से उतखनन करवाये जाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए।

(120)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(19) नसीराबाद में खनिज दोहन में कोताई बाबत चर्चा के लिए।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

(20) लीज रिनुअल समय पर नहीं कराने से राज्य को लाखों रुपयों की रायल्टी के नुकसान पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

(21) कोलायत में खनिज सम्पदा का शीघ्र खनन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चतुर्भुज (टोडाभीम)

(22) टोड़ारायसिंह व देवली क्षेत्र में खनिज सम्पदा प्राप्त करने में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करने हेतु चर्चा के लिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

(23) राजस्थान खनिज निगम के प्रशासनिक व्यय में कटौती की दृष्टि से दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(24) रॉक फास्फेट इकाई में घाटे को दूर करने हेतु चर्चा के लिए।

(25) देवगढ़ व भीम क्षेत्र की खनिज सम्पदा के समुचित उपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

(26) जंगलों में खान आवंटन में जंगलात कार्य में बाधा उत्पन्न होने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

(27) पाली, जालेराखुर्द, गोसवाडा, सुन्ध तथा भाखरी को सर्वे कर खनिज भण्डारों का पता लगाने हेतु चर्चा के लिए।

(28) करडा ग्राम को खनिज सम्पदा से होने वाली आय का कुछ भाग उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु व्यय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)

(29) सवाई माधोपुर में पैलका पुरा स्थित खान अवरोधक चेक पोस्ट का मापक यन्त्र पिछले 4-5 साल से खराब है, इसी आड़ में वहां कार्यरत कर्मचारी भ्रष्टाचार फैलाकर व्यापारी एवं सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(30) जिला भीलवाड़ा में खनिज सम्पदा का पता लगाने हेतु सर्वे की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चोमू)

(31) मोरीजा (जयपुर) में लोहे की खानों का तथा सामोद में उपलब्ध सिलिका की खानों का समुचित उपयोग करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

(32) खनिज पदार्थों का सही उपयोग करने हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

(33) सूरसागर तथा फिदुसर खनिज क्षेत्र में विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह ग्रामलिया (चौरासी)

(34) खनिजपट्टे आदिवासियों के नाम पर होते हुए भी अन्य लोगों द्वारा खानों पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जेठमल बरवड़ (परवतसर)

(35)मकराना नगर में मारबल खानों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

(36) राज्य सरकार सवाई माधोपुर जिले की विभिन्न खनिज समस्याओं के निराकरण में असमर्थ रही,इस पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाडा)

(37) बिलाड़ा, गोगुन्दा क्षेत्र में खनिज लीज के सम्बन्ध में विभाग द्वारा बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री छोगाराम बकोलिया (खेदर)

(38) सिरोही जिले में खनिज सम्पदा के विपुल भण्डारों के मिलने पर खनन की समुचित व्यवस्थार्थ चर्चा के लिए।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

(39) राज्य सरकार द्वारा खनिज उत्पादन में ढिलाई बरते जाने पर चर्चा के लिए।

(40) राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के ग्रामवासियों को खनन पट्टे देने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रकुमार (सराड़ा)

(41) सराड़ा तहसील में उपलब्ध खनिज सम्पदा के विपुल भण्डारों का समुचित उपयोग करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (गोगुन्दा)

(42) बड़ोद नदी में से पत्थर निकालने के दिये गये परमिट में अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(43) बलवन में पहाड़ियों से गरीब लोगों को पट्टियां निकालने हेतु पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

वैद्य भेरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़)

(44) जहां तक संभव हो बड़े खनिजों का राष्ट्रीयकरण करने व छोटे खनन क्षेत्रों के मजदूरों की सहकारी समिति बनाकर उनके द्वारा खनन कार्य किये जाने संबंधी चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

(45) विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

(46) खनिज विभाग द्वारा पट्टे देने में अनियमिततायें की जाने संबंधी चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

(47) समुचित वैज्ञानिक रीति से खनन कार्य न होने से झामर कोटड़ा में राज्य के लाखों रुपयों को हानि हो रही है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

(48) टौंक जिले में पूर्ण रूप से सर्वे करावाया जाकर खनन हेतु प्रयास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (बेगू)

(49) खनिज सर्वेक्षण में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री शोभराज मल (चित्तौड़गढ़)

(50) खनिज पदार्थ का सर्वेक्षण करवाकर नई खानों के पट्टे आवंटन करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

(51) झालावाड़ जिले में इमारती पत्थर की खानों के ठेकेदारों द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

(52) जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत तहसील अकलेरा क्षेत्र में इमारती पत्थर की खानों का सर्वेक्षण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

(53) सस्ती दर पर पुरानी खानें, जो अवैध रूप से बेचान कर दी है, का नियमन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(54) सूरसागर खान क्षेत्र की खराब सड़कों की मरम्मत कराने में खनिज विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

(55) सूरसागर पत्थर की खानों में समस्याओं का निराकरण करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाडी (बस्सी)

(56) बांसखोह सिलिका श्रमिक सहकारी समिति को सिलिका माइन्स लीज पर दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (उदयपुर ग्रामीण)

(57) खानों के पट्टे उन बेरोजगार तकनिकीशियनों को अलाट किये जावें जो खानो संबंधी ज्ञान रखते हों इस पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

(58) खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(59) खनिज की दृष्टि से राजस्थान प्रदेश का पर्याप्त सर्वेक्षण न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

(60) आर०एस०एम०एम० लि० द्वारा झामरकोटड़ा में उपलब्ध खनिजों का पर्याप्त एवं वैज्ञानिक ढंग से दोहन करने में की जा रही उपेक्षा पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(61) खनिज क्षेत्र से प्राप्त होने वाली नोन टैक्स रेवेन्यू में हो रही गिरावट के बारे में चर्चा के लिये।

(62) निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु विभिन्न खनिजों के पट्टे देने में की जा रही ढिलाई से राज कोष की होने वाली हानि के बारे में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाडी (बस्सी)

(63) बांसखोह (तह. बस्सी) की

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

खानों के विकास किये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(64) जयपुर जिले की बस्सी तहसील में खनिजों के नये भण्डारों की खोज के लिये बांसखोह, झर्र, निमोरा, पृथ्वीपुरा, लालगढ़, गेढ़ व गुमानपुरा विस्तृत सर्वेक्षण कराये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 36, व 43 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय जो आज सहकारिता के संबध में वाद–विवाद होगा उसके सबंध में, श्रीमान्, मैं अर्ज करना चाहता हूं। 6–7 साल पहले राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनायी थी उस कमेटी को मैं समझता हूं कि पांच साल हो गये। मुझे अभी तक पता नहीं लगा, न रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर से, न सैक्रेटेरियट से कि कितनी रिकमन्डेशन, कितनी उसकी सिफारिशें मंजूर हुई हैं या मोडिफाई हुई हैं या नामंजूर कर दी गई हैं। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ बुनियादी समस्याओं के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां सहकारिता विभाग को अगर प्रगतिशील बनाना है, तो एक तरफ तो रिकवरी की समस्या है और दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट के आफिसर्स गलत कार्य करते हैं उनके साथ,

(2.43,4.4.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

रजिस्ट्रार साहब, या मंत्री महोदय सख्ती के साथ उस चीज को नहीं देखते। हमने देखा है कि 69–70 के अन्दर शेयर केपीटल और आउट साइड लायबिलिटिज एक करोड़ 78 लाख की थीं वह पांच साल में बढ़ कर दो करोड़ 28 लाख की हुई। हम यह जानना चाहेंगे कि इस वक्त की पोजीशन क्या है ? हम यहां पर यह बात देखते हैं कि कौनसा क्लाज था, जिसके द्वारा समितियों को लिक्विडेट करना चाहते हैं, वाइण्ड अप करना चाहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है ? और हमने यह भी देखा है, हम लिक्विडेटर्स को अपाइन्ट करते हैं पांच साल के लिये, और पांच साल में जो उसकी तनख्वाह होती है, उसके असेट्स सोसायटी को हम वाइण्ड अप करना चाहते हैं, उसके बराबर हो जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा पांच साल की जगह तीन साल कर दिया जाये, तो एक तो असेट्स की कीमत ज्यादा आ जायगी। दूसरी बात लिक्विडेटर की तनख्वाह भी हमको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। हम देखते हैं एक बात रिपोर्ट हमने पेश की थी, यह लिखा था कि को–आपरेटिव डिपार्टमेंट के जरिये को–आपरेटिव सोसायटी, चाहे नीचे से ऊपर तक, के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। बल्कि इलेक्शन डिपार्टमेंट को यह कार्यभार अगर सौंप दिया जाता है तो, जैसे वह पंचायतों के, एम. एल. ए., एम. पी. के चुनाव वक्त पर कराते है, कोई देरी नहीं होती है, लोगों को यकीन होता है, चुनाव में भरोसा होता है। लेकिन यहां हमने देखा है कि यद्यपि कानून बदल गया है, पांच नवम्बर या 15 नवम्बर करने के बाद भी जो कुछ प्रक्रिया रखी है रजिस्ट्रार साहब ने, वह खुद चुनाव की प्रक्रिया अपने हाथ में ले लेंगे, कितने दिनों में पूरा करायेंगे, उससे

(श्री शोभाराम)

भी यह प्रकट नहीं होता। हम यह भी देखते कि जब यह शक्ति चुनाव कराने की इलेक्शन डिपार्टमेंट को दे दी जाती है तो जो इस प्रकार वह चुनाव कराते हैं तो मैं समझता हूं कि वक्त पर चुनाव होंगे। वक्त पर चुनाव होने से जितने लाभ होते हैं आर्थिक दृष्टि से मैं उनका विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहता हूं।

अन्त्योदय योजना के बारे में कहूंगा, मैं सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, अलवर में गया। 84 लाख की वहां पर अनुमान था, वसूली हुई सात लाख की, 77 लाख रुपये वसूल नहीं हुए। सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के पास एनीमल हसबेंण्ड्री का एक डाक्टर भी लगा दिया गया है। डाक्टर साहब से बात हुई, बैंक मैनेजर से बात हुई तो मालूम पड़ा कि 84 लाख में से कम से कम 75 लाख रुपये इस अलवर जिले के अन्दर अन्त्योदय की नीति से बरबाद हो गये। इंस्पेक्टर जब जाते हैं तो देखने को यह मिलता है कि पहले उनको इत्तला हो जाती है, पड़ोसी के घर भैंस लाकर बांध देते हैं, इंस्पेक्टर गायब हुआ और भैंस पड़ोसी के घर चली गई। न कोई बकरी है न कोई गाय है, न कोई भैंस है। आखिरकार कोई योजना लें, इस प्रकार की नहीं लें, जिससे हमारे यहां घाटा हो। हम पहले ही घाटे से परेशान है। यह मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था। 28 साल के अन्दर हम कई हजार का डेफीसिट कर चुके है पैदा। दूसरी तरफ यह रुपया हमें वर्ल्ड बैंक से मिलता है। उसके क्या नतीजात निकले है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह जरूर चाहता हूं कि जहां तक, सहकारी आन्दोलन का सवाल है, वह सही रास्ते पर चले, तरक्की करे, और ऐसे आदमी जो गड़बड़ करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये। एक्शन लेने में दिक्कत यह आती थी कि एक मजिस्ट्रेट के पास पचास तरह के काम रहते थे, हमने यह लिखा है, प्रत्येक जिले में जहां पर सात करोड़ रुपये से ज्यादा लोनिंग हुआ है, हां पर एक एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट अदालत कायम कर दी जाये और एक सब इंस्पेक्टर पुलिस वहां पर एक तरीके से लगा दिया जाये। जितनी पुलिस में रिपोर्ट हो गई, एम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रियेशन की, वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहां पेश करेगा। मैं समझता हूं अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो जो मुकदमे एम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रिमेशन के दस दस साल से चले आ रहे हैं, उनका फैसला नहीं हुआ है। यदि इस तरीके से एक मजिस्ट्रेट हो, जिसके पास और कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिये सिर्फ को-आपरेटिव के मिस अप्रोप्रियेशन और एम्बेजलमेंट के मुकदमे हुए हैं, उनको सुने। उसका कितना डेफिसिट सिस्टम है। अगर एक साल में वसूल हो जाता है, तो उस पर कितना ब्याज बचता है और अगर सात साल तक नहीं हुआ, तो फिर वसूली करनी कितना मुश्किल हो जाता है। इस सब चीजों को देख कर हम को यह चीज देखनी चाहिये। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि को-आपरेटिव के अन्दर हमने सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक के जरिये से, जैसा कि मैंने निवेदन किया अन्त्योदय की स्कीम चालू की, चालू हुई अन्त्योदय की योजना से फायदा होता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं इस संबंध

(श्री शोभाराम)

में कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अन्त्योदय में दिए ऋणों की वसूली के लिए पार्टीशन नहीं होना चाहिये क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी छोटी जोत होती है उतनी ही उसकी रिपेइंग कैपेसिटी कम होती है। मैं समझता हूं कि अगर 4–5 बीघा जमीन या 2–3 एकड़ जमीन है तो उसके लिये किसी भी हालत में चाहे कितना ही वह कम खर्चा करे तो भी ढाई सौ रुपये महीने से गुजर नहीं हो सकती, क्योंकि ढाई सौ का मतलब यह होता है कि छोटी जोत पर हम किसी तरह से सेविंग कराके रीपेइंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि असंभव बात है। इस कानून में तरमीम होनी चाहिये। कम से कम राजस्थान सोसाइटीज एक्ट में या दूसरे एक्ट में, जहां भी पार्टीशन का सवाल है, और जहां को–आपरेटिव के ऋणों का चुकाने का सवाल है वहां एक्सप्लेनेशन दे दिया जाय, पार्टीशन के प्रावधान लागू नहीं होंगे। हमें यह भी देखना है कि जो फार्मिंग सोसाइटी कायम की, हमारे अलवर जिले में की, और भी जिलों में शायद की होगी। यह जो सोसाइटी है, इसमें मैंने तो कोई फायदा होते हुए देखा नहीं सिवाय नुकसान के। उनकी बैलेंस शीट देखी, उनका रिकार्ड देखा और यहां पर एक बात मैं निवेदन कहना चाहता हूं कि 25 या 26 सेंट्रल को आपरेटिव बैंक्स हैं पूरे राजस्थान में, उनकी केपीटल हम देखते हैं, तो उसमें प्रोफिट देखते हैं लेकिन आज तक कोई डिविडेण्ड नहीं मिला। इसमें एक चीज यह होती है कि जब वे बेलेंश शीट बनाते हैं तो इंट्रेस्ट रिसीव करके लाखों की तादाद में एडजस्टमेंट को पूरा कर देते हैं और वह इंट्रेस्ट रिसीवेबल मुनाफे को खा जाते हैं, ओवर ड्यूज आब्जर्व करते हैं और ऐसे पैसे को जो ओवर ड्यूज की तारीफ में नहीं आता, मैं समझता हूं आब्जर्व नहीं करते। इसलिये मेरा सुझाव है कि सहकारी महकमा कम से कम एक बात जरूर करे कि पांच साल तक के जितने डिफाल्टर्स हैं, उनको हमें बिल्कुल डिफाल्टर करार दे देना चाहिये। हमारी रिपोर्ट है डा. दांते, जो रिजर्व बैंक में आफिसर थे, मैंने उनको रिपोर्ट भेजी थी, और उन्होंने कहा कि विलफुल डिफाल्टर वे होते हैं जो अदा करने की क्षमता होते हुए भी जानबूझ कर अदायगी नहीं करना चाहते। इसलिये उन्होंने कहा कि ऐसे डिफाल्टर्स के साथ पूरी सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर विलफुल डिफाल्टर के साथ हमने सख्ती नहीं की तो देखा-देखी और लोग भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाने लगेंगे और उनकी संख्या बढ़ती जायेगी। इसकी जांच करने के लिये दांते कमेटी ने कहा कि जितने ओवर ड्यूज हैं उनमें 75 प्रतिशत विलफुल डिफाल्टर हैं इसलिये उनके साथ सख्ती की जाय और उससे वसूल करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं जानता हूं, अलवर जिले में डिफाल्टर कौन थे। जो कर्जा लिया गया 18 हजार, वह 35 साल से वसूल नहीं हुआ। कई मर्तबा पुलिस गई। आज तक मैं समझता हूं अब वह कुल मिला कर डेढ़ लाख के करीब हो गया, इसकी वसूली नहीं हुई। अगर ये 18 हजार एक साल में ही वसूल हो जाते तो हमारे इन्फ्रा स्ट्रक्चर में ज्यादा मजबूती आती। तो मैं रिकवरी के बारे में कहना चाहता हूं कि जिस जिले की 7-8 करोड़ लोनिंग केपेसिटी है वहां एक्जीक्यूटिव

(श्री शोभाराम)

मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिये जायें और वहां एक पुलिस आफिसर भी जो एस. आई. रैंक से नीचे का न हो और इसी काम के लिए हो, लीगल असिस्टेंट बनाना चाहिए महकमा चालू करें एक अदालत के रूप में जो सिर्फ इसी को-आपरेटिव के काम के सिवाय दीगर किस्म के मुकदमे न ले, तो मैं यह मान कर चलता हूं कि जो मुकदमे पांच साल में तय होते हैं वे एक साल में तय हो जायेंगे और हमारी इस तरीके से आमदनी बढ़ेगी। मैं यहां यह भी स्वीकार करना चाहता हूं कि हमने एक सिफारिश की थी, दांते कमेटी के सामने कि आप किसानों को लोन देने के मामले में उसकी रिवाल्विंग लिमिट तय कर दीजियेगा। जिसे एक हजार की जरूरत है तो एक हजार दिये जायेंगे, दो हजार की जरूरत है तो दो हजार दिये जायेंगे। मान लीजिए उसकी रिवाल्विंग लिमिट पांच हजार होती है तो एक हजार उठने के बाद चार हजार खाली हो गये। जमा भी करा सकता है जितनी रिवाल्विंग लिमिट खाली होती जायेगी उतना उठाता जायेगा। नतीजा यह होगा कि उसको उतना ब्याज नहीं देना पड़ेगा और जितने रुपये की जरूरत पड़ेगी उतने लेगा, बाकी जमा करायेगा। लिमिट के लिये हमने अधिकारियों से भी बातचीत की। इतनी बात वे भी मानने के लिए तैयार हैं कि जो चाही जमीन है, चाहे वह नहरी सिंचाई की है या उसकी सिंचाई कुओं से होती हो, ऐसी जमीन की रिवाल्विंग लिमिट हो सकती है। जितना टोटल प्राडक्शन होता है चावल, दाल या किसी का भी, उसकी कीमत आंक करके 50 प्रतिशत ऋण सीमा होती है। 50 प्रतिशत में भी शार्ट टर्म लोन कितना होगा, मिडिल टर्म लोन कितना होगा और लोंग टर्म कितना होता है, यह भी हमने एक तरीके से किया था, यह आप उन्हें उसके अनुसार दें, ताकि ओवर ड्यूज न हो। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि कई आफिसर इस तरह के काम करते हैं कि ओवर फाइनेंस कर लेते हैं और इस तरह से दिखा कर, उसकी रिपेयिंग केपेसिटी को बढ़ा कर दिखा देते हैं और कर्जा दे देते हैं जिससे यह होता है कि ओवर फाइनेंस की ऋण अदायगी की क्षमता कम हो जाती है। और ऋण ज्यों का त्यों बना रहता है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक आपने सहकारी संस्थाओं के जरिये चाहे वह अपेक्स बैंक हो, चाहे सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक, चाहे वह कोई सोसाइटी हो, कितना कर्जा अब तक दिया और कितने ओवर ड्यूज की तादाद कम की गई और ओवर ड्यूज कितनी आंकते हैं? अगर ये आंकड़े उठा कर दे देंगे तो मैं मान कर चलता हूं कि हमें भी ज्यादा सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि रुपये पैसों के मामले में जब तक आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखें हमें इस आन्दोलन को गतिशील बनाना है तो फायदा होगा, यह सिद्धांत भी सरकार को स्वीकार करना चाहिये।

हमने यह भी देखा है, मैंने एक किताब देखी थी, जोइन्ट रजिस्ट्रार का पद वहां पर बना रखा है। फालतू स्टाफ यहां पर भरा पड़ा है। जितने सैक्रेटेरिज हैं वह चाहते हैं कि उनके अण्डर में डिप्टी सेक्रेटरिज हों, डिप्टी सेक्रेटेरिज चाहते हैं कि उनके अण्डर में अन्डर सेक्रेटेरिज हों। यह जो हमारी वृत्ति बन गई है, उस वृत्ति को कम से कम

(श्री शोभाराम)

जहाँ तक सहकारिता का सवाल है वह हम नहीं आने देना चाहते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और तमिलनाडू और एक प्रान्त और को छोड़कर सभी प्रान्तों में सहकारिता की खस्ता हालत है और राजस्थान की तो बात मत कीजिये। एक तो मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जहां पर ट्राइबल एरिया है, जहां पर ऐरिड जोन नहीं है, भरतपुर और पूर्वी राजस्थान के लोगों के पास जमीन है, इन तीनों चीजों को जिस तरीके से कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट डील कर रहा है कर्ज के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि इस पर दुबारा विचार करने की जरूरत है। एक वक्त निकल गया, जब कमेटी की शुरुआत हुई थी। आज की हालत को देखते हुए राजस्थान सरकार को एक नयी कमेटी बनानी चाहिये, जिसमें रिजर्व बैंक के नामीनी हों, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का नामीनी हो, बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के और जो अपेक्स कोआपरेटिव बैंक उनको मिला कर के। आज वक्त आ गया है, आज की हालत के अन्दर कि हम इस तरह, कौन कौन से कानून में तरमीम करें, इसबात की सख्त जरूरत है। हमारी आर्थिक स्थिति आप माने य न मानें प्रशान्त महासागर में सैनिक गतिविधियां हो रही हैं और अरबों खरबों रुपये का हथियार एमूनेशन अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है। आपको पता होगा कि पहले हिन्दुस्तान को 16 मिलियन टन क्रूड आयल मिलता था, इस झगड़े में 16 मिलियन की जगह 11 मिलियन रह गया और असम के झगड़े से यह 3.3 मिलियन टन और खतम हो गया है। इसके अन्दर हमको यह देखना है, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति चल रही है,नाटो,नार्थ एटलान्टिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन को देखा है वारसा पेक्ट को देखा है, सेन्टो को भी देखा है इन सब चीजों से हम गुजरे हैं। अमेरिका हमेशा हिन्दुस्तान को कमजोर बनाना चाहता है। अभी मैंने तीन, चार दिन पहले पढ़ा था कि जो ब्लैक मनी था उसमें से बहुत सा रुपया सी आई.ए. और दूसरी एजेन्सी करीब करीब 80 प्रतिशत रुपया वहां चला गया और वह सफेद रुपया आकर, तेल के जरिये हमारे हिन्दुस्तान का वह शोषण करना चाहता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में हम को बड़ी सावधानी के साथ काम करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब सर्विसेज के मामले आते हैं। मेडिकल Reimbursement के मामले आते हैं। टी.ए.डी.ए. के आते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारा विभाग बर्दाश्त नही करेगा, चाहे सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक हो, चाहे अपेक्स बैंक हों, जो काम कर रहे हैं, वह खर्च उन पर लगना चाहिये तो विभाग को भार नहीं पड़ता है।

श्री सभापति : दो चार मिनट और बोलना चाहें तो बोल लें। आप 18-20 मिनिट बोल चुके हैं।

श्री शोभाराम : मैं यह मानकर चलता हूं कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के जो चुनाव होते हैं उसमें हजारों की तादाद में वोटर आ जाते हैं। हम यह चाहते हैं कि हर जिले के अन्दर कान्स्टीट्यूएन्सी नई बन जाय

श्री शोभाराम)

और ब्लाक हैडक्वाटर और तहसील हैड क्वार्टर पर अगर उनके चुनाव हो जायें तो मेरी यह मान्यता है कि जिस प्रकार के गलत तरीके अपनाये जाते हैं उनसे हम बच जायेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं। जो एम. पी., एम. एल. ए. और जिला प्रमुख हैं, उनको इस आन्दोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहिये और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मैम्बरशिप से उनको दूर रखना चाहिये क्योंकि वे इसको राजनीति और दूसरे ढंग से प्रभावित करते हैं। हम इस आन्दोलन को उन से अलग रखना चाहते है।

एक बात और कहना चाहता हूं जो डाउट फुल डेब्ट होता है वह बहुत कम दिखाया जाता है और इस प्रकार असलियत को सामने नहीं आने देते हैं जो क्रेडिट लिमिट है Disposal resources हैं उनमें यह काउन्ट नहीं होता है इस तरह से उनकी क्रेडिट लिमिट होने से स्ट्रक्चर एक तरह से बहुत कम हो जाता है।

अन्त में, एक बात और कह कर मैं समाप्त करता हूं। यह स्टेट मार्केटिंग बोर्ड जिला सोसाइटी को उन्होंने माल दिया आज कत स्टाक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। मुझे बताइये रजिस्ट्रार साहब, कि बीस साल के अन्दर कितनी मर्तबा इसका वेरिफिकेशन हुआ है। हम को यह पता नहीं है कि कितना रुपया मिला, कितना रु० आया वापस कितना माल पड़ा हुआ है, और कितना माल हजम कर चुके हैं। इन तमाम चीजों को देख कर अगर हम समझने हैं तो ज्यादा अच्छा होगा।

आखिर में एक शब्द इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने यह होलसेल भण्डार जो खोल रखे है, मैंने यह देखा है कि 95 प्रतिशत कन्ट्रोल कोमोडिटिज में ही आप डील करते हैं बाकी बाजार में बिकने वाली वस्तुओं से कम्पीट करने की क्षमता नहीं है। अच्छा स्टाफ रख कर, इन्टेन्सिव देकर अगर हम इसको बढ़ावें, और व्यापारी जिस तरह से काम करते हैं उस लेवल पर लावें। शुरूआत में सहायता देने की बात हुई थी। वह रियायत हमने दी, लेकिन वक्त आ गया है, 30 साल के अर्से में अगर रियायत देते जावेंगे तो इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं आयेगा।

सभापति जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतना समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, सहकारिता के बारे में हम को कुछ आधारभूत बातें तय करनी होंगी। वैसे सहकारिता का आन्दोलन लम्बे समय से राजस्थान में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा लेकिन क्या यह सहकारिता का आन्दोलन जिस उद्देश्य को लेकर चलाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति में सार्थक हुआ है ? और क्या उस किसाना की सेवा कर रहा है ? और क्या वह सन)कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

साहूकार के चंगुल से पूर्णतया मुक्त हुआ है इस पैमाने की कसौटी पर इसको रखें और यदि हम जवाब चाहते हैं तो कांग्रेस आई के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व सहकारिता मंत्री जी ने जिस दर्द भरी आवाज में सहकारिता में घुसी हुई बुराइयों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी वही निवेदन करना चाहता हूं अगर हम चाहते हैं कि सहकारिता सार्थक हो तो निवेदन करना चाहता हूं कि इसका ढांचा क्या हो ?

उस ढांचे के बारे में हमारी स्पष्ट कल्पना क्या है ? आज 25 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं और उनमें से 17 बैंक ही ऐसे हैं जो बैंक्स की परिभाषा में आते हैं रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के आधार पर उस आधार पर हम चाहें कि हम बैंकों को ठीक चलायें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बैंकों सहित सारे क्रेडिट सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों में राजस्थान की सारी सहकारी समितियों में ढाई लाख आडिट आब्जेक्शन आज पैंडिंग हैं। माननीय सभापति महोदया, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आडिट विंग आज सहकारिता विभाग में ही है जिसके कारण यह होता है। इसलिए मांग करता हूं कि आडिट विंग अलग से हो, स्वतन्त्र एजेन्सी हो इसके अलावा जो आडिट आब्जेक्शन होते हैं उसके बारे में आज क्या कार्यवाही हुई, क्या नहीं हुई और क्या इसमें इनको ठीक करने के लिए कुछ किया गया या नहीं किया गया इसके बारे में चूंकि आडिट में उसी व्यवस्था के, ढांचे के अंग है और जिसके कारण जो कई बार आडिट में आ सकता है और नहीं आता है और यह दबाने वाली जो स्थिति पैदा होती है, सभापति महोदया, वह स्थिति पैदा नहीं हो इसके लिए मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि यदि सहकारी बैंकों को साफ करना चाहते हैं, सहकारिता को साफ करना चाहते हैं, इसको गरीबों और किसानों का माध्यम बनाना चाहते हैं तो इसमें जो बुराइयां आ गयी हैं, इसके काम करने में, उसके लिए सबसे पहले निवेदन करूंगा कि वह दूर करें और आडिट सैक्शन अलग से, रजिस्ट्रार की प्रशासकीय व्यवस्था से बाहर हो या जनरल आडिट जो है, उसका अंग होना चाहिये।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं यह पिछली बार भी निवेदन किया था और माननीय सहकारी मन्त्री जी ने कहा था कि बहुत जल्दी ढांचा खड़ा करके चुनाव करा देंगे। और अभी भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री जी बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जिला प्रशासकों को उसके प्रमुख को एम. पी. और एम.एल.ए. को इसमें नहीं आना चाहिये, यह बात आपके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने जो केबिनेट मीमो बनाकर भेज दिया है उसमें प्रशासनिक अधिकारी की बात है। सहकारिता की जो समितियां है, बैंक हैं, उनमें साधारण वर्तमान कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार वहां पर प्राइवेट आदमी नोमीनेट नहीं किया जा सकता है, अभी यह व्यवस्था है। उस व्यवस्था को

(श्री कैलाश मेघवाल)

समाप्त करने के लिए केबिनेट मीमो बनाकर, कानून में संशोधन की बात करके आप गैर सरकारी व्यक्ति खड़े करना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा धोखा होगा, सहकारी आन्दोलन के साथ में और सहकारी आन्दोलन को डुबाने में एक बहुत बड़ा पत्थर होगा। इसलिये कहना चाहता हूं कि चुनाव करा दें। यह सही है कि हमने चुनाव चालू कराये थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव की वजह से हमको उसको रोकना पड़ा। लेकिन चुनाव कराने की प्रक्रिया चालू करके एक परिपाटी चालू की थी, आप इसको लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुसार चलायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत प्रयत्न करने के बाद एक इन्टीग्रेशन की योजना चालू की थी हमने। आखिर इस इन्टीग्रेसी की योजना के लाभ क्या है? जब तक आप इन लाभों को नहीं देखेंगे, वर्तमान व्यवस्था को लाभ दे पायें या नहीं वर्तमान व्यवस्था उस तरह की स्थिति बना रही है या नहीं बना रही है, यह देखना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी शार्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लोंग टर्म लोन, ये तीन तरह के लोन देने होते हैं। अभी शार्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन केन्द्रीय सहकारी बैंक देता है और लोंग टर्म लोन भूमि विकास बैंक देता है। दोनों ही किसान के लिए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को एक ही केन्द्र पर, एक ही विन्डो पर, एक ही खिड़की पर पूरी सुविधा उपलब्ध हो, इससे दो बातें होंगी, कुछ सफाई आयेगी। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि किसान जायेगा, जिसमें उसका खाता होगा कि उसका कितना लोंग टर्म लोन है, कितना मीडियम टर्म लोन है, कितना लिया है कितना बाकी है या नहीं लिया है। यह सारी स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जायगी कि उसको शार्ट टर्म का लोन मिलने वाला है, वह मिला या नहीं मिला है, लोंग टर्म लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह सारी बातें तय हो जायेंगी, इसलिए यह इन्टीग्रेसी होनी चाहिये। दूसरा, माननीय सभापति महोदया, अभी शोभाराम जी बता रहे थे कि एक शोभाराम कमेटी बनी थी, और उसने भी अपने सुझाव दिये थे कि वायबल यूनिट्स नहीं हैं अगर यह इन्टीग्रेशी हो जायगी तो वायबल यूनिट्स हो जायगी और जब यह हो जायगी तो जो संचालन करने वाले आपके प्रशसाक हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं और अच्छी पगार दे सकते है, उनसे अच्छी सेवाओं की अपेक्षा कर सकते हैं। आज वायबल यूनिटस नहीं हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं और उसी के कारण यह व्यवस्था ठीक नहीं है और अच्छी सेवायें नहीं दे पा रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज राजस्थान में अनेक कार्य-क्रम चल रहे हैं। एस. एफ. डी. अलग चल रहा है, एनीमल हजबैंड्री अलग चल रहा है, 236 ब्लाक्स में गरीबों को उठाने का अन्त्योदय का जो आपका सब्सिकूटर कार्य-क्रम है वह चल रहा है, सूखा सम्भावित कार्यक्रम अलग चल रहा है इन सब कार्यक्रमों का सम्बन्ध सहकारिता से है, इन सब में सह-कारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब कार्यक्रम

(श्री कैलाश मेघवाल)

तब तक ठीक नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप इन सबको एक बिन्दु पर नहीं चलाते हैं तब तक यह सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा लिक्विड असेट्स के बारे में। लिक्विड असेट्स वाले को 6 प्रतिशत और अपेक्स बैंक वाले को रखना पड़ता है तो इसकी स्थिति भी आपकी ठीक हो जायगी, इस तरह के कई लाभ हैं इससे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लोन के लिये अलग बैंक है और उसमें वसूली के लिये अलग विभाग है। ये अलग-अलग लोन के लिये अलग-अलग है, इस तरह ओवरलेपिंग हो रही है, जिससे कि स्टाफ पर ज्यादा खर्च हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार किसानों का ब्याज कम किया गया था। अगर यह इन्टीग्रेसी हो जाती है तो उसके आधार पर, निश्चित रूप से स्टाफ में कमी होगी या इसके आधार पर आप और ब्रांचेज खोल पायेंगे और राजस्थान में सही सेवायें दे सकेंगे। इस प्रकार कई उसको लाभ हैं, इन्टीग्रेशन से। जो बीच में कड़ी है, हटा दी हमने, जो थ्री टायर सिस्टम है उसकी जगह टू-टायर सिस्टम का निर्णय लिया था, उस निर्णय के बारे में रिजर्व बैंक की सहमति हो चुकी है, सारे और लोगों की सहमति हो चुकी है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके भी मन में होगा कि इसको ठीक किया जाय आपके कई वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में निवेदन करूंगा कि जब हम सत्ता पक्ष में बैठते थे तो श्री रामनारायण जी और परसराम जी ने कहा था कि इन सब पर इन्टीग्रेसी पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। उसको हम नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें 68 चीजें मिलती थीं और हमारे राजनैतिक लाभ उसमें एग्जेस्ट होते थे। उस समय हमारी स्थिति नहीं थी, लेकिन उस समय विधान सभा में इसकी सराहना हुई थी, इसको समर्थन दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निर्णय लें और इन्टीग्रेसी की जो स्थिति है, उसको पूर्ण करें। सहकारिता का ढांचा खड़ा करके, उस आधार पर राजस्थान का विकास करने की कोशिश करें।

दूसरा-निवेदन करना चाहता हूं, मेरा ख्याल है कि समय कम है, इसलिये कुछ मुद्दों पर ही कहना चाहता हूं। अभी एक नाव है और उसमें छेद है तो वह छेद बढ़े या घटे, सबसे बड़ा सवाल यह है। इसलिये कहना चाहता हूं कि मेरे सामने बैठने वाले सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बहुत है, उन्होंने अपने अलवर की बात कही। मैं भरतपुर का केस आपके सामने रखना चाहता हूं और इसलिये रखना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, कि जब कार्यवाही होती है तो स्पष्ट भ्रष्टाचार मिलता है और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग दिखते हैं। अदालतों में चालान पड़े हैं। जो निलम्बित हो चुके हैं उनको वापस बहाल करते हैं तो यह कौनसी मजबूरी है, यह मैं पूछना चाहता हूं। एक पत्र जो हमारे रजिस्ट्रार एन. एस. सिसोदिया ने लिखा है, जिसकी फोटो स्टेट कॉपी मेरे पास है, वह मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि आखिर कहां ले जाना चाहते हैं, किस तरह से राजनैतिक संरक्षण दिया जा रहा है, सारे राजस्थान में इस आन्दोलन को आप किस तरह डुबाना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहते हैं। यह भ्रष्टाचार का मामला है और भरतपुर का मामला है, जहां से हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री आते हैं, जिससे कि उनका सीधा संबंध है, भ्रष्टाचार के इलाके के आधार पर यह सहकारिता आन्दोलन से जुड़ा हुआ है। इसलिये मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं, यह पत्र पढ़ना चाहता हूं। यह पत्र फरवरी 5,1981 का है। इसमें लिखा है 'भरतपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि० की 37 समितियों की गबन की राशि के बारे में जांच करवाई गई है तथा शेष समितियों की जांच अभी बाकी है। समिति स्तर पर बकाया ऋण से बैंक स्तर पर बकाया ऋण में एक करोड़ रूपये से अधिक राशि का अन्तर है, जिससे यह आभास होता है कि गबन की राशि बहुत अधिक है। इस समय भरतपुर बैंक में कार्यरत स्टाफ आवश्यकता से बहुत अधिक है। उचित होगा कि प्रत्येक समिति की जांच भी शीघ्र करवाकर, गबन की राशि का मूल्यांकन करवाया जाय तथा धारा 74 की व अन्य कार्यवाही शीघ्र की जावे।"

यह हमारे रजिस्ट्रार ने लिखा है और जिलाधीश महोदय को भेजा है। तो वे वहां से आये और क्या लेकर आये? माननीय सभापति महोदया, यह लेकर आये, कि जो 32 व्यक्ति इन 37 विभिन्न सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको पुनः बहाल किया जा रहा है। क्या लेकर आये, माननीय सभापति महोदया, कि अभी पिछले साल जो एक आडिट हुआ था, उस आडिट के हिसाब से, एक करोड़ और 61 लाख का जो गबन है और उस एक करोड़ और 61 लाख के गबन में जो लिप्त हैं उनको बहाल किया गया, उनको वापस लिया गया। इस बात की पूरी आशंका है कि सारा रुपया गायब किया जायगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कलेक्टर कह रहा है। माननीय सभापति महोदया, शर्म से सिर झुक जाता है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री कहते हैं, लोक सभा के चुनाव का वातावरण मत बिगाड़ो। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ये 37 ही नहीं, भरतपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अन्तर्गत 374 सहकारी समितियां हैं। मैंने केवल 37 की जाँच कराई थी, लेकिन कोई निलम्बन करने को तैयार नहीं, माननीय सभापति महोदया, जबकि तथ्य हमारे पास थे। इस तरह की राजनैतिक पैंतरेबाजी चलती रहती है। क्या हुआ, मैं यह पूछना चाहता हूं। रजिस्ट्रार महोदय ने लिखा था और इतना ही नहीं आगे लिखते हैं, सभापति महोदया, "बैंक की वसूली नगण्य है और बकाया से अवधि पार की राशि बढ़ती जा रही है। अवधि पार ब्याज की राशि भी बहुत बढ़ गई है। और बट्टे खाते व अवधि पार ब्याज की राशि लगभग सवा दो करोड़ रुपये हो गई है, किन्तु इसका उचित मूल्यांकन जांच के उपरान्त ही किया जा सकता है, अतः जांच शीघ्र करवाई जावे।" लेकिन यह जांच नहीं होगी, सभापति महोदया। मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसमें लिखा है—"इस बैंक में बहुत से कर्मचारी निलम्बित हैं तथा अन्य बहुत से कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अवशेष है, किन्तु कई मामलों में अभी तक जांच अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की गई है और अनुशासनात्मक कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, जिससे निलम्बित कर्मचारियों को व्यर्थ में

(श्री कैलाश मेघवाल)

ही भत्ते का भुगतान किया जा रहा है और बैंक का व्यय अनावश्यक बढ़ रहा है। अतः इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जावे। यह रजिस्ट्रार महोदय लिखते हैं. इनको निकालो। निलम्बन के बारे में लिखते हैं 75 व्यक्ति ज्यादा हैं, इनको निकालो, इस बैंक की क्षमता नहीं है, निलम्बन के बारे में लिखते हैं और उसको लेकर मेहरा साहब आये। मैंने भरतपुर बैंक का एक टैस्ट केस आपके सामने निवेदन किया है। सारे राजस्थान का सहकारिता विभाग आज इस बात पर लगा हुआ है, किन्तु उसका परिणाम क्या होता है? राजस्थान के मुख्य मन्त्री राजनैतिक आधार पर इन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, वोट के लिए, अगले लोक सभा चुनावों में वोट प्राप्त करने के लिए। एक तरफ ईमानदारी से उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय शोभारामजी ने एक बात कही, जनता सरकार ने इस बात को कहा। और जब अलग से पुलिस कायम की, मैं पूछना चाहता हूं, कितने मुकदमे लगे, अलग से पुलिस कायम की थी। आज भरतपुर में, राजस्थान में, हालत यह है कि लोग खा गये जो खा गये और वह जो मन्त्रियों की बगल में बैठकर खाते-फिरते हैं. तो अफसरों को उनके सामने झुक कर खड़ा होना पड़ता है या डिलेट होना पड़ता है, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय सभापति महोदया, भरतपुर का टैस्ट केस है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, "उपहार" राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के आधार पर बड़ी आशायें लगाई जा रही हैं। जिसके प्रशासक हैं, हमारे रजिस्ट्रार साहब और जिसकी सचालिका हैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की पत्नि श्रीमती पहाड़िया। वह आप देखिये, वहां की एक आडिट रिपोर्ट। "उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित मेडिकल ब्रांच के माध्यम से निम्नांकित कम्पनियों की दवाइयां विक्रय करवाकर सरकारी कोष को लाखों रुपयों का धोखा दिया, क्योंकि इन दवाइयों की कीमतें स्टैण्डर्ड दवा कम्पनियों से जैसे रेन बेक्सी, पी० सी० आई० केडिला, लार्यगो लेबोरेट्रीज. बायोकैम लैबोरेट्रीज से करीबन 40 व 60 प्रतिशत ही नहीं, एक दम दुगनी कीमतें हैं। जिन कम्पनियों द्वारा जनवरी 1980 से लगातार संघ की मेडिकल शाखा के माध्यम द्वारा सरकारी कोष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके नाम व निर्मित दवाइयों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं।" सभापति महोदया, ये 37 दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। इन भ्रष्टाचारी अफसरों की जांच कराई जानी चाहिये और उनको ठीक किया जाना चाहिये, उनको अदालत के सुपुर्द किया जाना चाहिये।

जनवरी, 1980 से लगातार मेडिकल शाखा द्वारा सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, माननीय सभापति महोदया, मेडिकल ब्रान्च की यह हालत है। आखिर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुझे मालूम है सभापति महोदया, राजनीतिक आधार पर शोषण हो रहा है, और लाभ उठाया जा रहा है। पिछले वर्ष मैंने विधान सभा में कुछ दवाइयों के नमूने भी पेश किये थे। रजिस्ट्रार साहब के पास टेलीफोन आता है इस कम्पनी की दवा चालू

134

(श्री कैलाश मेघवाल)

करो, इस कम्पनी की दवा मेरे रिश्तेदार वेचते हैं। और रजिस्ट्रार महोदय, यह आई. ए. एस. कैडर कहां जाय, उनको जयपुर में रहने का आकर्षण है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, मैं यह बुरा नहीं मानता हूं, कुछ अधिकारियों की पत्नियां महिला क्रिकेट क्लब की सदस्या हैं, उसके लिए चन्दा इकट्ठा करना पड़ा,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेडिकल ब्रान्च के इस व्यक्ति ने चन्दा करवा दिया। उसी आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, आप वहां जाकर देखिये, ढाई लाख रुपये की घड़ियां पड़ी हैं उनमें नकली मशीनें लगी हुई हैं, उनकी मशीन को बदल दिया गया, कौन पूछने वाला है, आप उपहार में जाकर देख लीजिये, ऊपर रीको अन्दर से मशीन दूसरी, ऊपर एच. एम. टी. अन्दर से मशीन दूसरी, कौन पूछता है। ढाई लाख की घड़ियां, कौन जिम्मेदार है इनके लिए ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपहार की बात कर रहा हूं, एक के बाद एक, अनेक घोटाले हो रहे हैं, मलमल के कपड़े की खरीद में घोटाले हो रहे हैं, पुताई में, 13 हजार रुपये खर्च किये गये, उपहार की छोटी इमारत है उसकी पुताई में दो हजार रुपये। यह कौनसा तरीका है पुताई का, 13782/–रु. लगे। बहुत कम लोग होजरी का काम करते हैं, वहुत कम माल रखा है वहां पर उपहार में होजरी का।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री महोदय को आपने 25 मिनट दिये थे, मेरा इतना अधिकार तो है, 12 मिनट हुए हैं।

श्री सभापति : आपके 15 मिनट हो चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सात महीने से उपभोक्ता संघ के लिए जमीन खरीदकर रखी हुई है, लेकिन भवन नहीं बनाया जा रहा है, इसकी जांच कराई जाय।

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदया, मैं होने वाला मन्त्री हूं।

श्री दीपेन्द्रसिंह : भरतपुर के हो, हो भी सकते हो, क्या पता।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तथ्य रख रहा हूं। अब मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं—

श्री सभापति : दूसरे सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की बात कहेंगे

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : 15 मिनट हुए हैं, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि मकान किराया भत्ता मनमाने ढग से ले रहे थे। एक प्रश्न इस सम्बन्ध में हुआ, उस प्रश्न के आधार पर भत्ता तो लेना बन्द कर दिया। स्टेश-

(श्री कैलाश मेघवाल)

नरी ऊंचे भावों पर बेची जा रही है, इसी तरह से गड़बड़-गड़बड़ है। बिजली का सामान, साड़ियां, लाखों की गड़बड़ियां, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री सभापति : मुझे क्षमा करें।

श्री कैलाश मेघवाल : केवल मैं निवेदन करना चाहता हूं खनिज के बारे में, कितनी नॉन टैक्स रेवेन्यू गिर रही है। माननीय सभापति महोदया, इस साल नॉन टैक्स रेवेन्यू खनिज क्षेत्र में जनवरी, 1981 तक 17 करोड़ 52 लाख आई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल खनिज के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, खनिज कई तरह से लाभदायक है। एक तो खनिज का पट्टा देने से पूंजी पैदा होती है, दूसरे रोजगार के साधन बढ़ते हैं, तीसरे, सरकार को नॉन-टैक्स रेवेन्यू मिलती है, क्योंकि बजट के लिए सबसे अधिक है। पिछले साल 25 करोड़ 8 लाख जब रेवेन्यू थी। केवल खनिजों की जो रॉयल्टी बढ़ी है, उस रॉयल्टी के बढ़ने के आधार पर 30 करोड़ हो जानी चाहिए थी, वह 30 करोड़ न होकर 17 करोड़ रह गई है। उसका केवल मात्र कारण यह है कि खनिज के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरा, हमारे आर. एस. एम. एम., उदयपुर की व्यवस्था के बारे में। रॉक फास्फेट में अच्छा काम कर रहे हैं। पाइलट प्लांट के बारे में जो कुछ होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

घिसाई का पैसा बढ़ाया, ज्यादा बेचकर कम बेचना लिखा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर लूट मचानी है तो आप कहें कि हमारा शासन केवल लूट मचाने के लिए है, खायेंगे पियेंगे और मस्त रहेंगे, कोई कुछ भी करता रहे और यदि शासन है तो जिम्मेदारी से कुछ बातों के बारे में फैसला इस सदन में आपको करना पड़ेगा, निर्णय करने पड़ेंगे, घोषणायें करनी पड़ेंगी, इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : सभानेत्री महोदया, सबसे पहले मैं सहकारी विभाग के संबंध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। सहकारिता आन्दोलन की कल्पना करके हमारी सरकार ने बहुत बड़े मन्सूबे बांधे थे, करोड़ों रुपये हर वर्ष गरीब समुदाय के भले के लिए ऋण के रूप में देने की योजनायें बनीं, लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है कि जिन लोगों को वास्तव में लाभ मिलना चाहिए था उनको लाभ न मिलकर सम्पन्न लोगों तक वह रुपया पहुंचा और उसके परिणाम स्वरूप, मेरी जानकारी के अनुसार, करीब 8 करोड़ रुपए सहकारी विभाग के पास बकाया के रूप में डूबे हुए पड़े हैं। निश्चित रूप से, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कमजोरी रही है, हालांकि विरोधी दल के नेता और सदस्यों ने इसी सदन में बराबर-बराबर इस बात की चर्चा की है। मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि हमारी वर्तमान सरकार द्वारा भी इस समस्या के समाधान के लिए और ऋणों की वसूली के लिए, जिस क्षमता से कार्यवाही हो सकती

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

है, वह नहीं हुई, लेकिन इसके साथ-साथ इस पहलू को नजरअंदाज किए वगैर नहीं रह सकता कि भरतपुर की जो बार-बार चर्चा करते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि भरतपुर में जो वसूलियां हो रही थीं, आज भी मुझे पता है, उस वसूली अधिकारी का स्थानान्तरण वसूलियों के बीच में क्यों हुआ ? क्योंकि वहां के भूतपूर्व सांसद के रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा था, वसूलियां हो रही थीं सदन में दहाड़ने वाले लोग इस बात का जवाब दें। उस समय उस अधिकारी का बीच में स्थानान्तरण करके वसूलियां रोकी गई। कहना आसान होता है कि सरकार हमारी है, मैं सरकार को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे किसी का रिश्तेदार हो, भाई भतीजा हो, सरकार का पैसा डूबना नहीं चाहिए, सरकार की आमदनी इकट्ठी होनी चाहिए और वह सरकार की विकास योजनाओं में लगानी चाहिए। सरकारी पैसे की वसूली के स्टे हो जाते हैं, बहुत सा पैसा अधिकारियों और हमारे द्वारा स्टे आदेशों के कारण रुका पड़ा है। स्टे के बारे में, मैं नहीं कहता कि स्टे नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन आवश्यकता को देखना चाहिए, वास्तविकता को देखना चाहिए और जहां तक संभव हो, कम से कम मामलों में स्टे किया जाना चाहिए,- जिससे अधिक से अधिक वसूली इकट्ठी की जा सके। सुनवाई के लिए गवर्नमेंट का एक अधिकारी सक्षम नहीं होता। राजस्थान भर में एक अधिकारी नियुक्त कर सरकार सोचे, विभाग सोचे कि सारी सुनवाइयां एक साथ हो सकती हैं. मैं उचित नहीं मानता। मेरी मांग है कि अलग से कोर्ट की व्यवस्था हो, जो केवल मात्र को-आपरेटिव की वसूलियों की सुनवाई की व्यवस्था करे, एक सीमा तय करे। जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सके सुनवाई हो और मामले निपटाए जा सकें। इस तरह की कार्यवाही के अन्दर वसूलियां इकट्ठी करने वाले अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप न हो, लोगों को काम करने का पूरा अवसर मिल सके।

सहकारी समितियों में दुनियों भर का भ्रष्टाचार है। जयपुर में ही नहीं, राजस्थान के विभिन्न नगरों में सहकारी समितियों के के रूप में बहुत से लोगों ने अवैध धन्धे कर रखे हैं, प्लाट्स काटने का एक प्रकार से धंधा बना रखा है जिसके माध्यम से दुनिया भर का भ्रष्टाचार हो रहा है। सहकारी समितियों का एक-एक सदस्य 3-3 बार प्लाट को बेच देता है. सहकारी समितियों के पास उस बात का रिकार्ड नहीं है, फर्जी प्रमाण पत्र दिये जाते है, विभाग के पास कोई कार्य करने के लिये सक्षम अधिकारी नहीं, सूचना नहीं है, विभाग के पास ठोस नियम नहीं हैं। इस प्रकार की परेशानियों से जनता को बचाने के लिए आपको तुरन्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सहकारी विभाग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सदस्यता अभियान को तीव्र गति से चलाया जाय, चुनाव तुरन्त कराये जायं। प्रशासकों के स्थान पर जनता के प्रतिनिधियों को बैठाकर उनसे निश्चित रूप

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

से काम लिया जाय और सहकारिता आंदोलन का जो उद्देश्य है, उसे पूरा किया जाय। मैं सहकारी समितियों और सहकारी विभाग पर, सभापति महोदया द्वारा दिए गए समय का इतना ही उपयोग कर निवेदन करना चाहता हूं इस मांग के साथ कि सहकारी विभाग की समस्याओं के साथ एक दूसरे बहुत बड़े विभाग को जोड़ दिया गया है जिसका सम्बन्ध राजस्थान से नहीं, बल्कि इस देश से है और भारत के उस पांच सूत्री कार्यक्रम से है जिसका नेतृत्व संजय गांधी के साथ चालू हुआ और राज्य सरकार उसको आगे रखकर चली। वन विभाग, जिसने संजय गांधी के सूत्र की शुरूआत की, संजय के सूत्र को माना, वन विभाग के अधिकारी उसको कितना निभा रहे हैं, मन्त्री महोदय का ध्यान उस ओर मैं आकर्षित करना चाहता हूं।

मुझे आश्चर्य होता है कि भारत सरकार की वन नीति के अन्तर्गत राज्य की निर्धारित भूमि के अन्तर्गत लगभग 30 प्रतिशत वनों की भूमि अलग से होनी चाहिए, 30 पर्सेंट क्षेत्र में वन होने चाहिए, लेकिन मुझे दुख है प्रदेश में 11 पर्सेंट से ज्यादा भूमि वन के रूप में नहीं है। वास्तविकता को यदि आप स्वीकार करें तो आपको महसूस करना पड़ेगा कि फर्जी आंकड़े आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान में 7 पर्सेंट से ज्यादा वन भूमि नहीं है। यह अहम मसला है। जो संजय गांधी का सूत्र है, केवल मात्र कागजों का सूत्र नहीं माना जाना चाहिए। वन विभाग की अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और 7 प्रतिशत की सीमा जो केवल मात्र कागजों के अन्दर बनी हुई है, वास्तव में धरती पर उनको आपको उतारना होगा।

राजस्थान की वह धरती है, जहां पर वनों के नाम से क्षेत्रों को पुकारा जाता था लेकिन आश्चर्य है कि जहां बांसवाड़ा, बांस के नाम से बांसवाड़ा बना, वहां बांस का नामोनिशान नहीं, खैरवाड़ा में खैर के वृक्ष का नाम नहीं, सागवाड़ा में सागवान के दरख्त आपको देखने को नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में मैं वन मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह चेते, सोचें और वन विभाग को अपने अंकुश में जकड़ें, वास्तविकता तक पहुंचने का कष्ट करें। जिस विभाग में 50 से ऊपर आई. एफ. एस. अधिकारी हों और वे अधिकारी केवल मात्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हों, भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हों और एक तरफ राज्य सरकार इस प्रकार की घोषणायें करती हो कि एक करोड़ पेड़ लगायेंगे। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार एक करोड़ पेड़ लगाती है, लेकिन उसके साथ-साथ पूछता हूं कि जब सरकार एक करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा करती है तो 80 हजार पौधे सैंट्रल नर्सरी से हल्दिया लाइन्स में जब मर जाते हैं तो उनका ध्यान रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और पैसे का दुरुपयोग होता है, तो एक करोड़ पौधे लगाने की योजनायें वास्तव में सफल नहीं हो सकतीं। इसलिए आपको सोचना होगा, विचारना होगा कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

होंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जब वन विभाग के लोगों से बात होती है। लोगों के बीच में बैठकर हम सोचते हैं तो मुझे इस बात को महसूस करना पड़ता है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप नजदीक से देखना चाहें तो आपको आज इस बात को महसूस करना चाहिए कि आपके विभाग में जो सर्वोच्च पद है मुख्य वन संरक्षक, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इसके स्थान पर इसका नाम मुख्य वन भक्षक कर दें तो इस अधिकारी के कर्त्तव्यों को चरितार्थ करेगा।

तो सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता लेकिन जब मैं विभाग के कारनामों को देखता हूं कि तब आपको उनके कारनामों में सी. बी. आई., और सी. आई. डी. से जांच कराई जाय और इसके लिए न्यायिक जांच कराई जाय तो भी मैं समझता हूं कि आप इनके बारे में पता नहीं लगा पायेंगे कि इस विभाग के मुख्य वन संरक्षक कौन हैं। आपने तो सर्वोच्च अधिकारी के. के. गुप्ता को बैठा रखा है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसकी अगर आप जांच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके सर्वोच्च अधिकारी के. के. गुप्ता नहीं है बल्कि मिस्टर संचेती हैं। चाहे सर्वोच्च अधिकारी के रूप में दस्तखत गुप्ता जी के होते होंगे लेकिन नीतियों के निर्धारण के मामले में और भ्रष्टाचार को पनाह कौन देता है इस वन विभाग को असलियत में कौन चलाता है, यह संचेती चलाता है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ. सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर चारों तरफ से भ्रष्टाचार चल रहा हो। जहां सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो और जहां पर सरकार वन विभाग की नीतियों का गुण गान कर रही हो तो सरकार इस बात की भूल करती है कि वहां पर कोई विकास का काम हो सकेगा। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा जो कि ईमानदार है और जिन पर मैं विश्वास करके चलता हूं उनसे आशा करता हूं कि उन्हें पहली बार मन्त्री पद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इन सभी भ्रष्टाचार के मामलों को देखेंगे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि करौली और सपोटरा में जगह-जगह पर 15 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। उन अधिकारियों के खिलाफ जांच भी साबित हो चुकी है लेकिन उन अधिकारियों को कोई दण्ड नहीं दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे इन अधिकारियों को सजा दी जावे और इन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जाय और इन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर आप इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

नहीं होगा। आप आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप तभी आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं जबकि आप इन दोषी अधिकारियों को दण्डित करें। नहीं तो आप चाहे सरकार के अन्दर मन्त्री बन कर तो बैठ सकते हैं लेकिन आप इस वन विभाग की गन्दगी को साफ नहीं कर सकेंगे। सभापति महोदया, जिन अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस ने जांच की डायरेक्टर विजिलेन्स उसको दोषी मान चुके हैं एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने यह कहा कि वह अधिकारी दोषी है तो फिर क्या कारण है कि उस अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? सभापति महोदया, उस अधिकारी के खिलाफ जनता पार्टी के शासन काल में उस समय के तत्काललीन मन्त्री ने यह लिखा कि के. के. गुप्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाय फिर भी क्या कारण है उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई ? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस व्यक्ति का चालान क्यों नहीं हुआ जबकि वह दोषी है और, सभापति महोदया, दोष साबित भी हो चुका है। लेकिन उसको किसी प्रकार थैलियां रुपये की देकर किसी प्रकार से बचाया जाता है। इसके अलावा यह भी है कि उस समय जनता पार्टी के शासन काल में उस वक्त के दो केन्द्रीय सरकार के मन्त्री भी उसके रिश्तेदार थे इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकी। सभापति महोदया, मैंने पता लगाया अभी तक वह फाईल सचिवालय में पड़ी है वहां दबी हुई है वह एक ऐसे अधिकारी के पास फाइल पड़ी है जिसकी ईमानदारी पर मैं अविश्वास नहीं करता हूं हमारे यहां के रेवेन्यू सेक्रेट्री साहब के पास है लेकिन मुझे एक बात की शंका है कि शायद मुख्य वन संरक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी उसका कारण यह है कि वर्तमान में जो रेवेन्यू कमिश्नर हैं उनके पिताजी यहां पर मुख्य वन संरक्षक रह चुके हैं और श्री के.के. गुप्ता उनके पिताजी के पास टी. ए. रह चुके हैं। इसलिए शायद रेवेन्यू कमिश्नर साहब अपने पिताजी के टी. ए. के खिलाफ क्या इन्क्वायरी करेंगे। जब वह जांच नहीं कर सकेंगे तो हमारे वन विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त भी नहीं हो सकेगा, इसलिए मन्त्री महोदय को फैसला करना है कि उन्हें क्या करना है। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। इसी प्रकार, सभापति महोदया, कांटेदार तार की खरीद के मामले में भी बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। इसी प्रकार वन विभाग की अन्य खरीद के मामलों में भी काफी भ्रष्टाचार हुआ है। इन सभी की जांच होनी चाहिए और इसमें जो दोषी पाये जावें उन अधिकारियों के कारनामों के प्रति सरकार को आंख मींच कर नहीं बैठना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जो कि हमारे देश के युवा नेता स्वर्गीय संजय गांधी के द्वारा चलाये गये हैं अगर आप उनके कार्यक्रमों को सही मायने में चलाना चाहते हैं तो आप को इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। सभापति महोदया, वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एफ. आई. आर. पुलिस में लॉज करवायी है और पुलिस ने इन्क्वायरी करके लोगों को जांच में दोषी पाया है

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

और इतना ही नहीं इस सदन में कई बार उन केसेज के लिए आरोप लगाये जा चुके हैं फिर भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए सभापति महोदया, चाहे इस पक्ष की सरकार आये चाहे उस पक्ष की सरकार रही पर इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ दोष साबित होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : इन अफसरों को भ्रष्ट करने के लिए सारी कार्यवाही ट्रेजरी बैंन्चेज के द्वारा की गयी है वही इसके दोषी हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : तो सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विभाग में कण कण में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जहां स्थान-स्थान पर भ्रष्ट लोग बैठे हों जहां पर इनके दलाल लोग खुले आम घूमते हों वहां पर सरकार कार्यवाही नहीं करे इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। सभापति महोदया, एक नहीं सैंकड़ों मामले हैं आप चाहे हनुमान गढ़ का मामला ले लो चाहे आप जयपुर में 29 हजार रुपये की चोरी का मामला वन विभाग का ले ले मुझे आश्चर्य होता है कि बिना तिजोरी के सरकार का 29 हजार रुपया जो डेली वेजेज कर्मचारियों का था वह वहां पर कैसे पड़ा रहा, उस केस में चोरी की रिपोर्ट हुई पुलिस ने जांच शुरू की तो उस वक्त चौकीदार ने लाकर रुपये पेश कर दिये। सभापति महोदया, वह चोरी नहीं थी वह उन अधिकारियों की मिलीभगत थी और उन्होंने उस रुपये को उठाया और काम में लिया जब वह उसको हड़प करने की कोशिश में सफल नहीं हुए तो सारा मामला खुल गया तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए सारी कार्यवाही कर दी। सभापति महोदया, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन अधिकारी थे जिन्होंने यह 29 हजार रुपया हड़पने की कोशिश की कौन-कौन अधिकारी इस साजिश में शामिल थे, आपने इसके लिए जांच की, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर वन विभाग के रुपयों की नोटों गड्डियों में से नोट चुरा लिए गए मामला जांच में दिया गया तो यहा पर उस व्यक्ति ने यह कह दिया कि साहब मुझे माफ कर दो मेरे भाई ने नोटों की गड्डी में से नोट चुरा लिए मैं आपके पांव पड़ता हूं तो इस प्रकार की घटनायें यहां हो जाती हैं पर कुछ भी नहीं होता। यहां पर मस्टररोल के मस्टर रोल गायब हो जाते हैं पर कार्यवाही नहीं होती है, सभापति महोदया, 70-70 हजार रुपये के मस्टर रोल गायब हो गये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी उसमें जाँच साबित हो गई। सभापति महोदया मैं मन्त्री महोदय, से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह चाहें तो देख लें हनुमान गढ़ पुलिस स्टेशन में 16-6-79 को एफ. आई. आर दर्ज हुई है आदमी दोषी पाया गया है मैं मन्त्री महोदय की ईमानदारी पर शं . ा नहीं करता हूं पर अगर वह इन सारे मामलों की तहकीकात करें और सारी फाइलें मंगा कर देखें तो उनको वास्त-

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

विकता का पता लग जायगा। सभापति महोदया, हनुमान गढ़ में जिस अधिकारी ने मस्टर रोल गायब किये वह एक गुप्ता साहब थे जो वहां पर केनाल एरिया में ओ. पी. गुप्ता लगा हुआ था विजिलेन्स ने जांच की पर क्या हो, वहां भी जुर्म करने वाला गुप्ता था और यहां भी सर्वोच्च अधिकारी श्री गुप्ता थे सारा का सारा रिकार्ड गायब हो गया। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े काण्ड होते है वह खुल जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है खुले आम लोग पैसा लेकर काम करते हैं भ्रष्टाचार के केस पकड़े जाते हैं पर कोई निश्चित कार्यवाही नहीं हुई वह अब होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाना चाहिये। सभापति महोदया, मैं तो इतना कहने से भी नहीं चूकूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जिनके खिलाफ जांच साबित हो चुकी है उनका काला मुंह करके जयपुर की सड़कों पर घुमाया जाना चाहिए जिससे कि वास्तव में जनता को पता लग सके कि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है नहीं तो सिर्फ बड़ी चोपड़ पर खड़े होकर भाषण देने से भ्रष्टाचार समाप्त नही हो सकता। इसके अलावा, सभापति महोदया, जनता पार्टी के शासन काल में एक बहुत बड़ा घोटाला वन विभाग में हुआ। सभापति महोदया, वन विभाग का मुख्यालय जब जलेबी चौक से वन भवन में स्थानान्तरित हो रहा था उस वक्त वन विभाग के तीन टाइप राइटर चोरी हो गए क्योंकि उन टाइप राइटरों से वहां पर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज टाइप हुए थे सभापति महोदया, वह असलियत में चोरी टाइप राइटरों की नहीं बल्कि जो दस्तावेज तैयार किये गये थे उन टाइप राइटरों से उसके लिए गायब किये गये थे ताकि सबूत नहीं मिल सके। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई पुलिस ने मामले की जांच की लेकिन इस मामले को दबाया गया तो मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप पता लगायें और बतायें कि किन अधिकारियों ने कौन से दस्तावेजों के लिए इन टाइप राइटरों को गायब किया। अब इससे ऐसी स्थिति हो गयी कि अवशेष भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस विभाग में अधिकारियों द्वारा अपने नीचे के कर्मचारियों का शोषण किया जाय जहां पर अधिकारियों ने सौगंध खा रखी है अपने नीचे के कर्मचारियों का शोषण करने की, जहां पर अधिकारी अपने पी. ए. और टाइपिस्ट को प्रेम पत्र लिखें और वह प्रेम पत्र अखबारों में आ जायं मैं पूछना चाहूंगा, सभापति महोदया, कि क्या कोठिया के प्रेम पत्र अखबारों में नहीं आये और आये तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? आज तक कोई कार्यवाही ही नहीं की गई बड़े हां शर्म की बात है। सभापति महोदया, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग में भाई भतीजा वाद का बोलबाला है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट कमेटी सीकर की मीटिंग हुई और फैमिली प्लानिंग की कमेटी की बैठक सीकर में हुई उसमें मैंने जिला-

(142)

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

घोश को कहा कि आप यहां पर आठ, सात और पांच रुपये रोज में अपने रिश्तेदारों को मत भरिये। यहां पर यहां के गरीब लोगों को रोजगार दें यहां पर आप दूसरे जिले के लोगों को लाकर मत लगाइये यहां पर रिश्वत लेकर दूसरे प्रदेशों के लोगों को मत लगाइये। लेकिन मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदया, कि यहां पर हमारे यहां के लोगों को गरीबों को रोजगार नहीं मिलता है वहां पर उनके मर्जीदानों और अर्दलियों के रिश्तेदारों को रखा जाता है ताकि उनकी बीवियों की साड़ियां धुलाई जा सकें। तो मैं, सभापति महोदया, यह मन्त्री महोदया पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आखिर क्या कारण है कि वहां के गरीब लोगों को काम में नहीं लगाया जाता है और दूसरी तरफ जो रिटायर हैं जो 60 वर्ष पार कर चुके हैं उनको वहां पर नौकरी पर रखा जा रहा है? एक तरफ सरकार बेरोजगारी को समाप्त करना चाहती है दूसरी तरफ इस तरह के लोगों को रखा जा रहा है जो कि उनकी सिट्टी मिट्टी भिड़ाते हैं। या जो लोग उनकी दलाली का काम करते हैं इसलिए मैं वन मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह वन विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो यहां पर इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें। और जो प्रदेश से बाहर के लोगों को रिश्वत लेकर रोजगार दिये जा रहे हैं उन्हें बन्द कराया जाय।

श्री सभापति : आप कृपया अब समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : दो मिनट का समय लूंगा।

श्री सभापति : नहीं आप विराजें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, मैं कोई भूतपूर्व मन्त्री तो हूं नहीं।

श्री सभापति : यहां पर मन्त्री का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : आगे उम्मीदवारी तो है। मन्त्री पद के लिए सीकर जिले से कोई मन्त्री भी नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, आपको पता होगा जयपुर में एक त्रिपोलिया है उसके दो दरवाजे हैं जिसमें एक दरवाजे से सिर्फ भवानीसिंह जी ही जा सकते हैं उसी तरह वन विभाग के दो दरवाजे हैं उसमें एक दरवाजे से श्री गुप्ता साहब ही जा सकते हैं और उनके आने या जाने के बाद वह दरवाजा बन्द हो जाता है। आज भी इनमें सामन्ती युग की शौक फर्माने की आदत है आज वन विभाग के अधिकारी लोग इनकी बीवी के लिए मिनी बस का इन्तजाम करते हैं घूमने जाने के लिए मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य होता है।

यदि इस विभाग को सुधारना है, यदि संजय गांधी की आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और वन विभाग के कार्यक्रम को प्रदेश में लागू करना चाहते हैं तो आपको इस

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

तरह के दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी ईमानदारी का सबूत होगा कि आप सदन के अन्दर मांग के परिपालन के समय, इस मांग के समर्थन में इसको स्वीकार करें और इन लोगों के खिलाफ आवश्यक जांच के लिए सी आई.डी. एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट और सी. बी. आई. को जिस प्रकार से भी आपकी आत्मा मंजूर करती हो उस प्रकार की इन्क्वायरी की सदन में घोषणा करें जिससे वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।

माननीय सभापति महोदया, आपने समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं लेकिन पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को यदि समाप्त नहीं किया गया और वर्तमान मंत्री महोदय ने घोषणा नहीं की तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा।

श्री सभापति : श्री भैरू सिंह गुर्जर

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदया मैं आपके माध्यम से आज की जो मांगें हैं, सहकारिता को, वन विभाग की उन पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं और आपके की माध्यम से मन्त्री महोदय, से कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, सर्वप्रथम तो मैं दो शब्द सहकारिता के उस कानून पर कहना चाहता हूं जो एक तरफा बनाये जाने कारण ही आज सहकारिता के ऊपर पूरी तरह से इस कदर नौकरशाही हावी है कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और जन प्रतिनिधि भी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं मैं कहता हूं, सभापति महोदया, कि शायद, जिस समय सहकारिता का एक्ट बनाया गया था उस समय शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं था, लोग ज्यादा नहीं समझते थे, इसलिए जिन लोगों ने कानून-बनाया, सहकारिता एक्ट उन्होंने मात्र ब्यूरोक्रेट्स को ऊपर करने के लिए और ब्यूरोक्रेट्स को प्रभावी करने के लिए कानून बना दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से मांग करूंगा कि जो कानून बना हुआ है, जिसकी वजह से ही नौकरशाही हावी है और वह एक तरफा शक्ति रखते हैं, सारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी में और नौकरशाही में रख दी गई है और जन प्रतिनिधियों की कोई शक्ति उसमें निहित नहीं है, उसमें, उस सहकारिता कानून में, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाय और सारी की सारी शक्तियां इस नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी से छीन कर जन प्रतिनिधियों के हाथ में दे दी जायं।

सभापति महोदया, सहकारिता के माध्यम से इस प्रदेश के काश्तकारों को और गरीबों को ऊंचा उठाने का उद्देश्य था वह धूमिल होता जा रहा है सभापति महोदया, सहकारिता नियमों में जब तक संशोधन नहीं होगा, जब तक ब्यूरोक्रेट्स के हाथों से कानून को नहीं छीना जायगा और ब्यूरोक्रेट्स की शक्ति कम नहीं जायेगी और इनमें जन प्रतिनिधियों को कानून बनाने का

१५५

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

और कानून को चालू करने का पूरा प्रावधान नहीं किया जायगा, तब तक न तो काश्तकारों का भला हो सकता है न गरीब तबके का भला हो सकता है यह जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है नौकरशाह है, वह पनपती जायगी और यही ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाह करोड़पति और लखपति बन जायेंगे और गरीब और भी ज्यादा गरीब हो जायगा । इन गरीबों का सहकारिता के माध्यम से जबर्दस्त शोषणा हो रहा है यह सहकारिता का कानून एक तरफा कैसे हावी है उसका मैं, सभापति महोदया, माननीय मन्त्री महोदय को एक दृष्टान्त देना चाहता हूँ । अगर कोई संस्था कोई फैसला करती है तो उसको ए. आर. खारिज कर सकता है और ए. आर कोई फैसला करता है तो उसको रजिस्ट्रार महोदय खारिज कर सकते हैं और रजिस्ट्रार फैसला करता है, उसको ट्रिब्यूनल खारिज कर सकती है और उसके बाद फैसला नीचे से ऊपर चलता है और हाइ कोर्ट तक भी चला जाता है । माननीय सभापति महोदया, एक गरीब आदमी होता है जो निम्न वर्ग का सदस्य होता है, वह कहां संस्था से हाइकोर्ट तक दौडता फिरेगा । भी चला जाता है । माननीय सभापति इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि इस सहकारिता के कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने की मैं जबर्दस्त मांग करता हूं और मन्त्री महोदय, को आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि इस कानून को हटा दिया जाय ।

सभापति महोदया, जब यह कानून नहीं रहेगा तो गरीबों का भला हो सकता है और गरीब वर्ग ऊंचा हो सकता है । गरीबों का शोषण तभी दूर होगा और यह ब्यूरोक्रेट्स तभी शोषण करना बन्द करेंगे जब कि कानून हटा दिया जायगा और जन प्रतिनिधियों के हाथ में कानून दे दिया जायगा ।

सभापति महोदया, इस विभाग में आज तक वर्षों से चुनाव नहीं हुए । चुनाव नहीं होने के कारण स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि जितनी भी सहकारी संस्थायें है वह सब राजनैतिक अड्डा बन गयी है । क्योंकि इन सरकारी अधिकारियों से पब्लिक का कान्ट्रेक्ट है और जब जन प्रतिनिधि उनके पास जाते हैं, चाहे वह मेरी पार्टी के लोग हों या दूसरी पार्टी के लोग हों, वह उनके साथ धोखेबाजी करते रहते हैं । पब्लिक अधिकारियों द्वारा पीसी जाती है । इसलिए सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सहकारिता विभाग में जितनी भी संस्थायें हैं उनके चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायं, जिससे गरीबों का शोषण नहीं हो और काश्तकारों को और गरीब जनता को सही राहत मिल सके ।

सभापति महोदया, चुनाव कराने के बाद में अगर इस कानून का सरलीकरण कर दिया जायगा तो जन प्रतिनिधियों को स्वतन्त्र रूप से काम करने का अवसर मिलेगा और जब तक कानून का सरलीकरण नहीं होगा और चुनाव नहीं कराये जायेंगे, जन प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकते और नौकरशाही अपनी मर्जी से चाहे जो करेगी । इसमें जन प्रतिनिधि ही सही रूप से काम करेंगे, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि उन्हें जनता से फिर चुन कर आना है ।

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

माननीय सभापति महोदया, मैं सहकारिता पर अधिक बोल कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं क्योंकि दूसरे साथी बहुत हैं,जो इस पर चर्चा करते रहेंगे लेकिन यह सही है कि सरकार ने अपने हाथों में शक्ति ली हुई है उसका कारण है कि विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । अगर शक्ति ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में नहीं रहे और जन प्रतिनिधियों के हाथ में दे दें तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि उनको चुनाव जीतने के लिए वोट लेने होते हैं । इसलिए जन प्रतिनिधियों के हाथ में सारा कानून दिया जाय ताकि जनता का भला हो सके ।

सभापति महोदया, इस सहकारिता विभाग के बारे में अन्तिम निवेदन है । इन संस्थाओं में व्यवस्थापकों के पद पर जो नियुक्तियां की गयी हैं इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि व्यवस्थापकों की नियुक्तियां पूर्णतया दोषपूर्ण हैं । जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक बैठाये गये हैं वह न तो पढ़े लिखे हैं और न उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग ही दी गयी है, न उनको काम करना आता है और न वह सहकारी विभाग के बारे में अ, आ, ई. जानते हैं और वह अपने यहां जो बांटने के लिए वस्तुएं ले जाते हैं उसमें आधी तो वह अपने ही लिए ले जाते हैं और रजिस्टरों में हेराफेरी करते हैं । यह पूरे राजस्थान में हो रहा है और तब से ज्यादा हो रहा है जब से कि जनता पार्टी का शासन आया था । इस जनता पार्टी सरकार ने तो खुला भ्रष्टाचार फैलाने की इजाजत दे दी थी । इसलिए सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि व्यवस्थापकों के हाथ में सारी शक्ति नहीं रहे और जनता के हाथों में वह सत्ता सौंप दी जाय तो जनता का बहुत फायदा होगा व्यवस्थापकों को ही रखना है तो उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाय, उनको सारे कामकाज सिखाये जायं ताकि वह जनता की सही ढंग से सेवा कर सकें ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : और तनख्वाह बढ़ाई जायें ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : वह सामान को इधर उधर करके वैसे ही गुजारा कर लेते हैं सभापति महोदया, मेरा सुझाव है, मुझे इस विभाग से सबसे बड़ी शिकायत है । रजिस्ट्रार महोदय, जिनका नाम तो मैं जानता हूं, लेकिन उनका नाम यहां नहीं लूंगा, उनको मैंने आठ दस चिट्ठियां लिखीं मेरे क्षेत्र का नवयुवक मण्डल है उसकी समस्या हल करने के लिए लेकिन आज तक उन रजिस्ट्रार महोदय ने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उन अधिकारियों को, जो कि उनके नीचे हैं जो उन तक चिट्ठी नहीं पहुंचाते, उनको चेतावनी दें कि जन प्रतिनिधि की चिट्ठी आती है तो जवाब तो दें । नहीं तो हम उनके घर में घुस कर ठीक कर देंगे, जनता उनके यहां घुस जायेगी और जूते पड़ेंगे । जनता उन को छोड़ेगी नहीं ।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

सभापति महोदया, इसके बाद पिछले विधान सभा सत्र में भी मैं इस बात को उठा चुका हूं कि पाला सहकारी बैंक के अन्दर लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है लेकिन अधिकारियों ने आज तक उसकी जांच कराने की बात नहीं उठाई और सोचा तक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यदि उनके ध्यान में हो तो पाली जिला सहकारी बैंक सोसाइटी है उसके जनरल मैनेजर के पद पर पिछली सरकार ने यू. डी. सी. को बना कर बैठा दिया है। वह मामला रिश्तेदारी का था। मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदया, मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि उस भ्रष्ट जनरल मैनेजर को हटाया जाय और उसको वापस उसी पद पर भेजा जाय और किसी अच्छे जानकार आदमी को जनरल मैनेजर के पद पर लगाया जाय।

मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितनी भी सोसाइटीज बनती हैं जब तक उनके चुनाव नहीं होंगे यह लोग लोन देते हैं, बैंक लोन देता है, गरीबों के हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं, गरीबों के अंगूठे करा लिये जाते हैं और लोन पता नहीं किस की जेब में जाता है। आप कृपया इसकी जांच करायें कि गरीबों से किस प्रकार से दस्तखत करा लिए जाते हैं और क्या वहां पर उनको लोन मिला है या नहीं ?

अगर मन्त्री महोदय जांच करेंगे तो उनको सब मालूम हो जायगा। उनसे दस्तखत करा लिए जाते हैं फिर साल दो साल बाद में उनको नोटिस दिये जाते हैं कि पैसा जमा कराओ। ऋण लिया हो तो किश्तें जमा करायें। सभापति महोदया, उन लोगों के ऊपर जबर दस्ती मुकदमे बनाये जाते हैं। वैसे तो बेचारे गरीब पिस रहे हैं लेकिन सहकारिता विभाग के माध्यम से उनको और पीसा जा रहा है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको बचाया जाय और कानून का सरलीकरण किया जाय ताकि गरीबों को शोषण न हो।

सभापति महोदया, सहकारिता विभाग के बाद अब मैं वन विभाग की ओर आता हूं। वन विभाग के बारे में मेरे एक साथी ने बहुत कुछ कह दिया। मुझे उतना तो नहीं कहना लेकिन मेरे जिले की जो कुछ समस्याएं हैं उनको में बताना चाहूंगा। सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में जोजावर वन क्षेत्र में कत्था निकलता है। मैंने इस बारे में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया था लेकिन टाल दिया गया। जहां कत्था तैयार किया जाता है, कोटा साइड के तीस चालीस लोगों को ले जाकर वहां रखा है। उन गरीबों के खून से कत्था लाल हो रहा है। जिस प्रकार से जागीरदार बन्धक रखते थे, उसी प्रकार ठेकेदार ने अधिकारियों से मिल कर उन गरीबों को बन्धक बना रखा है। उनको न रोटी मिलती है, न शक्कर मिलती है न पानी मिलता है। रात को जंगलों में अकेले पड़े रहते हैं। लालटेन, मोमबत्ती नहीं। कई जंगली जानवर जंगलों में रहते है। किस तरह से वह अपना जीवन

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

व्यतीत कर रहे हैं। सभापति महोदया, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं चाहे मेरे क्षेत्र के न हों लेकिन कम से कम सरकार, हमारे मन्त्री उन लोगों की तरफ ध्यान तो दें। सभापति महोदया, ठेकेदार से कत्था निकलवाया जाय, तो उसको पता चले कि कत्था किस प्रकार से निकाला जाता है। न कोई समय का हिसाब है। सुबह लगते हैं सुबह से रात हो जाती है। कहां के वे रहने वाले हैं, उनको रेलवे लाइन का मालूम नहीं, सड़क का रास्ता मालूम नहीं, जंगलों में उनको रख रखा है....

श्री सभापति : किस स्थान पर लगे हुए हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: सभापति महोदया वे कत्था निकालते हैं अरावली तलहटी में आपके क्षेत्र के बिलकुल नजदीक। सभापति महोदया, कोटा साइड के वे लोग हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम उन लोगों को राहत मिले, न उनको अनाज मिलता हैं, न रात को जलाने के लिए कैरोसिन मिलता है। सभापति महोदया, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और दिया था। पाली जिले में उप वन संरक्षक या सहायक वन संरक्षक या जिला वन अधिकारी, उनको मैंने नहीं देखा, लेकिन उनका नाम सी. वी. कोटिया करके एक डी. एफ. ओ. बैठा रखा है। सभापति महोदया, क्या बताऊं मेरे क्षेत्र से अरावली की पहाड़ियों में रात को गाड़ियां भर कर ले जाते हैं। एक ओर तो सरकार कहती है वृक्ष उगाओ और दूसरी तरफ गाड़ियां भर कर लकड़ी को भेज दिया जाता है। सभापति महोदया, सोजत रोड का जो रेलवे क्रासिंग है वहां चौकी की व्यवस्था कर दी जाय तो पता लग सकता है कितनी ट्रक लकड़ी की भर कर वहां से निकलते हैं। हजारों ट्रक निकलते हैं। जोधपुर में कुछ पकड़े भी गये हैं। अधिकारियों की मिली भगत से पुलिस की मिली भगत से यह सब हो रहा रहा है। वन विभाग के आफिसर मिले हुए हैं। आपके माध्यम से सभापति महोदया, वन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवायें। पाली जिले के अन्दर अकाल घोषित किया गया है। सभापति महोदया, अकाल के तहत वहां के जो वन अधिकारी हैं उन्होंने घोषणा कर दी इससाल फारेस्ट की जो रेंज में घास हुआ नहीं सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वी. वी कोटिया साहब ने फर्जी ठेके बनाये, फर्जी ठेकेदार बनाकर घास बेच दिया सारा घास वहां से साफ कर दिया। ऐसा भ्रष्ट अधिकारी जिसका पेट फूलता जा रहा है उसको अविलम्ब निलम्बित किया जाय। इसी के साथ आपने जो समय दिया उसके उसके लिए धन्यवाद और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कहीं, ध्यान देकर जांच करवायेंगे।

श्री सभापतिः श्री मोहन लाल मोदी।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बात करते हो, फिर भ्रष्टाचार में बैठे हो।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : अफसोस है इनको टिकट नहीं मिला।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, इन्होंने काम नहीं किया होगा, इसलिए बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया आपस में बात न करें।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, जो आज डिमाण्ड चल रही है उसमें मैं कुछ खनिज विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में खनिज का अपना एक विशेष महत्व है और विकासशील देश की उन्नति में खनिज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। राजस्थान के विकास में खनिज का बहुत महत्वपूर्ण योग है। राजस्थान में तो खनिज के भण्डार हैं और बहुत बड़ी मात्रा में अतुल भण्डार हैं। इनका जितना दोहन होना चाहिए उतना दोहन नहीं होता है। सभापति महोदया, मैं इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान कुछ कम दे रही है। इसकी प्रक्रिया सही नहीं है, जिसकी वजह से इस खनिज का दोहन नहीं हो पाता। यह मिनरल्स दो तरह से गाइड होती हैं। एक मेजर मिनरल और दूसरी माइनर मिनरल।

एक माननीय सदस्य : आपने ले रखी है।

श्री मोहनलाल मोदी : उसमें आपको भी शामिल कर रखा है।

एक माननीय सदस्य : हिस्सेदारी ले लें....

श्री मोहनलाल मोदी : इसी हिस्सेदारी का झगड़ा था....

श्री सभापति : आप अपनी बात प्रारम्भ रखें।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, माइनर मिनरल स्टेट गवर्नमेंट के रूल से गवर्न करती है और मेजर मिनरल सैन्ट्रल गवर्नमेंट के रूल्स से गवर्न होती है। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है जब लीज नहीं देंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। जो आंकड़े दिये हैं इन आंकड़ों को यदि आप देखेंगे, इन्होंने आय बढ़ा दी। आय तो पिछले वर्षों के मुकाबले में मूल्य वृद्धि से बढ़ गई है। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, आय किस प्रकार से बढ़ेगी। मिनरल की लीज नहीं दे पाते। जो मेजर मिनरल होती है, उसमें एक वर्ष का समय निर्धारित है और जो माइनर मिनरल है, उसमें 9 महीने का समय निर्धारित है, लेकिन उस पीरियड में मिनरल्स की लीज स्वीकृत नहीं हो पाती हैं और न ही मेजर मिनरल्स की लीज हो पाती हैं। इस पूरे पीरियडके अन्दर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी खनिज मन्त्री भी रहे हैं, उनके पास काम की अधिकता कहूं या किस तरह से कहूं, हजारों फाइलें उनके यहां पड़ी रहीं और अब दुबारा विभाग को वापस लौटा दीं कि दुबारा देखकर भेजो। सभापति महोदया, एक वर्ष का समय जब पूरा हो जाता है तो आटोमेटिकली अस्वीकृत हो जाती हैं उस पीरियड में सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास

(श्री मोहन लाल मोदी)

रिवीजन के लिए जाना पड़ता है, रिवीजन में फिर 6 महीने का स्टेट गवर्नमेंट को टाइम देते हैं, कि 6 महीने में डिसाइड करके भेजिये। 6 महीने का टाइम मिला, उसमें भी तय नहीं कर पाते हैं, यह सबसे बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से माइन्स पर उत्पादन नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्री जी तो नये हैं, मिनरल्स के नाम भी शायद मालूम नहीं होंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी जो 79–80 का, विभाग का जो आय व्यय का विवरण मिला है उसके अन्दर लिखा है कि 120 खनन पट्टे प्रधान खनिजों के जैसे सिलीका सैंड, सोप स्टोन, चूने के आदि के दिए गये। इसमें कहीं भी डोलोमाइट का जिक्र नहीं है। सभापति महोदया, डोलोमाइट से राजस्थान में सबसे ज्यादा आय हो सकती है। डोलोमाइट के बारे में हमारी सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं कर रखी है। डोलोमाइट दोनों तरह से, वह माइनर मिनरल में भी आता है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी केबिनेट रेन्क का मिनिस्टर नहीं है।

एक माननीय सदस्य : पानी पेशाब भी नहीं कर सकते हैं क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोई भी आ जाय।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द आमलिया : बिलकुल स्वतंत्र चार्ज है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि केबिनेट रेन्क का ही मिनिस्टर हो।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केबिनेट रेन्क का मिनिस्टर होना चाहिए। चीफ व्हिप महोदय से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से—केबिनेट मिनिस्टर कोई न कोई चाहिए यहां।

(व्यवधान)

क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री भैरूं सिह गुर्जर : अब तो चुप रहो शेर आ गया है।

श्री सभापति : बोलेने दीजिये, माननीय सदस्य को। अपना-अपना भाषण प्रारम्भ रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय ललित किशोर जी ने आपके विभाग पर चार्ज लगाये हैं, आपके विभाग की बात थी और आपने ही कहा वि ललित किशोर जी बोल गये क्या। आपको कुछ पता तो रहता ही नहीं है। वन विभाग में लाखों के घोटाले हुए हैं। आपको तो पता ही नहीं है।

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदया, डोलोमाइट माइन्स मेजर मिनरल में भी दी जाती है और माइनर मिनरल में भी दी जाती है, लेकिन एक भी लीज पूरे राजस्थान में सैंक्शन नहीं की गई है। मैं

(श्री मोहन लाल मोदी)

मन्त्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं आप इस पर ध्यान दीजिये। जब आप लीज नहीं देंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। लीज नहीं देने का कारण, आपके विभाग की नीति स्पष्ट नहीं है कि हम क्या नीति अपनाना चाह रहे हैं। स्टील को मेजर मिनरल में आप जो लीज देते हैं उससे आप स्टील प्लान्ट में ही सप्लाई करें ऐसी विशेष शर्ते लगा देते हैं। मैं निवेदन करता हूं राजस्थान में कोई स्टील प्लान्ट नहीं है जिससे राजस्थान का डोलोमाइट काम आ सके, दूसरी जगह भेज नहीं सकते हैं। यदि राजस्थान का डोलोमाइट स्टील प्लान्ट में काम आने वाला नहीं है तो माइनर मिनरल की रॉयल्टी लेकर क्यों नहीं देते हैं? जब तक एक मिनरल है और मेजर मे यूज होता है तो मेजर की रॉयल्टी लीजिये और अगर माइनर मे यूज होता है तो माइनर की रॉयल्टी लीजिये। सारी लीजेज जयपुर की 5—7 पार्टी की तो उनको आपने समाप्त कर दिया, उन पर चार्ज लगा दिया, आखिर किस तरह आपका उद्योग बढ़ेगा। मैं समझता हूं आप स्पष्ट नीति तय कर लें, माइनर में दीजिये या मेजर में दीजिये, आपके पास उसकी लीज देने के अधिकार हैं, तो अवश्य उसका उपयोग कीजिये। जिप्सम का इतना बड़ा भण्डार है, डोलोमाइट का इतना बड़ा भण्डार है इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा हूं, कि इसकी नीति स्पष्ट कीजिये। माइनर मिनरल में दिक्कत न हो, इसकी आप व्यवस्था करवाइये।

एक सबसे बड़ी समय की पाबन्दी करिये। 12 महीने का टाइम दिया है तो उसमें एम. ई. के पास कितना टाइम लगाना चाहिए, ए. एम. ई. के पास कितना टाइम लगाना चाहिए, डायरेक्टोरेट में कि ना टाइम लगे, सेक्रेटेरिएट में कितना टाइम लगे, इसका विभाजन किया हुआ है और उस टाइम में फाइल नहीं निकले तो उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एम. ई और ए. एम ई. के पास फाइल पड़ी रहे और मन्त्री जी को पता ही नहीं, टाइम बार्ड हो जायगा।

मेरा निवेदन है, यदि राजस्थान में नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते है तो खनिज विकास पर ध्यान दीजिये। मैं आपको ध्यान देने का तरीका बताना चाहता हूं। आपने पिछले साल 80-81 में नई सड़कों पर 107.50 लाख रुपया रखा था और आप उन्नति करना चाह रहे हैं, नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते है इस वर्ष सिर्फ 45 लाख रुपये ही सड़कों के लिए रखे हैं। अब आप केवल तीन नई सड़कें ही ले रहे हैं, जबकि पिछली साल 7 नई सड़कें थीं। जहां माइन्स हैं, वहां सड़कें नहीं हैं। सड़कें आप बनाना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको कैसे मिलेगी? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप राजस्थान की उन्नति करना चाहते हैं तो इस नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ायें और जब तक नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ायेंगे, तब तक उन्नति नही होगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं—मंत्री महोदय से, विशेष तौर से, जब इसका जवाब दें, तो अंकित करिये कि 107 के

(श्री मोहनलाल मोदी)

बजाय केवल 45 लाख ही क्यों रखे हैं। नीम का थाना ए. एम. इ. आफिस एक करोड़ का राजस्व एक वर्ष में आपको देता है। आप वहां पर सड़कों पर या अन्य किसी डवलपमेंट पर एक पैसा खर्च नहीं करते हैं। क्या सोच रखा है? मैं निवेदन कर रहा हूं, जहां से आपको इतने बड़े राजस्व की आय होती है, वहां खर्च भी कीजिये।

आप प्राडक्शन की बात करेंगे, लेकिन कहीं मशीन पर रुपया खर्च नहीं किया, न सड़कों पर खर्च किया तो उत्पादन अपने आप तो होने से रहा। विभाग की बहुत बड़ी जिमेम्दारी है। और आज तो आपके विभाग की ऐसी स्थिति है कि जो माइन ओनर जाता है उसको सहयोग नहीं मिल पाता है। उनको यह महसूस होना चाहिए कि जो माइन ओनर आया है, यह राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ाने वाला है। हमारे राजस्थान की किस तरह रेवेन्यू बढ़े, उसको उसी प्रकार की सुविधा देनी चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, खनिज की आय बढ़ाने के लिए आपने इस वर्ष के बजट में केवल तीन सड़कें मन्जूर की हैं। 45 लाख में सड़कों का निर्माण जिला भरतपुर, जयपुर एवं बाड़मेर में प्रस्तावित है। मैं निवेदन कर रहा हूं, सीकर जिला बहुत बड़ी रेवेन्यू देता है। आप इसमें संशोधन करके सीकर जिले की सड़कें भी शामिल कीजिये।

एक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज सबसे बड़ी दिक्कत है, शायद मंत्री महोदय को भी मालूम नहीं और विभाग के अधिकारियों को भी मालूम है या नहीं, वे कोई लीज देने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि फारेस्ट में माइनिंग लीज देने में एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है– ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट अब चार महीने से जंगलात विभाग नई लीज देने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देता है। उनका कहना है कि भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन निकला है। मेरे खयाल से या तो समझ में अन्तर है या फिर कोई लैंग्वेज डिफेक्टिव है रूल की। उनका कहना है वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जाय। मैं कहता हूं, अगर ऐसा रूल है और कानून में दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत को दूर करना चाहिए। आज विभाग की यह स्थिति नहीं है कि कोई नई लीज दे सके। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, क्या माइनिंग विभाग को पुरानी लीज के आधार पर चलाना चाहते हैं। इस पर आप बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करिये। और कहीं दिक्कत है सैन्ट्रल के रूल में तो उसको देखिये, यहां के वन अधिकारियों से बात करिये। क्यों नहीं नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। जितनी माइन्स है उनमें सब में यही स्थिति है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब देते है।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको शायद गलतफहमी है।

यानि, ये बिलकुल स्पष्ट आपको करना चाहिए कि जब आप नयी लीज नहीं दे पायेंगे तो आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू किस

(श्री **मोहनलाल मोदी**)

प्रकार बढ़ेगी । जंगलात में जितनी भी माइन्स हैं, वो पहाड़ों में होती हैं और पहाड़ सारे जगलात के कब्जे में हैं, तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस पर पूर्ण ध्यान देकर इसमें कार्यवाही करें । सबसे बड़ी दिक्कत एक आपके यहां इस बात की है कि समय पर लीज आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते समय पर एप्लीकेशन का डिस्पोजल नहीं हो पाता और एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो जाय तो एग्रीमेन्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाय तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। मन्त्री महोदय, इतनी बड़ी दिक्कतें शुरू से आप दे रहे हैं, इतनी बड़ी दिक्कतों का माइन ओनरों को सामना करना पड़ता है कि कई साल उसको लग जाते हैं । राजस्थान की जो खनिज सम्पदा है, उसको निकाल नहीं पाते, आपकी रेवेन्यू बढ़ नहीं पाती । एक और निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप बजरी और चेजे के पत्थर के, ठेके देते यह हैं, आम काश्तकार गरीब मजदूर सब के काम आने वाली चीज है । मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहले भी सरकार के आदेश हुए थे कि बजरी, चेजे पत्थर का ठेका नहीं दिया जाय, इसकी कोई रायल्टी नहीं ली जाय । आज यह स्थिति है कि आपने छोटे-छोटे 50-50 गज के प्लाट्स दे दिये और उसके अन्दर एक गाड़ी बजरी लाने वाले को,कोई मन मुताबिक पांच रुपये ले ले, 10 रुपये ले लो, एक गाड़ी पत्थर लाने वाले को बड़ी परेशानी, उस पर मुकदमा बन जाय, उसके औजार छीन लिये जावें, इससे आपको बहुत बड़ी रेवेन्यू नहीं मिलती। जब बहुत बड़ी रेवेन्यू नहीं मिलती, गरीब लोगों को लाभ मिलता है, तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि बजरी और चेजे पत्थर की आपको रॉयल्टी हटा देनी चाहिए और फ्री कर देना चाहिए ताकि आम लोगों को लाभ मिल सके । यह पहले भी किया था, लेकिन बीच में जनता सरकार ने ऐसे आदेश जारी कर दिये या आप लोगो ने आकर ऐसे कर दिया, इसकी तो जानकारी नहीं हैं,लेकिन पहले ऐसा हुआ है । पहले कांग्रेस सरकार के अन्दर,उन्होंने ऐसे आदेश जारी कर दिये थे कि बजरी और चेजे के पत्थर की कोई रायल्टी नहीं ली जायगी न किसी को ठेका दिया जायेगा । आज आपने बजाय ठेका देने के 50-50 फीट के परमिट दे दिये और उनमें जब जो चाहे, पैसा वसूल करते हैं । किसी तरह की रायल्टी का कन्सर्न नहीं है । अब मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, वन विभाग के बारे में भी आज आम आदमी की बहुत बड़ी तकलीफ है, इससे,

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दो मिनट । ज्यादा समय नहीं लूंगा । वन विभाग में गरीब लोग सूखी लकड़ी ले आते हैं, छोटे मोटे काम धन्धे अपने करते हैं लेकिन वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उनको परेशान करते हैं, मैं वन मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आप इस ओर ध्यान देकर एक ऐसी व्यवस्था करें कि आम आदमी को वहां तकलीफ न हो । आपने कोई परमिट

(श्री मोहन लाल मोदी)

सिस्टम किया हुआ है। बेंत की लकड़ी की टोकरी बनाने वालों को परमिट आपके यहां से कुछ पैसे लेकर बांस के परमिट बनते हैं, लेकिन परमिट बनाने वाले नहीं होते। जब वह नहीं मिलेगा, तो वह ले आयेंगे। लाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमे बनते हैं, उनको परेशान किया जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसके अन्दर आप सुधार करिये कि आम आदमी को जंगलात विभाग से शिकायत न रहे। बहुत छोटी-छोटी बातों में गांव में, पहाड़ में रहने वाले आदमियों को, उसके घर पर वहीं जंगल पहाड़ हैं, वह अगर एक गठरी लकड़ी की ले जाता है, तो उसका चालान कर दें, गिरफ्तार कर दें, इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं, अगर इसमें कहीं कोई कानूनी खामी है, तो उसको दुरुस्त करिये।

सभापति महोदया, सहकारिता विभाग का तो नमूना आपके सामने है, जितने माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार तो है ही, यह तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन, कुछ अभी दो एक माननीय सदस्य बहुत, बड़े-बड़े अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे थे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले भैंस को अपना रंग देखना चाहिए, फिर दूसरों पर बात करनी चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है कि इन अधिकारियों को भ्रष्ट करते हैं, यह सब राजनेता करते हैं। अधिकारी का, एक एक अधिकारी का दस दस जगह ट्रांसफर, यानि महीने में चार आर्डर। एक आर्डर कर दिया अधिकारी का, दुबारा उसको कैन्सिल करा दिया तीसरे में फिर करा दिया। ये कौन करता है? और ये ट्रेजरी बैंचेज के माननीय सदस्यों की बड़ी बड़ी लिस्टें, यानि 2-2 गज की लिस्टें पड़ी हुई मैंने देखी हैं। उन पर दस्तखत हैं, फलां सदस्य, फलां सदस्य और फिर अधिकारियों को दोष देते हो। अधिकारियों को दोष देकर डिमोरलाइज करेंगे तो आप कभी भी प्रशासन सही नहीं कर पाओगे। प्रशासन के लिए पहले खुद को ईमानदार होना पड़ेगा, फिर उनको कहिये।

(व्यवधान)

मैंने इधर बैठकर भी आरोप लगाये हैं, मन्त्रियों पर। आपकी जुबान बंद है। मैं जिस समय यहां बैठता था, ट्रेजरी बैंचेज में, उस समय मैंने अमृत लाल यादव के ऊपर इस विधान सभा में चार्जेज लगाये और कल भी मैंने आपके बद्री प्रसाद जी गुप्ता के ऊपर चार्जेज लगाये हैं, आप जांच कराइये इसकी, अगर आपमें दम है। अधिकारियों की बात करते हैं, आप उनको डिमोरलाइज करते हैं, तो आपकी, अधिकारी पूछ करने वाले नहीं हैं, आपकी अधिकारी इज्जत करने वाले नहीं हैं, आप इन मन्त्रियों के खिलाफ करिये, पकड़िये आप इनको। बद्री प्रसाद जी गुप्ता को मैंने चैलेन्ज करके कहा था कि मैं जांच भी कराऊंगा, मैं यहां विधान सभा में रखाऊंगा, उनके सारे नमूने। फिर आपके अगर दिमाग में बैठती है, मेरी बात सही है तो मदद करके बद्री प्रसाद की खिलाफत करिये। तब तो मैं समझूंगा कि आप लोग सारे, सही स्थिति में चलने वाले हैं। मैं यह निवेदन नहीं कर रहा हूं कि एक आदमी 20 साल नहीं रहना

(श्री मोहनलाल मोदी)

चाहिए । ये तो जनरल बात बतायी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार को हटाने का आप ट्रेजरी बैंचेज के माननीय सदस्यों के दिमाग में है कि भ्रष्टाचार खतम होना चाहिये तो आपके किसी मन्त्री व किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वह भ्रष्टाचार कर सके। इसलिए मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ खनिज मन्त्री महोदय से निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इसको, अधिक से अधिक अपने स्टाफ को सजग करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री अहमद बक्श सिन्धी ।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्ताव के प्रस्तावक की सदन में उपस्थित

श्री हंसराज शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर। कटौती प्रस्ताव में जिस सदस्य को पुकारा जाय और यदि वह अनुपस्थित है तो इस सदन का अपमान है।

श्री सभापति : किस बात का ?

श्री हंस राज शर्मा : कि वह कटौती प्रस्ताव, जो दिया है, जब आसन से पुकारा जाय, तो उसे यहां उपस्थित रहना कम्पलसरी है। इस प्रकार की आसन ने पूर्व में व्यवस्था दी हुई है।

श्री सभापति : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सदस्य की मर्जी है। यह कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ये कटौती प्रस्ताव के अनुसार बोल ही नहीं रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इनकी तो आदत है, किसी न किसी बात पर रोड़े अटकाने हैं और बात को बिगाड़ना है।

श्री हंसराज शर्मा : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तावक को अपने नाम पुकारे जाने के समय सदन में उपस्थित रहना चाहिए। शिक्षा विभाग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुकने के पश्चात् जब श्री मुक्ति लाल मोदी ने कहा कि उनका भी एक प्रस्ताव था, जिसे प्रस्तुत करने की उन्हें आज्ञा दी जाय, तो श्री अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

आप तो प्रोसिडिंग पढ़ रहे हैं श्री अहमद बक्श सिन्धी जी, आप बोलिये ।

श्री हंसराज शर्मा : आपको बोलने की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती है कि जो सदस्य कटमोशन्स रख चुके हैं, उनको सदन में हाजिर रहना चाहिए था। जब नम्बर आता है और उस वक्त सदस्य अनुपस्थित रहते हैं, तो यह सदन का बड़ा भारी अपमान है। समय पर उनको यहां पर रहना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था दी हुई है।

श्री सभापति : वह मैंने सुन ली, पता लगा लिया। वह वास्तव में आयी थी, उनका कुछ अलग ढंग का केस था।

श्री हंसराज शर्मा : यह सदन का अपमान है, यह प्रिविलेज में आता है।

(व्यवधान)

मांग संख्या 36,9 व 43 पर विचार

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर) : मैडम सदरे मजलिस, मैंने तीनों सब्जेक्ट्स पर कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। सहकारिता, जंगलात और खनिज। सबसे पहले, मैं एक बात शुरू में अर्ज कर दूं कि मैं वह आदमी हूं जो सियासत के अखलात पर बुनियाद रखता हूं, मोरेलिटी पर अपने खयालात को पेश करता हूं, उन आदमियों में से मैं हूं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ये तीनों महकमें भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। चाहे कोई अफसर आ जावे सहकारिता में, जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं, वे सब फर्जी बनी हुई हैं, यह मेरा जाती तजुर्बा है और उसमें सिवाय एक दो आदमी के और सभी नाम फर्जी होते हैं और बेकार होते हैं। उसमें दो आदमी, एक आदमी, फायदा उठाता है और बाकियों को महरूम करता है। जब लायबिलिटीज आती है तब वह याद करता है कि आप भी शामिल हों। तो इस किस्म की व्यवस्था कतई चलने वाली नहीं है सहकारिता में। सहकारिता का मतलब है कि गरीब लोग मिल जुल कर कोई धन्धा शुरू करें। ये सहकारी दुकानें जो चल रही हैं आपके शहरों के अन्दर, उनमें असेंशियल कमोडिटिज दी जा रही हैं लोगों को, सप्लाई करने में, उसमें भी मैंने देखा है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि हमारे जोधपुर में, घोड़ों के चौक में सहकारी समिति है, जिसका मैं भी डायरेक्टर हूं, शेयर होल्डर हूं। दो शेयर मैंने भी खरीदे हैं, लेकिन मैं मीटिंग में कभी गया ही नहीं और मुझे बताया गया कि जब कोई प्राफिट हुआ तो प्राफिट को नगद की बजाय उन्होंने एक शेयर और भेज दिया। तो यह कागजी कार्यवाही चलती रहती है और उसमें सिर्फ दो चार आदमी फायदा उठाते हैं। शक्कर उनको चाहिए, तो उनके यहां पहुंच जाती है, गेहूं पहुंच जाता है, कैरोसिन पहुंच जाता है। लेकिन हम लाइन में खड़े रहते हैं, शक्कर लेने के लिए दुकान पर और हमारी बारी आती है....

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : आप तो डायरेक्टर हो।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं शेयर होल्डर हूं, डायरेक्टर नहीं हूं। तो हम लाइन में खड़े रहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : यहां पर भी आप मंत्री के लिए लाइन में ही हो।

श्री अहमद बक्श सिंधी : और हमारे हिस्से में आता है, अल्ला अल्ला खैर सल्ला।

दूसरी बात यह है कि इसमें आम तौर पर गबन और पक्षपात चलता है। गबन के मामले भी चलते हैं, लेकिन हमीं लोग हैं, एम.एल.ए. लोग हैं सियासी लोग हैं, जो संरक्षण देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, यह

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

बहुत बुरी बात है । उन लोगों को, जिन्होंने गबन किया है, अदालत के सामने पेश करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी इंक्वायरी इंवेस्टीगेट करना चाहिए, बजाय इसके, कि उनको सपोर्ट किया जावे ।

अब इस जंगलात के बाबत अर्ज करता हूं । जंगलात का मामला ऐसा है कि जो बहुत गंभीर है । जंगलात का काम दरखत उगाना है और हमने हजारों, सैकड़ों दरखत उगाए । शहर जोधपुर में दो ढाई सौ दरखत उगाये हैं और हमारे यहां पर 'दरखत उगाओ' कमेटी बनी हुई है । वह दरखत उगाओ' कमेटी में, मैं भी उसका सदस्य हूं लेकिन जो जंगलात है, जो हमारी बड़ी भारी असेट्स है, नेशनल असेट्स है, जिसकी वजह से, बारिश आती है दरखत अगर होंगे । अगर दरखत काट दिये जाते हैं तो उसमें बदनामी होती है और हमारी इकानोमी पर बड़ा भारी असर होता है । क्या होता है कि हरे दरखत काट दिये जाते हैं । मैं जानता हूं कि चौहटन तहसील ऐसी है, बाड़मेर जिले में, कि जहां पर तहसीलदार रोज सौ रुपया पर ट्रक लेता है । मैं दावे के साथ कहता हूं और इसको साबित करने को तैयार हूं और पचास ट्रक डेली वहां से निकलते हैं । तहसीलदार का आदमी वहां होता है । जिसको पकड़ता है, वह सौ रुपया दे देता है, तो उसको जाने देता है ।

श्री हजारीलाल शर्मा : तहसीलदार का नाम क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : तहसीलदार मौजूद है, आप मालूम कर लेना कौन है । पांच हजार रुपया डेली इनकम है उसकी । प्राइम मिनिस्टर की महीने की भी तनख्वाह इतनी नहीं होगी । तो इस तरह के लोग जनता पार्टी के रखे हुए हैं अफसर, जिनका यह हाल है । यह अफसर जनता पार्टी के रखे हुए हैं और मैं खुल्लमखुल्ला दावे के साथ कहता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ।

(व्यवधान)

मैं वन मंत्री से अपील करता हूं कि इसकी फौरन कार्यवाही की जावे और इस तरह के आदमियों को अदालत के सामने पेश किया जावे, डिसमिस करके, सस्पेंड करके । दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं, जो हमारे एम.एल.ए हैं, इस सदन में बैठते हैं, मगर जंगलों को कटवाते हैं । चाहे कोई हो, चाहे कांग्रेस (आई) के हों, चाहे जनता पार्टी के हों, चाहे किसी के हों, उन्होंने एक धन्धा शुरू कर रखा है और वह ट्रक जोधपुर में आते हैं । हमें मालूम है कि कौन कटवाता है । ट्रक जोधपुर में आते हैं, जोधपुर में मिलते हैं और पकड़ा जाता है तो कहता है कि मुझे तो फलां एम. एल. ए. ने भेजा है, आप कैसे पकड़ते हो । यह इस किस्म की बातें मुझे नापसन्द है । कम से कम मुझ जैसे आदमी को बर्दाश्त नहीं हो सकती । मेरी पार्टी के आदमियों का करेक्टर साफ सुथरा रहना चाहिए । यह नहीं कि अन्दर कुछ है और बाहर कुछ है । मैं आपको भी वार्निंग देता हूं जो मंत्रिमण्डल में बैठे हुए हैं, वे भी अपना चरित्र साफ रखें । ज लिओगों में

(श्री अहमद बक्श सिंधी)
चहमेगोइयां हो रही हैं आपके मुत्तल्लिक, वह नहीं होनी चाहिए। यह शर्म की बात है।

श्री नन्दलाल मीणा : इनको शर्म आती ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : अब मैं खनिज के बारे में कहूंगा। खनिज के मामले सुनिये। मैं, अब सभापति है मादाम, आपकी मार्फत तवज्जोह दिलाना चाहता हूं, खनिज मन्त्री जी हैं या नहीं।

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा : बैठे हैं, जमकर बैठे हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : यहां पर हमारे जोधपुर में खास एक ही धन्धा है पत्थर का। पत्थर की पट्टियां हमारे जोधपुर की सारे राजस्थान में ही क्या, इंडिया में दूसरी जगह भी जाती हैं। जोधपुर की वह पट्टियां और खड्डे जो ईंटें बनती हैं पत्थरों की, वह बहुत एक अहम् चीज है और वह पत्थर एक खास किस्म का पत्थर है, वह कहीं नहीं मिलता है। राजस्थान में तो उस पत्थर की खानों के मुत्तल्लिक बहुत सी गड़बड़ियां मेरे नोटिस में आई है। मसलन, आपके वहां से मुकामी माइनिंग इन्जीनियर, असिस्टेन्ट माईनिंग इन्जीनियर जिसको कहा करते हैं, मैं नहीं जानता कौन है वह, लेकिन मुझे यह मालूम है अच्छी तरह से, कि उन्होंने भी एक दुकान खोल रखी है और वह दुकान भी, जनता पार्टी के टाइम से अफसर मुकर्रर हुए हैं, मैं तो एक बात कहता हूं तब कि ये जनता पार्टी के लोग, अफसर हैं और जो भ्रष्ट है, उनको एक दम वहां से छुट्टी करिये, हमारे जोधपुर को तो साफ करिये कम से कम। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि उसने दुकान खोल रखी है। मर्जी आए जिसकी खान को खालसा कर देता है और मर्जी आए जिसको रख देता है। हाल ही की मिसाल सुनिये। रेलवे लाइन और खानों के बीच में से जो खानें थीं, रेलवे ने सन् 52 में 55 में रेलवे लाइन लगाई थी, वह रेलवे लाइन के पास में जो खानें थीं वह कटते-कटते 15 फुट तक, रेलवे लाइन तक आ गई, तो रेलवे ने मना कर दिया, कि अब खानें मत काटिये। उनके पास हुक्म है, उनके पास आर्डर है, माईनिंग इन्जीनियर और रेलवे का, कि आप खानें मत कटाइये, तो उन्होंने खानें काटना बन्द कर दिया। अब जब रेलवे लाइन वहां से हटा दी गई, तो उनका हक होना चाहिए, जिनकी खानें पहले से थीं। वे जनाब फर्माते हैं कि वे खानें तो खालसा हो गई। खालसा कैसे हो गई? खालसा भी हुई तो उनके नाम से। उनकी रायल्टी, रेंट भराया, किराया भराया। अभी हाल ही में इसी साल में किराया भरा लिया, लेकिन उन्होंने नीलामी पर चढ़ा दी, दो हजार लाओ, पांच हजार लाओ, दस हजार लाओ। यह बात सरकार के काबिल नहीं है। जिन लोगों का हक है, जिनके नाम पहले से खानें थीं, पट्टे थे जिनके नाम के और जिन लोगों ने खानें बन्द की उनके हुक्म से और जिन लोगों ने अभी रेंट भरा

158

(श्री अहमद बक्श सिंधी)
है पूरा इसी साल भी, उनको खानें न देना इससे ज्यादा बेइन्साफी नहीं हो सकती। इस बेइन्साफी को बर्दाश्त नहीं किया जायगा, आप नोट कर लें। राजस्थान में खनिज के इतने भण्डार भरे हुए हैं, अगर इसको एक्सप्लोड किया जाय सही ढंग से तो मैं समझता हूं कि सीमेन्ट के 25 कारखाने लग सकते हैं। सीमेन्ट न केवल राजस्थान, बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में भेज सकते हैं। इतने यहां खनिज के भंडार मौजूद हैं सीमेन्ट के लिए।

जोधपुर डिवीजन में जहां चूने का पत्थर निकलता है, उसके पास सीमेन्ट का कारखाना लगे ताकि रा-मैटीरियल जल्दी मिले, वहां लगाते नहीं हैं. कहीं लगाते हैं अलवर या भरतपुर। अलवर और भरतपुर में अगर यह पत्थर नहीं निकलता है तो वहां लगाने का क्या तुक है। दूसरा, अभ्रक की खानें भीलवाड़ा में ज्यादा मिलती हैं, और दूसरे इस तरह के जस्ता और ताम्बा यह तो सैंट्रल सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा आपका लेना देना नहीं है, लेकिन माइनिंग मिनरल्स हैं उसमें आपका है, उन पत्थरों में बाड़मेर और जोधपुर के आसपास जालौर में पत्थर निकला है, जिसकी मांग फारेन कन्ट्री में बहुत ज्यादा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : पत्थर का नाम क्या है ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : ग्रेनाइट। यह पत्थर अगर एक्सप्लोड किया जाय और गवर्नमेंट की तरफ से उसको निकाला जाए साफ कराया जाय और मशीन से पालिश किया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत सी रेवेन्यू आ सकती है। इन तमाम बातों को समाप्त करते हुए मैं इन कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरूलाल भारद्वाज।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदया, आज मांग संख्या-36, 9 एवं 43 पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। सबसे पहले मैं मांग संख्या-9 वन विभाग से शुरू करता हूं।

सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे जैसलमेर और बाड़मेर में जहां राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और फारेस्ट का महत्व भी उस जिले के लिए और रेगिस्तान तथा धोरों के स्थिरीकरण के लिये वहां सबसे जरूरी है। उसका विस्तार और विकास होना भी बहुत लाजिमी है। मेरा जहां तक खयाल है, हमारी बार्डर का एक कस्बा गडरा रोड है। उसमें पहले भारत सरकार का वन विभाग था। उसके बाद दस-बारह साल से उनके

(श्री ग्रमीन खां)

पास से यह विभाग राजस्थान सरकार के ग्रण्डर में है। विभाग की हालत बहुत खराब है। कुदरती जो वहां सेविन घास लगी हुई थी ग्रौर दरख्त खेजड़ा, जाल, मोरडी यह दरखत होते हैं, वह दरखत फारेस्ट डिपार्टमेंट के ग्रादमियों का धन्धा हो गया है। दरखतों की कमी ग्रा गई है। दरखत वहां बड़े नहीं हुए हैं। यह चीज एक जिम्मेदार जन-प्रतिनिधि या सरकारी ग्रधिकारी देखें तो उसे ग्रपने ग्रापको शर्म ग्राती है यानि वन विभाग इतना लापरवाह हो गया है कि वह समझते हैं हमारे घर का विभाग है, हमारे घर की सम्पत्ति है, हम चाहे दरखत काट कर घर भेज सकते हैं। चाहे हम पैसे किसी से लेकर कटवा कर रवाना कर सकते हैं। माह मई, जून में मैंने कई बार ग्रांखों से देखा है, फल काटने के दिन होते हैं, कुम्वट का दरखत ऐसा होता है जो एक बार काटने पर होता नहीं है। पांच-पांच रुपये में लकड़ी कटवाकर फारेस्टर देते हैं। इसलिये ग्रफसोस है कि सरकार ने इन गरीब खातेदारों की जमीन थी, उनकी जमीन ली गई देश के हित के लिए ग्रौर उन लोगों को जमीन का मुग्रावजा नहीं मिला। उनको जमीन के एवज में दूसरी जमीन नहीं मिली। फारेस्ट की यह हालत है, यह बड़ा व्यापक मामला है। मन्त्री महोदय को चाहिए कि ग्रपने विभाग को सतर्क करें। ग्रादेश ग्रौर हिदायतों की पालना नहीं करते हैं। सरकारी नौकर समझते हैं कि बगैर सबूत के कोई हमें नौकरी से नहीं निकाल सकता है। मेरा निवेदन है कि बाड़मेर के वन विभाग के ग्रधिकारियों को बांसवाड़ा भेजो ग्रौर बांसवाड़ा के डूंगरपुर ग्रौर डूंगरपुर के बाड़मेर भेजो तब तो यह दो तीन साल मामला ठीक रहेगा। जैसे ही दो साल पूरे हो गये उनको दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेजो ग्रौर दूसरी वालों को तीसरी डिस्ट्रिक्ट में भेजो। यही एक इलाज ईमानदारी रखने का है, बाकी कोई इलाज नहीं है।

मन्त्री महोदय से निवेदन है कि डी. पी. ए. पी. के तहत, सेविन घास हमारे जिले में काफी बढ़िया होती है, वहां नल कूप लगायें, उनके जरिये सेविन घास इतनी हो सकती है कि बाड़मेर, जैसलमेर की गाय को बचाने के लिये ग्रकाल में भी बाहर से घास नहीं मंगानी पड़ेगी।

दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जैसे बार्डर इलाके में डिफेन्स रोड हैं, डिफेन्स के पाइन्ट ग्राफ व्यू से डिफेन्स रोड के दोनों ग्रोर दरखतों की छाया की जाय जिससे हरियाली होगी। किसी भी स्तर पर, राज्य स्तर पर बजट बढ़ायें, उसमें कमी है तो भारत सरकार से प्रोविजन करायें ग्रौर रक्षा विभाग से इसका ताल्लुकात रख कर करें। बाड़मेर से मोरदी ग्रौर हरसाणी से दो डिफेन्स की रोड हैं वहां पर ग्रभी गर्मियों से दरखत लगाना प्रारम्भ करें। इससे ग्रकाल में लोगों को रोजगार मिलेगा ग्रौर रक्षा की दृष्टि से भी डिफेन्स रोड पर दरखतों की ग्रच्छी छाया हो जायगी ग्रौर एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं विश्वास रखता हूं कि मन्त्री महोदय, वन विभाग की मेरी जो संक्षेप में दो तीन

(श्री अमीन खां)

बातें, ज्यादा मैं जिक्र करना, बार बार रिपीट करना ठीक नहीं समझता हूं, जो महत्वपूर्ण बातें एक ही लाइन में कही जाय, उस पर अमल करें ताकि विभाग में सुधार आये। वनों से राज्य को आय मिले और शासन की बदनामी नहीं हो।

नम्बर दो, मैं सहकारिता के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे बाड़मेर, जैसलमेर में दो चार ऐसे गांव हैं जहां 500-600 माइल में कोई भी कोआपरेटिव का सदन नहीं है। कोआपरेटिव का कोई मूवमेंट आज तक नहीं है 600 मील तक। सून्दडा, गोहिणी, आदि कई ऐसे गांव हैं। 600 मील तक सोसायटी आज तक नहीं बनाना यह सरकार की एक आंख मिचौनी कहा जाय या सरकार इस चीज को, कानून और कितावों में बड़े-बड़े अफसर सुझाव देते हैं उनके मानने में नहीं आवे। सहकारिता का मतलब है पिछड़े से पिछड़े जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब ऐसे एरिया में रहते हैं, जहां डेजर्ट हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है बहुत दूरी में पशुपालक बैठे हैं, छोटे काश्तकार हैं, मैं उसके लिये रजिस्ट्रार साहब से मिला, कोआपरेटिव अफसर से मिला, कलेक्टर बाड़मेर ने सिफारिश भेजी, कम से कम हमारे यहां एक एक पंचायत वाइज एक कोआपरेटिव सोसायटी होनी चाहिये, मगर रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि हमारा कानून बना हुआ है। रजिस्ट्रार साहब ने कहा, उस कानून में हमने बिलकुल तय कर दिया है कि उसमें चेन्ज नहीं कर सकते हैं। इसलिये नई कोआपरेटिव एक भी नहीं हो सकती है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पड़ोसी कोआपरेटिव सोसायटी है, उससे दिला सकते हैं। सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि 600 माइल के बाहर जाकर आदमी लोन लेगा, वह केरोसिन लेगा, वह शक्कर वितरण व्यवस्था का लाभ उठा सकता है? आज पापूलेशन के लिहाज से नहीं देखें, क्षेत्रफल के लिहाज से देखें। मगर पापूलेशन भी इतनी नहीं है कि सौ दो सौ आदमी हों। कम से कम तीन चार हजार की आबादी ग्राम पंचायत की है। उस पंचायत में कम से कम, जहां डेजर्ट है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की पंचायत है उनमें दो हजार की पापूलेशन पर एक इकाई सहकारी समिति की होना लाजिमी है। तब गरीब लोग फायदा उठायेंगे, नहीं तो सहकारिता से गरीब लोग दुखी हैं, उसको आज तक फायदा नहीं मिला, न मिलने वाला है। इसलिए मन्त्री महोदय, आप विशेष पाइन्ट नोट करलें और अपने रजिस्ट्रार महोदय को हिदायत करें कि ऐसी कोई किताब नहीं होती जो लोहे की लकीर बनी हुई हो, जो चेंज नहीं हो।

तीसरी बात, मैं खनिज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बाड़मेर जिले में अकाल में हम आज भी देख रहे हैं कि जिप्सम हजारों किलोमीटर रेलवे द्वारा बाहर भेजा जाता है। हांलाकि सरकार करती है राज्य स्तर पर लेकिन इसमें खाली रुपये का खर्चा होता है तो हमारी मांग हैं

(श्री अमीन खां)

कि उनखानों से जो माल बाहर भेजा जाता है उसका कारखाना वहीं क्यों नहीं खुलवा देते ताकि गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया बचे और हजारों आदमियों का परमानेन्ट राहत का सोर्स होगा और उनको रोजी मिलेगी। जैसे गाडलिया गांव है वहां से डेली रेलवे के 10वैगन भरकर जाते हैं राक फास्फेट के इसी तरह शिव तहसील में भीनाली है, जैसलमेर में तेजमालता है जहां अनाप शनाप निकलता है और मध्य प्रदेश से भी बाहर अनाप-शनाप भेजा जा रहा है। आप मेहरबानी करके जो इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तो क्यों नहीं वहीं पर कारखाना लगाया जाय, वहां के आदमियों को रोजगार भी मिल जायगा और वह काम भी हो जायेगा। इसके लिए हर गांव के लोग महसूस करते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है, न्याय नहीं होता। पता नहीं सरकारी आफिसरों की यह ओपिनियन है कि वहां के लोग जाहिल हैं और गरीब हैं। यह देखें कि इनमें अक्ल नहीं है तो इसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि मन्त्री महोदय, खनिज मन्त्री जी नहीं हैं, आप बैठे हैं, वहां आप खनिज के कारखाने कायम करें जिससे कम से कम 10 हजार आदमियों को रोजगार मिल सकता है इससे अकाल का सिर दर्द भी कम होगा। इसलिए इन तीनों कटौती प्रस्तावों पर मेरे सुझाव शामिल कर लिए जाएं। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : राम कंवार बैरवा।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदया, आज खनिज और सहकारी समितियों पर जो बहस चल रही है उसके विषय में दोनों पक्ष के मैम्बरों ने अपना असंतोष व्यक्त किया है और यह वास्तविकता है, इस बात को सभी सदस्यगण जानते हैं, अधिकारीगण भी जानते हैं कि जिस संस्था में सब लोगों को एक जगह बांधा जाता है उसमें कई लोग मैम्बर बनने के बाद उनकी कार्यकुशलता से असंतुष्ट होकर अपने घर बैठ जाते हैं फिर भी उनका उसमें नाम दर्ज रहता है और उनके नाम से पदाधिकारी लाभ उठाते रहते हैं यह अधिकतर देखने में आया है जिससे लोगों की उनमें रुचि कम हो जाती है और सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश बढ़ जाती है। इस प्रकार की सहकारी समितियों के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिल कर और उन लोगों की बिना इच्छा के पैसा लेते हैं और उनके कर्जा मांड दिया गया है। वे लोग जानते ही नहीं। इसके लिए वे लोग रजिस्ट्रार के पास गये सरकार के पास गये, चाहे सरकार कोई भी हो, इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं और उनकी असलियत को सामने लाकर दोष मुक्त नहीं कर सकते।

अभी मेरे पूर्व वक्ता भैरों सिंह जी साहब ने फर्माया कि इस प्रकार से झूठा

(श्री रामकंवर बेरवा)

कर्जा दिया जाता है। यह विशष कर इस बात की गतिविधियां सहकारी समितियों में होती रहती हैं आज सहकारी समितियां के बड़े पदाधिकरी हैं उनसे भी हम जाकर मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से तो वे कहते हैं, कि अपनी पोस्ट के लिहाज से तो नहीं लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, कि सहकारी समितियों में घोटाले चल रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार से शुद्धता नहीं आ सकती लेकिन फिर उनको किसी भी प्रकार से काम करके रास्ता निकालने की बात कहते हैं तो फिर वह कानून का बहाना बना कर किसी भी प्रकार से शुद्धता नहीं ला सकते। मैंने पहले भी विधान सभा और लोक सभा में यह बात बोली थी कि कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से राजस्थान के लोगों को जमीनें दी गई हैं उनका राज्य सरकार विकास नहीं कर सकी और उनको भगवान के नाम पर छोड़ दिया गया है यह बडे खेद का विषय है कि जितनी भी कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से जमीनें मिली हैं वे जन जाति के लोगों को दी गई हैं जहां दूसरे लोग नहीं लेना चाहते थे उन जमीनों को बड़ी मुश्किल से एक–एक हजार रुपया खर्च कर दिया गया नहीं तो वे जमीनें बस्ती योग्य नहीं बन सकती थीं। इसलिए उन लोगों ने उन जमीनों को समतल करके, काट करके, सफाई करके बस्ती योग्य बनाया, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार से व्यवस्था कायम न करके उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधायें से बिलकुल वंचित कर रखा है कई लोग इन कृषि सरकारी समितियों में दूसरे लोग जो समझते हैं या पढ़े लिखे हैं वे लोग उनमें बीच में कुछ करके व्यक्तिगत रूप में उसका लाभ लेते हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है सदन के सदस्यों को, माननीय सभापति महोदया, आपको अवगत करा रहा हूं यह बड़ी खेदजनक बात है कि हमारी राज्य सरकार को इतना मोटा ज्ञान नहीं है कि कोई दूसरे काम के होने की आशा तो दुराशा मात्र है और कभी भी पूरी नहीं कर सकेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि।

श्री खेत सिंह राठौड़ : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाय।

एक माननीय सदस्य : 7 बजे तक क्या होगा ?

श्री खेत सिंह राठौड़ : 7 बजे तक बढा दें, फिर रिप्लाई शुरू हो जयगा। 7 बजे तक रेप्लाई शुरू हो जायेगी।

श्री सभापति:सदन की सहमति से सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 36,9 व 43 पर विचार

श्री रामकंवार बैरवा : मैं आपके माध्यम से कह रहा था कि यह पहाड़िया सरकार जो है उससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के करीबन 5 हजार लोगों का कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से शोषण हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को आप खातेदारी राइट दे दीजिये जो बेचारे बहुत ही मुसीबत में हैं और उन जमीनों पर पड़े हैं किसी भी प्रकार से, न तालाब खोद सकें न कुछ और बना सकें और न उनको कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध हुई।

(402 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

दूसरा, मेरा निवेदन है कि खनिज के मामले में, राज्य सरकार को खनिज के माध्यम से जो भी कोई आमदनी होती है केवल खनिज की आमदनी से सड़कें बनाने की कृपा करें तो मैं समझता हूं कि सड़कों का विकास हो सकता है। सडकों का विकास होगा तो अन्य मार्ग खुल जायेंगे मुझे बड़ा खेद है कि सड़कों को खनिज, अकाल राहत पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से यानि इसके कई पहलू बना रहे हैं, और 3-4-5 तरीकों से सड़कें बनाते हैं, उनमें

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

विशेष तौर से भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश है। अधिकारी भी महसूस करते हैं किसी को ठेका देते हैं फिर उसको कैंसिल करके कहते हैं कि यह तो फलाने विभाग का होगा।

इस प्रकार से मेरा यह निवेदन है कि इस सड़क के काम को आप पकड़ लें और जिस डिपार्टमेन्ट को दें,वह इसको पूरा करवाने का जिम्मेदार हो उसकी देख रेख में हो और उससे काम वापस न लें ताकि किसी प्रकार से यह काम पूरा हो सके।

जंगलों के बारे में कहना चाहता हूं। जो जंगल उगाये जा रहे हैं। इस मामले में खास तौर से कहना चाहता हूं कि जंगलों में जो जंगली जानवर होते हैं,जितना जंगल बड़ा होगा उतने ही जंगली जानवर वहां पर पैदा होंगे गांव में सुनने को मिला है कि आस पास के 10 किलोमीटर क्षेत्र में जंगली जानवर उनको तकलीफ देते हैं और वे भेड़ों को उठा ले जाते हैं। इसलिए इन जंगली जानवरों को बांधें और उसके साथ—साथ जंगल को भी बांधने के काम करें। लोग पेट पालने के लिए बकरी रखते हैं और फिर वे यह कार्य छोड़ देंगे तो वे बेरोजगार हो जायेंगे। इतना ही कह कर मैं आपसे एक दो बातें और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामकंवार बैरवा : एक दो मिनट और लूंगा।

खनिजों की खोज के लिए आपके यहां पर सर्वेक्षण डिपार्टमेंट है। यह डिपार्टमेंट बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मेरा यह निवेदन है कि खनिजों की खोज करने वाला यह जो डिपार्टमेन्ट है उसमें आप तेजी लावें। राजस्थान में खनिजों की किसी प्रकार की कमी नहीं है। इससे राजस्थान का विकास हो सकता है और जो मोडल है, यह कई तरह की खानों में निकलता है, इसको वापस बन्द कर दिया गया है। इससे काफी आमदनी हो सकती है। मेरा यह निवेदन है मन्त्री महोदय से कि खनिजों की पूरी खोज की जाय और जहां जहां भी हैं उनका पता लगाया जाय। उससे जो आमदनी हो वह राजस्थान के चहुंमुखी विकास में लगाई जाय।

श्री सभापति : श्री जगदीश तिवाड़ी।

माननीय सदस्य, सात मिनट में आप अपनी बात समाप्त करदें। पांच मिनट के बाद घण्टी बजेगी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : सभापति महोदया, सहकारिता के संदर्भ में मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं सहकारिता का आन्दोलन राज्य में चला और इस क्षेत्र में प्रगति भी हुई लेकिन जो आशाएं सहकारिता से लोगों को और सरकार को थी उसमें निराशा आई है, आशाएं पूरी नहीं हुई हैं। सहकारिता से एक भी गांव को वंचित नहीं रखा जायगा और सहकारिता के द्वारा जो ऋण लेने के इच्छुक हैं उन को उससे वंचित नहीं रखा रखा जायगा यह भावना आज सह कारिता क्षेत्र में नहीं है। उदाहरण के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि एक सहकारी समिति सामरिया जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है वह 1974 से ऋण प्राप्त करने की इच्छुक है परन्तु बैंक के चंद अधिकारियों की जिद के कारण इस सहकारी समिति को ऋण नहीं मिल पा रहा है। मन्त्री महोदय, इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान राज्य सहकारी बैंक से जो एक सर्कूलर निकला है उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसके मुताबिक चाहे सहकारी समिति में ओवर ड्यूज हो उसके बावजूद ऋण देने की व्यवस्था है। 1978 में यह जारी हुआ है। इसके जारी होने के बाद 1974 से आज तक इस सहकारी समिति को ऋण नहीं दिया गया है इसके परिणाम स्वरूप सहकारी समिति ब्याज के बोझ से दब गई है और कभी भी अपने कर्जे को समाप्त करती नहीं है। इस सम्बन्ध में कई बार प्रयत्न करने के बावजूद लोन एप्लीकेशन तैयार कर ली जाती है और उसके बाद इस सहकारी समिति को ऋण नहीं दिया जाता है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे व्यक्तिगत रूप से

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

इसको देखें । बैंक यह कहता है कि इस सहकारी समिति में घोटाला है परन्तु 1974 से आज तक इस घोटाले को क्यों नहीं साफ किया गया है। नये सदस्य बनाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इसको ऋण नहीं दे रहे हैं यह कहां का न्याय है ? गरीब आदमियों को सदस्य बनाते है तो ऋण व सब्सिडी देकर उनके साथ सहयोग करना चाहिये । नहीं तो आप इस सहकारी समिति को भंग कर दें । 6-7 साल से इसके सदस्यों को आपने ऋण से वंचित कर रखा है । यह क्या न्यायसंगत बात है ? इस मामले में सहकारी विभाग को न्यायसंगत रुख अपनाना चाहिए । इस सहकारी समिति के 800 सदस्य हैं और करीब 150 सदस्यों में ऋण बकाया है । उनमें भी 100 आदमी ऐसे हैं जिनमें कि वास्तविक बकाया है बाकी 50 आदमी ऐसे हैं जिनकी शेयरमनी इतनी है कि वे ऋण से मुक्त हो सकते हैं । जिस समय ऋण का चुकारा होना था उस समय इसकी भरपाई हो जानी चाहिए थी और उनको ऋण मुक्त कर दिया जाता ताकि जो नए सदस्य बने हैं उनको ऋण सुलभ हो सकता था । इसलिये इस सहकारी समिति को ऋण दिया जाना चाहिए।

दूसरा, मेरा इस सन्दर्भ में यह निवेदन है कि जयपुर भूमि विकास सहकारी बैंक है, उस बैंक के अन्दर सरकारी प्रशासक है और उस प्रशासक द्वारा सात लाख का नुकसान हुआ है । सात लाख की हानि एक सरकारी प्रशासक द्वारा हो जाए और इस सम्बन्ध में सरकार व विभाग को चिन्ता नहीं है । दूसरी तरफ जन प्रतिनिधि के कार्यकाल में कोई हानि हो जाती है जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ग्राम सेवा सहकारी समिति सामरिया का उदाहरण दिया है । आज तक उस बैंक के प्रशासक के खिलाफ विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है और जो छोटी सहकारी समितियां हैं, जो ग्राम स्तर पर हैं, जहां पर जन प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनको ऋण भी न दिया जाय, और भूमि विकास बैंक दो साल में सात लाख रुपये की हानि कर दे उस तरफ न देखें तो यह व्यवस्था देखने की है । इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी सहकारी समितियां हैं और उनमें जन प्रतिनिधि नहीं हैं, तो उनके चुनाव कराये जाने चाहिए और जन प्रतिनिधि को उसका चेयरमैन, अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।

ऋण के बारे में कहना चाहता हूं । आज हम कर्जे के बोझ से गरीबों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं । कई सहकारी समितियों के पास अवधि पार ऋण हैं । इसके लिए हमारा सहकारी विभाग भी उतना ही दोषी है जितना कि सहकारी समिति—समय पर बकाया नहीं चुकाया, समय पर वसूली नहीं की गयी जिससे कि बकाया चलती रही और ब्याज के कारण वह ब्याज मूलधन से पांच गुणा तक हो गया । इस सम्बन्ध में मेरा एक विनम्र निवेदन है, सुझाव है इन सहकारी समितियों को कर्जे से मुक्ति दिलाने के बारे में, हम कर्जे से मुक्ति दिलाने का प्रयास करने जा रहे हैं तो सहकारी क्षेत्र में जिन सदस्यों पर कर्जे का बोझ अवधि

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

पार ऋण के कारण बढ़ गया है उन से मूल धन से अधिक ब्याज वसूल न करें और जो उसके ऊपर का ब्याज है उसको माफ करें।

इसके साथ-साथ जो भूमि विकास बैंक है, वह जिन लोगों को ऋण नहीं दिया गया है उनसे भी वसूल कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी विचार प्रकट किये थे कि किसी व्यक्ति को लोन नहीं मिला है तो उससे वसूली नहीं की जावे। भुगतान करने की व्यवस्था यह थी कि काश्तकार से दस्तखत करवा लिए जाते हैं और वह पैसा किसी कम्पनी को दे दिया जाता और उस कम्पनी ने काम नहीं किया और वसूली काश्तकार से हो रही है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मोहनपुरा ग्राम विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत नहीं था। जिसके लिए जिला सहकारी विकास बैंक ने विद्युत पम्प के लिए एक किसान को ऋण दिया था। जब वह गांव विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत नहीं था तो वहां पर बिजली की मोटर कैसे लगाई जा सकती थी। किसान के यहां पर बिजली की मोटर नहीं लगी और वह पैसा आज उस व्यक्ति से वसूल किया जा रहा है। क्या यह न्यायसंगत है जबकि उस व्यक्ति ने ऋण नहीं लिया? कम्पनी को यह कार्य करना था, उसने यह नहीं किया इसलिए किसान से यह वसूली स्थगित करें और इसकी जांच करने का आदेश दें। यदि वास्तव में कम्पनी का ऋण लेना पाया जाता है और उस व्यक्ति को भुगतान नहीं किया गया है और किसी कम्पनी को भुगतान किया गया है तो वह कृषक से ऋण वसूल नहीं होना चाहिए और कम्पनी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।

(5.10 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

खनिज के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसी तरह से हमको श्रमिक सहकारी समिति को भी प्रायोरिटी देनी चाहिये। मैं उदाहरण के तौर पर आपके माध्यम से खनिज मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बांसको में एक श्रमिक सहकारी समिति (खनिज) आज 15-20 सालों से बनी हुई है उसको एक भू-खण्ड भी आवंटित हो गया था लेकिन उस पर उसको कब्जा नहीं दिया गया और जो लीगल कार्यवाही थी वह पूरी नहीं करायी गयी। इस प्रकार खनिज सहकारी समितियों को प्राथमिकता नहीं देते हैं जिससे कि असंतोष बढ़ता है। यह हमारी नीति के बिलकुल विपरीत भी है।

दूसरा, खनिज विकास के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां खनिज भण्डार हैं वहां पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और जहां पर अभी खनिज निकल रहे है वहां पर सड़कों का विकास जाना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बस्सी में बांसको में कई माइन्स चलती हैं वहां पर आज तक सड़कों पर पैसा खर्च नहीं किया

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

गया है उससे भारी असुविधा होती है वहां सड़कें बना सकें तो वहां पर खनिजों का विकास हो पायेगा और उनको खनिज सम्पदा लाने में भी सुविधा भी हो सकेगी।

वनों के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में वन हैं इन वनों की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण वे काटे जा रहे हैं उसको रोकने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है कृपया पर्याप्त आदमी लगायें जिससे कि जो वनों की अवैध कटाई हो रही है उसको रोका जा सके।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि जो नंगे पहाड़ हैं, राजधानी के आसपास नजर आते हैं, गांवों में पड़त जमीन है, गोचर भूमि है, वहां पर मिक्स प्लान्टेशन किया जाना चाहिए जिससे कि पंचायतों की भी आमदनी बढ़ेगी और वन भी उत्पन्न होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप गोचरभूमि पर, जो पंचायतों के पास है, मिक्स प्लान्शटेन लगायें।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, वनों की लकड़ी अगर शहरों में आये तो उस पर सरकार पाबन्दी लगायें उसको रोकें, प्राइवेट रूप से वनों से लकड़ी काटकर शहरों में लाते हैं उनको रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जयपुर में रोजाना 200 गाड़ियां आती हैं और 25—25 रुपये आज भी वन विभाग के व्यक्ति उनसे वसूल करके उनको पास कर देते है सरे आम सड़क पर भ्रष्टाचार होता है या तो इसको समाप्त करें या फिर लकड़ी लाने से रोकते हैं तो रोकें, आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर 25 रुपये देकर लकड़ी आये और उसकी आप व्यवस्था नहीं करें तो यह ठीक नहीं है। काश्तकार को तो मजबूर होकर लकड़ी गांव में सस्ती बेचनी पड़ती है उसको पता नहीं है कि जयपुर या बड़े शहरों के आसपास इस तरह से 25 रुपये देकर वह अपनी लकड़ी ले जा सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है। इस सन्दर्भ में आप स्वयं कभी भी चले जायं चाहे इधर नाके पर चले जायं चाहे उधर चले जायं चाहे चौमूं रोड की तरफ चले जायं या हमारी तरफ आगरा रोड पर चले जायं आप रोड पर देखेंगे कि रोजाना 200 गाड़ी आती हैं और जयपुर शहर में रोजाना लकड़ी बिकती है। जब चोरी छिपे लकड़ियां आती हैं तो फिर इसमें छूट देने में आपको क्या एतराज है। इससे उपभोक्ता को भी जो परेशानी होती है और काश्तकार को भी जो अपना माल सस्ता बेचना पड़ता है वह भी नहीं होगा दोनों को ही फायदा हो सकता है।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मेरे 3 मांगों पर कटौती प्रस्ताव हैं लेकिन मैं मुख्य तौर पर सहकारिता पर ही अपने विचार रखूंगा।

संसार में प्रचलित सभी अर्थव्यवस्थाओं में सहकारी अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है और विशेषकर भारत के लिए जहां कि 56

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। वहां पर इस अर्थव्यवस्था के अलावा दूसरी कोई अर्थ व्यवस्थाकारगर नहीं हो सकती है। उनको ऋण देने के लिए उनको रोजगार देने के लिए और वितरण व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए हमारे पास वर्तमान में कोई दूसरी एजेन्सी नहीं है। लेकिन मुझे दुख है कि राजस्थान में सहकारी विभाग का पर्याय आज भ्रष्टाचार हो चुका है। आज जो सहकारी विभागों में कर्मचारी काम करते हैं उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है और राजस्थान आज अन्य राज्यों की तुलना में भी बदनाम है सहकारी आन्दोलन में पिछड़ा हुआ है बल्कि यह भ्रष्टाचार के मामले में भी सहकारी आन्दोलन वास्तव में जन आन्दोलन है लेकिन आज यह सहकारी विभाग न होकर के सरकारी विभाग बन चुका है। सरकारी प्रशासक हैं चुनाव नहीं कराये गये हैं काफी लम्बे अर्से से और जिस उद्देश्य से ये सहकारी समितियां बनी थीं आज वह इसमें नहीं है सरकारी अधिकारी छाये हैं। शुरू शुरू में जब यह चालू ही हुयी थी तो इस पर सम्पन्न किसानों और व्यापारियों ने कब्जा रखा उसके बाद में धीरे धीरे राजनैतिक कलाबाजों ने राजनैतिज्ञों ने अपने हिसाब से इसका प्रयोग किया और इसको एक अखाड़ा बना लिया, उसके बाद सरकारी अधिकारी इस पर छा गये हैं। ये सरकारी अधिकारियों के आने के बाद से सरकारी खर्चा और प्रशासनिक खर्चा तो बढ़ता ही रहा है आंकड़े देकर भले ही भुलावे में डालें कि इतनी उपलब्धि की है, लेकिन उपलब्धि सही क्या है इसका सही मापदण्ड क्या है। किसको कितना ऋण दिया गया है एवं उसको लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, इसका लाभ जिसको मिलना चाहिये था उसको मिला है या नहीं। पिछले सदन में जब बहस की जो जनता सरकार ने ढांचा, आर्थिक ढांचा पटरी से उतार दिया है हम तो उस आर्थिक ढांचे को पटरी पर ला रहे हैं लेकिन तुम लोग चुनाव न करवाकर जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसको पटरी से उतार रहे हो। इसलिये जब तक आप इन सहकारी समितियों के चुनाव नहीं करायेंगे और जब तक एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं हटायेंगे तब तक इसका राजनैतिक लाभ उठाया जाता रहेगा और सरकारी अधिकारी इसका खर्चा करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने हैं। जैसा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा भ्रष्टाचार का, तो इस तरह भ्रष्टाचार होता है। मैं आपको,एक भूमि विकास बैंक का उदाहरण दूं वहां पर किसानों को लोन दिया जाता है बैल, इंजन और मोटर आदि के लिए। अगर पांच हजार की मोटर होती है तो उसको जो पांच हजार दिया जाता है वह दो तीन महीने चक्कर कटाने के बाद में मिलता है, और उसमें 500 रुपया तो फाइल मूव करने के देने पड़ते हैं यह सही बात है, यह ओपन सिक्रेट है, और फिर 200 रुपये देने होते हैं कागज तैयार करने के और 100 रुपये देने होते हैं चाय पानी के फिर चार हजार का इंजन होता है उसके वह पांच हजार लेता है, इस तरह से उसको 3200 रुपये के करीब ही मिल पाते हैं। बाकि का पैसा या तो को-आपरेटिव अधिकारी के पास चला जाता है या बीच में जो व्यापारी होता है उसके

(श्री यदुनाथ सिंह)

हाथ में चला जाता है। क्या ईमानदारी का ठेका सरकारी अधिकारी ने ही ले रखा है, व्यापारी ही ने ले रखा है? आप किसान पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? सीधे उसको पैसा क्यों नहीं देते हैं? आप स्पाट वेरीफिकेशन बाद में करें, जिस काम के लिए पैसा दिया गया है वह काम किया है या नहीं किया गया है। जो बीच में लोग हैं, जो अधिकारी हैं वे पैसा खाते हैं इसलिये उसको सीधा ही पैसा दिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही वितरण व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं, वितरण व्यवस्था कैसी है? आज अगर जयपुर में चीनी एक दिन नहीं आयी, घासलेट नहीं आया और दूसरी जीवन रक्षक चीजें नहीं आयीं तो दूसरे ही दिन हाहाकार मच जाता है, लेकिन गांवों में वितरण की क्या व्यवस्था है? सहकारी भडारों के माध्यम से ही आप यह कर सकते हैं इसलिये इसको सुधारें। कोई भी दूसरी एजेन्सी नहीं आने वाली है आपके पास आने वाले दस बीस वर्षों में। आज क्या हो रहा है? आज सहकारी समितियां भंग पड़ी हुयी हैं। वह वहां पर वितरण व्यवस्था नहीं कर सकती है। उनकी ऐसी स्थिति नहीं है। पैसा नहीं है। उनको आपको सबसिडी देनी चाहिये। आपको कम से कम मिट्टी का तेल, चीनी और कपड़ा तथा चावल गेहूं आदि तो इस तरह से देनी चाहिये। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है किसी प्रकार की सबसिडी देकर या और कुछ करके पैसा उपलब्ध कराया जाना चाहिये यह पहली बात है।

इसके बाद आज क्या हो रहा है कि वहां पर व्यापारी जाकर या वहां के ही दलाल वहां की जनता का शोषण कर रहे हैं, वहां पर सरकारी दुकानें नहीं हैं और माल पहुंच नहीं रहा है। यह सबसे बड़ा कारण है। इसलिये वह सभी जीवनोपयोगी चीजें आम उपभोक्ता तक पहुंच सकें इसलिये आवश्यक वितरण व्यवस्था को ठीक किया जाये।

अभी जैसी कि सभी माननीय सदस्यों ने राय जाहिर की थी कि इसमें भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। बहुत से किसानों के नाम पर इन्द्राज करके लोन दर्ज कर रखे हैं। उनको एक नुकसान तो यह हुआ कि उनके सिर पर जो लोन पड़ा हुआ है उन्होंने कभी लोन लिया नहीं, बीच में कुछ अधिकारी लोग मिलकर खा गये। जब तक वह पहले वाला क्लियर नहीं होगा लोन तो उसको मिल ही नहीं सकता और भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए इनकी भी पूरी जांच कराई जानी चाहिए। जिला हैडक्वार्टर पर एक न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिये जो केवल इन्हीं केसेज को डील करे। इसके अलावा किसानों को ऋण के लिए जो परेशानी होती है इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। भरतपुर के बड़े-बड़े डिफाल्टर्स हैं, जिनमें तीन-तीन, साढ़े तीन लाख रुपया बकाया पड़ा हुआ है जो मेरी जानकारी में है। आदमी को मरवा दिया है उसके बाद में उस सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो घोटाले हैं, जो डिफाल्टर्स हैं उनके नाम, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा निकाले जाने चाहिये जिससे आगे एडवान्स नहीं हो। यही मुझे कोआपरेटिव की डिमाण्ड के बारे में निवेदन करना है।

(170)

(श्री यदुनाथ सिंह)

अब मैं दो मिनट वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वन हमारे देश की सम्पदा है, लाखों की सम्पत्ति है, इसकी रक्षा की जानी चाहिये। लेकिन हमारे यहां केवल 28 पर्सेन्ट क्षेत्र में ही वन रह गये हैं। वनों की बिगड़ती हालत से मौसम बिगड़ता जा रहा है, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। इसलिए वन विभाग को चाहिये कि वन लगाने के लिए अभियान चलावे। अभियान चलाया भी था लेकिन वह सरकारी दफ्तरों तक ही रह गया। पहले तो डाली लगायी जाती थी, उसके बाद वह प्रेक्टिस भी चली गई।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारा नम्बर भी आयेगा ?

श्री मेघराज तावड़ : हमको भी समय दिया जावे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय दिया जायगा, श्री घनश्याम तिवाड़ी

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, 1951 में राष्ट्रीय वन नीति स्वीकार की गई जिसके अनुसार 33 प्रतिशत वन क्षेत्र आवश्यक माना गया, पहाड़ी क्षेत्र 60 पर्सेन्ट भू भाग में वन छाव के लिए राजस्थान में 1951 में वनों का विस्तार 37796.9 किलोमीटर में था जो घटकर अब 34606.4 किलोमीटर ही रह गया है। इस प्रकार से हमारे राज्य में पिछले तीस वर्षों में वनों में 8.44 पर्सेन्ट की कमी हुई है। इस समय 23 हजार वर्ग किलोमीटर याने 79 पर्सेन्ट भू भाग वृक्षविहीन है, केवल नंगी पहाड़िया हैं, रेतीले मैदान हैं, वृक्ष नहीं हैं। एक प्रकार से जो आंकड़े रिपोर्ट में दिये गये हैं, उनको देखने से तो पता लगता है कि राजस्थान वनों से आच्छादित है, लेकिन पिछले तीस सालों में वनों का विकास होने के बजाय विनाश ही अधिक हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, वन नीति के अन्तर्गत भूसंरक्षण कार्यक्रम, सूखा सम्भावित कार्यक्रम, नदी घाटी योजना के अन्दर वन लगाने की बात कही गई है। लेकिन जो लक्ष्य रखे गये उनको पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्किंग प्लान बनाते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और वर्किंग प्लान की कम्पार्टमेंट हिस्ट्री में 15 वर्ष पूर्व के घनत्व में काफी कमी आई है। यदि अवैध और व्यावसायिक कटाव नहीं हुआ होता तो आज यह हालत नहीं होती। 15 वर्ष पूर्व राजस्थान में 0.5 पर्सेन्ट था जो अब 0.1 पर्सेन्ट रह गया है यह राजस्थान का ऐतिहासिक रिकार्ड है। यहां इसकी रिपोर्ट आती है, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। इन्क्वायरी कराने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई कि यह जांच की जाय कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो वन लगे हुए हैं उनका क्या कार्यक्रम है। उन्होंने रिपोर्ट दी–"पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण क्षेत्रों में 1979 के बोर्ड लगे हैं उनके स्थान पर एक माह से अधिक समय बीत जाने पर भी वर्ष 1980 अंकित नहीं किया गया है। फोटो स्टेट कापी है मेरे पास इसकी। माननीय दुलाराम जी, पिछली बार एक करोड़ वृक्ष लगाने की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

घोषणा की गई। सिर्फ लोगों को भेजकर यह काम किया गया कि 1979 की जगह 1980 कर दिया जाय, यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब लोग उसको भूल चुके हैं, लोगों में कोई रुचि नहीं है। माननीय दुलारामजी, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं आपके आने के बाद एक काम और हुआ वनों में, और वह काम हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चोरी पकड़ता है, उसी को उस व्यक्ति के नीचे लगा दिया जो चोरी करने वाला है। जनता पार्टी के राज में जयपुर में गश्ती दल का गठन हुआ था। भरतपुर में भी गश्ती दल है, अलवर के मौजपुरा गांव में विलायती बबूल के पेड़ लगाने का काम था, 15 सालों में वे पेड़ बहुत बड़े हो गये। उसके बाद में यह शिकायत आई है कि उनकी कटाई हो रही है और बहुत जोरों से हो रही है। जयपुर से गश्ती दल भेजा गया उसने वहां जाकर 16 गाड़ियां जो विलायती बबूल की लकड़ी की थी, उनको पकड़ा, उसका चालान भी हुआ, और जांच के लिए इन्क्वायरी भी बैठी वह आज भी पेण्डिग पड़ी हुई है। उसके बाद में उस अधिकारी को बचाने के लिए पूरे के पूरे गश्ती दल को ही ट्रांसफर कर दिया। जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत थी उसी के नीचे उसको लगा दिया जिसने इसकी जांच की थी, जिसने लाखों का घोटाला पकड़ा था। इस तरह से एक नहीं अनेकों काण्ड हुए हैं, समय नहीं है, इसलिए इतना ही निवेदन कर रहा हूं। श्री शंकर आदर्श बाँस कटा बांस उत्पादक सहकारी समिति अलवर में हुए लाखों रुपयों के घोटाले की जांच की गई। इसी प्रकार से विष्णुकुमार ने शिकायत की, उसकी भी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके अलावा और भी कई इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। नरेश चन्द्र गुप्ता ने प्रारम्भिक जांच की थी हनुतिया प्लान्टेशन के बारे में जिसका मामला दीपेन्द्रजी ने भी उठाया था। झूठे मस्टर रोल बनाये गये, मस्टर रोल भी कैसे भरे गये, लड़कों की लिस्ट जो नवीं, दसवीं में पढ़ने वाले लड़के थे स्कूल के रजिस्टर से नाम उतार लिए और उसके आधार पर पैसा उठा लिया गया लेकिन वह जांच भी रोक दी गई। इस प्रकार से एक नहीं अनेक मामले भरे पड़े हैं। इस प्रकार की पूरी की पूरी फाइलें हैं। पांच इंक्वायरीज पेण्डिग पड़ी हुई हैं। मौजपुरा, हनुतिया में लाखों रुपयों के घोटाले हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, एक अधिकारी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, दीपेन्द्रजी ने लिया था। क्योंकि वन विभाग में उनकी दिलचस्पी है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि ये इन्क्वायरीज पेण्डिग पड़ी हुई हैं, लाखों रुपयों की चोरियां पकड़ी, उस पूरे गश्ती दल का ही ट्रान्सफर कर दिया। यह सब रोकने की दृष्टि से ही गश्ती दल का निर्माण हुआ था। भरतपुर में गश्ती दल बना, कोटा में बना, मैं वह चाहूंगा इस बारे में, जो गश्ती दल का स्थानान्तरण हुआ उसकी जांच करवाई जावे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे। 600 एकड़ का कूप था उसको कटवा दिया, उस पर कब्जा कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया, इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये ।

इसके साथ ही सरकार जो पेड़ लगाना चाहती है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं । हमारे सीकर में एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे बद्री नारायण जी, उन्होंने सीकर से दस किलो मीटर की दूरी तक दोनों तरफ पेड़ लगाये, 6,7 साल में वे पेड़ बड़े हो गये लेकिन अब उनको काटने का नोटिस दिया गया है कि आपने ये पेड़ क्यों लगाये हैं । उनसे कहा जाता है कि तुम हाजिर हो । आपको शर्म आनी चाहिए । जिन्होंने इस प्रकार सम्पूर्ण जीवन समाज में लगा दिया, पेड़ लगाए आपके लोग उसको हाजिर होने का नोटिस देते हैं । इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं । एक घोटाला हेमावास में हिरणों की खालों का हुआ । 10 कैसेज हुए हैं, आपके हेमावास में हिरणों की खालें बरामद हुई थीं, बहुत सी खालें तस्करी होकर जा रही हैं और इन वनों में ईंट और भट्टे वाले ईंट और मिट्टी देते हैं । ईंटें बनाई उसी जंगल में लकड़ी जला कर । इसके लिए मैं प्रमाण बाद में दे दूंगा, आप देख सकते हैं । आप पारपत्र बनाते हैं उनकी नकल मेरे पास है । 3-3, 4-4 नकलें हैं । एक दफ्तर में लकड़ी लिखा हुआ है और बाहर कोयला लिखा हुआ है । एक ही तारीख, एक ही नम्बर, एक ही अधिकारी । मेरे पास 4 फोटो स्टेट कापीज हैं । वनों में सबसे बड़ा घोटाला जंगलात के मामले में हो रहा है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मौजपुरा, अलवर और हनुतिया में जो कांड हुए हैं फर्जी मस्टर रोल के, उनकी जांच करायें । चोरी छिपे जा रहा है तेन्दू का पत्ता चाहे साग हो, छोटी-छोटी वन की उपज है इस वन की उपज की जिस प्रकार से चोरी हो रही है उसकी जांच करायें । वन विभाग कुछ नहीं, बहुत बड़ा धोखा है, न कोई जंगल लगे हैं, न पेड़ लगे हैं । जगलों और पेड़ों का सफाया हुआ है और सफेद हाथी बन कर बैठा हुआ है । ये समझते हैं जंगल इनके हैं, इनके घर की सम्पत्ति है जब चाहें काटो । छोटे-छोटे व्यक्ति पेड़ लगा कर काटते हैं, वह भी गलत है लेकिन वे कैसेज तब दर्ज होते हैं जब फारेस्ट अधिकारियों को कोई पैसा नहीं देता है वरना रोज कटाई होती है । आप जांच करवायें ।

इसके साथ-साथ और निवेदन करना चाहता हूं जंगलों के मामले में जो सबसे बड़ी भूल हो रही है वह है जितने भी जंगल नेशनल हाई वे की तरफ हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं उनमें से कोई पेड़ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है । उनका नाम लेकर मस्टर रोल में पानी डालना लिखा जाता है । तार बन्दी नहीं है । कई तार लगे हुए हैं जो टूटे हुए रहते हैं । सारा पैसा फालतू खर्च हो रहा है । मैं पूछना चाहता हूं पिछले साल आपने घोषणा की थी कि एक करोड़ पेड़ लगायेंगे । कितने पेड़ लगाए ? आज उनकी क्या स्थिति है ? सारा फर्जी खाता है इसको बंद करें, गलत अधिकारियों को ट्रांसफर करें, जांच कराइए ।

मैं माइन्स डिपार्टमेंट के बारे में कहना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहूंगा, मंत्री महोदय विराज रहे हैं। जनता पार्टी सरकार ने एक स्कीम प्रारम्भ की थी प्रारंभिक सर्वेक्षण की कि खानों में प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाय। उस स्कीम के अन्तर्गत 1988 तक सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में प्रारंभिक सर्वेक्षण होने वाला था, वह काम चालू था लेकिन, मन्त्री महोदय, अभी आपके द्वारा विभाग संभालने के बाद यह काम बन्द हो चुका है। अभी माननीय मोदी उठ कर चले गये, वह कह रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निहित स्वार्थी तत्व हैं वे नहीं चाहते हैं कि प्रारंभिक सर्वेक्षण हो। तो मैं चाहता हूं कि प्रारंभिक सर्वेक्षण का काम जो प्रारम्भ हुआ था वह लगातार चलते रहना चाहिए एक-एक व्यक्ति दो-दो सौ किलोमीटर के प्लाट पर बैठा है, दीपेन्द्र सिंह जी कह रहे थे आप क्या कर रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर इस कार्य में लगी हुई हैं। 200 किलोमीटर पर चूने और पत्थर का क्षेत्र है जो उन्होंने दबा रखा है। आप उनसे खाली करवायें। जनता पार्टी के राज में एक-एक वर्ग किलो मीटर की योजना बनी थी उसको दे दें।

सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और बजरी लोग उठाकर ले जाते हैं। इनको पट्टा दें या इनको माफ करें। बजरी उठाकर ले जाते हैं, लाइम स्टोन, इमारती पत्थर ले गए तो माफ करें, नहीं तो बड़े-बड़े आदमियों को देने के बजाय जो वहां काम करते हैं जो अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग मिट्टी उठाते हैं उनको ठेका दें, लाइसेन्स दें ताकि सरकार की रायल्टी बढ़े। इस समय आय कुछ नहीं मिलती है और सारे का सारा पैसा बेकार जाता है। अध्यक्ष महोदय, रायल्टी के लीकेज का बहुत बड़ा सवाल पिछले साल के बजट में है। देखने से जाहिर होता है कि नान टैक्स रेवेन्यू सरकार की कम हो रही है, यह बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी रायल्टी बढ़ाने का, नान टैक्स रेवेन्यू का साधन माइन्स का है। है। एक प्रस्ताव जनता पार्टी के राज्य में भेजा गया। आज के दिन राक फास्फेट से 16 करोड़ की आमदनी है। जनता पार्टी की सरकार ने स्कीम बना कर भेजी थी कि इसको बढ़ाया जाय, वह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। अगर आप बढ़ाते हैं तो कम से कम 25 करोड़ आय राक-फास्फेट से होगी। पाइराइट्स में, दुर्भाग्य की बात है, कुछ नहीं किया गया। हमारे पास सल्फर के भण्डार नहीं हैं। हिन्दुस्तान में हम पाइराइट्स बनाते हैं, सल्फरिक एसिड आज भी बाहर से आयात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सल्फर की बात नहीं करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो सल्फरिक एसिड है उससे आय बढ़ सकती है. बढ़ाने की कोशिश करें।

जिप्सम में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। कभी कहते है कि प्राइवेट सेक्टर को दिया जाय, कभी कहते हैं पब्लिक सेक्टर को दिया जाय। इस बारे में नीति तय करनी चाहिए, किसी न किसी सेक्टर को देना चाहिए जिससे अपनी नान् टैक्स रेवेन्यू

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बढ़ सके। इसके अलावा राज्य खनिज विकास निगम रेयर मिनरल्स का जोन अपने हाथ में लें। आपने जो टंगस्टन का पट्टा दिया है, 12 किलोमीटर का केन्द्रीय सरकार ने मांगा है वह नहीं दिया जाय और इसका खनन राज्य सरकार अपने विभाग के द्वारा कराये, इससे राजस्थान की नान टैक्स रेवेन्यू और बढ़ेगी। अगर आपने केन्द्रीय सरकार को या हिन्दुस्तान जिंक को दे दिया तो बहुत बड़ी रायल्टी का नुकसान होने वाला है। यह रेयर मिनरल्स का मामला है, राज्य सरकार अपने हाथ में ले और स्वयं खनन प्रारम्भ करे। लाइम स्टोन के भण्डार राजस्थान में मिले हैं लेकिन इन भण्डारों पर कुछ 2-3 घरानों का कब्जा है इस कारण न औद्योगिक विकास हो रहा है न सरकार का लाभ। पत्थर तोलो चांदी बनती है, लेकिन सरकार को क्या मिलता है? सरकार को मिट्टी का मोल भी नहीं मिलता है। लाइम स्टोन की जितनी भी खानें हैं, किसी कोर्ट में मामला हो, कानून बनाये जो बड़े-बड़े हाथियों ने कब्जा किया है उनको छुड़ाइए या एक एक किलो मीटर का क्षेत्र बनाकर जो गरीब खानों पर काम करते हैं उनको पट्टे दें, आपकी रायल्टी बढ़ेगी, आय बढ़े यह आप नहीं करना चाहते हैं। सरकार सीमेंट फैक्ट्री लगाये, कुछ तो करे। जो बड़े बड़े हाथी हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है वह हमारे कब्जे में आये। टंगस्टन जस्ते के भन्डार मिले है। भीलवाड़ा में अभ्रक के भण्डार है। अभ्रक पर आधारित कागज का उद्योग लग सकता है इस प्रकार की रिपोर्ट है उसका भी सर्वेक्षण कराये और अभ्रक का खनन भी अच्छे ढंग से करें। यहां कागज की कमी है, अभ्रक का कागज बढ़िया होता है और राज्य सरकार चला सके तो हमारी बहुत नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने वाली है। तो नान टैक्स रेवेन्यू की जो राजस्थान में कमी हुई है वह बढ़ाने का प्रयत्न करें। माइन्स के जितने भन्डार हैं, अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उनको खनन पट्टे देने की और सारी नीति बनाकर सुनियोजित ढंग से काम करें तो राजस्थान की नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकती है।

संगमरमर के अपने यहां भण्डार हैं लेकिन इसमें ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां सड़कें नहीं हैं। डाकू ग्रस्त क्षेत्र है तो सड़कें बनें। एक करोड़ रुपये की रायल्टी सीकर जिले को इन खानों से आती है लाइम स्टोन से डाइनामाइट से लेकिन सड़क नहीं है। यह जो आपकी विवरण पुस्तिका है, सड़कों के लिए इसमें कुछ नहीं है। तो जहां से आपकी आय हो रही है उन स्थानों पर कम से कम सड़क बनाये, आने जाने के साधन बनायें डाकू ग्रस्त क्षेत्र में अधिक से अधिक सड़क बनायें तो जो चोरी हो रही है वह रुक सकेगी।

अब कोआपरेटिव सैक्टर के बारे में प्रभाकरजी से निवेदन करना चाहता हूं। आप देखें कम से कम ये जो सहकारी समितियां है, कृपा करके ग्रामीण सेवा समितिया है उनमें कम से कम सब आदमी मेम्बर बनें ऐसी व्यवस्था करा दें। एक एक व्यक्ति कब्जा कर के बैठा है कोई व्यक्ति मेम्बर नहीं बन सकता मेम्बर बनाने की दूसरी प्रक्रिया है वह रजिस्ट्रार के पास

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाकर सदस्य बने उसकी सुविधा नहीं। कम से कम कोआपरेटिव के अन्दर आदमी मेम्बर बन सके। एक बार ग्रामीण सेवा सहकारी समितियां को भंग करें और नोटीफिकेशन जारी करें कि जो व्यक्ति मेम्बर बनना चाहता है वह व्यक्ति मेम्बर बन सकता है। उसके बाद आप चुनाव करायें। एक व्यक्ति 30–30 साल तक कब्जा कर बैठा हैं वह किसी को मेम्बर बनने देता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यहां पर कहा जाता है कि इन में भ्रष्टाचार है वह तो है ही उसका मूल कारण यह है कि जो व्यवस्थापक इनमें आपने अपोइन्ट कर रखे हैं उनको सिर्फ 150 रुपये प्रति माह दिया जाता है। दूसरी तरफ उन व्यवस्थापकों के बेचारों के विशेष तौर से मैं सीकर और झुनझुनु जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ट्रान्सफर कर दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, तो इस तरह से जो 150 रुपये प्रति माह पाता है उसका ट्रान्सफर अगर कर दिया जाय 50–60 मील दूर तो वह अपना काम कैसे चला सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन व्यवस्थापकों का वेतन बढ़ाया जाय। इसके अलावा अभी जो पुरानी ग्राम सहकारी समितियां हैं उनको भंग किया जावे। इसके अलावा जो इन ग्राम सहकारी समितियों में मेम्बर बनने की जो डेट है उसको तय किया जावे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात विशेष तौर से हमारे सीकर जिले में जो कोआपरेटिव विभाग की बात लागू नहीं होती है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं मन्त्री महोदय को विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे सीकर के अन्दर जो भूमि विकास बैंक है उन्होंने यह पाबन्दी लगा रखी है कि कोई भी किसान अगर 200 मीटर के एरिया में कुआ नया खुदवाता है तो उसको भूमि विकास बैंक लोन नहीं देता है कुआ बनवाने का। इस पाबन्दी को तुरन्त हटाया जाना चाहिये। इसका कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर भूगर्भ विभाग ने सर्वेक्षण करके यह पता लगा लिया कि हमारे यहाँ कुओं में भूगर्भ पानी नीचे है या न हो तो यह पाया गया कि सीकर, झुन्झुनु और नागौर जिले के कुछ हिस्से में भूगर्भ पानी बहुतायत में है, वहां पर एक कुए में अगर आप तीन मोटर एक साथ लगा दें तो भी पानी की कमी नहीं आयेगी। वहां पर पानी की कमी नहीं है। इसके अलावा वहां पर अगर दो तीन वर्ष वर्षा नहीं भी हो तो भी पानी की कमी नहीं आयेगी। इसलिए मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जो दो सौ मीटर के अन्दर नया कुआ बनवाने के लिए पाबन्दी लगा रखी है उसको तुरन्त हटाया जाय क्योंकि वहां के भूगर्भ विभाग के सभी अधिकारी मानते हैं कि वहां पर पानी की कमी नहीं है और नये कुए बनवाने पर भी कोई कमी उन कुओं में पानी की नहीं आयेगी। इसलिए एक तो इस पाबन्दी को आप हटायें। दूसरे वन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विभाग के मन्त्री जी को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं उनके लिए आप कार्यवाही जरूर करें। इसके अलावा कोआपरेटिव विभाग के मन्त्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर जिले के अन्दर दो सौ मीटर की दूरी पर नये कुएं बनाने में लोन देने की जो पाबन्दी है उसको आप जल्दी से जल्दी हटाने का प्रावधान करावें ताकि हमारे यहां के किसानों को नये कुएं बनाने में लोन मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद।

श्री जयदेव प्रशाद इन्दोरिया : अध्यक्ष महोदय, 80-81 के बजट पर राज्य की मांगों पर बहस सदन में चल रही है उन पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव सहकारिता और वन विभाग के सन्दर्भ में रखे हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव, अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का अर्थ है एक के लिए सभी और सभी के लिए एक। इस विभाग के माध्यम से सहकारिता के आधार पर देश के विकास के लिए लोगों में बहुत बड़ी उमंग थी। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रतन गढ़ के गांव मालासर में एक हरिजन गृह निर्माण सहकारी समिति का निर्माण हुआ था। सन् 1975 में तत्कालीन प्रसार अधिकारी को-आपरेटिव विभाग श्री हनुमान सिंह को जो रकम दी गयी थी वह रकम जमा हुई या नहीं, यह भी पता नहीं है और आज तक वह सहकारी समिति रजिस्टर भी नहीं हुई है और न ही वह रुपया वापस लौटाया गया। श्री हनुमान सिंह प्रसार अधिकारी सहकारिता विभाग की ओर से जो मालासर हरिजनों को रसीद दी गयी थी उसकी फोटो स्टेट कापी में आपको आपकी सूचना के लिये पढ़ कर सुनाना चाहता हूं यह रसीद है "मैंने हनुमान सिंह सहकारिता प्रसार अधिकारी रतन गढ़ आज दिनांक 28-2-75 को ग्राम सहकारी समिति की हिस्सा पूंजी 1800 रुपये और प्रवेश फीस 90 रुपया कुल 1890 रुपया प्राप्त किये यह। रसीद लिख दी जो वक्त जरूरत सनद रहे।" इस पर मोहर लगी है। यह फोटो स्टेट कापी मैं आपको आपकी सूचना के लिए सदन की मेज पर रखता हूं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक विषय है जिस पर कि गम्भीरता से विचार करके आप उस जांच करायें कि यह रुपये 1800 कहां पर है, किसके पास यह रुपये आज तक रहे और अब किसके पास है। इसका आप पता लगा कर कार्यवाही करें। इसके अलावा जो इस सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको रजिस्टर कराया जाय या फिर हरिजनों को उनके रुपया वापस लौटाये जायं। इसकी व्यवस्था मन्त्री महोदय करें, ऐसी मैं उम्मीद करके चलता हूं। वन विभाग के विषय में मुझे विशेष रूप से कुछ नहीं कहना है क्यों कि, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मैं जिस इलाके से आता हूं वह इलाका रेगिस्तानी इलाका है। वहां पर वेदों के कथानुसार या तो अर्थ वेद में या ऋग्वेद में यह किसमें है पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य बतावें।

(22)

श्री हजारी लाल शर्मा : अथर्व वेद में है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया: यह अथर्व वेद में है तो इसमें है कि ऋग से वर्षा और वर्षा से अन्न और अन्न से जीवन है। अध्यक्ष महोदय, पहले के लोग तो सर्व हिताय परमार्थ के रूप में वृक्ष लगाते थे और अब सरकारी पैमाने पर अतुल धन राशि खर्च करके वृक्ष लगाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष मेरे क्षेत्र में भी सड़कों के किनारे किनारे हजारों वृक्ष लगाये गये थे और तदनुसार सरकार की पत्रावलियों में आंकड़े अंकित हैं। लेकिन आज की तारीख में आधे भी मौजूद नहीं हैं। दूसरी तरफ, अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है। मेरे क्षेत्र के अन्दर पूर्व में परमार्थियों ने कच्चे रास्तों पर, सड़कों पर नहीं कच्चे रास्तों पर, वृक्ष लगायें लेकिन अब सम्पन्न और सशक्त लोग नगरपालिकाओं के अधिकारियों से मिलकर व्यक्तिगत रूप से उन पर कब्जा कर रहे हैं। वन विभाग के मन्त्री महोदय अगर इसके लिए उचित समझें और एक जनरल आदेश प्रसारित करें सभी जिलाधीशों के नाम पर यह कि सार्वजनिक रूप मे लगाये गये वृक्ष जो जनता की सम्पत्ति है और राष्ट्र की धरोहर है उसको कोई भी व्यक्ति हस्तगत करने की कार्यवाही नहीं करे। ऐसा आप आदेश कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अभी तो सरकार वृक्ष लगा रही है लेकिन मैं समझता हूं कि सभी जगह पर कागजों के अन्दर ही वृक्ष लगा रही है न तो सरकार की ही रुचि है पेड़ लगाने की न ही जनता की रुचि पेड़ लगाने की है। पिछले वर्ष वर्षा ऋतु के अन्दर हमारे यहां पर वृक्ष लगाये गये। मैंने भी एक पत्र जिलाधीश को लिखा कि हमारे यहां पर एक भारतीय संस्कृति की संस्था है श्री राजस्थान ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम वह एक तरह से हमारे यहां पर वृन्दावन की तरह है, बड़े बड़े वृक्षवहां पर लगाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत वृक्ष वहां पर लगाये हैं उन्होंने जिलाधीश से कहा कि आप हमें 100 वृक्ष शीशम के उपलब्ध करादें। जिलाधीश ने उसके लिये रेंजर को लिखा टेलीफोन किया काफी लोगों ने आ जा कर समय की और धन की बर्बादी की पर एक पेड़ शीशम का उपलब्ध नहीं हो सका। अगर इस ढंग से पेड़ लगाये जा रहे तब मैं आपको विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया जावे।

ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जिनकी वृक्ष लगाने में अभिरुचि है। इन लोगों की एक समिति कायम की जावे, उन लोगों को बुलाया जाय और जो लोग स्वयं ही अपनी इच्छा से वृक्ष लगा रहे हैं उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाय, उनको सम्मानित किया जाय। अभी गत वर्ष ही एक साधु महाराज हैं उन्होंने कम से कम डेढ़ सौ दो सौ वृक्ष लगाये और जिसमें से 50 पीपल वृक्ष लगाये। रेगिस्तान के अन्दर हमारी तरफ पीपल और वड़ लगाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो वृक्ष लगाने की प्रवृत्ति में रुचि रखते हैं उन लोगों का सहयोग करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए और सरकारी वृक्ष कागजों में ला रहे हैं वह तो लगते ही रहेंगे क्योंकि आपको तो आंकड़े प्रस्तुत करने हैं लेकिन साथ ही साथ जो मैंने सुझाव दिया है उसके ऊपर भी विचार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं आपकी इन्तजारी में था। नाम बहुत देर से दिया हुआ था। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आज्ञा हो तो इसको सदन के पटल पर रख दूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज(जमवा रामगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता केवल मात्र नारा नहीं है। अब से पूर्व जब अधिकांश विश्व में और भारत में जो अर्थ-व्यवस्था चालू थी वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जिसका मूल ही शोषण में निहित है। पूंजीवादी व्यवस्था स्पष्ट तौर पर शक्ति-शाली को कमजोर करने का एक तरीका है। जब से देश आजाद हुआ तब से गरीबों के भले के लिए इस अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की बात हमारे महान् नेताओं ने कही। अब परिवर्तन का जहां तक तरीका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सन् 1917 में सोवियत रूस में आ चुका है जिसको हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं परन्तु भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उस साम्यवादी अर्थव्यवस्था की ओर लोगों का आकर्षण नहीं रहा और यह किया गया कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषण से मुक्ति पाने के लिए साम्यवाद से अतिरिक्त कोई, दूसरा इलाज भारत में चालू किया जाना चाहिए।

हमारे महान् नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ओर ध्यान दिया और उन्होंने यह बात शुरू की कि इन दोनों के बीच का एक ही रास्ता निकल सकता है, पूंजीवादी शोषण से बचने के लिए भी और साम्यवादी तानाशाही अंकुश से बचने के लिए हमको यह जो अर्थव्यवस्था नयी क्रियेट करनी है, वह सहकारिता के माध्यम से की जा सकती है। सहकारिता उस अर्थव्यवस्था के दर्शन का नाम है जो गरीबों को शोषण से तो बचाता ही है साथ में शक्तिशाली यानि ज्यादा तानाशाही से गरीबों को मुक्ति देना है। परन्तु यह सारा दर्शन इस बात पर खड़ा किया गया था कि उस गरीब का शोषण न हो और अब तक हो रहे गरीबों के साथ आर्थिक अन्याय को दूर किया जा सके, इस देश में साम्यवाद न आने पाये इसके बीच का रास्ता हमने तालाश किया था, परन्तु अफसोस है कि इस दर्शन को नाममात्र के लिए भी कार्य रूप में परिणित नहीं किया गया और सहकारी समितियां और सहकारिता केवल मात्र नारा बनकर रह गया।

यह बात सही है कि सहकारिता के माध्यम से अब तक जो काम हुए हैं वह अधिक आशाजनक नहीं हैं परन्तु यदि हमें साम्यवाद से बचना है तो इस निराशा से कुण्ठित होने का भी कोई प्रश्न नहीं है। हम तो अब भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि चाहे कितने ही बड़े महारथी जो पूंजीवादी लोग हैं वह अपने आपको सुरक्षित करके बैठे रहें परन्तु देश में यदि यह महा-

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

रिता सफल नहीं हुई तो मुझे डर है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, साम्यवाद को इस देश में आने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस की रीति नीति समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने की रही है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि समाजवाद को लाने के लिए हम सहकारिता को प्रोत्साहन दें।

गांवों के अन्दर एक सेवा सहकारिता का स्वरूप बहुत वर्षों पहले सामने आया था। वह सेवा सहकारिता का स्वरूप यह था कि उसके माध्यम से गांव की प्रत्येक प्रकार की आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे जिसके जरिये न केवल अर्थव्यवस्था को पूरा करने की बात थी बल्कि गांव की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराने की भी बात थी। यह सारी चीजें देखकर सेवा सहकारिता का स्वरूप बनाया गया था और यह सोचा गया था कि अब गांव में बोहरा नहीं रहेगा, व्यक्तिगत दुकानदार भी नहीं रहेगा और क्योंकि ऋण व्यवस्था में भी चेन्ज लाना जरूरी है इसलिए यह सेवा सहकारिता गांव के उस आदर्श में एक आधार बनेगी। बड़ी खुशी हुई थी, हमारे गांवों में सेवा सहकारी समितियां स्थापित करके हमने लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाये थे पर वह सारी सहकारी समितियां केवल ऋणदात्री समितियों में परिवर्तित होकर रह गयीं। केवल सदस्यों को लोन देकर अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री कर ली। मैं यह समझता हूं कि सहकारिता तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हम सोच न लें कि जो गांवों की अर्थव्यवस्था का आधार है उसके लिए पर्याप्त साधन मुहैया कराते हैं परन्तु इसके पूर्व उसके स्वरूप का भी परिवर्तन करना पड़ेगा।

जनता पार्टी के राज में, सामने बैठे हुए मित्र नाराज न हों, उन्होंने, ग्रामों का सहकारी समितियां आधार थीं, उसको तोड़ डाला। दो-दो और तीन-तीन पंचायतों पर एक सहकारी समिति बनाई है। यह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है कि उन लोगों ने इस सहकारिता के खिलाफ किस तरह से काम किया था। चाहे इसमें आप जनता पार्टी के विचारों की दुहाई दें। असल में यह बात गांवों में बिलकुल अधर पधर लटका दी गयी है कि 3 पंचायतों में एक सहकारी समिति हो। असल में होना यह चाहिए कि एक ग्राम पंचायत है उसके प्रशासन के लिए उस ग्राम पंचायत की एक सहकारी समिति हो उसके आर्थिक आधार के लिए उसी ग्राम पंचायत की एक शाला हो जो वहां कि शिक्षा के लिए हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांवों के विकास के लिए तीन स्तम्भ बताये थे ग्राम पंचायत, सहकारी समिति और वहां की शाला। इस दृष्टि से भी पिछले तीन साल में हम पीछे चले गए। अब मैं मौजूदा सरकार से अपेक्षा करूंगा कि जनता पार्टी ने खास तौर से आर्थिक मामले में जो उनके निहित स्वार्थ थे और उसी के कारण से सहकारी समितियों को फेल करने की दृष्टि से यह किया, यह बिलकुल गलत है और एक प्रकार से नकाराने के समान है उन समितियों को। इसलिए पुनः प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सहकारी समिति बनाई जानी चाहिये और उसमें प्रत्येक में एक व्यवस्थापक की नियुक्ति करना बहुत ही आवश्यक है।

(180)

(श्री भैंरूं लाल भारद्वाज)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह भी बताना चाहूंगा कि जो समिति बनेगी उसका वही सेवा सहकारिता का रूप आना चाहिए ताकि गांव की प्रत्येक अर्थव्यवस्था को वह कन्ट्रोल कर सके । मसलन अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण इत्यादि देने की व्यवस्था करना। मेरा सुझाव है कि वह उसी सहकारिता के माध्यम से होना चाहिए। आजकल जो ऋण व्यवस्था है उसमें इतना लम्बा चौड़ा चलना पड़ता है कि बहुत से लोग तो हतोत्साहित होकर उस व्यवस्था की ओर नहीं जाना चाहते हैं। और वापिस बोहरों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसका सीधा तरीका यह होना चाहिए किसान के पास जो पास बुक है वही सर्वेसर्वा होनी चाहिए और उसको इस रूप में परिवर्तित करना चाहिए कि न केवल उसके कागजों का उसकी जमीन और कुँए का रिकार्ड है, जितना भी उसने ऋण लिया है, कितनी किश्तें जमा हैं और कितनी नाम हैं इन सब बातों का भी रिकार्ड होना चाहिए पास बुक बताकर ही काश्तकार को ऋण मिल जाय और किसी प्रकार के कागज नहीं पूछने पड़ें यह व्यवस्था होनी चाहिए। कई कई जगह तो तीन-तीन चार-चार बैंकों से नो ड्यूज-सर्टिफिकेट लाने में चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसमें कितनी दिक्कत होती है यह आप सब जानते हैं। इस सबसे बचने के लिए एक ही तरीका है कि पास बुक के बिना ऋण नहीं मिलेगा और पास बुक में इन्द्राज हो कि किस बैंक से या सहकारी समिति से कितना लोन मिला है और कितनी किश्तें जमा की हैं यह सब पास बुक में दर्ज रहना चाहिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, उसको नो-ड्यूज सर्टिफिकेट लिए चक्कर नहीं काटने पड़ें।

मेरा सुझाव है कि बैंकों से जो ऋण व्यवस्था है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण की व्यवस्था करनी चाहिये। यह दूसरी बात है कि दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था आप बैंकों के जरिये से करें। जो जिला स्तर पर सहकारी बैंक है वह व्यापारिक बैंकों के सामने टिक नहीं पाते हैं। मैं समझता हूं कि बैंकों के बारे में आपको अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित करना पड़ेगा जहां सहकारी बैंकों का क्षेत्र है व्यापारिक बैंकों को उस इलाके में स्वीकृति नहीं देनी चाहिये ताकि कम्पीटिशन की मुश्किल पैदा न हो। रिजर्व बैंक की भी यही मन्शा थी, परन्तु जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है उसमें जो गड़बड़ है उसको निकाल कर सहकारी बैंकों को शक्तिशाली बनाना चाहिये। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी आपके वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित सामान सरकार मुहैया कराती है यह नीति के तौर पर व्यक्तिगत लोगों से निकाल देनी चाहिये और सहकारी समितियों को चाहे तेल हो, चाहे चीनी, चाहे कपड़ा, चाहे और चीजें हों यह हमको तय कर देना चाहिये कि सहकारी समिति के माध्यम से मिलेगा दूसरों से नहीं मिलेगा। जहां तक उपभोक्ता भण्डार बनाने की व्यवस्था है गांव में सेवा सहकारी समिति न केवल उपभोक्ता भण्डार की क्रय विक्रय समिति होगी वह गांव के स्तर पर ऋणदात्री समिति कृषि तथा उद्योग धन्धों के लिए काम करने वाली समिति होगी। सहकारी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

समिति की एक बात और कहना चाहता हू आज कुछ लोगों ने बैंकों से ऋण लेकर काफी तादाद में इधर उधर कर रखा है। कई वर्षों तक इन लोगों ने ऋण लिए और गांवों में फर्जि वितरण बता कर और कइयों में तो कुछ किश्तें भी खुद ही जमा कराते रहे और वापस ऋण दिखा दिया। इस प्रकार के कई घोटालों की शिकायतें पहले भी की हैं। जयपुर कोआपरेटिव बैंक में इस प्रकार के घोटाले हुए हैं। लाखों रुपया बैंक से लेकर वर्षों तक नाजायज तरीके से घोटाले किये हैं। मैं सहकारिता के विषय में एक ही बात कह कर दूसरे विषय पर आना चाहूंगा। सहकारी मन्त्री जी बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं जब तक यथार्थवाद में उलझे रहेंगे तो रिजल्ट कुछ प्राप्त नहीं कर पायेंगे, आमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था करके भविष्य म एक नया नक्शा तैयार करेंगे, इसी आशा के साथ निवेदन करना चाहता हू।

जहां तक वन विभाग का सवाल है वन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी पहाड़ आपको नजर आते हैं, खाली पत्थर दिखते हैं राजधानी के चारों तरफ पहाड़ों पर कहां वृक्ष हैं? जब राजधानी के पहाड़ नंगे हैं यह वन विभाग वाले कहां वन लगाते हैं, मन्त्री जी तलाश करेंगे। मेरा निवेदन है कि वनों के बारे में एक पांच साल की योजना बनानी चाहिये जिससे वन विभाग का लक्ष्य निर्धारित किया जाय, पांच सालों मे राजस्थान का प्रत्येक पहाड़ वन से आच्छादित हो जायगा। पांच वर्ष की काफी लम्बी अवधि है यदि कोशिश की जाय तो पहाड़ों को हरे वृक्षों से आच्छादित कर सकते है। जो पेड़ हम लगाना चाहते हैं मेहरबानी करके सुरक्षित स्थानों पर लगाइये, पहाड़ों पर लगाइये जहां पहले अपने आप वृक्ष होते थे अब कटाई करके जो वनों से आच्छादित पहाड़ थे आज नंगे खड़े हैं। वन मन्त्री जी से मैं इन कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अपेक्षा करूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो इस बात की जरूर घोषणा करें कि पांच साल में आप साल दो साल आगे बढ़ा सकते हैं, एक निश्चित अवधि तक हरा भरा कर देंगे मेरा सुझाव है कि जयपुर के 15 किलोमीटर के दायरे में एक ग्रीन बेल्ट लगाई जाय जयपुर। राजस्थान की राजधानी है, जयपुर के चारों तरफ 25 किलोमीटर में सघन हरे वृक्षों को लगाने का कार्यक्रम चालू किया जाय और इसके अलावा भी यदि कोई पड़त जमीन है सड़कों के पास की जमीन है चारागाह की जमीन है, सिवाय चक की जमीन के, अतिरिक्त भी जहां कहीं यदि किसी खातेदार की भी जमीन पड़ी हुई है, जहां खेती नहीं होती है वहां भी पेड़ लगाने के प्रयत्न किये जाने चाहियें। यह हरे वृक्षों के काटने वाली बात जो एक मात्र भाई तिवाड़ी जी ने बताई एक गम्भीर बात है। मैं उसमें भ्रष्टाचार की नीयत से नहीं कहना चाहता हूं उसके दूसरे पहलू पर ध्यान दिलाना चाहता हू। जब किसान हरे वृक्ष लगाता है, किसान अपने खेत का मालिक भी है तो वह काटेगा भी सही और काटेगा तो बेचेगा भी सही किसान खेत का मालिक है। जब खेत में मेहनत करके पेड़ लगाता है उसको यदि किसी प्रकार की जरूरत होती है जरूरत तीन प्रकार की होती है एक तो किसान अपने खेत में अधिक पेड़ होने से उन पेड़ों को काट कर उस खेत को खेती योग्य बनाना चाहता है तो भूमि सुधार के लिए उसको पेड़ काटने पड़ते हैं अगर काटेगा तो निश्चित रूप से बेचेगा, दूसरी बात यह है कि अगर उसको आर्थिक दृष्टि से जरूरत है जैसा कि मैं अपनी बात कहूं मैंने अपने खेत म एक हजार पेड़ लगा रखे हैं, पेड़ बढ़ते जा रहें हैं, अब मेरी इच्छा भी होगी कि जिस जमीन को खेती से महरूम करके मैंने जंगल बना रखा है उसका लाभ

(श्री भेरूं लाल भारद्वाज)

मुझे मिलना ही चाहिये। किसान पेड़ काट-कर बेच नहीं सकता यह गलत है। अव्वल तो किसान इतना पागल नहीं है कि सब पेड़ साफ करना चाहे वह तो सिर्फ बड़े पेड़ काट सकता है छोटे नहीं काट सकता। आप किसान को पेड़ लगाने के लिए दीजिए ताकि वह ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सके। ऐसे भी पेड़ लगाये जा सकते हैं जो फल देते हैं, जगलों में आसानी से लगाये जा सकते हैं। आम लोग आम भी लगा देते हैं जो बबूल की तरह लगता है। आम वगैरह के पेड़ बिना किसी ज्यादा मेह-नत के लग जाते हैं। कई किस्म के पेड़ लगाये जा सकते हैं चीकू, अमरूद, केला आदि। वनस्पति के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से यह तय करना चाहिये किस जिले में किस प्रकार के फलदार वृक्ष लगाये जायं, केवल छायादार ही पेड़ लगायें और फलदार पेड़ों की तरफ ध्यान नहीं दें यह कोई अच्छी बात नहीं है, फल भी मिलेगा, छाया भी मिलेगी। जंगलात एक महत्वपूर्ण विभाग है, पहले के जमाने में वन विभाग से बहुत जबर्दस्त आय होती थी। सारे जगलों को काटकर, ठेकेदारों के साथ कुछ अफसरों की मिलीभगत है, सारे जंगल साफ हो गये हैं। मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सारे राजस्थान के इलाके को हरे भरे वृक्षों से आच्छादित करेंगे। इस के बाद मैं आपको....

श्री अध्यक्ष : समय खतम हो गया, माननीय सदस्य।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : एक बात खनिज के बारे में कह कर समाप्त करता हूं। खनिज सम्पदा राजस्थान की बहुत बड़ी सम्पदा है न केवल साधारण लाइम स्टोन बल्कि इससे आगे चलकर कीमती से कीमती खनिज उपलब्ध हैं. मगर अफसोस है कि ठेकेदारों की मेहरबानी पर छोड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है इस बड़ी सम्पदा को राज्य की सम्पदा समझें, जनता की सम्पदा समझें और अपने खजाने में वृद्धि करने का पूरा प्रयत्न करें। जो बड़े खनिज हैं उनको ठेकेदारों के हाथ से निकाल कर राज्य स्तर पर उनका काम करें और जो छोटे खनिज हैं उनको मजदूरों की जो सोसायटी है और जो उनमें काम कर करते हैं उनको दे दीजिए ताकि उन गरीब मजदूरों को भी ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति मिल सके। आज राजस्थान में न केवल खनिज सम्पदा का दोहन सही हो रहा है, बल्कि राजस्व की भी बहुत बड़ी हानि हो रही है। इसने हमारी अर्थव्यवस्था में जो विषमता है वह निरन्तर बढ़ती जा रही है। किसी ठेकेदार को खनिज का ठेका क्या मिलता है वह मालामाल हो जाता है। हर साल राजस्व बचाकर, राज्य के टैक्स को छिपाकर, जो ठेकेदार है, वह अफसरों से मिलकर राज्य की आय की हानि करते हैं। मेरा विनम्र सुझाव है जो छोटे खनिज हैं उनको सोसायटी के द्वारा जो मजदूर वहां काम करते हैं उनको दे दिए जाने चाहिए और जो बड़े खनिज हैं उनका राष्ट्रीयकरण करके सरकार की तरफ से

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

दीजिए। इसके साथ ही मैं खनिज विभाग के मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि खनिजों में काम करने वाले जो वहां मजदूर रहते हैं उनके कल्याण के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। बहुतों के लिए तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है—शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था तो दूर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन मजदूरों के कल्याण के लिए कोई न कोई व्यवस्था भी करनी चाहिए। उनके लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध भी सरकार की ओर से करना चाहिए। जो खनिजों के मालिक हैं वे तो अपने अधिकारियों को और जरूरत पड़े तो बड़े-बड़े नेताओं को हाजिरी देकर या पार्टी आदि देकर खुश करते रहते हैं अतः मेरा निवेदन है इन छोटे-छोटे मजदूरों को ठेकेदारों के चंगुल से निकालें और जरूरतमन्द लोगों के लिए यह काम सरकार अपने हाथ में ले। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत तीनों विषयों पर संक्षिप्त बातें आपके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान की धरती, जिसको प्राकृतिक रूप से वरदान प्राप्त है और जिसको हम खनिज सम्पदा कहते हैं, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान की इस वसुन्धरा के गर्भ में देश के अन्य सब हिस्सों से अलग-अलग प्रकार की मूल्यवान खनिज सम्पदा उपलब्ध है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस राजस्थान में इतनी खनिज सम्पदा है वहां की सरकार ने इस खनिज सम्पदा को कोई महत्व नहीं दिया। पिछले 5-7 सालों से इस राजस्थान में खनिज की आय निरन्तर कम हो रही है। राजस्थान में खनिज क्षेत्र के विकास की काफी सम्भावनायें मौजूद होते हुए भी इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे अफसोस हुआ जहां 25 करोड़ की गत वर्ष खनिज की आय थी वहां इस साल लगभग 17 करोड़ की आय रह गई। इसमें राजस्थान सरकार की दूरदर्शिता और विवेकशीलता की जहां कमी है वहां राजस्थान की स्पष्ट नीति के अभाव में नये उद्यमी इस दिशा में नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मैं मांग करूंगा जहां खनिज क्षेत्र हैं वहां सड़कों की व्यवस्था, पानी बिजली की व्यवस्था, टेलीफोन की व्यवस्था खास तौर से की जानी चाहिए। वहां पर बिजली की लाइनें जिन गांवों में जाती हैं और जहां माइनिंग के क्षेत्र हैं वहां बिजली का अलग से चार्ज करके उनसे वसूल करना चाहिए, किन्तु जब सरकार इस प्रकार की सुविधायें नहीं देती है तो नए उद्यमी कतरा कर दूर चले जाते हैं। इसलिए राजस्थान में जहां-जहां खनिज सम्पदा है वहां वहां एक मास्टर प्लान तैयार किया जाय। जहां पर मूल्यवान और व्यापक सम्पदायें हैं उन क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास किया जाय सड़कों के जरिये, टेलीफोन के जरिये, पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था करके अधिक से अधिक सुविधायें दी जायं तो उसके बाद मेरी निश्चित मान्यता है कि इस राजस्थान में खनिज क्षेत्र में नये उद्यमी काफी तादात

(184)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

में काम करने आयेंगे। राजस्थान का खजाना 110 करोड़ के आस पास बढ़ेगा जो हमारा ओवर ड्राफ्ट चलता है वहां मेरी खुद की जानकारी के आधार पर कहता हूं 100 करोड़ की आय राजस्थान में खनिज सम्पदा के आधार पर की जा सकती है।

मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ, भीलवाड़ा जिले में आगूचा में जहां बहुत मूल्यवान खनिज और बड़े डिपाजिट्स होते हुए राजस्थान सरकार, निगम के द्वारा काम न करके भारत सरकार को सौंप दिया गया। राजस्थान के खनिज उद्योग और इस निमित्त जो निगम बने हुये हैं उसमें राजस्थान की ओर से ही पहल करने की आवश्यकता है। मैं आपके मार्फत, सुपर स्मेल्टर का प्लान्ट आगूचा में लगे, इस बात की मांग करता हूं। मैं इसके साथ-साथ ही उस जिले से आता हूं। बिहार और बिहार के बाद सबसे अधिक अभ्रक उस क्षेत्र में मौजूद है, फिर भी उस क्षेत्र में न बिजली है, न पानी की व्यवस्था है और न ही सड़कें हैं, और न किसी प्रकार का लोगों को प्रोत्साहन है। इसलिए वह उद्योग एक जमाने में राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता था वह शनैः शनैः कम होता गया। इसलिए मेरा निवेदन है भीलवाड़ा में आज भी अभ्रक के बहुत बड़े भण्डार मौजूद हैं और मैं आपकी मार्फत मांग करता हूं कि वहां के क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण करके पेयजल और दूसरे प्रकार के जल जो उपलब्ध हो सकते हैं, उनको तत्काल उपलब्ध कराया जाय, बिजली और टेलीफोन की व्यवस्था कराई जाय ताकि वे क्षेत्र फिर से आगे बढ़ सकें। मैं राजस्थान के लोगों से, जो यहां बैठे हैं, यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे अधिक अभ्रक हमारे जिले में मौजूद है वहां पर अभ्रक आधारित कागज के कारखाने लगाने के जो कार्यक्रम हैं जो इस देश में दो ही जगह लगने वाले हैं, राजस्थान सरकार पूरी शक्ति के साथ उस कारखाने को भीलवाड़ा जिले में लगाये। वहां कच्चा माल काफी बड़ी तादाद में उपलब्ध है और इसके अलावा भी काफी डिपाजिट्स मौजूद हैं। इसी तरह कांच की ईंटें जो इस देश में सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में बनने लगी जिनका विदेशों में निर्यात होने जा रहा है, उसको बनाने की काफी गुंजाइश है। मेरा निवेदन है राजस्थान सरकार इस बारे में कुछ पहल करे।

मैं इस बात पर आश्चर्य प्रकट करता हूं कि जहां अभ्रक बाहर निर्यात हो रहा है वहां भारत का अभ्रक निगम जो बना हुआ है से बाहर निर्यात होने पर गांवों में बढ़ोतरी कर दी गई यहां से खरीद हो रही है उसमें आज भीलवाड़ा जिला गिर गया है इसलिए इस क्षेत्र में काफी निराशा हो रही है। मैं निवेदन करूंगा जब बाहर आयात हो रहा है तो वहां की रेट बढ़ गई और भीलवाड़ा जिले में जो खरीद की जाती है उस माइका की रेट कम हो गई है। निगम के मार्फत होने से जो निराशा हो रही है उससे उस क्षेत्र को काफी धक्का पहुंचा

(श्री रतन लाल ताम्बी)

है इसलिये मैं सरकार से इस दिशा में ध्यान देने की अपेक्षा भी करना चाहूंगा। माइका स्मैल्टिंग के बारे में कई वर्षों तक बात चली जो भीलवाड़ा जिले में उपलब्ध है। तत्कालीन मुख्य मंत्री सुखाड़िया साहब ने भी इस बात की घोषणा की थी कि इसको भीलवाड़ा जिले में लगाया जाय। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि वह प्लान्ट भीलवाड़ा जिले में ही लगाया जाय क्योंकि अभ्रक के मामले में भीलवाड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इससे आगे चलकर बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी, व्यवसाय की भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष विधान सभा में प्रश्न के समय भी मैंने चर्चा की थी कि राजस्थान सरकार यदि ईमानदारी के साथ इस बात का फैसला करे कि राजस्थान में खनिज के क्षेत्र में व्यापक तौर से जो धपले हैं, जिनकी चर्चाएं यहां समय-समय पर हुई हैं, मैं आंकडों के आधार पर नहीं कहना चाहता हूं लेकिन चुनौती के साथ निवेदन करूंगा। मकराना, जोधपुर, करौली और भीलवाड़ा जिले के बिचौलिया द्वारा इन चारों स्थानों पर घपलेबाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और इन चारों समस्याओं से 25 करोड़ की हानि हुई है। मेरा निवेदन है कि ईमानदार अफसरों को नियुक्त करके वहां का सर्वेक्षण कराया जाय तो जो लाखों रुपयों की रायल्टी की चोरी होती है वह पकड़ी जा सकती है। ज्यादा खनन करके, नाजायज कब्जा करके, जिसके नाम खान होती है, उसके नाम से एक प्रति रायल्टी की कटती है। डैड का नुकसान है. पैनल्टी है, करोड़ों रुपये की घपलेबाजी के लिए कुछ लोग वहां के उद्योगपति कुछ नेताओं को लगाकर बराबर सरकार पर दबाब डालते रहते हैं कि पैनल्टी माफ कर दो उनको इस बात की छूट दे दो, उस बात की छूट दे दो। इस प्रकार की मांग करने वाले लोग, मैं समझता हूं, चाहे चुनाव में कुछ चन्दा दे दें, कुछ घाटे की व्यवस्था कर दें लेकिन राजस्थान की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, करोड़ों रुपये का भार राजस्थान के खजाने पर पड़ रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि इन चार क्षेत्रों की सी. बी. आई. से जांच करा ली जाय, चाहे इसकी न्यायिक जांच करा ली जाय, बहुत बड़ा घपला है। राजस्थान के विशिष्ट अधिकारियों की कमेटी बना दी जाय, राजस्थान के विधायकों की सब दलों की कमेटी बना दी जाय तो राजस्थान में 25 करोड़ रुपये केवल इन चार जगह से प्राप्त कर निश्चित रूप से हम माइनिंग के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरी इस राय से बहुत सारे अफसर सहमत नहीं हैं, कुछ अफसरों का भी इसमें हाथ है और कुछ राजनेताओं का भी हाथ है। वे यदा कदा जीप लेकर घूमते और प्रयास करते हैं, इसलिए वे नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की बात सामने आये पर मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं. माइनिंग मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ साहस दिखाओ। राजस्थान में अपने विभाग की ईमानदारी का सबूत दो और इन चारों क्षेत्रों की व्यापक तौर से जांच करायें। 25 करोड़ की आय तो केवल इन चारो क्षेत्रों से बढ़ सकती है। पूरे आंकड़ों के साथ पूरे तथ्यों के साथ सबूत मेरे पास मौजूद हैं, आप चाहें तो मैं देने को तैयार हूं। खनिज के बारे में समय के अभाव

(श्री रतन लाल ताम्बी)

को देखते हुए माइनिंग पर मुझे इतना ही कहना हैं कि कृपा करके राजस्थान में खनन पर आधारित, कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए नये नये उद्योग लगाये जा सकते हैं। इस कार्यक्रम पर राजस्थान के व्यापक हित के लिए राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए आप खास तौर से ध्यान देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ, माइनिंग एरिया की सड़कों की बात मैंने कही। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र को भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा सोप स्टोन का इलाका मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद है। इसलिए मैं कोटड़ी से देवरिया तक डामर की बिलकुल पक्की सड़क, जहां सौ डेढ़ सौ ट्रक रोज सोप स्टोन के निकलते हों, बनाने की मांग करता हूं। इसके साथ ही खजूरी से चैनपुरा तक डामर की सड़क की मांग करता हूं इसके साथ-साथ भीलवाड़ा जिले के गुजरिया, जिसमें बहुत बड़ा खदान एरिया मौजूद है, में माइनिंग क्षेत्र की मांग करते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि वहां पर आप लाटरी सिस्टम समाप्त करें। जो छोटे-छोटे उद्योग में काम करना चाहते हैं, श्रमिक लोग, उनको प्रोत्साहन की दृष्टि से आप नयी नीति निर्धारित करें। किसी दवाब में मत आओ। राजस्थान में गरीब, पिछड़े, हाथ से काम करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्रान्तिकारी और प्रगतिशील नीति निर्धारित करके राजस्थान में आदर्श प्रस्तुत करें। जैसा मैंने निवेदन किया, उनमें आप बिजली की योजनाओं को प्राथमिकता दीजिए ताकि खनन का काम बढ़ सके। यह बात माइनिंग के बारे में कहते हुए, जो मैंने नीति की बात की उस पर विचार करके काफी नाजायज कब्जे, घोटाले, घपले हैं, उनको आप कम करो और जहां पर काफी बड़ी तादाद में लोग प्लाट्स लेना चाहते हैं, आपकी फाइलों में नीति निर्धारित करते हुए महीनों से चल रही है, उसको आप नहीं निकाल रहे हैं, उसको आप निकालकर नये-नये जो छोटे-छोटे लोग लेना चाहते हैं, उनको आप अवसर देंगे। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सहकारिता के बारे में।

श्री अध्यक्ष : समय करीब 15 मिनट हो गया है।

श्री रतन लाल ताम्बी : केवल 5 मिनट में बोलूंगा। मैं निवेदन कर रहा था, सहकारिता जीवन दर्शन है, पंडित नेहरू ने पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ इस हिन्दुस्तान के जन जीवन के अनुरूप इस कार्यक्रम को शुरू किया था, किन्तु कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने इसको ठीक ढंग से नहीं चलाया। इसमें वही लोग कर्जा देते थे और वही वसूलते थे। इसमें इस तरह के लोग घुस गये, आज इसमें करोड़ों रुपये का घपला है। भीलवाड़ा जिले में करोड़ों रुपये का घपला है, कई मामले प्रकाश में आये, कई दब गये। यह सारा कार्यक्रम ठीक ढंग से चले, सहकारिता मंत्री जी राजस्थान में सहकारिता में घपलेबाजी में आप नया कीर्तिमान स्थापित करें तो काफी करोड़ों रुपये जो लोग सहकारिता का खाकर बैठ गये, उनसे आप निकलवाने का प्रयत्न करेंगे, मैं यह आशा करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के

187

(श्री रतन लाल ताम्बी)

साथ बजट में इस बार भी आपने संकेत दिया त्रिपूर्ण ऋण योजना, यह कार्यक्रम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, इसको आप गति के साथ चलायें और गांवों में समग्र विकास के लिए लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए मैं चाहता हूं इसको अच्छे ढंग से चलायें। इसी के साथ-साथ भीलवाड़ा के जहाजपुर और कोटड़ी इलाके में भूमि विकास बैंक की शाखायें नहीं हैं। वहां के लोगों को इससे बहुत कठिनाई होती है। मैं चाहता हूं कि वहां पर भूमि विकास बैंक की शाखायें खोलें और इसके साथ-साथ जनता पार्टी के लोगों ने पिछले 2-3 वर्ष पहले जो पुनर्गठन योजना शुरू की, ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने इसका सत्यानाश कर डाला। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी संस्था बननी चाहिए। जैसा मेरे पूर्व वक्ता भारद्वाज जी ने बताया कि हर पंचायत क्षेत्र में एक सहकारी संस्था, एक स्कूल और....

श्री अध्यक्ष : भूमि का बांधने में इतना समय न लें। जो आपका कटौती प्रस्ताव है, उस पर बोलिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : लागू करते हुए पुनः राजस्थान में हर पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित करने की दिशा में आप ध्यान देंगे। यह निवेदन करते हुए, अब जिले की सर्वाधिक वन सम्पदा या वन मेरे क्षेत्र में हैं, उसके लिए 2-3 मिनट बात करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं निवेदन कर रहा था जब मैं बचपन में पढ़ता था तो आसपास जंगल में जाना बड़ी मुश्किल था, लकड़ी लाना तो बहुत मुश्किल था आज के दिन सारे पहाड़ नंगे हैं, मैं मन्त्री जी....

श्री अध्यक्ष : उस समय हिन्दुस्तान की आबादी 25 करोड़ थी, अब....

श्री रतन लाल ताम्बी : इसीलिए जरूरत हो गयी, सब क्या खायेंगे। मैं वन मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हरित क्रान्ति लाने का कार्यक्रम आपके हाथ में है। कई बार बताया कि संजय गांधी की जो योजना थी, इतने वृक्ष लगायेंगे वह लग नहीं पाये। इस बार आप संकल्प कर लें कि ऐसी प्लानिंग है, आने वाले वर्ष में सारे नंगे पहाड़ है, जहां पर काफी बड़ी तादाद में वनो का विकास हो सकता है, उसके लिए अकाल राहत के कामों की दृष्टि से भी उसके बजट को मद्देनजर रखते हुए भी इसको व्यापक तौर से हाथ में लेंगे ताकि हमारे इलाके में बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ों का बेकार पड़ा हुआ है उसमें नये जंगल डवलप हों, उस क्षेत्र में लोगों की समस्यायें मवेशियों को चराने की समस्यायें, भी मिटें, लकड़ी जलाने की समस्या मिटें, इस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं आपने देखा होगा राजस्थान में एक जमाना था, वनों की आय से राजस्थान के खजाने में बहुत बड़ी राशि आती थी, आज के दिन राजस्थान में वनों की बहुत कम आय रह गयी। इसका कारण नये वन डवलप नहीं हो रहे हैं, पुराने वन समाप्त हो रहे हैं। इसके लिए एक विशेष योजना तैयार करें और तैयार करके इसको विकसित करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने

(श्री रतन लाल ताम्बी)

आपके सामने निवेदन किया। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों पर जो अपने खेत मे वृक्ष लगाकर काटने की पाबन्दी लगी है, इससे किसानों ने नये वृक्ष लगाने का अभियान समाप्त कर दिया, उन में निराशा हो गयी। इसलिए कृपा करके किसान खेत में स्वयं जो वन लगाये, उसका कुछ प्रतिशत तय कर लें कि दस वृक्ष हैं तो 1–2 वृक्ष काट भी सकता है, बिना किसी मन्जूरी, के आप नये और लगाते रहें तो उसके दिमाग में विश्वास रहेगा। ये पाबन्दी लगाकर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और किसान परेशान हैं। इसलिए किसान जो स्वयं भी खेती में वृक्ष लगाये और स्वयं के परिवार के लिए, आय के लिए, खेती के लिए और जलाने के लिए उसे काटे तो उसमें कोई रुकावट नहीं हो। यह बात ध्यान रखेंगे। मैं यह मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे जो इन बातों पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द आमलिया।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, इधर भी तो देखें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द आमलिया।

श्री मेघराज तावाड़ : अध्यक्ष महोदय, इधर देखते–देखते उधर हो गए।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36, 9 और 43 पर लम्बे समय से काफी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं अपने जिले डूंगरपुर के बारे में कुछ खास खास समस्याओं के बारे में सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। डूंगरपुर जिले में यह सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है वह है सहकारिता विभाग की। क्योंकि लम्बे समय से डूंगरपुर में सहायक राजिस्ट्रार का पद रिक्त है और उसके अन्तर्गत जितनी भी संस्थायें हैं उनके कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। सहकारिता विभाग में जब आपने यह माना है कि जिले में सहकारिता आन्दोलन की पहल सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां से होती है तब कम से कम छः महीने से इस पद को रिक्त रखने का क्या कारण है यह समझ में नहीं आया।

इसी तरह से डूंगरपुर जिले के भूमि विकास बैंक के द्वारा जो किसान को ऋण दिया जाता है और ऋण में कई तरह की पाबन्दियां और बैन लगा कर किसानों को परेशान किया जाता है उसके बारे में किसी को अगर शिकायत करनी हो तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है। मसलन वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने और वहां के जो मैनेजर हैं उन्होंने वहां के किसानों को डीजल पम्प सैटों पर जो लोन देते हैं उस पर पाबन्दी लगा रखी है और इसी तरह से एक पाबन्दी यह भी लगाई है कि जहां पर इलेक्ट्रिफाइड एरिया है वहां पर भी लोनिंग नहीं किया जाय लेकिन सब तरह से डीजल पम्प्स पर पाबन्दी लगा कर लोनिंग बन्द कर रखा है।

(6.30 सायं)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पीठासीन)

इसकी शिकायत करें तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह से यह भी

(श्रीगोविन्द आमलिया)

सम्भव नहीं होता है कि इलेक्ट्रिफाइड एरिया घोषित करने से भी उनका मकसद पूरा होता हो, कारण कि आदिवासी अपने दूर दराज के अलग अलग स्थानों में रहते हैं और एक काफी दूरी पर होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है और उसमें इसका रिलेक्सेशन किया जा सकता है। उसमें जो कम्पलेंट हो या उसमें कोई एक्सप्रेशन रखने वाली बात हो तो कोई सुनने वाला अधिकारी नहीं है।

इसी तरह से वन विभाग की भी हमारे जिले में बहुत तरह की परेशानियां हैं। वैसे डूंगरपुर जिले का काफी बड़ा भाग लम्बे समय से वनों से आच्छादित था। लेकिन अभी अभी कुछ दिनों में काफी कटाव हुआ है और अब वन दस प्रतिशत भी उस भाग में नहीं रह गये हैं। लेकिन इसके लिए वन विभाग के अधिकारी और उनके कर्मचारी जिम्मेदार ठहराये जा सकते हैं। मैंने देखा है कि डूंगरपुर जिले में जो दूर दराज के और गुजरात की तरफ की जो फारेस्ट चौकियां हैं और रेंजर वगैरहा के कार्यालय हैं उन अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिल कर के हमेशा जंगल साफ किये है। वहां की लकड़ी राजस्थान से बाहर निकाली है इसलिए ये लोग इसके लिए जिम्मेदार ठहराये जा सकते हैं एक बात यह भी है कि स्थानीय आदिवासियों ने इन जंगलों को साफ किया है लेकिन उनके साथ में उनकी जो समस्या थी उन समस्या को लोगों ने और सरकारी अधिकारियों ने मद्देनजर नहीं रखा। इसका यह कारण समझ में आता है कि किसानों के पास खेती की भूमि कम थी और उन्होंने इसी वजह से जंगलों की भूमि पर कब्जा करके जंगलों को साफ किया और करके उन पर खेती करना प्रारम्भ किया। तो उन्होंने एक नाजायज तरीके से खेती की और उसको रोकने के लिए वहां के जंगल विभाग के कर्मचारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि उनमें भी उनका हाथ था। और स्थिति यह आई कि अभी भी कम से कम इस पश्चिमी डूंगरपुर जिले के भाग में जहां पर कम से कम जंगल की भूमि फारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्तर्गत कही जाती है उसका 25 प्रतिशत भाग आज भी वहां के किसानों के फार्म्स के अण्डर में है उस पर खेती है और उनकी पैनल्टी वह भरते हैं। स्थिति यह है कि वह जगल की जमीन जिसके ऊपर उनका कब्जा है, 15-15 सालों से उस जमीन पर काबिज थे, राज्य सरकार ने समय समय पर रेगूलेराइज करने सम्बन्धी परिपत्र निकाले हैं और उसके लिए कार्यवाही की। लेकिन आज तक किसानो की जमीन का रेगूलेराइजेशन नहीं हो सका। अब जब कि वन विभाग के द्वारा अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं तब उन किसानों की जमीन को चारों की चारों तरफ से घेराबन्दी करवाया जाकर यह या परकोटे बना कर तंग किया जाता है और उनके बीच में आपस में भी झगड़े कराये जाते हैं और यहां तक स्थिति आई है कि डूंगरपुर में घामोद गांव में, फोरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने जंगल में आग खुद रख करके और कुछ लोगों को जाली केस बना करके 436 ता. हिन्द का केस बना कर उसमें फंसाने की कार्यवाही की है। यह उनका तरीका है।

(श्री गोविन्द श्रामलिया)

वह भी किसी तरह का टालरेबल नहीं हो सकता है। इसके लिए मेरा यह अर्ज करना था कि जैसे वन विभाग की भूमि पर किसानों का खास करके जो 12-12,13-13 वर्षों से जिनका कब्जा है उन किसानों को उनकी जमीन पर रेगूलराइज किया जाना चाहिए। फारेस्ट बढ़ाने के हिसाब से प्रस्ताव दूसरे तरीके से लाये जावें जैसे किसानों की कई ऐसे गांवों में जमीन पड़ी हुई है, उनके खेतों के श्रास पास वृक्ष लगाये जावें श्रौर उसके लिए मापदण्ड फिक्स किया जावे कि श्रमुक भाग पर वृक्ष उगाय श्रौर श्रमुक पर समय समय पर वनों को बढ़ायें। इस सम्बन्ध में कुछ नए तरीके से सोचना चाहिए श्रौर यह तरीका बताना चाहिए।

इसी तरह से डूंगरपुर वन विभाग में कई तरह के श्रौर घोटाले हैं, जैसे कि वन विभाग में ऐसे भी कर्मचारी हैं कि कम से कम 13-14 वर्षों से वहां पर कैटल गार्ड जैसी पोस्ट पर काम करते हैं लेकिन होता क्या है कि वहां पर दस दस बारह बारह महीनों तक नौकरी कराने के बाद में पन्द्रह पन्द्रह रोज के गैप में हटा देते हैं श्रौर वापस नौकरी पर रख लेते हैं श्रौर इस तरह से वहां के कैटल गार्ड की जिन्दगी के साथ में सब श्रौर से खिलवाड किया जा रहा है। यह नहीं हो श्रौर उनको सरकारी की तरह से ट्रीट किया जावे श्रौर उनकी नौकरी को स्थायी किया जाना चाहिए।

इसी तरह से डी. एफ. श्रो. डूंगरपुर के कार्यालय में पिछले दिनों 16/2 को एक इन्टरव्यू हुश्रा श्रौर वह कल गार्ड की पोस्ट के लिए हुश्रा था श्रौर जहां तक मेरा खयाल है उनके विभाग का यह परिपत्र है कि उनमें जो स्थानीय लोग हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उनको नौकरी देना है लेकिन इसमें भी स्थानीय लोगों को नौकरी पर नहीं लेकर जिले के बाहर लोगों को नौकरी पर लिया गया श्रौर ए. सी. एफ. श्रौर वहां के डी. एफ. श्रो. वगैरहा श्रपने श्रपने जहां जहां के निवासी थे, उस बोर्ड के लोगों ने श्रपने श्रपने ढंग के लोगों को नौकरी में लिया है श्रौर 13-13, 14-14 साल के कैटल गार्ड को नौकरी से निकाल कर वापस उनको नौकरी पर नहीं लिया गया है।

इसी तरह से खनिज या माईनिंग के मामले में भी अर्ज करना चाहूंगा। डूंगरपुर में खास करके डूंगरपुर के पास में बलवाड़ा में कातला पट्टियों की खानें हैं। उसमें करीब-करीब नब्बे प्रतिशत लीजेज श्रादिवासियों के नाम की हैं लेकिन श्रादिवासियों के किसी के कब्जे में नहीं हैं श्रौर डूंगरपुर शहर श्रौर श्रास पास के जो नान श्रादिवासी हैं उनके कब्जे में होकर वही उन खानों पर काम कराते हैं श्रौर उसका तमाम फायदा वे ही उठाते हैं। यह सारी कार्यवाही हो रही है श्रौर वह घपलेबाजी इस विभाग की माईनिंग विभाग के श्रधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है तथा उसको रोकने के लिए मेरा यह सुझाव है कि जैसे सहकारिता विभाग इसमें पहल करे श्रौर—

(श्री गोविन्द ग्रामलिया)

जो माइनिंग लीज होल्डर्स हैं उनकी एक कोग्रापरेटिव सोसायटी बना करके और फाइनेंस जैसी ट्रबल ग्राती हो तो फाइनेंस करवा कर उनका धन्धा उनके ही हाथों में रहे ऐसी व्यवस्था कराई जानी जाहिए।

इसी तरह से डूंगरपुर में सोप स्टोन की खास करके जो खनिज है उसकी काफी पैदावार होती है। यह सारा का सारा सोप स्टोन गुजरात में और बाहर भी भेजा जाता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि डूंगरपुर के पास में थाना गांव या उसके ग्रास पास कहीं भी पेस्टीसाइज्ड बेस्ड बना कर सोप स्टोन क्रेशिंग प्लान्ट लगाया जाना चाहिए और उसका अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसी तरह से मेरा सुझाव है कि सहकारिता में भी, विशेष कर जो हर सोसायटी डिफाल्टर है हमारे डूंगरपुर की उन सोसायटीज में कुछ अधिकारियों को नामजद करके वहां बिठाया जाना चाहिए और सहकारिता को अधिक से अधिक बल मिले उसके लिए विशेष कर डूंगरपुर जिले के जिला अधिकारियों को जिम्मा देकर उसमें सब तरह की समस्यायें ग्रा रही हैं, उनका निपटारा करके सहकारिता के ग्रांदोलन को अधिक से अधिक मजबूत कराया जावे, यही मेरी विनती है।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राज तीन मांगों के बारे में दो-दो मिनट बोलना चाहूंगा। मुझे ग्राशा है कि ग्राप टाइम देंगे। चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों सबने सहकारिता पर ग्रपना ग्रपना प्रकाश डाला। सहकारिता ग्रान्दोलन क्यों पीछे रह गया, सभापति महोदय, इस पर मैं यहां यह कहना ज्यादा लाजिमी समझूंगा जब सहकारी ग्रान्दोलन शुरू किया और सहकारी समितियां बनीं उस समय सूदखोर मुंह ताके बैठा था। वह समिति में शरीक होकर किसानों को जो कर्जा मिलता था, उसने किसानों का कर्जा ले लिया। उसके बाद किसानों ने किश्त जमा करा दी। फिर वह लोन नहीं लेना चाहता था तो भी उसके नाम से लोन लेकर हाथ और पांव के ग्रंगूठे लगा कर सूदखोर ने किसानों के नाम से लोन ले लिया। ग्राज वह किसान दर-दर भटक रहा है जमीन बेचने को मजबूर हो गया है, उसके खाने के बर्तन कुर्क करने के लिए सहकारी समिति वाले जाते हैं। यह मेरे इलाके में कई लोगों के साथ बीता है, पत्थर रख कर वसूली की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि ढाई साल जनता पार्टी का राज रहा, लेकिन उसके पहले कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के लोग जो ऊपर से गांधी जी की खादी और अन्दर से सारे के सारे काम सूदखोरी का करते हैं, यह सरकार ग्रच्छी तरह से जानती है। लेकिन उनको सजा नहीं दी, उनको पकड़ा नहीं। उसके विषय में सभी बातें की जाती हैं कि कर्जे से मुक्त होना चाहिए, सरकार कर्जे से मुक्त करना चाहती है, लेकिन वह मुक्त नहीं हुआ। उसके पास लगी थी वह भी छीनी

(श्री मेघराज तावड़)

जा रही है। इसके लिये, सभापति महोदय, लास्ट ईयर भी यह आवाज उठायी थी और इस साल भी कहना चाहता हूं। यह सहकारी भूमि विकास बैंक का कर्जा है, सरकार बीस सूत्र के जरिये गरीब और आदिवासी, हरिजनों के कर्जे माफ करने की बात कह सकती है, तो मैं राज्य सरकार से आपके जरिये कह सकता हूं कि आज महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से कर्जे माफ किये आप लघु किसानों के कर्जे माफ करिये, तब जाकर वह ऊपर उठ सकते हैं, कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अभी ट्रेजरी बैंचेन्ज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी यह आवाज उठायी है। इसलिये इसको प्रेस्टीज पाइन्ट **नहीं बनाकर**, इस ओर अगर सरकार पर थोड़ा बहुत कर्जा हो जाय तो हो जाय, लेकिन इन छोटे काश्तकारों के कर्जे माफ करें ताकि वह ऊपर आ सकें।

दूसरा सभापति महोदय, नये लोन से हुआ क्या है? जो कर्जा काश्तकार को मिलना चाहिये था वह उसको नहीं मिला। यह बांटने के लिए अधिकारी गये। मुझे मालूम है, सभापति महोदय, जो सौ रुपया उसको मिलता है, उसमें से 80-40 रुपया खर्च हो जाता है, इस तरह उनको कोई फायदा नहीं होता है न फायदा उठा सके हैं, जिससे पैदावार कर सकें। सभापति महोदय, आज कर्जे की वसूली में उनको तंग किया जा रहा है। हकीकत में कुछ लोग अपनी जमीन बेचकर जंगल में बस गये हैं। दूसरी जगह जंगलात में जाने को मजबूर हो गये हैं। तो सभापति महोदय, मैं चाहूंगा इस ओर सरकार गम्भीरता पूर्वक सोचे।

घोटालों की बात है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं मेरे इलाके में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे एम. एल. ए. बनने के पहले, चुनाव आने के बाद एक सोसायटी का मामला सामने आया। हमने कलेक्टर साहब से कहा, उस समय जांच करवायी और एक लाख 30 हजार रुपये का घोटाला निकला। जिन सदस्यों ने पैसा नहीं लिया, उन लोगों के ऊपर कर्जा निकला। सभापति महोदय, हम लोगों ने आन्दोलन किया, जांच करवायी, एक लाख तीस हजार रुपये का घोटाला निकला। लेकिन अफसोस, सभापति महोदय, वह सिफारिश हमारे सहकारिता मन्त्री हैं, उनकी वसूली उनके नाम से होनी थी, लेकिन हमारे मन्त्री महोदय से वह स्टे करा कर ले गया और गरीब काश्तकारों से वसूली की जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है जब मंत्री ऐसे भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिये आगे आयेंगे, सारे दिन भर यह बात चली, सारे दिन यह सोचा, भ्रष्ट है, तीन गांवों में घोटाले कर गये, तो घोटाले करने वालों को प्रश्रय देने वाले हमारे मन्त्री हैं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, लालचन्द का भाई बद्रीचन्द पुरोहित आपसे स्टे करा कर ले गया। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को सीखचों में बन्द करने की कार्यवाही करेंगे।

एक माननीय सदस्य : धीरे तो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोशिश करते हैं सुनने की पर सुनाई नहीं देता है।

श्री मेघराज तावड़ : मैं, सभापति महोदय, वन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। वहुत दुःख की बात है। आज जो जंगल में दिखने चाहिये वह पहाड़ दिख रहे हैं। यह क्यों? मैं फिर सरकार पर दोष लगाना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपको मालूम होगा, बड़े-बड़े जंगल दरियावर के जंगल, हम अपने आदिवासियों पर आरोप लगाते हैं कि आदिवासी जंगल काट रहे हैं। मैं, सभापति महोदय: आपके जरिये कहना चाहता हूं, सरकार ने ठेकेदारों को जगल देकर सबसे पहले जंगलों को बर्बाद किया है। तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने जंगलों को बर्बाद किया। वहां आदिवासी जंगल के मालिक थे। आदिवासियों को जंगल से लकड़ी लाने की छूट दी थी, आज वह लकड़ी लाने की छूट नहीं है। आदिवासियों को तीन प्रकार की लकड़ियों की जरूरत होती है। एक मकान बनाने के लिये, हल के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, लेकिन लकड़ी कब दी जाती है, जब वहां बरसात आ जाये उसके बाद दी जाती है। उसको पहले तैयार करना होता है। लेकिन आज कल वह लकड़ी नहीं लाने दी जाती है।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, आदिवासी जंगल में रहते हैं। वह लकड़ी लाते हैं, गोंद लाते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरे साथ तो अन्याय होता है।

श्री सभापति : आपने दो-दो मिनट के लिए कहा था, 10 मिनट ले लिए हैं।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, जंगलों की छोटी प्रोडक्शन स्वतंत्र रूप से आदिवासी लेते थे, वह नहीं ले सकते हैं वह भी ठेकेदार और लैम्प सोसायटी को दे दी। उसका पैसा नहीं मिलता है। सभापति महोदय, जो जंगल में रहते हैं, उनके सारे हक ले लिये। उनकी रोटी-रोजी की व्यवस्था नहीं की। उनके पास जमीन नहीं है।वह जंगल में जमीन निकालता है जमीन पर कब्जा करता है अगर वह जमीन नहीं निकालता है, तो भूखा मरता है। भूखा मरेगा तो लकड़ी काटेगा। चोरी और दूसरे कार्य करेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार गम्भीरतापूर्वक सोचे। उस इलाके में जहां जंगल हैं, उसको वह नहीं काटे तो उसके लिए रोजगार दिलाया जाय। अगर जंगल को बचाना है, सभापति महोदय, तो जो उन पहाड़ों में रहने वाले गांव के लोग, आदिवासी हैं, उनको कॉन्फिडेन्स में लेकर जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी दी जाय तो जंगलों की रक्षा हो सकती है, अधिकारी रखने से नहीं हो

(श्री मेघराज तावड़)

सकती है। मुझे मालूम है आज जो जंगल कट रहे हैं उनके लिए वन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं। मुझे मालूम है कोटा इलाके में हमारे वहाँ जंगल काट कर ट्रक के ट्रक गुजरात में जाते हैं। उसमें अधिकारी मिले हुए हैं। उनको लाभ होता है, और कहते हैं चोरी नहीं करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक बात कहनी है,सभापति महोदय,मेरे साथ अन्याय करते हैं आप। मुझे जो समय मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, सुन्दरी की बात कह रहे हैं। उदयपुर में सुन्दरी जो थी, उसकी आवाज राजस्थान विधान सभा में गूंजी थी। लेकिन कहा जाता है कि सुन्दरी भाग गई। मुझे ताज्जुब है।,सुन्दरी गर्भवती थी, वह भागी नहीं है। जब वह गर्भवती थी तो वहां पर लोगों ने, अधिकारियों ने उसके साथ छेड़खानी की। पता नहीं क्या चीज देखना चाहते थे। उससे उसकी डैथ हो गई। अधिकारी जानते हैं कि गर्भवती सुन्दरी इतनी ऊंची दीवार लांघ कर जा नहीं सकती है। उस सुन्दरी को मारा गया है और यह कहा गया कि वह भाग गई। यह ढोंग रचा गया है। आप प्रूफ चाहें तो वह भी मिलेगा।

श्री ईश्वर लाल सैनी : किस सुन्दरी की बात हो रही है?

श्री मेघराज तावड़ : वही सुन्दरी जो शेरनी थी, पिंजरे में थी।

सभापति महोदय, एक बात खनिज के बारे में कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे इलाके में सोप स्टोन बहुत तादाद में है। संगमरमर है, दूसरे कैलसाइड़ भी है। मैं चाहूंगा खनिज विभाग इस ओर ध्यान देर। जो पहाड़ी इलाका है, उन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कैलसाइड काफी है....

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भी धन्धा शुरू करें और उन लोगों को रोजगार दें। दूसरे बयाना में पत्थरों का काम करने वाले लोग हैं उनको टी. बी. की शिकायत ज्यादा हो रही है। उन काम करने वालों को खाने को नहीं मिलता है। उनको टी. बी. हो रही है। तमाम लोग टी. बी. के शिकार हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि विभाग इस ओर भी ध्यान देकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। सभापति महोदय, मुझे इतना कम समय दिया फिर भी धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : समापगि महोदया..

एक माननीय सदस्य : नहीं, सभापति महोदय।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, सहकारिता का मूल सिद्धांत है स्वेच्छा, और समानता के आधार पर सहकारी समितियों

(श्री महाराम चौधरी)

को परिपूर्ण ढंग से काम करना चाहिये,लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में होता यह है कि कोई भी सहकारी समिति ऐसी नहीं है। इन मूल सिद्धांन्तों का पालन क्यों नहीं होता है?इसकी वजह यह है कि अधिकारियों की तरफ से मार्ग दर्शन सुझाव देने की हमेशा अवहेलना की जा रही है। अधिकारी अपने आपको सहकारी सिद्धान्त या सहकारिता के प्रति अधिकारी समझते हैं और उनके द्वारा समानता के मार्गदर्शन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्ग दर्शन नहीं किया जाता है, राजस्थान के एकीकरण के समय सहकारिता का आन्दोलन शुरू किया गया और सहकारी समितियां अपने क्षेत्रों में थोड़ा बहुत विकास करने लग गई लेकिन अधिकारियों को महसूस हुआ कि ये तो सफलतापूर्वक नहीं चल रही है इनका हिसाब किताब ठीक नही है, इनके काम को गति नहीं दी जा रही है। इनका नाम बदल कर ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कर दिया गया। फिर उनमें भी कोई गति का कार्यक्रम या विकास नहीं देखने में आया तो फिर उनको बदल कर इनको सुदृढ़ करने के लिए इनका विलीनीकरण करना शुरू कर दिया जिससे सक्षम एरिया बन जायं। इसमें विलीनीकरण में करने में उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा कि कौन से क्षेत्र होने चाहिये। सभी गुड़ खल एक भाव। उदयपुर के ग्रामील क्षेत्र आपस में 1–1, 2–2 किलोमीटर नजदीक हैं उनमें ग्रामीण सहकारी समितियों का विलीनीकरण कर दिया और फलौदी, ओसियां, नागौर के 1–1 गांव की परिधि 50–50, 60–60 मील में आती है उनका भी विलीनीकरण कर दिया। दो तीन पंचायतों का विलीनीकरण करने से मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हमारे क्षेत्र में 5–7 सहकारी समितियों का ऐसा विलीनीकरण कर दिया कि उनकी दूरी इधर से भी 60 मील और उधर से 60 मील। फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे से जान पहचान होनी चाहिये। मन्त्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसी जो थली या रेगिस्तानी क्षेत्रों में सहकारी समितियां हैं उनका विलीनीकरण बन्द करके ग्राम सेवा सहकारी समितियां या पंचायत स्तर तक की ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनावें।

अब आपने उनका वितरण व्यवस्था का मूल उद्देश्य माना है। पिछले समय में तो सहकारिता मन्त्री जी और वितरण मंत्री जी दोनों एक ही थे और दोनों एक होते हुए भी इसकी अवहेलना की गई। इनका गला घोंटा गया। गांव में एक तरह से वातावरण फैला कि सहकारिता मन्त्री होते हुए भी बेनामी आदमियों को तो आपने कंट्रोल्ड कमाडिटीज की वितरण व्यवस्था का काम दे दिया और सहकारी समितियों के जिला लेवल के अधिकारियों को....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय सदन का समय आज की मांग पारित हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय और मन्त्री महोदय, से 7–10 बजे रिप्लाई शुरू करवा दिया जाय।

196

(श्री महाराम चौधरी)

श्री सभापति : सदन की अनुमति से जब तक मांगें पारित न हों तब तक के लिए समय बढ़ाया गया ।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने जो वितरण व्यवस्था है उसको सहकारी समितियों के मार्फत ही....मन्त्री महोदय, आप बातों में लग गये, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वितरण व्यवस्था और सहकारी समिति दोनों के लिए निवेदन कर रहा हूं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सहकारी समितियों के मार्फत वितरण व्यवस्था ठीक होनी चाहिये, इसके अलावा दूसरों के द्वार नहीं होनी चाहिये जिससे सहकारी समितियां वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में साख जमा सकें। जो पहले टाइम से यह कन्ट्रोल्ड कमाडिटीज का कार्य करने वाले आदमी थे उनके खिलाफ रसद विभाग को लांछन लगाने से ग्रामीण क्षेत्रों के आदमी क्षेत्रीय विकास का नाम लेकर आपके पास आये। बहुत से बेनामी आदमियों के नाम आपने अधिकार वितरण व्यवस्था का दे दिया और सहकारी समितियों को वंचित कर दिया। सहकारी समितियों के जितने आडिट के, इस विभाग के, अपेक्स बैंक के और सैन्ट्रल को आपरेटिव बैंक के अधिकारी हैं अगर वे सब अधिकारी एक सहकारी समिति को मोडल सहकारी समिति के हिसाब से जितनी भी सहकारी समितियां है उनमें मानते तत्परता से अगर उन सहकारी समितियों की देख रेख करके कम से कम ऐसी जितनी सहकारी समितियां उनको देखने को मिलती हैं उनका उदाहरण देकर अन्य क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन पनपाते। सभापति महोदय, इस आडिट विभाग की तरफ से इन सहकारी समितियों आडिट किया जाता है आडिट और निरीक्षण। अभी भी सहकारी समितियों के निरीक्षण या आडिट के आक्षेप-पूर्ति किये हुए अगर कहीं पर भी आप बता देवें और उनकी पूर्ति करके उनका समाधान किया हुआ बता दें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी सहकारी समिति, एक भी नहीं है। निरीक्षण करने के लिए चाहे बड़े अधिकारी हों, चाहें छोटे, सभी कोशिश यह करते हैं कि सहकारी समिति साफ स्वच्छ,जिसमें कोई काम काज नहीं हुआ हो उसको सलेक्ट करके निरीक्षण करते हैं और खाना पूर्ति करते हैं। अगर किसी समिति में 5-4-2-3 लाख की कोई पूंजी से काम किया हुआ है तो उसमें वह विजिट तक की भी एन्ट्री नहीं करते। बड़ा जबरदस्त भय रहता है कि अगर किताबी कार्यवाही में विजिट, दौरा लिख दिया और कमी पाई गई तो हम उसमें फंस जायेंगे।

श्री सभापति : आपको 10 मिनट हो गये हैं।

श्री महाराम चौधरी: बीच में 7 मिनट खेतसिंह जी ने वेस्ट कर दिये, साहब।

सभापति महोदय, इन सहकारी समिति के अन्दर, स्वेच्छा की एक तरह की जो संस्था

(श्री महाराम चौधरी)

है. आपने चुनाव एक तरह सेलाद दिये। जब से सरकारी समितियों में चुनाव कराने शुरू किये है उस दिन से ईर्ष्या बढ़ गई है, उसके बाद अफसरशाही हावी होती गई है और सब की सब डिफंक्ट पड़ी हैं। सिर्फ कागजों में तो कार्यरूप में कार्य कर रही होंगी लेकिन वास्तव में सहकारी समितियां डिफंक्ट हैं। इसलिए आपको इस संबंध में कोई उच्च स्तर की तो मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हू कि मध्यम स्तर की समिति का गठन कीजिये जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की जानकारी हो। ऐसी समिति का गठन किया जाय जो इस सबंध में नजीता निकाले कि इन सहकारी समितियों के चुनाव होने चाहिये तो कैसे होने चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हू कि इन सहकारी समितियों को स्वेच्छा से चुनाव लड़ने दीजिये।

उसमें किसी तरह की अनियमितता या शिकायत पाई जाती है तो जांच करें। जैसा कि एक्ट में प्रावधान था, रजिस्ट्रार या असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार वाजिब समझते हैं तो उसकी जांच करवा कर उसका चुनाव वह खुद करवा दें।

इन सहकारी समितियों के अन्दर जो आप सक्षम काम कर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

व्यवस्थापक लगा रहे हैं उसका सलेक्शन ग्राम स्तर पर सहकारी समिति के सामने होना चाहिए।

अब वन विभाग के सम्बन्ध में वन मंत्री दुलारामजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो नागौर से बीकानेर, जो आपके नजदीक पड़ता है, एक नागौर से फौलोदी और एक नागौर से जोधपुर, इन सड़कों पर आपने वृक्षारोपण किया है। इनका तीन साल का रिकार्ड देख लीजिये, हर साल लाख, पचास हजार दरख्त लगाये गये हैं। इनका जोड़ लगाकर फिर बाद में इनको काउन्ट करा लीजिये, मेरा विश्वास है, मेरा इन सड़कों पर आने जाने का काम रहता है, मैं गिनती करके बता सकता हूं, आपके रिकार्ड में जो बताते गये हैं वे दरख्त नहीं हैं। बिल्कुल साफ है। या तो खेजड़े या आंकड़े के पेड़ हैं।

इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे नागौर के अन्दर खड्डी की खान है इस खान के अन्दर चाहे ठेकेदार की मार्फत समझिये, चाहे किसी की मार्फत, भयंकर भ्रष्टाचार है। इसको यदि आप एक घन्टे के लिए भी देखें, इसकी जांच करें तो आप स्वयं ही सन्तुष्ट होकर उसका उपचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : माननीय सभापति महोदय, सहकारिता की मांगों पर विचार हो रहा है, मुझे अच्छी तरह से याद है सन् 1968 के अन्दर इन सहकारी समितियों का गठन किया गया वह इसलिए किया गया था कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और गरीब तबके के लोग हैं, वे सेठ साहूकारों के दबाव

(198)

(श्री कमला भाई मीणा)

के अन्दर थे, उनको पूंजीपतियों से छुटकारा दिलाने के लिए इन सहकारी समितियों का गठन किया गया। तब से आज तक मैं देखता हूं कि जब से सहकारी समितियों का गठन किया गया और गरीब लोगों को ऋण दिया गया, उसी दिन से लगातार कुदरत ने साथ नहीं दिया। जो हमारे डूंगरपुर जिले की सहकारी समितियां हैं, उनमें गरीब आदिवासियों को, गरीब तबके के लोगों को उनके सुधार के लिए ऋण दिया गया, मगर वे आज तक उस ऋण को चुका नहीं पाये हैं। क्यों नहीं चुका पाये? क्योंकि हर समय उनकी खेती खराब हो जाती है और इससे उनके बाल बच्चों का पालन-पोषण करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज 1968 से 1981 है, उन्होंने जो कर्जा लिया है वह कर्जा ढाई गुना हो गया है और वे आज तक नहीं चुका पाये हैं। तो क्या आप यह मान सकते हैं कि वे कर्जे को चुका पायेंगे? जब कि उनके पास खाने को अन्न नहीं है, उनके पास पहनने को जेवर नहीं है, उनके पास मवेशी नहीं है? इसलिए, मन्त्रीमहोदय, मैं आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करता हूं। सन् 1975-76 में सरकार ने सेठ-साहूकारों के कर्जे से गरीबों को मुक्ति दिलाई उसी प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को इस कर्जे से मुक्ति दिलाने की मेरी मांग है।

दूसरा यह है कि जहां पंचायत स्तर पर सहकारी समिति थी अब तीन, चार पंचायतों का एक लेम्प बनाया गया है। जो बिखरी हुई आबादी है, उसमें 10—15 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इसलिए हर पचायत स्तर पर समिति कायम की जाये ताकि जनता फायदा उठा सके।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं जंगलों के विषय में निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से वन विभाग के मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे उदयपुर जिले के अन्दर पचास प्रतिशत भूमि पहाड़ियों से दबी हुई है। आज हमारे वहां के काश्तकारों के पास, मुश्किल से 5—10 बीघा किसी व्यक्ति के पास हो और वह बड़ा व्यक्ति कहलाता है। यहशिड्यूल्ड ट्राइब है। दूसरे जो जागीरदार है उनके पास तो हजारों बीघा जमीन है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चरनोट की जमीन, जिस पर काश्त करते आ रहे है, कई वर्षों से करते आ रहे हैं, जुर्माने भरे हैं, वन विभाग की भूमि है, जिस पर वे काश्त करते हैं, पेनल्टी और जुर्माना भरते-भरते वे थक जाते हैं। उनके बाल बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए वे इस भूमि पर काश्त करते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमि हमारे क्षेत्र के अन्दर समतल है वह काश्तकारों के नाम अलाट करने की कार्यवाही करें तभी वे सुधर सकते है। मैं निवेदन करूं कि सलूम्बर कोर्ट में 500 व्यक्तियों पर मुकदमे दायर हैं। वे हैरान हो गये है, इसी प्रकार कोटड़ा कोर्ट में भी 500 आदिवासियों पर मुकदमे चल रहे है। इसलिए

(श्री कमला भाई मीणा)

मेरा निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र यह भूमि वन विभाग से रेवेन्यू विभाग को ट्रांसफर कर दें और रेवेन्यू विभाग इसे भूमिहीनों को अलाट करने की कार्यवाही करे ताकि आदिवासी सुख—शान्ति से निर्वाह कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक विषय रह गया।

जो हमारे घरियावाद और सलूम्बर क्षेत्र में वन सम्पदा है, वहां से माल बाहर जाता है। वन विभाग का जो विकास निगम है, उसने जंगलों को नष्ट कर दिया है। इसलिए इसको घरियावद और सलम्बर में लगाया जाय।

दूसरा यह है माइन्स के विषय में कि सलूम्बर में घरियावाद तहसील में सोपट स्टोन की करीब 20 खानें हैं लेकिन वहां का कच्चा माल बाहर जाता है। इसलिए अगर वहां पर ही उस पत्थर पिसाई का कारखाना लग जाये तो वहां के गरीब आदिवासियों को उसका बहुत फायदा मिल सकता है और उनको एक स्थायी रोजगार का साधन मिल सकता है।

दूसरा यह है कि हमारे घरियावाद में बांस बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए अगर वहां पर एक पेपर मिल लग सके तो वहां के लोगों को परमानेन्ट रोजगार मिल सकता है जो अभी वनों पर निर्भर रहते हैं, अगर यह पेपर मिल लग जाय तो वहां के 100-200 लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे इन दोनों प्रस्तावों पर विचार करे और लागू करे। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : सभापति महोदय, सहकारिता और वन विभाग के बारे में चर्चा चल रही है, मैं खनिज के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा।

मैं प्रथम वन विभाग के लिये मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने-अपने विचार दिये हैं और उन विचारों को अच्छी तरह से सुना गया और नोट भी किया गया है। मैं इसके सम्बन्ध मे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारी सरकार वनों की रक्षा के लिए, वनों को अधिक बढ़ाने के लिए सब तरह के प्रयत्न कर रही है और दूसरी तरफ वनों को विनाश की तरफ ले जाया जा रहा है। तो क्या हमारे मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में हमारे सुरक्षित वन रहें, उसके बारे में प्रयत्न करेंगे।

दूसरा आज तक जो वनों को जहां तक सुरक्षित रखा गया है, मैं हर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर जहां पर वनों का शिकार हो रहा है वहां वह इस रूप में हो रहा है कि वहां पर वृक्षों

(श्री अमर चन्द)

की कटाई करके वहीं पर ही कोयला बनाया जाता है। एक गाड़ी कोयला बनाने के लिए एक ट्रक लकड़ी जलानी पड़ती है। एक ट्रक लकड़ी जलाने पर एक गाड़ी कोयला तैयार होता है। मैं राज्य सरकार का, मन्त्री महोदय का भी, इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार वनों की कटाई करके जो कोयला बनाया जा रहा है उससे वनों का विकास हो रहा है। इससे तो वनों का विनाश हो रहा है। इसको रोका जाय और कोयला नहीं बनने दिया जाय। फिर कोयला बन कर बिकता है तो उन्हीं लोगों को वह मिलता है। इसके सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है जो कोयला बनाने की प्रक्रिया है यह बन्द की जाय तो ही वनों की रक्षा हो सकती है अन्यथा एक तरफ तो आप वनों की सुरक्षा करें और दूसरी तरफ आग लगायें तो ये दोनों बातें साथ चलने वाली नहीं हैं। मन्त्री महोदय, इस ओर पूरा ध्यान देवें।

दूसरी बात सहकारिता की है। सहकारिता के ऊपर भी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार दिए, उन्हीं बातों को दोहरा कर बोलना तो ठीक नहीं है। मैं तो इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, सहकारिता का मूल आधार है, हमारी जो गरीब जनता है और किसान है, वह सहकारी समितियां बना कर अपना लाभ और फायदा उठा सकें। उसमें आज तक जो कुछ हुआ है वह आपके सामने है। इसमें मैं तो मानता हूं कि आज का ही नहीं लें, इसके पूर्व में भी सहकारिता के ऊपर माननीय सदस्यों ने अपनी रायें दी होंगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि यह हो रहा है, जैसे किसी मन्दिर के अन्दर नगाड़े बजाये जायें तो जो कबूतर बैठे हुए हैं वे नगाड़े की आवाज सुन कर यह समझेंगे कि यह तो हमेशा बजने वाला है हमको हमेशा यहां पर बैठना है। तो यही हालत राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों की हो गई है। वे उसी रूप में आज तक काम कर रहे हैं। जितनी सिफारिशें कीं आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उनकी कोई सुनवाई हो ही नहीं पायी। सहकारिता में लोन वितरण करने के सम्बन्ध में है कि जितना लिया जाता है उतना दिया नहीं जाता है, उससे कम देते हैं। यह झूठ नहीं है आप इसकी जांच करायें। इसमें उन कर्मचारियों के हित है। सरकारी अधिकारी यह सब जानते हुये करते हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये सरकारी अधिकारी येन केन प्रकारेण इस बात को साबित करना चाहते हैं कि सहकारिता बिल्कुल खराब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह बता रहा हूं। सभापति महोदय, आप मेरे को दो मिनट ज्यादा भी दें तो कोई बात नहीं होगी। गुजरात की सहकारिता के बारे में बताऊं।

श्री सभापति : आप अपनी मांग के बारे में बोलें, माननीय सदस्य।

(श्री ग्रमरा राम)

श्री ग्रमरा राम : मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं गुजरात की बात बताना चाहता हूं आपको विश्वास नहीं हो तो आप वहां की वार्षिक रिपोर्ट को देखें, महाराष्ट्र की रिपोर्ट को देखें वहां पर सहकारिता कितने सुन्दर, व्यवस्थित ढंग से चल रही है, जो कि सैकड़ों नहीं, लाखों का मुनाफा कमा रही है। वहां के ग्रधिकारी ग्रौर जन प्रतिनिधि उसको सुन्दर ढंग से चला रहे हैं। तो फिर हमारे यहां पर ही कौन सा रेगिस्तान है कि जितना पानी उडेंलते हैं वह उतना ही पी जाता है। वह सारा का सारा ही सूख जाता है। हम सारा पैसा देते हैं सरकारी मशीनरी उस पैसे को वितरित तो करती है लेकिन वसूल नहीं कर पा रही है। यह कैसा मामला है? मैं इसके सम्बन्ध में पुनः ग्राग्रह करूंगा कि यह मन्दिर में नगारे वाली ग्रावाज की तरह न सुनी जाय, मन्त्री महोदय, इसके बारे में विचार करें ग्रौर इसका नवीनीकरण कर सकें तो बड़ा सुन्दर होगा। सहकारिता का लाभ किसानों ग्रौर गरीबों को मिल सके, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

तीसरी बात खनिज के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने ग्रपने-ग्रपने विचार दिये हैं लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन यह कर दूं कि ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जन जाति के लोगों को ग्राज दिन तक इससे वंचित रखा जा रहा है क्योंकि इसमें प्रक्रिया ही ऐसी है कि यह लाटरी द्वारा होता है। इस लाटरी में जो पैसे वाले लोग होते हैं वे 500-500 एप्लीकेशन लगा देते हैं तो उसमें से लाटरी में, 10-20 तो ग्रा ही जाती हैं। उसका लाभ जो ग्रनुसूचित जन जाति के लोग हैं उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसा करते समय इस पर भी विचार करें कि ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जन जाति के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र गंगरार के बारे में कि इसमें एक पहाड़ी है वहां पर पुराने जमाने में खान थी ग्रौर वहां पर लोहा निकलता था। मैं खनिज मन्त्री महोदय से ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उसकी पुनः जांच करवायें ग्रौर उस खान को चालू करायें तो इससे इस इलाके के लोगों को रोजी रोटी मिल सकेगी ग्रौर इससे सरकार को भी फायदा होगा। मैं इतना ही निवेदन करके ग्रपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में सहकारिता मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, ग्रभी हमें बोलना है।

श्री सभापति : ग्रापकी पार्टी को जो समय दिया है वह पूरा हो गया है।

श्री नाथूसिंह : उसके बाद में सदन का समय बढ़ भी तो गया है।

(श्री नाथूसिंह)

श्री सभापति : वह भी मिल गया है, आपकी पार्टी के कैलाश मेघवाल जी ने 30 मिनट लिए हैं और घनश्याम तिवाड़ी जी ने 23 मिनट लिए हैं। दो आदमियों ने ही सारी पार्टी का समय ले लिया है इस लिए मैं असमर्थ हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : टाइम बढ़ाया गया है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने तो 15 मिनट लिए हैं।

श्री सभापति : आप कल बोल लेना।

श्री नाथूसिंह : कल इन डिमान्ड पर थोड़े ही बोल सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मेरी मजबूरी है। सदन का जो टाइम है उसके लिहाज से ही आपकी पार्टी को समय दिया जा सकता है वह दे दिया गया।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन तो सुन लीजिये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि कार्य सलाहकार समिति का जो निर्णय है उसको मैं चेलेन्ज नहीं करना चाहता। एक-एक दिन में तीन-तीन डिमाण्ड लेते हैं, और एक या दो व्यक्ति विचार व्यक्त करते हैं।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के 6 माननीय सदस्यों ने।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : हमको यहां बोलने की स्वतन्त्रता भी नहीं है, सरकार की नुक्ता चीनी करने का मौका भी नहीं मिलता।

(व्यवधान)

आपस में बातचीत कर लें तो टाइम तो हो जायेगा।

श्री सभापति : आपका कट मोशन है ?

श्री नाथूसिंह : बिल्कुल दिया है। सभापति महोदय, मैंने एडजोर्नमेन्ट मोशन भी दिया है। सहकारिता में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी—

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

सहकारिता मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : बोलने से क्यों रोका जाता है। हम सुझाव देंगे।

(व्यवधान)

(श्री नाथू सिंह)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैंने माननीय मुख्य संचेतक जी से निवेदन किया था और उन्होंने कहा था आप बोलिये ।

श्री सभापति : अभी भी सूची में तीन नाम हैं आपकी पार्टी के, उसमें आपका आखिरी नम्बर है ।

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : please sit down.

(व्यवधान)

Please, I request you to please sit down.

मैंने मन्त्री महोदय को निवेदन कर दिया है ।

श्री हंसराज शर्मा : टाइम तो रिप्लाई होगा तब तक के लिए बढ़ा दिया है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, जो टाइम आपकी पार्टी के लिए था, 30 मिनट मेघवाल जी ने और 23 मिनट घनश्याम जी तिवाड़ी ने लिये । इस तरह से 53 मिनट का समय आपकी पार्टी को मिल गया । आपने जो सूची दी थी अगर उसके हिसाब से तमाम मेम्बरान को बुलाया जाता तो सदन का सारा समय लग जाता । आपकी पार्टी के मैम्बर तैयार होकर आते हैं, तीस मिनट तो मेघवाल जी ने ही ले लिये, दूसरी पार्टी को भी टाइम देना पड़ता है । जो कुछ दे सकते थे वह दे दिया ।

श्री भंवर लाल शर्मा : अगर हमारे मैम्बर तैयार होकर आते हैं इसलिए उनको टाइम नहीं मिले तो वह न्याय नहीं होगा । कट मोशन भी वह देते हैं ।

(व्यवधान)

ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल चार लोगों को समय दे दिया जाय ।

(व्यवधान)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पीठासीन)

श्री अध्यक्ष : सभापति जी ने किया वह ठीक किया । लेकिन तीन डिमाण्ड्स हैं आज । मेरी नजर में पूरी डिबेट नहीं हुई, इसलिए पांच-पांच मिनट का समय और दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा ।

श्री हंसराजशर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारी विभाग के सम्बन्ध में जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, उनकी समयस्याओं की ओर

(श्री हंसराज शर्मा)

राजस्थान सरकार का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे तो देश की गरीबी मिटाने के लिए सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य था गांवों में रहने वाले जो 80 प्रतिशत लोग हैं उनको राहत पहुंचना, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो राहत मिलनी चाहिए वह प्राप्त नहीं हो सकी। अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों का जो विलीनीकरण हुआ उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, यह गलत हुआ है, उसके हो जाने से ग्राम लोगों को सहकारी समितियों के माध्यम से जो कन्ट्रोल की चीजें दी जाती हैं वह प्रत्येक गांव तक नहीं पहुंच पाती है। सहकारी समिति में एक ही कर्मचारी रहता है वह पूरी तरह सम्भाल भी नहीं पाता है इसलिए वितरण प्रणाली में परेशानी आती है।

दूसरा मेरा निवेदन है सवाई माधोपुर जिले में भूमि विकास बैंक के द्वारा एक बेन लगा हुआ है कि 175 मीटर से ज्यादा भूमि पर काश्तकार लोन नहीं ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि छोटे काश्तकार जिनको पांच-पांच बीघा भूमि का आबन्टन हुआ है वे लोग कुआं खुदवाने के लिए लोन से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पाबन्दी लगी हुई है इसे कृपया हटाने का प्रयास करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि सहकारी संस्थाओं में जो प्रशासक लगे हुए हैं वह रजिस्ट्रार महोदय द्वारा 6 महीने तक या एक साल तक के लिए लगाये जा सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा तीन साल के लिये लगाये जा सकते हैं। लेकिन यह देखने में आया है कि तीन साल के बाद भी चुनाव नहीं कराये गये। राज्य सरकार का कोई आदेश भी इस दिशा में नहीं निकला, इसलिए इसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके अलावा सहकारी विभाग में कुछ समय पूर्व हमारे यहां राजस्थान में जो सहकारी विभाग के आडिटर्स होते हैं, माननीय शोभाराम जी के कार्यकाल में, जब वे सहकारिता मन्त्री थे तो उस समय आडिटर्स को जिले में रहने पर पाबन्दी लगा दी थी। यह पाबन्दी ठीक नहीं है। बड़े अधिकारी तो जिले में रह सकते हैं और ये अल्प वेतन भोगी नहीं रह सकते हैं। ये अल्प वेतन भोगी नहीं रह सकते इन्होंने कौनसा पाप किया, जो 'गाय की भूल गदहों को ओढ़ा दी, इसलिए इस पाबन्दी को हटाने की कृपा करें। इसको हटाया जा सके तो अच्छा होगा। इसी प्रकार से उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जो उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की जाती है, कपड़ा है, चीनी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मिल जो कपड़ा देती है वह सहकारी भण्डारों पर दे दिया जाता है, उस प्रकार चीनी भी सहकारी समितियों के मार्फत वितरित की जाती है। इस की क्वालिटी को सुधारना चाहिए। चीनी की जो रेट है उस रेट की चीनी है या नहीं, इस तरह से उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होने से लोगों को शिकायत रहती है।

इसी प्रकार सहकारिता विभाग में लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार है, मैं इस बात को नहीं मानता। भ्रष्टाचार हो सकता है,

(श्री हंसराज शर्मा)

लेकिन भ्रष्टाचार को आप और हमारी मौजूदा सरकार समाप्त नहीं कर सकती। जो सहकारिता में कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग में पश्चिमी राजस्थान में सवाई माधोपुर का हजारों मील का लम्बा वन क्षेत्र है। यदि वन विभाग की कहानी कहूं और भ्रष्टाचार की बातें सदन में रखूं तो 5–6 घण्टे हो जायेंगे मेरी कहानी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वहां के जो इन्चार्ज हैं, बड़े-बड़े डाइरेक्टर्स हैं, उनके पीछे बड़े बड़े जेक लगे हुए हैं। विधान सभा में बैठे हुए हैं इसलिए कहना और नहीं कहना निरर्थक है. समय खराब करना है। मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों में काश्तकारों को वन विभाग द्वारा पहले के समय पर में पूली और डाडी का परमिट मिलता था और अब बन्द कर दिया है वह काश्तकार येन केन प्रकारेण चोरी करके लाते हैं या ब्लैक में खरीद कर लाते हैं। छोटे काश्तकारों को इस प्रकार की सुविधा मिले तो अति सुन्दर होगा।

इसी प्रकार से सवाई माधोपुर क्षेत्र में हजारों बीघा जगल में तेंदू के पेड़ हैं किन्तु तेंदू का पत्ता बेचा नहीं जाता वेचान नहीं किया जाता बल्कि यहां तक सुना गया है कि वहां सवाई माधोपुर नगर में वहुत वड़ी बीड़ी की फैक्ट्री है उसमें अधिकारियों से सांठगांठ करके लाखों रुपये की कीमत का पत्ता चोरी करके मंगाया जाता है उससे राज्य सरकार को नुकसान होता है। इसलिए इसकी जांच की जाय।

इसी प्रकार से वन विभान ने एक आदेश निकाल रखा है। हमारे यहां 100 किलोमीटर में टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी तीन किलोमीटर की परिधि में जानवर बाहर आते हैं, लोगों की फसलों को खा जाते हैं और आयेदिन गाय, बकरी और भैंसों को मारते रहते हैं, लेकिन वन विभाग वाले उनकी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारे इलाके में बहुत बड़ा आतंक है इसलिए इस व्यवस्था को बना दिया जाय तो लोगों को राहत मिलेगी।

उस क्षेत्र में तीन किलोमीटर तक जानवरों को डराने के लिए फटाका छोड़ने तक की पाबन्दी लगा रखी है राज्य सरकार ने, जब कि दूसरी ओर वन विभाग के लोगों से मिल कर हमारे यहां मन्त्रिमण्डल और बड़े बड़े अधिकारियों के सहयोग से वन विभाग के एरिया के अन्दर एक ट्रैसर फैक्ट्री लगा दी, मकान बना दिया और पत्थरों की खानों के लिए ठेका दे दिया। एक ओर ठेका दे रहे हो, ट्रैसर मशीन लगा रहे हो तो दूसरी ओर काश्तकारों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? इसलिए जो जानवर काश्तकारों की फसलों का नुकसान करते हैं उनके लिए राज्य सरकार को कुछ करना चाहिए।

इसी प्रकार दूसरा निवेदन है कि वहां सैकड़ों माइल लम्बे क्षेत्र में, व्यक्ति विशेष की छींटाकशी नहीं करना चाहता, लोग शिकार करते हैं, जानवर मारते हैं वहां के लोगों

(श्री हंसराज शर्मा)

की देखरेख में पैसा खाते हैं, उनकी जो चमड़ी आती है उसको बाहर भेजते हैं और जंगलों के मीलों के मील कटवा रहे हैं। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप स्वय पधारें और देखें तो आपको अनुभव होगा कि वास्तव में जंगल जो राष्ट्र की धरोहर है उसका कितना बड़ा विध्वंस हो रहा है। आप स्वयं देखें और इन्सपेक्शन करें। यदि आप संतुष्ट हो जायं कि वास्तव में वन विभाग का बहुत बड़ा एरिया नाजायज तरीके से काटा गया है, आप अगर उचित समझें तो उन अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकते हैं।

इसी प्रकार जो वहां जंगल हैं, जंगल में पशुओं को मारते हैं। हमने शिकायत की, वहां एक बहुत बड़े राजनीतिक कार्य-कर्ता का होटल है उसमें उन जानवरों के शिकार को पकड़ा है। दुर्भाग्य है कि हमारे यहां से श्री सां ला वहां गए और वहा पर 3 हजार की रिश्वत खाकर 40 रुपये पेनल्टी लगा दी, कम्प्रोमाइज करके माफ कर दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर एक काश्तकार की गाय जंगल में जाती है तो उसको 15 किलोमीटर पर रख दिया जाता है और 7 रुपए रोज पेनल्टी लेते हैं और एक जानवर मारता है उससे 30) रु. लेते है। इस प्रकार वहां बहुत अव्यवस्थायें हैं।

इसी संदर्भ में निवेदन है कि माइन्स राष्ट्र की धरोहर है इस ओर ध्यान देना चाहिए और बड़े-बड़े माइन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : वहां के अधिकारी-गण अपनी क्षमता के बाहर परमीशन देकर वहां की खानें कटवा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं जो काश्तकार पंचायत का प्रमाण पत्र ले आयें उनके कुओं के लिए, मकान और स्कूलों के लिए फ्री कर दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सतापक्ष से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) अर्स कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं बोला है मुझे कम टाइम दिया है....

श्री अध्यक्ष : आप तो बोल चुके हैं।

श्री महाराम चौधरी : इनका समय मैं लेना चाहता हूं। हमारा और इनका भाईचारा है।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्षजी, सह-कारिता, वन विभाग और खनिज विभाग की मांगों पर मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से मन्त्रीजी को प्रस्तुत करूंगा। सहकारिता जनता की भलाई की दृष्टि से चालू की गई थी। प्रश्न इसमें यह है कि सहकारिता के माध्यम से हम किसानों की कितनी मदद कर रहे हैं, वह कहां तक सफल हुई है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है? आज जो हम कर्जा दे रहे हैं किसानों को, वह इस ढंग से दे रहे हैं, इसमें कितने घपले हुए हैं किस तरह से गड़बड़ियां होती हैं, माननीय सदस्यों ने सारे मसले रखे हैं लेकिन इसका खास कारण क्या है जिससे हम किसानों को उनकी आव-श्यकता के अनुरूप मदद नहीं कर पाते हैं

(श्री तेजपाल यादव)

श्रौर यह सहकारिता वास्तविक मदद नहीं पहुंचाती। एक प्रश्न यह है कि चुनाव को इतने वर्ष हो गए, व्यवस्थापकों श्रौर इन्सपेक्टरों ने मन मर्जी से मीटिंग बुलाकर किसी से साइन करवाये, किसी के नहीं करवाये, वर्षों पहले कर दिया वही चल रहे हैं। सदस्यों को पता नहीं कौन श्रध्यक्ष है, क्या है। कौनसी कन्ट्रोल्ड कमोडिटी समिति में श्राती है, कहां विकती है किसी को पता नहीं। इन्सपेक्टर या व्यवस्थापक जाने। तो जब तक चुनाव नहीं करायेंगे श्रौर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज समिति को मिल रही हैं वे उपलब्ध नहीं हो रही हैं, यह कटु सत्य है। लोग श्राते हैं कागजों में, समिति के नाम से सारे का सारा ट्रांजेक्शन करते हैं, खुद श्रपने नाम से लेते हैं, रकम श्रपने नाम से लेते हैं हैं श्रौर बिजनेस चला रखा है, समिति में दर्ज कर लेते हैं किसी को पता नहीं चलता। दूसरी श्रोर जिन–जिन समितियों में 5–5, 10–10 लाख का बिजनेस हो गया है उसमें 250) व्यवस्थापक को देते हैं। इतना बड़ा बिजनेस हो श्रौर इतना बड़ा कारोबार हो, श्राज 250) से मामूली मजदूर भी नहीं मिलेगा श्रौर उससे हम चाहें कि वह किसानों की सेवा करे, समय पर कागज तैयार करे, समय पर कर्जा दिलाए वह कैसे संभव हो सकता है। तो मेरा सुझाव है कि कम से कम व्यवस्थापकों का वेतन बढ़ाया जाए ताकि श्रच्छे काबिल श्रादमी श्रायें श्रौर इसमें सुचारु रूप से काम हो।

दूसरा श्रहम मसला जो है वह यह है कि हम किसानों को कर्जा देते है वह प्रणाली श्रौर है श्रौर भूमि विकास बैंक जो कर्जा देता है वह प्रणाली श्रलग है। श्राज भूमि विकास बैंक हैं कई जगहों पर यह स्थिति है कि किसानों को कर्जे नहीं मिल रहे हैं। श्राज पांच साल से कर्जे नहीं मिल रहे हैं वही चले श्रा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि क्यों नहीं सहकारिता के माध्यम से ही इन कर्जों को चाहे वह श्रल्प कालीन ऋण हो, चाहे मध्य कालीन ऋण हो, चाहे दीर्घ कालीन ऋण हो, दिलाया जाय। श्राज सहकारिता के माध्यम से दिलायें, फायदा है क्योंकि इसमें स्टाफ वही है। इसलिये श्रगर उन्हीं के माध्यम से लोन दिलाया जाय तो काफी सुविधा किसान को हो सकती है। पहले यह तय कर लिया जाय कि इस किसान की इतनी हैसियत है श्रौर उसकी हैसियत के श्रनुसार उसको लोन दे दिया जाय। उसका पैसा जो भी है वह उसमें जमा कर दिया जाये श्रौर जब वह चाहे तब पैसा श्रपने कर्जे का जमा करवा दे श्रौर जब चाहे तब पैसा श्रपनी जरुरत के मुताबिक निकाल ले। जैसा कि इन व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। श्राज व्यापारी लोगों को जिस तरह यह व्यावसायिक बैंक रुपया देते हैं उसी तरह इनसे पैसा मिल जाय तो किसान को काफी राहत मिल सकेगी। इससे श्राज किसान को घूमना पड़ता है, नयी नयी एप्लीकेशन्स देनी पड़ती हैं वह बार-बार नहीं देनी पड़ेगी। एक तो यह बात।

दूसरी जो किसान श्रपनी उपज के लिए लोन लेता है सहकारिता के माध्यम से दस हजार या पांच हजार श्रपने खाद बीज के लिए या श्रपने खेती के कम्पोनेन्ट्स के लिए उसमें जो वसूलिया की जाती हैं वह किसानों से जबरन बसूलियां की जाती हैं। उनको बाजार में लेकर जाते हैं श्रौर वहां पर उनको कहा जाता है कि या तो पैसा जमा

(श्री तेजपाल यादव)

करावाओ अन्यथा तुम्हारी फसल कुर्क कर लेंगे तो इस प्रकार काश्तकार को अपनी फसल को बहुत ही सस्ती कीमत पर बेचना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर उसकी फसल को गिरवी रख कर उसका 75 प्रतिशत या 79 प्रतिशत जो भी उसकी फसल का हो उसको एड्जेस्ट कर बाकी पैसा उसको दे देवे। जब किसान को अच्छे भाव मिले उस वक्त किसान अपनी फसल को बेच सके जिससे कि किसान को लाभ हो सके। आज जिस तरह व्यापारियों को बैंक कर्जा देती है उसी तरह अगर को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से उनका पैसा मिल जाय तो आज जो शोषण किसानों का हो रहा है वह नहीं होगा। इसमें क्या अड़चन है। आप सहकारिता के बैंक से किसान को इस प्रकार की सहूलियत क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसी प्रणाली करेंगे तो किसान को वास्तव में लाभ भी होगा और उसका जो शोषण हो रहा है वह भी नहीं होगा।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे उपभोक्ता संघ हैं उनमें जो चीजें बेची जाती हैं वह असली मायने में बाजार में जो चीजें हमें मिलती हैं उससे महंगी मिलती हैं। आप चाहें तो देख लें बाजार में खुदरा व्यापारियों के पास आपको वही चीजें सस्ती मिलेंगी। लेकिन सहकारी उपभोक्ता भंडार में आप चाहे कोई भी चीज ले लें चाय, साबुन वगैरह जो भी डीकन्ट्रोल की चीजें हैं वह महंगी ही मिलती हैं और उसके साथ में उनकी क्वालिटी भी इन्फीरियर होती है। तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है इनमें जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है उससे आम जनता को कोई लाभ नहीं होता है। आप भी जानते होंगे और दूसरे अपने सदन के माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि जितनी जनता के प्रति चिन्ता सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को होती है जन प्रतिनिधियों को होती है उतनी चिन्ता इन पब्लिक सर्वेंट्स को नहीं होती है क्योंकि वह जानते है कि अगर वह काम करेंगे तो भी उनको हर माह तनख्वाह मिल जायगी और नहीं करेंगे तो भी उनकी तनख्वाह बन्द होने वाली नहीं है और न ही उनको किसी प्रकार से दण्डित ही किया जायगा। इसलिए मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह सुझाव है कि इन कोरपोरेशन में और इन सहकारी उपभोक्ता भंडार में आप ज्यादा से ज्यादा जन प्रतिनिधियों को लगायें और जल्दी से जल्दी लगावें ताकि जनता को सही मायने में फायदा हो सके। हमने जो जनता से वायदे किये हैं अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार उनको पूरा कर सके। अगर राज्य सरकार ऐसा करेगी तो मैं समझता हूं कि जनता, गरीब लोगों को फायदा हो सकेगा। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि कई जगह पर लोन से इन्सपेक्टर्स और व्यवस्थापक खुश होते हैं वहां पर ऐसे लोगों को भी उनके पशुओं पर कर्ज दे देते हैं जिनको डाक्टरों ने पास किया नहीं हो या उनके पहले ही लोन लिया जा चुका हो पर जहां इन्सपेक्टर और व्यवस्थापक जिससे नाराज हो वहां पर चाहे डाक्टर ही उसको फिट सर्टिफिकेट दे दे तो भी वह उसको किसान की भैंस और गाय पर लोन नहीं देंगे। यह उन्होंने अपनी मर्जी का सवाल बना रखा है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि मन्त्री

(श्री तेजपाल यादव)

महोदय, इन सभी प्रकार की गड़बड़ियां आज हो रही हैं, को समाप्त करने के लिए कदम उठायें और इन सभी मामलों को देखें।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय अभी तो मैंने सिर्फ कोआपरेटिव पर ही निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है मैं समझ गया हूं समय का अभाव है। माननीय सदस्य और भी बोलने वाले हैं आप स्थान ग्रहण करें।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय अब थोड़ा मैं वन विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, यहां पर दूसरे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार वन लगा रही है दूसरी तरफ वनों की देखरेख नहीं हो रही है और उनको नष्ट किया जा रहा है। उनकी केयर नहीं हो रही है। आज कहीं पर तार लगे हैं तो वहां फेन्सिग नहीं हो रही है। पांच पांच साल हो गये हैं उनकी कोई केयर नहीं हो रही है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपको इसके लिये उदाहरण देना चाहूंगा कि आमेर तहसील में मन्डा गांव है वहां पर आज आठ साल हो गये है कोई फेन्सिग नहीं हुई है। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर पेड़ गिर कर नष्ट हो गये हैं उनको ठीक करावें। दूसरे, राज्य सरकार ने चरागाहों की भूमि पर वन लगाकर जो योजनायें बनायी हैं इनको लागू करें ताकि पंचायतों की आमदनी हो आपकी भी आमदनी हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। आज पंचायतों के पास तो साधन नहीं हैं इसलिये राज्य सरकार इसके लिए कुछ करे। दूसरे, आपकी मिक्स्ड प्लान्टेशन की जो स्कीम है वह बहुत ही सुन्दर है लेकिन इसके लिए लोग आज पंचायत डिपार्टमेंट में दरख्वास्त देते हैं पर उनकी रेगूलेराइजेशन के लिये कोइ कार्यवाही नहीं हो रही है? यह आपकी योजना कागजों में ही चल रही है। इसको भी मन्त्री महोदय खास तौर से देखें। इसके अलावा मैं थोड़ा खनिज विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज जो पुराने खनिज विभाग में पट्टाधारी हैं वह यह समझते हैं कि वह तो उनकी बपौती हो गयी है और दूसरे वहां के अधिकारी और पट्टाधारी यह जानते हैं कि उनको तो कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से आज छोटे-छोटे पट्टाधारियों को पट्टा मिल जाने के बाद भी लोग दूसरी कोर्टस से जाकर स्टे ले आते हैं जबकि उन कोर्टस का वहां पर कोई जूरिस्डिक्शन ही नहीं है। अब एक व्यक्ति ने जो खानें नीम के थाने में और कोटपूतली में थीं उनके लिए उदयपुर की मुंसिफ कोर्टस से स्टे ले आया। जब कि उदयपुर की कोर्ट का वहां पर जूरिस्डिक्शन ही नहीं लगता। कहां उदयपुर और कहां कोटपूतली। तो मेरा निवेदन है कि क्या उदयपुर में स्टे किया हुआ राजस्थान के सभी खनिज क्षेत्रों में चलेगा? वह अभी तक चल रहा है इससे जो सरकार को आमदनी होनी चाहिये वह नहीं

(श्री तेजपाल यादव)

हो रही है पुराने आदमी ही उन खनन भूमि को दबाये बैठे हैं। वहां से माल निकाल-निकाल कर उसको बेच रहे हैं पर सरकार को वहां से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है सिवाय नुकसान के। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इस प्रकार की गड़बड़ियां जो चल रही हैं वह न हों ताकि सरकार को लाभ हो।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री बन्सीलाल पटवा। अनुपस्थित।

श्री नाथू सिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में सहकारिता आंदोलन के विषय में सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे। उसमें मैं भी मन्त्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक भ्रष्टाचार के बीज इस सहकारिता आंदोलन में से नहीं समाप्त किये जायेंगे तब तक यह सहकारिता आन्दोलन हमारा खोखला ही होता रहेगा और यह कामयाब नहीं होगा। इस विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसके उदाहरण मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में जहां बालाहेड़ा ग्राम सेवा सहकारी संस्था है वहां पर व्यवस्थापक है, वह भ्रष्ट है उनका तबादला होता नहीं और न ही उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है और न ही इनके कभी चुनाव होते हैं। जो एक बार अध्यक्ष बन गया वह आज तक अध्यक्ष बना हुआ है और वही व्यवस्थापक काम कर रहे हैं। इस तरह से अध्यक्ष व व्यवस्थापक मिल कर वहां पर घोटाले कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बसवा तहसील के ग्राम बालाहेड़ा की ग्राम सहकारी समिति में एक मीठालाल मीणा नामक व्यक्ति है, सन् 1968 में फर्जी बान्ड भर कर पैसे उठाये। दो नाम के एक व्यक्ति है उनके नाम पर गलत साइन करके पैसे उठा लिए उसके पश्चात् आज वह पैसे फर्जी बान्डों के भरे हुए उन गरीब किसानों से वसूल किए जा रहे हैं जिन्होने कि यह पैसा ही नहीं उठाया। आज आपको एक तथ्य निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि वहां पर जो व्यवस्थापक है वह वहां पर एक दिन 45 रुपये में फोर्थ क्लास सर्वेन्ट की हैसियत से नौकर लगा और बाद में धीरे-धीरे वहां पर व्यवस्थापक बन गया। अब वह और अध्यक्ष दोनों ही मिलकर फर्जी बान्डों व दस्तखतों पर जबर्दस्ती किसानों से पैसे वसूल कर रहे है। वहां पर वसूली अधिकारी पहुंचते हैं उनके नाम की गलत कुर्कियां निकाल रहे हैं। वहां पर बेचारे निर्दोष लोगों की जमीन जायदाद और मकानों को कुड़क कर नीलाम किया जा रहा है, इससे वहां पर भयंकर जनता और किसानों में असन्तोष फैला हुआ है। अभी वहां पर लोगों ने शिकायत की, उस असन्तोष के कारण, अध्यक्ष महोदय, यहां से असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार और लोन इन्स्पेक्टर पहुंचे, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने व्यवस्थापक और अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद व्यवस्थापक और अध्यक्ष ने मिलकर मीटिंग की और सारा मामला गोलमाल हो गया। इसके

(श्री नाथू सिंह)

अलावा निहालपुरा में एक ग्राम सहकारी समिति है वह न चीनी बेचती है न कपड़ा बेचती है, कुछ भी नहीं बांटती है पर फर्जी दस्तखत करके लोगों से जबर्दस्ती वसूलियां कर रहे हैं। इनकी शिकायतें होती हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर लोग वहां पर जाकर कहते हैं तो लोन इन्स्पेक्टर और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार उलटे उन लोगों को कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। इस तरह से सहकारी विभाग के अधिकारी और सहकारी समितियों के अध्यक्ष और व्यवस्थापक मिलकर लाखों रुपये का घोटाला कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति जो सिर्फ 45 रुपये में नौकर हुआ था आज उसकी हैसियत यह है कि एक लाख रुपये की तो उसके कोठी है और 500 मन अनाज उसके घर में है जबकि उसके पास खेती के लिए एक बीघा जमीन भी नहीं है। लेकिन कोई जांच नहीं की जाती है इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इस प्रकार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे और किसानों को राहत दिलायी जावे। आज लोन देने में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, तहसील बस्सी में ग्राम सेवा सहकारी समिति दूधली है वहां किसानों को लोन देने में मना कर दिया गया यह कह कर कि तुम्हारा लड़का सरकारी नौकरी में है इसलिए तुम्हें तो लोन नहीं मिल सकता है, इसमें अध्यक्ष और व्यवस्थापक ने यह कहा इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मूलचन्द पुत्र धन्नालाल और गोविन्द लाल सन ऑफ श्री नारायण को वहां पर लोन नहीं दिया गया। जब कि डाक्टर ने उसकी भैंस को पास कर दिया था नम्बर भी दे दिये थे ए 28, पर फिर भी उसको लोन नहीं दिया गया और दूसरे व्यक्तियों को लोन दे दिया गया। जबकि उसके भी दो पुत्र सरकारी कर्मचारी हैं।

और जब कि दूसरे व्यक्ति महादेव पुत्र उपमा मीणा जिसके दो पुत्र सरकारी कर्मचारी हैं उनको लोन दे दिया गया। तो किस तरह का लोन देने में और वसूली में भ्रष्टाचार है इसकी तरफ कृपया ध्यान दें। लालसोट तहसील और दौसा तहसील—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास समय नहीं, बहुत सारी मेरे पास रसीद बुक्स हैं जिनमें फर्जी हस्ताक्षर किये हैं, इन्द्राज रजिस्टर में किया नहीं गया, बहुत सारे डाकूमेन्ट्स हैं जिनमें पूरे फर्जी मामले हैं, लेकिन समय के अभाव में मजबूरी है, मैं उनको रख नहीं सकता।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सी-स्कीम पास में ही है, मन्त्री महोदय की नाक के नीचे है। क्योंकि वहां के अधिकारी, बड़े-बड़े अधिकारी और बड़े-बड़े प्रभावशाली लोगों के घरों पर सामान पहुंचाते हैं, राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में वहां एक जनरल मैनेजर थे उन्होंने घोटाले किये वह वापस उसी जगह पर आ गये। उनके खिलाफ शिकायतें हैं। उनकी जांच हो रही है। लाखों रुपयों का घोटाला हुआ और वापस

(२२)

(श्री नाथूसिंह)

एक महीने से उसी जगह लगा दिये । श्री अशोक जैमन हैं उनके खिलाफ घोटाले के मामले हैं । उन्होंने श्री गुलाबचन्द और मदनलाल से मिलकर 34,750 रुपये का गबन किया उसके खिलाफ शिकायत हुई और कोई जांच नहीं हुई । इतना ही नहीं फर्नीचर सारा घर ले गए । कोई इन्क्वायरी नहीं हुई । एच. एम. टी. की घड़ियों का घोटाला हुआ, इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी बाबू लाल शर्मा सेल्समैन ने स्टेशनरी गोदाम में लगभग 5 हजार का माल बिना वाउचर बेचकर स्वयं पैसे खाये । श्री जगदीश प्रसाद, सेल्स-मैन, ने 15 हजार का गबन किया और यह अशोक जैमन का आदमी है । अशोक जैमन ने उपभोक्ता संघ में ट्रान्सपोर्ट वालों से लगभग 40 हजार का घोटाला किया, हनुमानगढ़ समिति से कन्ट्रोल का कपड़ा बिना बिल्टी के 211 लाख का लिया और ट्रान्सपोर्ट वालों से मिलकर40हजार रुपयों का घोटाला किया । यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसी ने मिलकर बम्बई से 600 गांठें खरीदी जो तीन साल पुरानी थीं और उस माल को खरीद कर कम्पनी से मिलकर 30 हजार रुपये खा गए । इसके अलावा कई इस तरह के मामले हैं लेकिन उन मामलों को लिस्ट बहुत लम्बी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रियों के घरों पर केवल सामान पहुंचा देना, किसी अधिकारी के घर पर सामान पहुंचा देना, किसी विधायक के घर पर सस्ता सामान पहुंचा देना क्या इसलिए उसको जनता की प्रापर्टी के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे दी जाय, लाखों रुपयों का गबन कर दिया जाय और वहां उसको लगा दिया जाय क्योंकि पहले उसकी जांच हो रही है । वह वहां आकर हेराफेरी कर दे, रिकार्ड को जला दे, नष्ट कर दें, उसको बदल दे जनरल मैनेजर होने के नाते और पहले जो जांच हो रही है वह जांच दब जाय और जनता के पैसे के साथ जो टैक्स का पैसा है उसके साथ खिलवाड़ हो ..

श्री जगतार सिंह : यह जनता शासन में हुआ या अभी हुआ ?

श्री नाथूसिंह : वह कभी हुआ हो । हमारे जमाने में हुआ है हम भी सम्मिलित होंगे तो हमें भी दण्ड मिलेगा । आपके जमाने में होगा तो आप सम्मिलित हो जायेंगे और दोषी व्यक्ति को दण्ड मिल जायगा....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनके नाम के साथ चौमूंखा लग जाता है इनसे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता । यह तो महान् है ।

अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार में कोई भी पार्टी हो, भ्रष्टाचारी का हमें साथ नहीं देना चाहिए । हम हों, आप हों जांच

(श्री नाथूसिंह)

कीजिये और जो दोषी हैं उनको सजा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सहकारिता में जितना भ्रष्टाचार हैं इसको रोकिये, जांच कराइये । बड़े बड़े गबन और घोटाले हैं । इसके अलावा क्योंकि सहकारिता आन्दोलन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को नया जीवन देने के लिए चलाया गया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि गांधी जी का सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। कपड़े खोल ले गए, डंडा पुलिस वाले ले गए और भ्रष्टाचारी लोग सहकारिता की लंगोट भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा ।

थोड़ा सा, क्योंकि श्री नानालाल जी बहुत देर से परेशान हैं अन्त में मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर स्टोन कम्पनी, आप स्वयं जानते होंगे, आपके सामने कागज भी आये होंगे । वहां एक सरदार जी हैं । सरदारजी आपके आगे भी हैं इनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं । वहां एक सरदार जी हैं । बहुत बड़े लखपति हैं और सुना जाता है कि उनके पास बहुत पैसा है । अध्यक्ष महोदय, उन्हें 198 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नियमों को ताक में रख कर कब्जा करवाया गया है जबकि नियम हैं उसके अनुसार 15 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर एरिया किसी को लीज में नहीं दिया जा सकता और कोई नहीं रख सकता । लेकिन जनता पार्टी का जब शासन आया था तो इस आदमी के पास उस समय भी इतना ही एरिया था, लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही हुई, जांच हुई और जांच करने के बाद में नियमों को देखा गया और उनसे 198 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को वापस लिया गया। उसके बाद सरकार बदली, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि पता नहीं पैसे का प्रभाव है, मुख्य मन्त्री का चुनाव हुआ दुर्भाग्य से और सौभाग्य से, उसके बाद बिना नियमों की जांच पड़ताल किये हुये उनको 198 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वापस दे दिया गया । अध्यक्ष महोदय, उसमें वह सवा दो लाख रुपया सरकार में जमा कराते हैं और 10 लाख रुपये का मुनाफा स्वयं खाते हैं। और सबलीज पर वह दे देते हैं, स्वयंखनन नहीं करते हैं । वह सरदार जी आप नहीं हैं, वह दूसरे सरदार जी हैं । अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवायें और जांच करवाकर....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस आधा मिनट । जांच करवाइये इसकी और इसके बारे में मैं ही नहीं कह रहा हूं माननीय सरदार जी, वहां के कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष, जो महावीर जी के हैं, उनके स्टेटमेन्ट राजस्थान पत्रिका और नवज्योति में आये हैं । उन्होंने कहा है कि नियमों के विरुद्ध इनको कब्जा दिया गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के भी लोग

(श्री नाथू सिंह)

कह रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले में जांच करें, उससे कब्जा वापस लें और जो दोषी अधिकारी हैं उनको दण्ड दें। इसी निवेदन के साथ, आपने समय दिया, धन्यवाद,

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरबड़

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव खनिज और वन विभाग के अन्तर्गत हैं। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मकराना के अन्दर संगमरमर की बहुत बड़ी खानें हैं और सदियों से यह खानें चलती आई हैं और इन खानों के विकास के लिए सरकार को जितना प्रयास करना चाहिये वह आज तक नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इस साल रायल्टी कम वसूल हुई है उसका एक कारण मैं बताना चाहता हूं कि मकराना की खानों के अन्दर आठ दस साल पहले जो भारी वर्षा हुई थी उस वर्षा के कारण 40 50 फुट पानी भर गया था जिससे हमारे मकराना के अन्दर सौ खानें बन्द हैं और सौ खानों से मार्बल नहीं निकल रहा है। इससे भी रायल्टी सरकार को कम मिली है। इसलिए मैं सरकार से आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि खानों का पानी निकलवायें। और जो बढ़िया खानें है उनसे मार्बल को निकाल कर सरकार को और वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। इससे पहले सरकार ने कुछ इन्जन लगाये थे पानी निकालने के लिए और मामूली सा पानी तोड़ कर वह काम बन्द कर दिया गया था। इसलिये मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन खानों का पानी निकलवायें और खानों को वापस चालू किया जाय।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मकराना के अन्दर खानों के आस पास सड़कों की व्यवस्था बिलकुल ही नहीं है। न सड़कें हैं और बाकी अप्रोच रोड नाम की कोई चीज नहीं है। वहां से जो मार्बल लोग लेकर आते हैं उनको बहुत भारी कठिनाइयां होती हैं। मकराना के पास और इन खानों के अन्दर सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न सड़कों की व्यवस्था है। इसलिए इस इलाके के अन्दर अप्रोच रोड बना कर मकराना के लोगों को लाभ मिल सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माइन्स मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना के अन्दर इतना बड़ा मार्बल का उद्योग होते हुए भी वहां माइन्स इन्जीनियर का आफिस है ए० एन० ई० का वहां कार्यालय नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे गांव के अन्दर डाक बंगला है उसके अन्दर ही यह आफिस लगा रखा है मकराना के अन्दर बाहर से कई लोग आते हैं, और अच्छे-अच्छे आदमी आते हैं उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस डाक बंगले में इन्होंने आफिस लगा रखा है इसलिए मन्त्री महोदय

(श्री जेठमल बरबड़)

से निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना के अन्दर माइन्स आफिस का बनाना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके द्वारा और निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना के अन्दर एक नई व्यवस्था कर रखी है कि किसी को कोई खान लेनी होती है जो वहां की कृषि की भूमि है उस किसान से लेनी पड़ती है और वहां रेट इतनी ज्यादा बढ़ गई है एक-एक खान की जमीन के लिए 50 हजार रुपये देने पड़ते हैं। जो लोग वहां सदियों से काम करते आये हैं वे लोग खान को नहीं ले पाते और वहां के शिड्यूल्ड कास्ट के लोग और अल्प संख्यक लोग जो हजारों वर्षों से काम करते आ रहे हैं इतनी बड़ी रकम देकर इस जमीन को खरीद कर खान नहीं ले पाते। वहां जितनी भी रेंज हैं, माइन्स की जो जमीन है सरकार एक्वायर करे और एक्वायर करके वहां के जो काम करने वाले लोग हैं माइन्स से सम्बन्धित इस उद्योग में सदियों से लगे हुए हैं, उन लोगों को देने का प्रोविजन होना चाहिए। इसके साथ-साथ शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन लोगों को रिजर्व प्राइस पर खानें दी जानी चाहिये।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा। अभी-अभी भारत सरकार ने 81-82 के बजट के अन्दर एक एक्साइज टैक्स लगाने की घोषणा की है, उसका असर भी मकराने के मार्बल पर पड़ेगा। आज वहां रायल्टी लगती है, सैल्स टैक्स लगता है, इनकम टैक्स और खानों का किराया देना पड़ता है और इतने टैक्स होने के बावजूद आज उन पर एक्साइज टैक्स लगा दिया गया तो मार्बल माइन्स के बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार से मिलकर इस मसले को हल करना चाहिये। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, आज मकराना के अलावा भी नागौर जिले में और भी माइन्स का एरिया है उसका सर्वे करके ज्यादा से ज्यादा माइन्स सम्पदा को बाहर निकाल कर सरकार को गांवों के लोगों को रोजगार दिलाना चाहिए।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में ऐसे मौजूदा पहाड़ हैं जहां वन विभाग ने काफी जंगल लगाया है और खास कर हमारे मकराने के पास बिदियाद गांव में पुराने जमाने से जंगल लगा हुआ था अभी भी लगा हुआ है। उस जंगल की बुरी तरह से कटाई हो रही है। कर्मचारियों से मिल कर जंगल को काटने में लगे हुए हैं। वहां के सरपंच ने काफी शिकायतें कीं, तार द्वारा सूचित किया, मुझे भी तार दिया, मैंने वहां के कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया और जब नागौर में मीटिंग में मन्त्री महोदय पधारे थे उनसे भी निवेदन किया। अच्छा जंगल है इस जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिये। हालांकि जो प्रार्थना पत्र मन्त्री महोदय को

(श्री जेठमल बरबड़)

दिया था उस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसकी तुरन्त जांच करवाई जायगी और जो दोषी कर्मचारी होंगे उनको दण्ड देंगे। मुझे उम्मीद है कि वन मन्त्री जी इस मामले की जांच करेंगे और जो दोषी कर्मचारी हैं उनको दण्ड दिलायेंगे। इसके अलावा और भी जो हमारे यहां पहाड़ हैं, सूखे हैं, दरख्त नहीं हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाये जाने चाहिये। सरकार ने एक योजना बनाई है सड़कों के चारों तरफ जंगल लगाने की योजना है वह सराहनीय है उसमें कुछ काम हुए हैं। मुझे आशा है, जैसे हमारे महाराम जी ने कहा था, नागौर जिले में लम्बी चौड़ी सड़कें हैं अगर सड़कों के पास स्कीम बना कर यहां पेड़ लगायेंगे तो वहां हरियाली बढ़ेगी और वर्षा भी इससे ज्यादा होगी। खास कर यह अकाल का समय है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर वृक्ष लगाते हैं तो लोगों को काम मिलेगा और रोजगार मिलेगा और दरख्त भी लग जायेंगे। इसी आशा के साथ मैंने आपके द्वारा मंत्री महोदय का मकराना की माइन्स के बारे में, वनो के बारे में, ध्यान आकर्षित किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सहकारिता मन्त्री जी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप भी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री जगतार सिंह : Yes, Sir.

श्री रघुवीरसिंह कौशल : समय कम है और आपने केवल एक मिनट दिया है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बोल लें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं वन मन्त्री जी से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह तो महसूस करते होंगे कि आज से 15 वर्ष बाद एक रुपये की एक किलो लकड़ी मिलेगी और उस आधार पर आपको वनों के बारे में विचार करना पड़ेगा। मैं सारे अधिकारियों के लिये नहीं कहता, लेकिन जितने कुछ लोगों को मैं जान सका हूं उस आधार पर विश्वास पूर्व कह सकता हूं कि जंगल को काटने में इनका इन्ट्रेस्ट है, जंगल के लगाने में नहीं है। जितने पेड़ लगाये जाते हैं जितने प्रतिशत पौधे पनपते हैं इसका अनुमान आप स्वयं मौके पर लगायेंगे तो आपको अनुभव होगा, इसके लिये मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार अहमदाबाद जायं, किसानों ने खेतों में वृक्ष लगाये हैं। मौका देखिये। एक-एक किसान ने 100 एकड़ में वृक्ष लगाये हैं। पंजाब और हरियाणा में जायेंगे वहां की सरकार इन पेड़ों को लगाने के लिये प्रोत्साहित कर रही है। उनकी क्या योजना है यदि मैं अपेक्षा न करूं, अपनी बुद्धि से नहीं तो नकल तो कर सकते हैं। पड़ोसी राज्यों की फार्म फारेस्ट्री की जो योजना है उनका अध्ययन

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

करे। यदि आपने राजस्थान में यह योजना लागू की, अधिकारी पक्ष लगा पायेगा कि नहीं, किन्तु किसान अपने खेतों में वृक्ष जरूर लगा पायेंगे। यूकेलिपटिस चार साल में पैदा हो जाता है उसको काटते हैं फिर से पनपता है। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, योजना की दृष्टि से नहीं, किन्तु प्रदेश के हित में, अपने भविष्य के हित में इस योजना को आप स्वयं देखें और कार्यान्वित करने के लिए आप स्वयं इसकी जिम्मेदारी लें तो प्रदेश के लिये बड़ा भारी उपकार करेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यह यूकेलिपटिस 100 गैलन पानी पीता है। जहां पानी नहीं है वहां कैसे पनप सकता है।....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हमारे यहां पानी बहुत है, सीवरेज की प्राब्लम है।

श्री जगतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में और राजस्थान में सभी जगह जो भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं ग्राम सेवा सहकारी पंचायत लेवल की एक यूनिट बनी हुई है जिसमें 7,8,9 गांव आते हैं। जब कर्जा लेने और वापस करने का समय आता है तो अलग-अलग गांव वालों को बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि ग्राम लेवल पर सब यूनिट बना दी जाये, हर गांव में एक यूनिट। कर्जा लेने में और वापस देने में सहूलियत हो जायेगी। समय के मुताबिक, अपनी सहूलियत के हिसाब से कर्जा वापस कर सकेंगे। इसी के साथ मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़े घोटाले होते हैं। कहीं भी जाते हैं इसमें बहुत ही परेशानी है, कर्जा लेने में बड़ी परेशानी होती है। उन्हीं परेशानियों के कारण गड़बड़ घोटाले होते हैं। यह स्कीम चालू की गई थी कि हर मैम्बर कोआपरेटिव बैंक में अपना अकाउन्ट खोले और उसमें से कर्जा ले। वह भी नहीं चला क्योंकि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने यह कर दिया कि फोटो लगाओ और गले में पेटी लटकाओ, जैसे दस नम्बर वालों के लटकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि जितने भी कोआपरेटिव सोसाइटीज के मैम्बर हैं। उनकी डिमाण्ड पांच साल के लिए कम से कम बने।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सरदार जी ने शपथ ले ली है क्या ?

श्री अध्यक्ष : लेने की तैयारी में हैं।

एक माननीय सदस्य : जिसकी तैयारी हो जाती है उसको मिलती नहीं है वास्तव में।

श्री जगतार सिंह : उनके अकाउन्ट्स बैंक में खुल जायें ताकि वे जब भी चाहें जिस समय जितनी जरूरत हो पैसा जमा करा दें और बाकी जो लिमिट बचे उतना समय-समय पर लेते रहे जिससे किसानों का समय बचेगा। हमारे यहां तो ऐसा भी

(श्री जगतारसिंह)

हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय कि एक सोसायटी के सुपरवाइजर ने और खजान्ची ने मिलकर सारे गांव वालों के नाम पर कर्जा ले लिया और सबके अंगूठे फर्जी बना लिये। अब वे घोटाले पकड़े गये, इन्क्वायरी हुई, रिकवरी में रकम वापस की गई। ऐसे किसानों के जिनके अंगूठे नहीं थे, पहिचान नहीं हो सकी उनसे भी रिकवरी हुई। तो ऐसे बड़े घोटालों से बचा जा सकता है।

इसके साथ-साथ कोआपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो कर्जे दिये जाते हैं, बैलगाड़ियों के कर्जे दिये जाते हैं वे बहुत कम हैं। अगर सेन्ट्रल बैंक से अपने हिसाब से उतनी सब्सिडी नहीं मिलती है तो जिस हिसाब से ऊंट और गाड़ी की कीमत है उस हिसाब से पूरा कर्जा दिया जाए, ताकि किसानों को जो सब्सिडी लेने में दिक्कत आती है और परेशानी आती है वह भी न आवे।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर में सूतना और विविंग मिल का बड़ा स्कोप है। मैं यह निवेदन करूंगा जहां इतना बड़ा प्लान्ट अवेलेबल है और जगह भी है, एक विविंग मिल सरकार की तरफ से लगाई जाय। हमारा बोर्डर का इलाका भी है। मण्डियों में काम कम हो रहा है वह भी बढ़ सके और किसानों को रामैटीरियल की कीमत भी पूरी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री शोभराज मल (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, मेरा यह निवेदन है जो पट्टे खानों के लिए बड़े लोगों को दिये जाते हैं वे बड़े लोगों को न देकर छोटे खान वालों को दिये जायें। बड़े खान वालों के आगे छोटे खान वाले नहीं जे सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं उसमें छोटे-छोटे खान वाले हैं, पिछड़ी जाति के हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, अल्प सख्यक हैं तो उनकी सहायता के लिए छोटे खनिज के पट्टे देना ही उचित होगा, क्योंकि वे खुद काम कर सकेंगे और जीवन यापन कर सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि चित्तौड़ में एक एम. ई. आफिस स्थापित किया जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि इससे उस क्षेत्र का विकास होगा और नये-नये खनिज पदार्थों का पता भी लगेगा।

(व्यवधान)

एक चित्तौड़ में भेरड़ा खानों का क्षेत्र है जिसमें पुरुषोत्तम लाल पुरोहित को, एक ही व्यक्ति को 2 बीघा 6 बिस्वा जमीन खान के लिये दी गई थी इसी व्यक्ति में जनता पार्टी के राज में 44 हजार की बकाया थी जो आज तक वसूल नहीं हुई। उसमें कई दफा नोटिस

(श्री शोभराजमल)

दिया गया, खनिज सचिवालय से रुपया वसूल करने बावत फैसला भी हो गया, लेकिन जनता पार्टी के टाइम पर दबा दिया गया। उस रकम को वसूल करने के आर्डर दिये जायें।

जो जमीन 2 बीघा 6 विस्वा अलाट की गयी। इस रकम के स्टे होने अलाट हो गई, कई छोटे छोटे पुराने खनवालियों की दरख्वास्ते थी वह खारिज कर दी ये कह करके कि इस जमीन की एक्वायर की कार्यवाही चल रही है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस के लिए भी जांच कराई जाय।

मैं आपको इतना ही कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील कुमार।

श्री सुनील कुमार विश्नोई(सूरतगढ़):माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय वन मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा। मै पहले भी मिला हूं, मैंने इनसे कहा था कि (व्यवधान) जो ये नियम बनाये वन के बारे में जैसा कि (व्यवधान) आस पास में प्राब्लम हो रही है-गांवों को खाली करना पड़ा तो ऐसी जगह यूकिलिप्टस के पेड़ लगाये जायं जो कि 45 से लेकर 100 गैलन तक रोज वज्ज करते हैं। जो अनाप शनाप जमीन पड़ी हुई है(व्यवधान) वहां पर पर्यटन स्थल कायम किया जा सकता है झीलों भी पानी काफी मात्रा में उपलब्ध है–झीलों के आस पास में जंगल है(व्यवधान) वहां तो कोई ध्यान देता नहीं है और जहां पर घरों में पेड़ लगाते हैं,(व्यवधान) रहने की प्राब्लम हो रही है कई गांव खाली करने पड़े है इसलिए ऐसे स्थानों पर प्राथमिकता देनी चाहिए।

(अश्रव्य)

श्री रूपलाल परमार (खेरवाड़ा) : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं जिस देश के नेता जवाहर लाल नेहरू हुए हैं, उन्होंने गरीबों और पिछड़े वर्गों को उठाने के लिए एक पवित्र कार्यक्रम बनाया। उसको देखते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है किन्तु उसका परिणाम आज उल्टा निकला है। क्यों निकला?इसका यह कारण है कि गांवों मे जिस बात को समझते नहीं हैं अधिकारी और कर्मचारी उनसे उल्टे सीधे काम करवाते हैं। जिन लोगों को मन्त्री और अध्यक्ष बनाया उन्होंने अपनी मर्जी मुताबिक फर्जी कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और उनके नाम पर कर्जे मण्डवा लिए। गांव वाले उस बात को समझते नहीं थे। अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने मुताबिक काम किया है। आज तक खेरवाड़ा तहसील में यह काम हो रहा है। खेरवाड़ा तहसील के घोटाले मैं आपके सामने रखूंगा श्रीमन् ऐसा हुआ वहां सबसे पहले एक सहकारिता समिति बनाई गई, श्रमिक ठेका संघ बना उसमें नाम वगैरह लिख दिये गये, लेकिन बाद में पूंजीपति उसमें शामिल हो गये और सबने मिलकर अरबों रुपयों का घोटाला कर दिया। उन श्रमिकों का काफी शोषण

220

(श्री रूपलाल परमार)

हुआ। जब शिकायतें हुईं और एन्क्वायारियां चलीं तो मंत्रियों के ऊपर और अध्यक्षों के ऊपर कार्यवाहियां चली। उनकी कुर्कियों की कार्यवाही आज भी चल रही है। यह भी मैं निवेदन करूं कि आज तारी खतक यही कार्यक्रम चलता आ रहा है। वहां के कर्मचारी लोग इन गरीबों को कभी उठने नहीं देंगे। मैं इन शब्दों के साथ यह कहना चाहता हूं कि अगर आप गरीबों का भला करना चाहते हैं तो वहां पर अच्छा ईमानदार रजिस्ट्रार भेजना चाहिये। अच्छा कार्यक्रम बनायें वरना गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है। एक दूसरी बात मैं खेरवाड़ा तहसील की निवेदन करूं। वहां चार-पांच खानें हैं उसमें पत्थर निकल रहा है लेकिन वहां पर सड़क नहीं है। आने जाने का साधन नहीं है। यह सुविधा हो जाती है तो मेरी खेरवाड़ा तहसील में काफी काम हो सकता है, गरीब मजदूरोंका भला हो सकता है। एक डेगाना रोड है उसे कम्पलीट कर दिया जाय तो इस रोड के आजू-बाजू में मकराना खाने चल रही हैं, वह खान अच्छी तरह चले। वहां रोड बनाना जरूरी है रोड़ बनने से मजदूरों का भी भला होगा और उनको रोजी-रोटी का साधन भी मिल जायगा, लेकिन वहां रोड़ की व्यवस्था हो सके तो

श्री अब वन विभाग का मैं निवेदन करूं। मेरी खेरवाड़ा तहसील में अधिक आदिवासी जंगलात की भूमि में निवास कर रहे हैं। जंगलात में मकान बने हुए हैं, जंगलात मे कुएं खोदे हुए है, उसमें नाजायज कार्यवाही कर के उसको परेशान किया जा रहा है। कई मुकदमे चल रहे हैं। मैं विभाग से निवेदन करूं कि ये सारी बातें अगर आप ध्यान में लें और जिनके कुएं बने हुए हैं, मकान बने हुये हैं उनको खाता दिया जाय और उनके मुकदमों को खारिज करवा दिया जाय। यह बहुत बड़ा काम होगा, गरीबों का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मन्त्री जी।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सहकारिता मन्त्री माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सदस्यों के प्रति, उन माननीय सदस्यों के प्रति, जिन्होंने सहकारिता की प्रगति के लिए, सहकारिता के विकास के लिए, सहकारिता की जड़ राजस्थान मे मजबूत हो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सही बात तो यह कि सहकारिता हमारा जीवन दर्शन है और जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा सहकारिता केवल नारा नहीं है, यह एक आर्थिक क्रांति की ओर हमारा कदम है। इस देश में जब-जब चाहे वह सामाजिक क्रांति हुई हो चाहे आर्थिक क्रांति हुई हो, इतिहास इस बात का साक्षी है कि कुछ लोग उस आंदोलन को उस क्रान्ति के आन्दोलन को असफल करने में जुटे रहते हैं। यही कारण है कि सन् 1950-51 में जहां पर राजस्थान के अन्दर केवल 5 प्रतिशत गांव और एक प्रतिशत परिवार सहकारिता के क्षेत्र में थे, वह धीरे धीरे 99 प्रतिशत गांव और 72 प्रतिशत किसान परिवार सहकारिता के क्षेत्र में आये। तो गये 30 वर्ष में जो प्रगति हुई, यह प्रगति और तेज हो सकती थी, अध्यक्ष महोदय,

(श्री हनुमान प्रभाकर)

जैसा मैंने आपसे कहा, जब इस देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति होती है तो कुछ तत्व होते हैं जो उसमें बाधक होते है। इसको स्वीकार करके चलना चाहता हूं। इन तत्वों की जो गतिविधियां हैं, उनसे सावधान होने की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय सहकारिता की आज की चर्चा में कई मूल बिन्दु उठाये गए। मैं उन मूल बिन्दुओं पर विस्तार से कहना चाहूंगा। एक प्रश्न जो उठया गया, वह यह उठाया गया कि पंचायत के स्तर पर सहकारी समितियों का गठन होना चाहिए बात वाजिब है। दांते कमेटी की रिपोर्ट आयी थी और उन्होंने कुछ आधार दिये थे कि सहकारी समिति का गठन किस प्रकार हो। मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि केवल नाम मात्र की सहकारी समिति गठन कर देने से हम जिस आर्थिक क्रान्ति का सूत्रपात करना चाहते हैं, जो आर्थिक क्रान्ति हम लाना चाहते हैं, वह नहीं लायी जा सकती। उसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है और हमारा राजस्थान है, आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है इसके पास साधनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, दांते कमेटी को आधार मानते हुए पंचायत समितियों के आधार पर नहीं, कुछ ग्राम पचायतों के आधार पर नहीं, विलीनीकरण के द्वारा हमने सहकारी समितियों का गठन किया। आज कई सदस्यों ने इस विलीनीकरण के प्रश्न को, प्रश्न के कारण उठने

(8.23 रात्रि)

(श्री तकीउद्दीन सभापति, पदासीन)

वाली कठिनाइयों का जिक्र किया। मैं उनकी कठिनाइयां समझता हूं, एक कार्यकर्ता हूं जानता हूं कि आखिर इन क्षेत्रों में सहकारी समिति 5-6-7 किलोमीटर दूर होगी तो उससे जो लाभ उठाने वाले हमारे कमजोर वर्ग हैं, उनको उतना लाभ नहीं मिल सकता। मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं कि यह विलीनीकरण कार्यक्रम शायद सन् 1976 के बाद सन् 1977 में भी रहा, सन् 1978 में भी रहा, सन् 1979 में भी रहा। सन् 1980 में भी रहा। जो मांग आज उठायी जा रही है, शायद यह मांग पहले भी उठायी जा सकती थी। मैं मांग के औचित्य पर सदेह नहीं प्रकट कर रहा, मैं कार्यकर्ता की दृष्टि से, एक सार्वजनिक कार्यकर्ता की दृष्टि से इसके औचित्य के पीछे वजन मानकर चलता हूं, परन्तु यदि हम इस मांग को राजनीतिक रूप दे देंगे; तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, हमारा सहकारिता आन्दोलन निश्चित रूप से राजनीति से परे रहना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है और इसलिए जो विलीनीकरण का कार्यक्रम था वह तो आज से करीब 4 साल पहले का था। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी तो किया जा सकता था पर मैंने कहा, करना सम्भव नहीं था, राजस्थान के और खास तौर से सहकारी समितियों की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए। इसलिए मैं दोष उन्हें भी नहीं देना चाहता और न अपने ऊपर लेना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम सहकारी समितियों को तो आर्थिक रूप

222

(श्री हनुमान प्रभाकर)

से मजबूत करना चाहते हैं और जैसे ही मजबूत होंगी, हम आगे सोच सकते हैं, आज की स्थिति में विवशता है, ऐसा निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रश्न और यहां आया कि राजनीति में कुछ भ्रष्टाचार को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। सभापति महोदय, मैंने आपसे कहा, हर व्यक्ति के देखने का अपना तरीका होता है और उस तरीके से देखता है जिस तरीके से वह चीजों को रखना चाहता है। यह योग्यता जिस राजनीतिज्ञ मे होती है, मैं समझता हूं आज के जमाने में वह अपने आपको सफल राजनीतिज्ञ मानकर चलता है। इसलिए भ्रष्टाचार की बात मैं मना नहीं करना चाहता। भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, लोगों को कर्जा नहीं मिला। फर्जी अंगूठे लगाये गये. सब कुछ हुआ है, किन्तु विभाग उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहा है और कदम उठाने की दृष्टि से वह सक्रिय रहा है. । मैं केवल उदाहरण के लिए 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहले हम नकद भुगतान किया करते थे, अब शायद, ड्रा पे आर्डर के नाम से नकद भुगतान नहीं करके हम देते हैं जिसके द्वारा जिसको हम कर्जा देते हैं, वह बैंक में जाकर कर्जा प्राप्त कर ले। नकद देने की प्रक्रिया समाप्त की गयी, यह एक कदम था। इस के साथ विजिलेन्स का काम शुरू किया गया पुलिस फोर्स की स्थापना की गयी। कुछ कदम उठाये हैं और वह किसी भी शासन में उठे हों, परन्तु वे उठे हैं। इसको मैं स्वीकार करके चलना चाहता हूं और इतना मानकर चलना चाहता हूं कि यदि भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, सहकारिता के क्षेत्र में तो आज की सरकार नहीं हिचकिचाएगी, इतना ही मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं बहुत खुले तौर से इस बात को स्वीकार करके चलना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मुझे राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक में जाने का मौका मिला था। वहां अधिकारियों से निवेदन किया था, उसी बात पर उम्मीद करना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को भी समर्पित कार्यकर्ता की भावना से काम करना होगा। यदि वे समर्पित कार्यकर्ता नहीं हैं, सहकारिता के क्षेत्र के लिए तो निश्चित रूप से जो दोष आज पाये जाते हैं, वे दोष उन अधिकारियों या कार्यकर्ताओं में हो सकते हैं, इसको स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं, किन्तु कहने में संकोच नहीं कि आज की परिस्थिति में जो लोग अधिकारी हैं, उनकी दक्षता में, उनकी कुशलता में, उनकी योग्यता में, उनकी पवित्रता में मुझे कोई संदेह नहीं। इतना मैं आश्वस्त सदन को करना चाहता हूं। इतना मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि पिछले 9-10 महीने के अन्दर भ्रष्टाचार का कोई मामला आया होगा, कोई केस आया होगा, मेरे ख्याल से मुझे किसी ने नहीं कहा कि इसको रोक दीजिए। यह एक चीज है जिसके लिए मुझे अपने आप में आत्म संतोष है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यहां एक माननीय सदस्य, जो अजमेर से आये हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भरतपुर बैंक को लेकर उनके दिल और दिमाग में कोई परेशानी नही होनी चाहिए।

(श्री हनुमान प्रभाकर)

केवल एक आदमी को जांच जब तक नहीं हो, तब तक के लिए बहाल किया गया है। 12 अधिकारी जो निलम्बित थे, उनमें से 5 की जांच होने के बाद 4 को दण्डित किया गया है और एक को दोषमुक्त किया गया है, यह केवल आपके 27-12-1979 की स्थिति है, यदि राजनीतिक संरक्षण देने की बात होती, उनको बिना किसी जांच के बहाल करने की बात होती तो किया जा सकता था। जैसे और आरोप लगते हैं, यह आरोप भी लग सकता था। फिर मैंने आपसे कहा कि हम सावधान हैं हम सतर्क हैं, हम कहां हैं, क्या करना चाहते है. दोषी व्यक्तियों के बारे में, यदि वास्तव में वे दोषी हैं जांच में, मैं अभी यह नहीं कह सकता कि दोषी हैं या नहीं हैं, यदि दोषी व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से जो भी कार्यवाही की जा सकती, वह कार्यवाही की जायेगी है, उन्हें किसी प्रकार का संदेह इस सम्बन्ध में नहीं होना चाहिए।

इसके साथ-साथ यह बात भी यहां पर कही गई कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक व्यक्ति को, भूमि विकास बैंक से हो, चाहे को-आपरेटिव बैंक से हों, यह कार्यक्रम बनाया जावे कि जिससे आप, जिसको शोर्ट टर्म लोन कहें, मीडियम टर्म कहें या लोंग टर्म कहें, एक ही जगह से मिल सके, अलग-अलग नहीं जाना पड़े, अलग-अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़े। यह आपका सुझाव आया है। इस सम्बन्ध में मैंने काफी विचार किया है और अभी यह प्रश्न खुला हुआ है कि उनको एक ही जगह से करें या नहीं करें। मैं आज की स्थिति में इस प्रश्न पर कोई निश्चित बात कह सकूं, इस स्थिति में नहीं हूं। दिन-प्रतिदिन दोनों पक्षों पर समान रूप से विचार हो रहा है। जो सहकारिता क्षेत्र के अधिकारी हैं और जो इन संस्थाओं से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, सहकारिता क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, उनकी राय प्राप्त करने के बाद निर्णय किया जा सकेगा, इतना ही अभी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ साथ एक प्रश्न और आया कि आडिट शाखा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से अलग कर दी जावे, यह सुझाव अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य का आया है। सभापति महोदय, आज लोग कहा करते थे एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट के लिए कौन से डिपार्टमेंट की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से आप आडिट शाखा को अलग बना देंगे, उससे किसी समस्या का समाधान हो जायगा तो मैं समझता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इसमें विश्वास नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है, सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की। इसके लिए आवश्यकता है, सामाजिक चरित्र को बदलने की। सामजिक दृष्टिकोण और सामाजिक चरित्र को बदलने में निश्चित रूप से समय लगेगा, इसको स्वीकार करके चलना चाहता हूं। केवल आडिट शाखा को अलग कर देने मात्र से....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : एक मिनट .... मैं निवेदन कर देता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बाद में कहें आप।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : एक बात पूछ लेना चाहता हूं अभी।

श्री हनुमान प्रभाकर : बाद में पूछ लेना।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि एक आडिट इंस्पेक्टर है, वह आडिट कर रहा है और उसका अधिकारी रहा हुआ है, उसका सीनियर व्यक्ति है तो उसके खिलाफ क्या वह ईमानदारी बरत सकेगा ?

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं जनरल बात कह रहा हूं, मैं जनरल रिप्लाई दे रहा हूं। एक-एक कटौती प्रस्ताव का रिप्लाई देना सम्भव नहीं होगा, शायद। एक सौ से अधिक कटौती प्रस्ताव हैं, इसलिए मैं जनरल बात कह रहा हूं मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य उससे सहमत होंगे।

अजमेर से आने वाले साथी ने सहकारी बैंक के सर्वांगीण विकास की बात भी कही। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के जो आंकड़े हैं, वे इस बात को साबित करते हैं कि काफी प्रगति हुई है। हिस्सा पूंजी के अन्दर 78-79 में 540.67 लाख था वह 601.01 लाख हो गया। अमानतों में, जहां 3547.18 था वह अब 3822.32 हुआ। सुरक्षित कोष के अन्दर जहां 483.3 था वह 799.3 रहा है। निजी पूंजी के अन्दर 1023 था वह 1400 हुआ है। कार्यशील पूंजी के अन्दर 4768.18 था वहां 10056.29 हुआ है। ऋण वितरण का लक्ष्य था 8435.60 वह 10389.55 हुआ है। तो सहकारी बैंक, इसी तरह से भूमि विकास बैंक की बात हो, चाहे और किसी की बात हो....

श्री कैलाश मेघवाल : यह हजारों में है, लाखों में है या करोड़ों में है।

श्री हनुमान प्रभाकर : लाखों में है। इतना तो मैं भी समझता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। इतना तो मान कर चलिये कि जिसको पढ़कर आता हूं तो उसके बारे में जानता हूं। तो इसी तरह से राजस्थान राज्य भूमि सहकारी बैंक की प्रगति भी काफी संतोषजनक है। जहां तक सर्वांगीण प्रगति का सवाल है, जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि प्रगति हो रही है। प्रगति धीमी हो सकती है, जितनी चाहते हैं उतनी नहीं हो, इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन इतना सही है कि हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, सहकारिता के क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय।

इसके बाद हमारे सदन के बुजुर्ग माननीय सदस्य शोभारामजी ने भी कुछ बातें कहीं। मैं इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं करके केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ पदों की वृद्धि हमने कर दी, एडीशनल रजिस्ट्रार वगैरह सारी बातें कहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि काम बढ़ेगा तो पद बढ़ेंगे। कार्यकर्ता, काम करने वाले लोग आयेंगे। आप उनका नाम क्या देना चाहते हैं, यह अलग से प्रश्न हो सकता है, बाकी

(श्री हनुमान प्रभाकर)

यदि आप चाहते हैं कि आप सहकारिता के क्षेत्र में जन जन का समावेश करें, सहकारिता के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से आपको एक प्रक्रिया जो नियमपूर्वक प्रगति की प्रक्रिया है, उससे अलग अपने आपको ले जाकर नहीं रखा जा सकता है। काम बढ़ेगा तो लोगों को रखना होगा और लोगों को रखना होगा तो पदों का सृजन करना होगा पदों का सृजन करना होगा तो पदों का नामकरण भी करना होगा। सभापति महोदय, इसलिए माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, मुझे कुछ नहीं कहना है।

एक बात उन्होंने कही कि एम. पी., एम. एल. ए. और प्रमुख, इन सबको सहकारिता के क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। सभापति महोदय, आज के जमाने में दूर तो किसी को रखा नहीं जा सकता। जो दूर रहना चाहते हों, वह रहें, इसमें मेरा ख्याल है कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी यह एक ऐसा प्रश्न है जो विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। मेरे जैसा व्यक्ति है वह एम. एल. ए. हो जाने पर यह नहीं हो जाता कि वह सहकारिता के क्षेत्र में जाने का अधिकारी नहीं है। मैं एम. पी. हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि मुझे सहकारिता का अधिकार नहीं है। व्यक्तिशः मैं इससे सहमत नहीं हूं। सरकार इस सम्बन्ध में क्या सोचेगी, क्या नहीं सोचेगी, इसको मैं आज कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इसको कोई सरकारी वक्तव्य के रूप में नहीं ले लिया जावे।

(व्यवधान)

मैंने कहा कि मेरा मत है। इसी प्रकार से अपने अपने विचार भी तो आदमी बता दिया करता है, इसी तरह से मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

इसके बाद कुछ सदस्यों ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, कानून ठीक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी, मेरा खयाल है, कौन सा ऐसा बजट है, जिसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी होने की बात नहीं उठती है पी. डब्ल्यू. डी. का बजट हुआ, तो बात आती है, सिंचाई विभाग का हुआ, तो बात आती है, आर. एस. ई. बी. का बजट होता है तो बात आती है। सभापति महोदय, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम जाते हैं, आते हैं, जायेंगे, आयेंगे। सरकारी मशीनरी में बैठे हुए, जो इसमें वर्तमान में ढांचा है, जो लोकतन्त्र का ढांचा है, उस ढांचे के अन्दर, सरकारी कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, वे तो रहने वाले हैं। इसलिए उनका उत्तरदायित्व होता है कि वे अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक रहें, कर्त्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। यह बात जैसा मैंने आपसे कहा, हो सकता है कि कुछ लोगों में भावना नहीं हो। मैं आप से अभी भी कह सकता हूं कि कुछ विभाग ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें ऐसे ही कर्त्तव्यशील कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। उसमें मैं, सहकारिता विभाग, और सहकारिता विभाग नहीं कहता, मैंने जैसा कहा, सहकारी संस्थान मान कर चलता हूं, क्योंकि विभाग कहने से उसकी तस्वीर धुंधली हो जाती है, मैं इस सहकारी विभाग को सहकारी संस्थान के नाम से

(श्री हनुमान प्रभाकर)

पुकारना ज्यादा ठीक समझता हूं और जब सहकारी संस्थान के नाम से पुकारता हूं····

(व्यवधान)

बाद में बोल लेना····बाद में बोल लेना। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी हावी होने की बात कही जाती है, वह यह कहने के लिए एक शब्दावली है, बाकी वास्तविक दृष्टिकोण को देखें, तो ये लोग काम करते हैं, करते रहेंगे। सरकारें बदलती रहती हैं, बदलती रहेंगी। इसके साथ-साथ कुछ लोग ··

श्री यदुनाथ सिंह : और डण्डा बिठाते रहेंगे।

श्री हनुमान प्रभाकर : एक बात और कही गई कि चुनाव नहीं हुए सहकारी संस्थाओं के और उसकी वजह से गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई, मैं निश्चित रूप से सहमत हूं। आज की तारीख में राजस्थान में 18275 सोसायटीज हैं और उसमें करीब 1279 कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के और अन्य 4742 के करीब चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां है जो काफी बड़ी तादाद में है, 2025 के आसपास हैं, उनके चुनाव के आदेश दे दिये गये हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि केवल केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक और प्राथमिक क्रय विक्रय सहकारी समितियां और थोक भण्डार, क्योंकि इनका सम्बन्ध नीचे की समितियों से है, इसलिए इनके चुनाव इसके बाद में, उनके प्रतिनिधियों के आने के बाद में होंगे। इसलिए उनके अलावा जितनी समितियां हैं, उन सब के चुनाव निश्चित रूप से आगामी पांच या छः महीनों में पूरे करवा दिये जायेंगे, यह मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि लोकतन्त्र हमारा एक अधिकार है। और लोकतन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं। हम चुनाव से भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। यह ठीक है कि कुछ समय लग गया, परन्तु वह मत निश्चित था और मैंने इसीलिए सबको आश्वस्त किया है, इस सम्बन्ध में सारी बातचीत की है और सारी बातचीत के बाद में चाहता हूं कि चुनाव जल्दी हो जाय, परन्तु लोनिंग का टाइम चल रहा है, काफी अधिकारी इसमें व्यस्त रहेंगे, इसीलिए जल्दी नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा कि 5—6 महीने बाद बाकी बची हुई सोसायटी के चुनाव करवा देंगे। एक बात कही, सहकारी समिति में जो लोग काम करते हैं उनका दो सौ, डेढ़ सौ रुपयों में सस्थान परिवर्तन किया जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वह अपनी समिति के लिए जी तोड़ मेहनत करें, यह सम्भव नहीं है। बात सही है, जैसी कुछ लोगों को राजनैतिक तड़पन हो रही है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे जैसे व्यक्ति के मन में यह तड़पन एक इंसानियत की तड़पन थी और यह आपके द्वारा सदन से कहना

(श्री हनुमान प्रभाकर)

चाहता हूं कि आज ही सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि जो इंडस्ट्रियल अवार्ड की जो ग्रेड है, उसको स्वीकार करा लें....

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार के नोटिस के बाद।

श्री हनुमान प्रभाकर : कोई नोटिस नहीं है, मेरे पास। हमने ग्रेड को स्वीकार किया है और एक आधार पर महंगाई भत्ता देने का फैसला भी आज ही किया है, परन्तु इस आदेश से हमने इण्डस्ट्रियल अवार्ड्स को मान लिया हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा सहकारी समिति एक संस्था है। इसको इण्डस्ट्री के रूप में मानने का फैसला दें, हम इसको इण्डस्ट्री मानें तो क्षमा करें, जिस रूप में सहकारी समितियों का विकास करना चाहते हैं, सुदृढ़ करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से विकास करना चाहते हैं, वह सम्भव नहीं है। सहकारी समितियों को इण्डस्ट्री के रूप में स्वीकार करने की स्थिति में मैं नहीं हूं। उसका विरोध किया है, वह विरोध है और विरोध रहेगा। अन्य प्रश्नों पर, जैसे दो प्रश्न बताये एक तो ग्रेड का सवाल और एक आधार पर महगाई भत्ता देने का प्रश्न है, इन दोनों बातों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है, यह आज ही निर्णय हुआ है, बहुत बड़ा निर्णय है। इस निर्णय के बाद जो सहकारी समितियों में काम करना चाहते हैं, सहकारी समितियों की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, सहकारी समितियों को लाभ की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, उनकी चिन्ता है, राज्य सरकार एक कदम आगे आई है वह अपने काम में तन्मयता के साथ लगें और सहकारी समितियों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की दृष्टि से, इसकी प्रतिष्ठा को धीरे-धीरे धक्का लगता जा रहा है उसको ठीक करने के लिए एक मजबूत सगठन बनाने की दृष्टि से प्रयत्नशील होंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ कुछ बातें कही गईं। लोग सहकारी समिति के सदस्य बनना चाहते हैं, ग्राम सहकारी समिति उनको सदस्य नहीं बनाती है। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन में निवेदन करना चाहूंगा, अब वह बन्धन नहीं है कि सहकारी समिति की सदस्यता मंजूर करें तब सदस्यता मिलेगी। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। यह प्रावधान पहले का है। यदि आपकी ग्राम सहकारी समिति की आर्थिक सदस्यता मंजूर नहीं होती है तो आप पंजीयक के पास जावें आपकी सादस्यता स्वतः ही हो जायगी। इसलिए यह कहना कि कुछ लोगों तक ही सहकारी समितियों को रखना चाहते हैं और व्यक्तियों की सदस्यता नहीं लेना चाहते हैं, सहकारी समितियों को प्रतिबन्धित किया गया है, यह सदन का भ्रम है वह भी दूर हो जाना चाहिए। इस नयी व्यवस्था से हर व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य होने का अधिकारी है। उनको अधिकार होगा। यदि नहीं बनाते हैं तो पंजीयक को आवेदन देने के साथ ही स्वतः ही उसके सदस्य हो जायेंगे। इसलिए जो संदेह प्रकट किया है, वह भी अब नहीं रहना चाहिए।

(श्री हनुमान प्रभाकर)

इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी बात यह कही कि हमने ऋण दिया, वह बोगस ऋण है। उसकी वसूनी की दृष्टि से काफी

(8.43 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

परेशानियां हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऋण के संबन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई तो निश्चित रूप से प्रयत्न किया जा सकता है, प्रयत्न किया है. पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। परन्तु एक प्रश्न बहुत ही आवश्यक है जिसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खींचना चाहूंगा। हमें रिजर्व बैंक से पैसा लेना होता है। यदि जो प्रतिशत एक तय है, वह रिकवरी नहीं होगी तो रिजर्व बैंक से मिलने वाला पैसा है वह निश्चित रूप से खटाई में पड़ने वाला है। आगे जाकर जो परेशानी होगी, शार्ट टर्म को मिड टर्म में कराना है या मिड टर्म को लांग टर्म में कराने की बात है उसको धक्का पहुंचने वाला है रिकवरी की दृष्टि से जो दे सकते हैं, उनसे तो लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय. मेरे विचार से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे, जो लोग नहीं दे सकते हैं, उनका अलग प्रश्न है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसी हरकत नहीं हो जो इंसान के साथ नहीं हो। इसे मैं स्वीकार करता हूं परन्तु एक बात है ऋण वसूल करने में ढिलाई बरती जाय उसका लाभ जैसा कहा गया कि सूदखोर लोग सहकारी समितियां हैं, उनमें लाभ लेना चाहते हैं, वह लोग उससे बचना चाहें तो सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। उनसे रिकवरी होगी, पूरी सख्ती के साथ होगी उसे रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि हमें आगे की स्थिति को देखना है। आज नहीं कल को देखना है, कल को नहीं परसों को देखना है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि सहकारी आन्दोलन को मजबूत करना होगा, उसकी जमीन को मजबूत करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। आगे बढ़ाने की दृष्टि से, मजबूत करने की दृष्टि से रिकवरी करनी होगी तब जाकर हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हो सकता है रिकवरी के सम्बन्ध में कुछ लोगों को नाराजगी हो, उसके कुछ कारण हैं। उन कारणों को मैं ने आपके सामने बताया।

एक बात कही, उपभोक्ता भण्डार की मलमल की बात शायद भूल जाता, दवाओं की बात भूल जाता, फिर प्रश्नोत्तर की स्थिति आती। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं यह प्रश्न जब सदन के सामने आया, उसके पहले हुआ यह था कि सैटलमेंट विभाग को मलमल की आवश्यकता थी। नमूना दिया गया वह 87 सेन्टीमीटर का था। उस पर दो मिलों का छापा था। यह बात भी सही है कि एक पर 2.10 पैसे का छापा था और एक पर 2.60 रु. का छपा था। एक प्रोसेस करने वाली कम्पनी थी और एक उसे प्रिन्ट करके बेचने वाली कम्पनी थी, परन्तु मैं जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा, यद्यपि दो

(श्री हनुमान प्रभाकर)

रुपये 10 पैसे छपा था या दो रुपये साठ पैसे छपा था तब भी उसकी खरीदने की रेट एक रुपया पिचयासी पैसे या एक रुपये सत्यासी पैसे परमीटर का आर्डर दिया गया था। इसलिए दो रुपये 10 पैसे छपा था या दो रुपये साठ पैसे छपा हुआ था, किन्तु आर्थिक दृष्टि से जो हमारा आर्डर था....

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, बाजार में 87 पैसे में मिल रही है।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : मुझे बोल लेने दें। आप बाद में बोल लेना -

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा87 सेन्टी मीटर का आर्डर था, जो माल सप्लाई हुआ वह 87 सेन्टी मीटर नहीं था । सैटलमेंट विभाग ने कहा कि हमारे काम नहीं आ सकता है, न वर्दियों का सवाल था, न साफों का सवाल था, नक्शों के पीछे चिपकाने के लिए उस कपड़े की आवश्यकता थी वह नक्शों के पीछे पूरा होने पर ही लग सकता था, यह नहीं हो सकता था कि आधा इंच की पट्टी काटकर उसको चिपकाया जा सकता । इसलिए सैटलमेट विभाग ने कपड़ा नहीं लिया। जहां तक विभाग का सवाल है. उन्होने 19/4/80, 3/5/80, 16/5/80, 3/6/80, 23/6/80, 8/1/81 और 4/2/81 इतने पत्र उस पार्टी को, जिस पार्टी से खरीदा था, लिखे थे कि माल ले जाइये, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो आदेश दिया गया था उसकेअनुकूल यह सामान नहीं था इसलिए ले जाइये। अन्तिम नोटिस भी उसको दे दिया गया है। सदन में प्रश्न आने के बाद इस सम्बन्ध में सतर्कता बरती गई हो मैं मानकर नहीं चलता । मै यह मानकर चलता हूं कि जिस एजेन्सी द्वारा माल दिया गया उसने गड़बड़ की है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए । मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में यदि कोई दोषी है तो निश्चित रूप से बतायें कार्यवाही करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अभी जो स्थिति लगती है, इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ ने पहले से सावधानी बरती है। इसलिए कोई शंका मुझे नही लगती, यही मेरा निवेदन है।

दवाओं का जिक्र किया गया बात सही है। दवाइयां चाहे सरवेक्स टी हो,बीकासूल हो, चाहे यूनिवी काम्पलैक्स हो, विटामिन वही होंगे, नाम अलग होंगे ऐसा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं चिकित्सा शास्त्र का विद्वान नहीं हूं यह बात मान सकता हूं, परन्तु जहा तक दवाओं को अप्रूव करने का प्रश्न है, दवाओं को खरीदने के सिद्धान्त तय करने का प्रश्न है, उसके लिए एक समिति बनी हुई है, उसमें एस. एम. एस. मेडिकल कालेज के वरिष्ठ चिकित्सक, सभी विभागों के चिकित्सक होते हैं और वह इस बात को कहते हैं यह दवाइयां खरीदी जायं तब वह खरीदी जाती हैं।

(श्री हनुमान प्रभाकर)

और खरीदने के बाद चिकित्सक लिखते हैं कि ये दवा दी जाय तभी उपभोक्ता भण्डार देते हैं। अगर डाक्टर लिखता है वह दवा चाहे पांच रुपये की हो चाहे दस रुपये की हो इसमें भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं लगती, मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है इसके संबंध में चिकित्सकों की एक समिति है जो यह तय करती है कि कौन सी दवा मगाई जाय, कौन सी नहीं। चिकित्सकों के लिखने पर ही उपभोक्ता भण्डार मंगाते हैं इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की बात मुझे नहीं लगती।

सहकारिता के बारे में निश्चित रूप से इस देश में आर्थिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण बिन्दु मान कर चलते हैं। इस दृष्टि से मैंने निवेदन किया था कि इस संबंध में सभी दलों के माननीय सदस्यों का सहयोग और विश्वास सहकारिता को मिलना चाहिए वह तो प्राप्त है ही, आज के बाद विवाद में जो साथी बोले, मैं निश्चित रूप से आलोचनात्मक न मान कर उसे सुझावात्मक मान कर चलता हूं। जिस विश्वास के साथ जैसा दृष्टिकोण, सुझाव दिये, बिन्दु रखे, इस तरह के मनोभाव रखे जिससे आप और हम सभी मिल कर इसकी प्रगति को आगे बढ़ा सकें। हमारा लक्ष्य है गांवों में बसे आदिवासियों, अनुसूचित जन जाति के लोगों को जिनको विशेष रूप से सहायता देनी है उन सब की मदद कर सकें, इसी प्रस्ताव के साथ जितने कटौती प्रस्ताव आये हैं उन्हें स्वीकार न करते हुए मेरे, बजट में इसकी मॉग को, प्रस्ताव को पास करने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, मेरा नीति सम्बन्धी प्रश्न है, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा-साथियों....

(व्यवधान)

श्री महाराम चोधरी : यह बुरी बात है क्या ?

श्री अध्यक्ष : उनके उत्तर में गलती इतनी ही है क्या ?

(व्यवधान)

बहुत अच्छी चर्चा हुई है, दो मिनट में मैं अवसर दूंगा मैं निवेदन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री महाराम चोधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नीति संबंधी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि एक एक प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो छोटे छोटे प्रश्न हैं एक तो जैसा आपने कहा कि जो ऋण वसूली कर रहे हैं तो उसमें रिजर्व बैंक से पैसा नहीं मिलता, आप वसूली करिये लेकिन जो झूठे बान्ड बना कर फर्जी साइन करा के जो मामले आपके पास लिख कर दिया हुए हैं उनकी जांच नहीं हुई,

(श्री नाथूसिंह)

वर्षों लग जाते हैं, जांच पूरी नहीं होती, उनके वर्तन, मवेशी सब ले जाते हैं इसके बारे में या तो आप जांच....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : दूसरा, मेरा निवेदन है कि उपभोक्ता समिति के मामले में जो स्कीम है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है कृपया उसके बारे में पूरे मामले की आप जांच करवालें, क्योंकि उसमें बड़ा घपला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय सदस्य ने जहां तक वसूली की बात रखी है कि उसको स्थगित करें, स्थगित करने का प्रश्न है उसमें तो राजनीति आ जायगी, राजनीति के आधार पर स्थगन के आदेश होंगे इसलिए इसमें मैं एक ही काम कर सकता हूं कि सम्बन्धित अधिकारियों का जांच जल्दी हो यह कह सकता हूं। वसूली स्थगित करने को तो राजनीतिक रूप दे दिया जायगा इसलिए मैं इससे बच कर चलना चाहता हूं। जहां तक उपभोक्ता भण्डार का प्रश्न है आप शिकायत दीजिये, मैं आपको आमन्त्रित करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपन बैठ कर चर्चा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय सहकारिता मन्त्री जी ने दवाइयों के बारे में इतना वहम लगा दिया है यह कह कर के कि डाक्टरों की समिति है। मसला इतना ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह कह कर सहकारिता मन्त्री जी बच नहीं सकते कि डाक्टरों की समिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सहकारिता मन्त्री जी से कि आपके आफिस की रिपोर्ट है, सहकारिता के जो मेडिकल स्टोर्स चलते हैं जहां से कर्मचारी दवाइयां खरीदते हैं और पुनर्भरण होता है, मेरा सवाल यह है कि जो कंपनीज हैं उनके कांसक्यूएंट देखे जाते हैं इसके बाद स्टैण्डर्ड की कंपनीज का माल जब पास में मिलता है तो एक नई कम्पनी जिसका स्टैण्डर्ड नहीं, कांसक्यूएंट इतने उचित नहीं उसका माल दस में बिके,यह सरकार को दो तरह का घाटा है। आपकी आडिट रिपोर्ट में है कि आपको लाखों का घाटा पुनर्भरण में हो रहा है तो एक तो घाटा हुआ सरकार को, दूसरे हल्की दवाइयां मिलीं। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी मेडिकल बोर्ड को बैठा कर जांच करवाइये कि कौन सी स्टैण्डर्ड की कम्पनी है क्या आप ऐसा करवायेंगे? यह कह कर बच नहीं सकते कि आडिट रिपोर्ट है जबकि हजारों का सरकार को घाटा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैंने निवेदन किया कि जो दवाइयां मंगाई जाती हैं वे चिकित्सकों की समिति के द्वारा स्वीकृत होने पर मंगाई जाती हैं। आप ऐसी कोई दवाई का नाम बतायेंगे?

श्री कैलाश मेघवाला : वह तो ग्राडिट रिपोर्ट में है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं ग्राडिट रिपोर्ट देख कर बता सकूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष: श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी मार्फत मन्त्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सहकारी समितियों का विलीनीकरण करने के लिए जो ग्रापने मापदण्ड बताया कि 5–7 किलोमीटर है उसके ग्रन्दर सहकारी समिति ग्रायगी उनका विलीनीकरण करने के बाद एक सहकारी समिति होगी, लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पर एरिया 50–60 मील तक होता है इसके लिए ग्रापको सोचना पड़ेगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि सहकारी समितियों के ग्राडिट ग्राक्षेपों की पूर्ति के लिए जो पिछले 20—20 साल से चल रहे हैं उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं देता ?

श्री ग्रध्यक्ष : इतना महत्वपूर्ण नहीं है माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में ग्रापने सहकारी समितियों को महत्व नहीं देने के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया इसलिए इनको भी प्राथमिकता दीजिये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : पहला प्रश्न रेगिस्तानी क्षेत्रों का मामला है तो उसके लिए एक ग्रलग प्रश्न भी था, ग्राप 5—6 किलोमीटर की बात कह रहे हैं एक माननीय सदस्य 600 किलोमीटर की बात कह रहे थे। मेरे दिमाग में परेशानी है, 600 किलोमीटर में सहकारी समिति न हो, ऐसा ग्राक्षेप शिव से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने 600 किलोमीटर की बात कही थी।

श्री महाराम चौधरी : उनका कहना था कि 600 स्क्वायर फीट में सहकारी समिति नहीं है।

श्री हनुमान प्रभाकर : 21 सहकारी समितियां शिव तहसील में हैं वैसे ग्रापने एक नया बिन्दु दिया है रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां ग्रधिक दूरी का सवाल है इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है इस पर सोचने की ग्रावश्यकता है।

श्री मेघराज तावड़ : मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जैसा कि पहले भी प्रश्न रखा था, हमारे गरीब ग्रादमी हैं जो कर्जा नहीं दे सके, ऐसे कर्ज माफ करने के लिये सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये।

श्री हनुमान प्रभाकर : इस संबंध में मैं ग्रभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री तेजपाल : ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने फर्माया कि सरकार ग्राती रहेंगी। हम जाते रहेंगे, ग्राते रहेंगे। यह तो ऐसे ही चलता रहेगा। यह महत्वपूर्ण

(श्री तेजपाल)

मसला है, सोसायटीज के मामले में यह तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। फिर तो हमें एक और संघर्ष लेना पड़ेगा जैसे आजादी के लिये लिया, जागीरदारी प्रथा के लिये संघर्ष किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ गया है माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी ने यह माना है कि एक पंचायत क्षेत्र में एक सहकारी समिति दें परन्तु जो बड़ी हैं उनका विलीनीकरण करें, इसमें यह मजबूरी बताई है कि स्वावलंबी नहीं बन सकते, रिजर्व बैंक की उन्होंने कोई बात बताई है, स्पष्ट तौर पर इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति के 200 सदस्य हैं तो दो को मिलायें तो 300 और तीन को मिला कर 600 हो जाते हैं तो 600 के लिए एक सोसायटी इंतजाम करेगी, वही 200 के लिए इंतजाम करती तो 200 के लिए ही व्यवस्था करती तो वह एक ही पंचायत में बैठा देते, अब इन तीन को मिलाकर 600 को एक जगह बैठायेंगे और तीनों पंचायतें इतनी दूर लेने जायेंगी इससे तो व्यवस्था कमजोर होगी। इस संबंध में मेरी सम झमें नहीं आया कि सबको एक जगह करने के आपके पास साधन कैसे बढ़ गये और बढ़ गये तो व्यक्तियों के आधार पर औसतन कैसे बढ़े ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसमें करीब पांच हजार व्यवस्थापक हैं। जो भी फैसला हमने किया है उससे इस वर्ष 82 लाख रुपये का असर हुआ है। अगर ग्राम पंचायत को आधार मानेंगे तो उतने ही व्यवस्थापक रखेंगे, उससे अधिक आर्थिक भार होगा जो सहकारी समितियों के लिये आज की स्थिति में सह्य नहीं है।

श्री भैरू लाल भारद्वज : केवल व्यवस्थापक के लिये आप यह कार्यक्रम लागू नहीं कर रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री वन मंत्री जी।

श्री महाराम चौधरी : कई सहकारी समितियां डिफंक्ट पड़ी हैं, उसका जिक्र आपने नहीं किया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : भू-गर्भ से जल निकालने के लिये आपने पैसा दिया है। भू-गर्भ विभाग द्वारा उसका उपयोग किया गया किन्तु वहां पर पानी न ीं निकला। आपने किसी को पांच हजार रुपया दिया वह उसने खर्च कर दिया और उसके पश्चात् भी पानी नहीं निकला तो उसके बारे में आप क्या कार्यवाही करेंगे ? इसके बारे में मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इससे दो पक्ष सामने आते हैं। एक पक्ष तो यह है कि अब भू-गर्भ विभाग ने ले लिया है 200 मीटर में कुआं नहीं है, जैसा कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा,

(श्री हनुमान प्रभाकर)

परन्तु जहां तक भूमि विकास बैंक से कर्जा देने का आधार है, भू जल विभाग ने जो आधार रख दिया है, उस आधार पर कर्जा देते है। यदि कर्जा देने के पश्चात् पानी नहीं आता है उसको और सहायता की जरूरत है तो वह सहायता दी जा सकती है। इस बात पर विचार किया जा सकता है परन्तु कर्जा माफ नहीं किया जा सकता है। वह तो चुकाना ही होगा....

श्री अध्यक्ष : घर का पैसा लगाते तो क्या करते ?

वन मन्त्री महोदय।

श्री दुलाराम (वन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जिन माननीय सदस्यों ने मेरे विभाग के, वन विभाग के बारे में सुझाव दिये हैं, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं और साथ में निवेदन करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के जरिये से माननीय श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी ने जो प्रश्न उठाया है वन विभाग के सम्बन्ध में अब्बास खां कोई ठेकेदार है उसको हमने ठेका दिया लाखों रुपयों का कोयला, लकड़ी वह ले जा रहा है, यह उन्होंने गलत सूचना दी है। यह बांध सिंचाई विभाग का है और इसको मत्स्य विभाग देखता है। हमारे डिपार्टमेंट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा निवेदन यह है, माननीय अध्यक्षजी, कि जब ऐसी कम्पलेन्ट आई कि यह ठेकेदार अब्बास खां इस तरह से अवैध कटाई कर रहा है और भी कोई मामला जंगल में कटाई करने का है, उस पर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने 18.3.1981 को एक स्थगन आदेश दे दिया है, जो अवैध कटाई हुई है 25 हजार बोरी कोयले की वह नहीं हटायेगा। सी. सी. एफ. ने भी आदेश दिये हैं कि जो जंगल से कटाई कर कोयला और लकड़ी है, उसके ऊपर रोक है। हमारे डिपार्टमेंट ने न उसको दस साल की लीज दी है, न लकड़ी काटने की स्वीकृति दी है, किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं दी गई है। जो सूचना दी है वह हमसे सम्बन्धित नहीं है।

इसके अलावा भी, माननीय अध्यक्षजी, कुछ माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट करते हुए वन विभाग में भ्रष्टाचार के प्रश्न उठाये हैं। मेरा एक निवेदन है कि मेरे आने से पहले जो जनता पार्टी के शासन काल में भ्रष्टाचार हुआ है मैं आपको निवेदन कर दूं कि उसमे मैं सही ढंग से निपटूंगा और जितना भ्रष्टाचार जनता पार्टी के शासन काल में इस फारेस्ट डिपार्टमेंट में हुआ है, वह परिपाटी अब दुबारा कांग्रेस के शासन काल में नहीं होने दूंगा। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी श्री नंदलाल मीणा बहुत जोर-शोर से सदन को इस तरह से अवरोध करते हैं, जिस तरह से कि वे कभी मंत्री रहे नहीं है। उन्हें यह पता नहीं कि हमारे में भी कभी जोश था। इस मामले में निवेदन कर दूं कि जो भीलवाड़ा, बांसवाड़ा जिले के आदिवासी लोग हैं, जिस तरह से चाहे वह राजनैतिक संरक्षण हो, उनके मन की इच्छा है, परन्तु जो 1971 के बाद में कब्जे हुए हैं उनके नियमन में राज्य सरकार असमर्थ है। क्योंकि भारत सरकार ने 25.10.1980 को एक प्रस्ताव पास कर दिया कि सारी वन सम्पदा, जो हिन्दुस्तान की है, उसके अधीन है उसके बाद कोई भी नियमन होगा तो वह

(श्री दुलाराम)

भारत सरकार की अनुमति से ही होगा। उसके लिये आप और चाहे हम मिलकर भारत सरकार से निवेदन कर सकते हैं परन्तु इस वन संपदा को नष्ट नहीं होने दूंगा यह मेरा परम कर्त्तव्य है, जिस विभाग को मैं संभाले हुए हूं। इसके बाद भी जो 1.1.1971 से पहले के कब्जे थे, जिस तरह कि यहां पर बताया गया कि 12-13 साल के कब्जे हैं, आदिवासी बैठे हुए हैं, इस सम्बन्ध में सदन में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। 12-13 साल के या 1.1.1971 तक के जो कब्जे हैं और जिलाधीश महोदय ने या उस कमेटी ने जिसमें जिला प्रमुख हैं, किसी प्रकार से इन लोगों का सही मायने में नियमन नहीं किया तो उसको दुबारा करने को मैं कहूंगा। जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं, उनसे दुबारा निवेदन है कि वे इसकी लिस्ट दें, जिनके पास रिकार्ड है, रिकार्ड के अलावा, कुएं या जिस तरह से लोन आदि का कोई प्रमाण हो, अगर उस तरह का रिकार्ड हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि वह मुझे दें। हम उसका दुबारा नियमन करेंगे। इस प्रकार राज्य सरकार का, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के शासन को किसी प्रकार से आदिवासियों को नुकसान पहुंचाने की मन्शा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, 8.1.1979 का सर्कूलर इश्यू कर दिया गया है कि 1.1.1971 के बाद के कब्जों का नियमन नहीं किया जायगा। भारत सरकार ने 25.10.1980 को दोनों सदनों से यह प्रस्ताव पास कराया है कि हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स के जो जंगल हैं, जो वन सम्पदा है वह भारत सरकार के अन्तर्गत निहित रहेगी अलावा वृक्षारोपण के किसी को आवंटित नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको निवेदन करूं कि उस समय जनता पार्टी के शासन में इस बात को देखा जाता कि जिन लोगों के 1973,74 और 77 तक के कब्जे थे उनको नियमन कर दिया जाता तो आज जो स्थिति हमारे सामने आई है वह स्थिति नहीं आती। इस तरह आदिवासियों के साथ जनता पार्टी के शासन काल में अन्याय हुआ है और उसके लिए हमको नीचा देखना पड़ रहा है। मैं एक ही निवेदन कर सकता हूं कि जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ करके, आप लोगों को प्रभावित करने के लिए विधान सभा में बोलें हैं, यह तो आपका विषय है, इस बारे में मैं निवेदन नहीं कर सकता हूं, जिस तरह का अन्याय आपने 8.1.1979 का प्रस्ताव पास करवा कर किया है, यह आदिवासियों के साथ धोखा है, अन्याय है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सर्व सम्मति से पास हुआ था। आप भी दोषी हैं।

श्री दुलाराम: अध्यक्ष जी, जहां तक वृक्षारोपण की बात है, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में सुझाव दिये हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वृक्षारोपण के आंकड़े झूठे पेश किये गए हैं। इस मामले में, माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूं कि वर्ष 1977-78 में 65 लाख और वर्ष 1978-79 में जनता पार्टी के शासन में 80 लाख, इस तरह कुल 1 करोड़ 45 लाख

(श्री दुलाराम)

पौधे लगाये गये थे। क्या वे भी गलत थे? अगर वह भी गलत थे तो मेरा निवेदन है कि जो इस साल हमने वृक्ष लगाये हैं, मैंने स्वयं ने देखा है, मैं मौके पर गया हूं, मेरे मंत्री बनने के बाद कई जगह मैंने निरीक्षण किया है, यह हो सकता है कि सेन्ट पर्सेन्ट नहीं रहे हो, 20 पर्सेंट पौधे उसमें से खराब हो सकते हैं। अगर कोई माननीय सदस्य यह माने कि पौधा लगने के बाद वह एक दम से लम्बा हो जाय तो यह बहुत ही मुश्किल है। इस समय भी पेड़ नहीं लगे हैं तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं आपके साथ चलूंगा मगर 1977-78 में जितने लगे उनके बारे में आपको बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा कि जिस हिसाब से जिस अनुपात जिन्दा पौधे बचे हैं उसमें इनका 35 प्रतिशत रहा है और हमारा 70 प्रतिशत रहा है....

एक माननीय सदस्य : इसकी भी जांच करा ली जाय।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, वे जांच के बारे में कह रहे हैं जांच तो जून 1980 में जनता ने कर दी जो आप उधर बैठें हैं और हम है इधर बैठें हैं। जांच जो जनता कर सकती वह आप नही सकते हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह तो 1981 में फिर होगी।

श्री नंदलाल मीणा : फिक्र क्यों करते हो 1982 में पता चल जायगा।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : हम तो अंधे और लंगड़े हैं आप भी क्या ऐसा ही होना चाहते हैं

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आपका हम अनुकरण नहीं करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। कोई फर्जी आंकड़ें जैसे जनता पार्टी ने दिये है हम नहीं देंगे और अगर कोई गलती पायी गई तो उसमें चाहे किसी अधिकारी का हाथ हो चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में हमको हिचकिचाहट नहीं होगी। राजस्थान में वन क्षेत्र कुल सन् 1952 में 37 हजार 996.6 किलोमीटर था और 1978-79 में 34 हजार 913.67 किलोमीटर रह गया जो जनता पार्टी की देन है, 3 हजार 82 किलोमीटर वन क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है जिस....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कौन-कौन से साल में कितना-कितना कम हुआ है यह भी बता दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दुलाराम : राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में एक लाख 14 हजार किलोमीटर में वन होने चाहिये, मगर जनता पार्टी के शासन सम्भालने के बाद में हमको कुल वन क्षेत्र 34 हजार 913 वर्ग मीटर मिला है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कौन से साल में कम हुआ है....

श्री खेतसिंह राठौड : ढाई साल में कम हुआ है....

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, ये जनता पार्टी वाले ढाई साल में वन सम्पदा को लूटकर खा गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : ये तो मंत्री हैं इनको तो आपको रोकना चाहिये। किस प्रकार का उत्तर दे रहें हैं। इनको सुनना है क्या ? तो हम....

(व्यवानघ)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : हम कहें आप सुनने को तैयार हैं क्या ?

श्री हंसराज शर्मा : मंत्री जी इस प्रकार के शब्द कह रहे हैं, यह उचित है क्या ?

श्री दुलाराम : जिस प्रकार से ये जीव जन्तुओं हिरणों के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं मुझे बड़ा दुख है और ताज्जुब हो रहा है कि जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से अवैध शिकार हुआ, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है अरब के शाह बदर राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में आये और जिन्होंने सबसे ज्यादा शिकार किया उसके लिए जनता पार्टी दोषी है कांग्रेस सरकार दोषी नहीं है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप हिरणों का शिकार करते हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय खेतसिंह जी को ज्यादा अनुभव है शिकार का।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेता संजय गांधी की नीति के अनुसार वर्ष 1980-81 में एक करोड़ पचास लाख अनुमानित पौधे लगाने थे उनकी जगह हमने वर्ष 1980-81 में एक करोड़ 56 लाख पौधे लगाये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहां लगाये हैं....

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : सड़कों पर लगाये हैं और आपके घरों में भी हो सकता है लगाये हों। घर पर आवश्यकता हो तो पौधे दे सकते हैं। जैसा कि कहा गया कि स्कूल मास्टर गया था उसको पौधे नहीं मिले। मेरे पीछे की बात तो मैं कह नहीं सकता हूं, मगर जो किसी भी प्रकार का पौधा चाहेगा उसको वह दिया जायगा। कोई भी व्यक्ति, माननीय सदस्यों की तो बात ही अलग है, जो डिमाण्ड करेगा मेरा स्पष्ट निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति को मेरा विभाग पौधे देने में किसी भी प्रकार की मनाही नहीं करेगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : बीज भी ले जाओ।

श्री दुलाराम : हां, हां। बीज भी ले जाओ....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन और करूं कि जिस तरह से अधिकारियों के खिलाफ अवैध कटाई केमामले में कह दिया, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अभी एक माननीय सदस्य ने, अहमद बक्स जी ने कहा कि अवैध कटाई में कुछ विधायक भी हैं और अवैध कटाई कराते हैं. मैं किसी माननीय सदस्य पर इस प्रकार का आरोप नहीं लगाता हूं मैं तो उनसे इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि आप इस मामले में जो राष्ट्रीय नीति है, इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस नीति के अनुसार सब मिलकर सहयोग करें, वन विभाग जो राष्ट्रीय नीति है, उसके अनुसार चलें। चाहे अवैध कटाई अधिकारी करवा रहे हों, चाहे चोर चोरी करके ले जा रहे हों, चाहे और कोई करवा रहा हो मगर उसको किस प्रकार से रुकावट डालकर बचाया जा सकता है इस मामले में आपसे सहयोग चाहता हूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गश्ती दल के बारे में बताया आपने जो चोरों को पकड़वाया था उनको भी वापस छोड़ दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दुलाराम : अगर कोई जांच का मामला विचाराधीन है तो मैं जांच करा लूंगा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिसने चोरों को पकड़ा था उसका तो आपने ट्रान्सफर कर दिया है....

श्री दुलाराम : भाई चोरी हुई है तो उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : केस भी हो गए हैं....

श्री दुलाराम : आप लिखकर दे दें तो मैं जांच भी करवा लूंगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आप सदन में यह आश्वासन दे रहे हैं कि जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच करवायी जायगी....

श्री दुलाराम : मैं किसी भी गलत जांच का आश्वासन नहीं दे सकता हूं....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसका तो केस भी दर्ज हो गया है 13 लाख की लकड़ी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हों तो कृपया व्यवधान उपस्थित न करें। कृपया शान्त रहें।

श्री दुलाराम : किसी भी अधिकारी के खिलाफ आरोप सही पाये जाते हैं तो चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाता है और न बख्शा गया है। मेरा इस बारे में निवेदन है कि....

श्री दीपेन्द्र सिंह : जनता पार्टी के राज में बख्शा गया है।

श्री दुलाराम : जनता पार्टी के राज में बख्शा गया या नहीं, यह तो आप ज्यादा ठीक बता सकते हैं। अब, अध्यक्ष जी, मैं इन कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरी मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि वर्ष 1980—81 में वन विभाग की आय में सन् 1970—71 से अब तक की आय में कैसे कमी आयी है ?

श्री दुलाराम : कौन से वर्ष में, कृपया दुबारा पूछ लें।

श्री नन्दलाल मीणा : वन विभाग के बारे में पूछना चाहता हूं कि 1970 से लेकर 1980—81 तक कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें वन विभाग की आय में कमी हुई है ? क्या यह कांग्रेस राज में 1980—81 में एक करोड़ की आय में कमी हुई है ?

श्री दुलाराम : वन विभाग की आय में कमी नहीं हुई है....

(व्यवधान)

आप सुन तो लें आपने गलत आंकड़े पढ़ लिए होंगे। इसमें कई आंकड़े हैं, हमारी आय का एक साधन नहीं है वन विभाग की आय के कई साधन हैं। आपने कौनसा आंकड़ा पढ़ा है....

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह वार्षिक रिपोर्ट 1980—81 के लास्ट पेज पर दिया है 1970—71 से अब तक वन विभाग की कितनी आय राज्य कोष में जमा हुई है ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : यह दो साल पुरानी बात है....

वर्ष 1977—78 में 538.62 लाख आय हुई है, 1978—79 में 602.99 लाख आय हुई और 1981—82 में 50 लाख आय हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये आंकड़े दिसम्बर तक के होंगे।

श्री दुलाराम : पेज नम्बर क्या है ?

श्री नन्दलाल मीणा : पेज नम्बर 17, वार्षिक प्रतिवेदन, वन विभाग, वर्ष 1980-81।

श्री दुलाराम : आप पढ़ लीजिए उसमें क्या है ?

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करता

(श्री हंसराज शर्मा)

चाहता हूं कि टाइगर प्रोजेक्ट की सीमा के अन्दर यह प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि तीन मील तक जानवरों को डराने के लिए पटाखा भी नहीं छोड़ सकते तो काश्तकारों की फसलें जो नष्ट हो रही हैं, उनका क्या इलाज है ?

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : माननीय सदस्य का जानवर से मतलब किस जानवर से है, गाय भी जानवर है, ऊंट भी है, बैल भी है ?

श्री हंसराज शर्मा : शेर, चीते, हिरण।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, शेर कभी गेहूं, बाजरा नहीं खाता है।

श्री अध्यक्ष : इनके इलाके में खाते हैं।

(व्यवधान)

इसमें अब आगे चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय खनिज मन्त्री जी।

श्री नानालाल (राज्य मन्त्री, खनिज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग के बारे में माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव रखे और सुझाव दिये, उनका मैंने अध्ययन किया है। जिन जिन मुद्दों पर इन्होंने प्रस्ताव रखा है, माननीय सदस्यों ने अपने विचारों के अनुसार जो मुद्दे उठाये हैं, मैं उनका आदर करता हूं और इस चर्चा के दौरान करीब 18 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 19.

श्री नानालाल : सुझाव भी रखे। कई माननीय सदस्यों ने खनिज विभाग की आय के बारे में बताया कि उसमें कमी हो रही है, किन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1977 78 में आर. एस. एम. एम. द्वारा जो कार्य किया जाता था उस पर 45.54 लाख की आय थी और सन् 1978—79 में यह आय घटकर 44.44 लाख ही रह गई। मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह आय 1979—80 में घटकर हानि में परिणित हो गई—49 लाख 73 हजार।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नानालाल : इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये गये हैं, वे निराधार साबित होते हैं। खनिज विभाग की जो प्रगति है वह वास्तव में सराहनीय है। इस अवसर पर माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के मुद्दे उठाये जो सही नहीं हैं, खनिज की आय बराबर बढ़ रही है। 1977—78 में 22.84 करोड़ थी और 1978—79 में

(श्री नानालाल)

22.90 करोड़ हुई, 1979-80 में 25 करोड़ हुई। हमारा लक्ष्य 1981-82 में 35 करोड़ तक हो जायगा। कई माननीय सदस्यों ने और भी मुद्दे उठाये हैं। एक माननीय सदस्य ने बहुत बड़ा मुद्दा यह उठाया कि धौलपुर स्टोन कम्पनी को वापस पट्टा यहां दिया गया है और उससे चुनाव में चंदा लिया गया है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि न तो उस कम्पनी को पट्टा दिया है, बल्कि उसके खिलाफ केस चल रहा है। उसे कोर्ट ने स्टे दे दिया था, किन्तु विभाग ने उसके खिलाफ दो वकीलों स्वीकृत लेकर केस चालू कर रखा रखा है इसलिए माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं, वह निराधार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नानालाल : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सन् 1956 से सन् 1980 तक 46 सड़कों का निर्माण कार्य हुआ था और गत वर्ष में ही केवल 36 सड़कों का निर्माण कार्य और हाथ में लिया गया है। इस निर्माण कार्य पर 1981-82 में हम 1 करोड़ रुपया और खर्च करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

इसके अलावा आठ सड़कें और बनाई जायेंगी।

कई माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के मामले उठाये। मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है भ्रष्टाचार के केसेज हुए हों, और यह भी नहीं कह सकता कि आज हो रहा है और पहले कभी नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कोई भी भ्रष्टाचार का मामला आता है तो सरकार इसमें सजग है, पूरी कोशिश करके छानबीन करेगी और जो दोषी व्यक्ति पाये जाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और की जा रही है। इसलिए इस बातों में अधिक नहीं जाना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कि प्राथमिक सर्वेक्षण का कार्य रोक दिया गया है, किन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्राथमिक सर्वेक्षण का काम चालू है और उसके आधार पर प्रतिवर्ष नई योजनायें तैयार की जा रही हैं और उन योजनाओं के बारे में भी मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा।

राजस्थान में खनिज और भू विज्ञान विभाग जो है, राजस्थान में छिपी हुई अतुल खनिज संपदा है उसके लिए किये गए सर्वेक्षण के अनुसार खोज करता है। खनन के पट्टे जारी करके खनिज कार्य को सुचारू रूप से चालू करता है और उस पर अपना नियंत्रण रखता है। चालू वर्ष 1980-81 में खनिज के अधिशुल्क से जनवरी तक 6 करोड़ प्राप्त हुआ किन्तु 31 मार्च तक यह शुल्क 8 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है।

राजस्थान खनिज एवं खान कम्पनी द्वारा झामर कोटड़ा माइंस से रॉक फास्फेट का कार्य करवाया जा रहा है उससे राज्य सरकार को 19 करोड़ 50 लाख की

(श्री नानालाल)

आमदनी की संभावना है। विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराकर करीब 38 परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया है, जिसके कारण खनिज भण्डारों का पता चला है तथा इस वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की तरफ भी माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया चाहूंगा :

1—मेड़ता रोड जिला नागौर एवं कपूरड़ी जिला बाड़मेर में लिग्नाइट (भूरा कोयला) के भण्डार का पता चला है।

2—अंजनी (उदयपुर) में तांबे की पट्टी।

3—पिलेला जिला सिरोही में ताम्बे एवं जस्ते के भण्डारों का पता चला है।

4—जिला जैसलमेर में मेघावालों की ढाणी क्षेत्र में तथा सूईवाला क्षेत्र में लाइम स्टोन के भण्डारों का भी पता लगाया है।

5—उदयपुर के कोटड़ा और बीकरणी क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भण्डारों का पता चला है।

6—बांसवाड़ा जिले के बड़ी क्षेत्र में खनिज लाइम स्टोन एवं डूंगरपुर जिले के बड़वासा क्षेत्र में बोलस्टीनाइट के भण्डारों का चला है।

इसी तरह खनिज और भू विज्ञान राजस्थान के विकास में तथा राष्ट्र के विकास में योग दे रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बांसवाड़ा में 49 क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नंदलाल मीणा : वह तो उदयपुर में है।

श्री नानालाल : इन सभी बातों की तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाते हुए निवेदन करता हूं कि जो भी आप लोगो ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं वैसे तो मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उनको नामंजूर करता हूं और निवेदन करता हूं कि खनिज की मांग को पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा।

(विराम)

मन्त्री जी।

श्री दुलाराम : माननीन अध्यक्ष जी, आपके पत्र दिनांक 11/2/81 में जिस तरीके से आपने वन विभाग को एक राय भेजी थी कि राजस्थान के अन्दर सियार और जंगली बिल्ली जिसका शिकार बहुत हो रहा है और ज्यादातर वे लोग शिकार करवा रहे हैं जैसे व्यापारी लोग है, एक व्यापारी है जिसके पास 65985 सियार की खालें हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : माइक पर बोलें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीदुलाराम ; मेरी आवाज तो बहुत ऊंची है। 24552 जंगली बिल्ली की खालें

(श्री दुलाराम)

उनके पास हैं, 22251 लोमड़ी की खालें उनके पास हैं। इस तरीके से जो जीव हैं लिप्त होते जा रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष जी, आपके पत्र का आदर करते हुए मैं राजस्थान वन जीव संरक्षण नियम 1972 की धारा 61 की उप धारा 6 में इन सियार, जंगली बिल्ली और लोमड़ी को परिशिष्ट 4 के बजाय 1 में घोषित करता हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या मतलब हुआ ?

श्री अध्यक्ष : सुरक्षित पशु हो गए। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवर लाल शर्मा : मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में बताया कि सन् 1978-79 में खनिज आय में बहुत नुकसान हुआ और उसके बाद आगे कहा कि लाभ हुआ तो इन दोनों बातों के अन्तरों को आप समझाइए और आपने कहा सीमेंट के भंडार मिले, वे किन स्थानों पर मिले ?

मांग संख्या 36,9 व 43 का पारण

मांग संख्या-36

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,34,03,000/-रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,69,-87,000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,32,-62,000/-रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.39 बजे मंगलवार दिनांक 24 मार्च, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न 398 का विवरण

राजस्थान के तीन बड़े निर्माणाधीन कारखानों का
प्रगति विवरण।

1–मैसर्स मंगलम् सीमेन्ट, मोडक (कोटा)

1117 बीघा 7 बिस्वा जमीन आंवटन की जा चुकी है। फैक्ट्री की मुख्य बिल्डिंग पूर्ण हो चुकी है तथा फैक्ट्री द्वारा सीमेन्ट बनाने हेतु क्लीन्कर पीस सीमेन्ट की पैकिंग करना प्रारम्भ कर दिया है परन्तु विद्युत कटौती के कारण उत्पादन में बाधा हो रही है।

2– मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०, बनास (सिरोही)

कम्पनी को लगभग 2600 बीघा मय खनन् हेतु भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें 523 बीघा निजी भूमि अवाप्त करवाई जाकर कम्पनी को आंवटित की जा चुकी है। विद्युत मण्डल द्वारा पावर की स्वीकृति दी जा चुकी है। फैक्ट्री का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है एवं अब तक 30 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मशीनरी इत्यादि आना प्रारम्भ हो गया है तथा उनको स्थापित किया जा रहा है। जून, 1982 से सीमेन्ट उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

3–मैसर्स श्री सीमेन्ट लि०, ब्यावर (अजमेर)

विद्युत हेतु विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। पानी उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था कराई जा चुकी है। सरकारी भूमि का आंवटन किया जा चुका है तथा चरागाह भूमि के आंवटन की कार्यवाही जिलाधीश, अजमेर द्वारा की जा रही है। कम्पनी की आवश्यकतानुसार शेष भूमि भी औपचारिकता पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र उपलब्ध कराई जा सकेगी।

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न 81 का विवरण

मुख्य मन्त्री एवं अन्य मन्त्रिगणों का दिनांक 18.7.80 से 31.12.80 तक टेलीफोन व्ययों का विवरण

	नाम मन्त्री	कुल व्यय राशि
1—	श्री जगन्नाथ पहाड़िया, मुख्य मन्त्री	29,862.05
2—	श्री हनुमान प्रभाकर, शिक्षा मन्त्री	6,273.60
3—	श्रीमती कमला, कृषि मन्त्री	9,533.90
4—	श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, चिकित्सा मन्त्री	14,898.35
5—	श्री रामपाल उपाध्याय, उप मन्त्री	31,002.95
6—	श्री अब्दुल रहमान चौधरी, उप मन्त्री	26,322.50
7—	श्रीमती भगवती देवी, उप मन्त्री	14,062.75
8—	श्री मांगीलाल आर्य, उप मन्त्री	16,207.65
9—	श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, उप मन्त्री	25,727.40
	योग	174291.15

मुख्य मन्त्री एवं अन्य मन्त्रिगणों का दिनांक 18.7.80 से 31.12.80 तक मोटर गाड़ियों पर हुये व्यय का विवरण

	नाम मन्त्रिगण	कुल व्यय राशि
1—	श्री जगन्नाथ पहाड़िया, मुख्य मन्त्री	71790.80
2—	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, शिक्षा मन्त्री	51104.00
3—	श्रीमती कमला, कृषि मन्त्री	32029.50
4—	श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, चिकित्सा मन्त्री	51863.00
5—	श्री रामपाल उपाध्याय, उप मन्त्री	38259.25
6—	श्री अब्दुल रहमान चौधरी, उप मन्त्री	39167.00
7—	श्रीमती भगवती देवी, उप मन्त्री	41551.50
8—	श्री मांगी लाल आर्य, उप मन्त्री	45467.00
9—	श्री नरेन्द्र सिंह भाटा, उप मन्त्री	54024 50
	योग	425256.55

मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रिगणों का दिनांक 18-7-80 से 31-12-80 तक का चाय काफी एवं भोज व अल्पाहार का व्यय विवरण।

क्र०सं०	नाम मंत्री	कुल व्यय राशि
1—	श्री जगन्नाथ पहाड़िया, मुख्य मंत्री	27,344.87
2—	श्री हनुमान प्रभाकर, शिक्षा मंत्री	5,417.55
3—	श्रीमती कमला, कृषि मंत्री	2,037.10
4—	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, चिकित्सा मंत्री	2,079.65
5—	श्री रामपाल उपाध्याय, उप मंत्री	3,415.45
6—	श्री अब्दुल रहमान चौधरी, उप मंत्री	1,568.20
7—	श्रीमती भगवती देवी, उप मंत्री	1,320.75
8—	श्री मांगीलाल आर्य, उप मंत्री	1,256.25
9—	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, उप मंत्री	989.95
	योग	45,429.77

मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों द्वारा दिनांक 18-7-80 से 31-12-80 तक राज्य कोष से उठाये गये यात्रा भत्ता की राशि का विवरण

क्र०सं०	नाम मंत्री	यात्रा भत्ता	दैनिक भत्ता	योग
1—	श्री जगन्नाथ पहाड़िया, मुख्य मंत्री	2777.64	1071.00	3838.64
2—	श्री हनुमान प्रभाकर, शिक्षा मंत्री	746.48	1963.50	2709.98
3—	श्रीमती कमला, कृषि मंत्री	—	2116.50	2116.50
4—	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, चिकित्सा मंत्री	775.51	3111.00	3886.51
5—	श्री रामपाल उपाध्याय, उप मंत्री	—	1963.50	1963.50
6—	श्री अब्दुल रहमान चौधरी उप मंत्री	2358.32	3927.00	6285.32
7—	श्रीमती भगवती देवी, उप मंत्री	—	3366.00	3366.00
8—	श्री मांगीलाल आर्य, उप मंत्री	—	3366.00	3366.00
9—	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, उप मंत्री	2393.84	1785.00	4178.84
	योग	9041.79	22669.50	31711.29

परिशिष्ट —3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

डी-लक्स बसेज में सुरक्षा व्यवस्था

405. श्रीमती सूरज देवी (पुष्कर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माह जनवरी में जो डी-लक्स बसेज असामाजिक तत्वों द्वारा लूटी गई हैं उनके सन्दर्भ में निगम द्वारा यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के क्या प्रबन्ध किए गये हैं ?

(2) राज्य में सभी मार्गों पर चल रही डी-लक्स बसों में यात्रियों से वसूल किये जाने वाले भरपूर किराये के अनुरूप उन्हें क्या सुविधाएं प्राप्त हैं और क्या वह पर्याप्त हैं ?

(3) राज्य में इस समय कितनी डी-लक्स बसेज में चलचित्रों (वीडियो के सैट) के प्रदर्शन की व्यवस्था है ? यदि मशीनरी त्रुटि व अन्य कारणों से फिल्म यात्रियों को पूरी नहीं दिखाई जाती है, तो क्या फिल्म का भुगतान वापस किया जाता है ?

उत्तर

(1) जनवरी, 81 में कोई वाहन नहीं लूटी गई। आरक्षी दल जब सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों में ड्यूटी से जाते हैं तो इन्हें ऑन ड्यूटी निःशुल्क यात्रा कराई जाती है।

(2) परिवहन निगम द्वारा जो सुपर डी-लक्स बसें चलाई जा रही हैं उनमें निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं: —

1. अन्य वाहनों की तुलना में 55 के स्थान पर 35 बैठने की आराम दायक पीठिकाएं ?
2. हवा के लिए पंखे आदि की सुविधा।
3. ट्रांजिस्टर की सुविधा।
4. वाहन में रंगीन कांच तथा पर्दों की सुविधा।
5. शीतल रोशनी की सुविधा।

उपरोक्त सुविधाएं सुपर डी-लक्स वाहनों के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त हैं।

(3) वर्तमान में परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रहे किसी भी सुपर डी-लक्स वाहन में चल चित्र (वीडिओ कैसट) दिखाने की व्यवस्था नहीं है। अतः फिल्म न दिखाये जाने तथा फिल्म का भुगतान वापस किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

249

तहसील देवली में लघु सिंचाई परियोजना

406. श्री चतुर्भुज चौधरी (टोडा-रायसिंह) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्राम पंचायत काशोर तहसील देवली में लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस योजना में कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी तथा किन किन ग्रामों को पानी दिया जायगा ? यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

जी हां, ग्राम पंचायत काशोर, तहसील देवली में काशोर सिंचाई बांध का कार्य चालू है। इस बांध के निर्माण के पश्चात काशोर, देवपुरा, इन्द्रपुरा, बंड़रा तथा नगेड़िया ग्रामों की 294 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। इस बांध को वर्ष 1981-82 में पूर्ण करने की सम्भावना है।

नगर पालिका सुनेल को अधिक अनुदान देना

407. श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की सुनेल नगरपालिका में आमदनी नहीं होने से सुनेल कस्बे की प्रगति नहीं हो पाती है ?

(2) क्या सरकार इस नगरपालिका को अधिक अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सुनेल नगर पालिका की आर्थिक स्थिति विशेष अच्छी नहीं है।

(2) सुनेल नगरपालिका को सामान्य अनुदान के अतिरिक्त विशेष अनुदान भी इस वर्ष 10,000 का दे दिया गया है।

जिला जैसलमेर की जल वितरण योजनाएं

408. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में जल वितरण योजना के अन्तर्गत जो पाइप लाइनें ट्यूब वैल ग्राम खुड़ी से सम. कन्नोई व दामोदरा तक तथा ट्यूब वैल ग्राम खुड़ी से नीम्बा, बीदा, फलेड़ी तक बिछाई गई हैं वह किस वर्ष में सम्पूर्ण हुई ?

(2) इन योजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(3) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत सुचारु रूप से जल वितरण किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) कुड़ी से सम तक पाइप लाईन

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

नवम्बर 1978 में, सम से कनोई तक मार्च, 1979 में, कुड़ी से निम्बा तक मार्च, 1980 में, नीम्बा से बीदा तक मार्च, 1980 में तथा बीदा से फालेड़ी तक जुलाई, 1980 में बिछाई गई। कनोई से दामोदरा तक लाइन नहीं बिछाई गई है।

(2) सभी ग्राम एक ही क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बीदा-सम के अन्तर्गत हैं जिस पर फरवरी, 1981 तक 25.11 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(3) ग्राम बीदा, फालेड़ी व कनोई में आंशिक रूप से तथा ग्राम कुडी, बदन, गंगा, निम्बा एवं सम में सुचारु रूप से वितरण किया जा रहा है। ग्राम सलखा व दामोदरा के ग्रामवासी कनोई ग्राम से अपनी आवश्यकता पूर्ण करते हैं।

पंजीकृत बेरोजगारों का नियोजन

409. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने नियोजन कार्यालय हैं ?

(2) जिलेवार पंजीकृत बेरोजगारों में से अप्रैल, 1980 से लेकर अब तक कुल कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया ?

(3) सीकर नियोजन कार्यालय में कितने बेरोजगारों का नाम पंजीकृत है तथा माह अप्रैल, 1980 से अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 26 जिला नियोजन कार्यालय एवं एक व्यावसायिक एवं प्रशासनिक नियोजन कार्यालय तथा एक विशेष नियोजन कार्यालय (विकलांग) जयपुर में है तथा तीनों विश्वविद्यालयों जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र हैं। जिलेवार पंजीकृत आशार्थियों की सूची संलग्न है।

(2) अप्रैल, 1981 से दिसम्बर, 1980 तक कुल 10, 823 बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार दिलवाया गया।

(3) दिसम्बर, 1980 को नियोजन कार्यालय में 8,747 आशार्थी पंजीकृत हैं तथा माह अप्रैल, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक 131 बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार दिलवाया गया।

251

सूची

31—12—80 को चालू रजिस्टर पर उपलब्ध आशार्थीः—

क्र. सं.	जिलों के नाम	कुल आशार्थी
1	अजमेर	21172
2)	अलवर	15807
3)	बांसवाड़ा	5550
4)	बाड़मेर	4714
5)	भरतपुर	19370
6)	भीलवाड़ा	13517
7)	बीकानेर	11433
8)	बून्दी	3740
9)	चित्तौड़गढ़	6172
10)	चूरू	6025
11)	डूंगरपुर	5590
12)	जयपुर	61152
13)	जैसलमेर	3618
14)	जालौर	3430
15)	झालावाड़	4761
16)	झुंझुनू	22858
17)	जोधपुर	20280
18)	कोटा	24376
19)	नागौर	10864
20)	पाली	7884
21)	सवाई माधोपुर	10937
22)	सीकर	8747
23)	सिरोही	4125
24)	श्री गंगानगर	12977
25)	टौंक	6621
26)	उदयपुर	35644

क्र. सं	जिलों के नाम	कुल आशार्थी
27)	व्यावसायिक एवं प्रशासनिक नियोजन कार्यालय, जयपुर	(डाक्टर, इन्जीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट (Proffe Sianal & Exebutries) 9814
28)	विशेष नियोजन कार्यालय, जयपुर (विकलांग)	539
	कुल योग:—	3,61,710
29)	विश्वविद्यालय, जयपुर	219
30)	विश्वविद्यालय, जोधपुर	240
31)	विश्वविद्यालय, उदयपुर	419

जिला बांसवाड़ा की विद्युतीकरण योजनाएं

410. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा में कृषकों, उद्यमियों को विद्युत कनेक्शन देने की रोक लगायी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य विद्युत मण्डल के नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को आपत्ति के लिए अवसर दिया जाता है ? यदि हां, तो कनेक्शन काटने का एकाधिकार मण्डल के पास क्यों है ? यदि नहीं है, तो कौन से नियम लागू किये जायेंगे ?

(3) जिला बांसवाड़ा में विद्युतीकरण की योजना कहां-कहां कब स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो स्वीकृत योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

(4) बांसवाड़ा में हाइड्रोइलेक्ट्रिक योजना की क्या प्रगति है ? उस पर कितना धन व्यय हुआ है ? उसे कब तक पूरा किया जायगा ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में कृषकों और उद्यमियों को कनेक्शन देने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। केवल टीकरिया 33 के. वी. उप चौकी पर क्षमता से अधिक विद्युत भार हो जाने के कारण अस्थाई रूप से उक्त उप चौकी से फीड होने वाले ग्रामों में कृषि एवं औद्योगिक कनेक्शन नहीं दिये जा रहे है।

(2) जी हां, विद्युत मण्डल को कनेक्शन काटने के अधिकार इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त हैं।

(3) बांसवाड़ा जिले में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का विवरण, उनकी स्वीकृति का वर्ष व योजनाओं का कार्यकाल निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	योजना का कार्यकाल
1/	बागीडोरा, गढ़ी घोटाल और बांसवाड़ा तहसीलें	1972-73	3
2/	सज्जनगढ़ पंचायत समिति	1973-74	2
3/	घाटोल-पीपलखूंट पंचायत समिति	1974-75	5
4/	कुशलगढ़ पंचायत समिति	1974-75	5
5/	भूखिया पंचायत समिति	1979-80	5
6/	पीपलखूंट पंचायत समिति	1979-80	5
7/	सज्जनगढ़ पंचायत समिति	1979-80	5
8/	बांसवाड़ा-सूखा संभावित कार्यक्रम	1980-81	7

4. माही वजाज सागर हाइड्रो, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बांसवाड़ा पर कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना पर दिसम्बर, 80 तक कुल 7.58 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। पावर हाउस प्रथम की प्रथम इकाई दिसम्बर, 83 एवं द्वितीय इकाई मार्च, 84 तक चालू करने का लक्ष्य है तथा पावर हाउस द्वितीय की प्रथम इकाई दिसम्बर, 84 में तथा द्वितीय इकाई मार्च, 85 में चालू होने का लक्ष्य है।

यूनिसेफ के सहयोग से प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीनीकरण

411. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के नवीनीकरण की योजना कब प्रारम्भ की ?

(2) योजना की क्या रूप रेखा है व इसमें अब तक क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

(1) यह योजना सत्र 1976 से प्रारम्भ की गई थी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम को पिछड़े आदिवासी पहाड़ी, रेगिस्तानी क्षेत्रों की आवश्यकता व आकांक्षाओं के लिए अधिक अनुकूल बनाया जायगा ताकि शिक्षा के

(शिक्षा मन्त्री)

लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन सके एवं शिक्षा समाज के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके। इस नवीन पाठ्यक्रम से जहां शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या कम होगी वहीं समाज भी अपने बालकों को अधिक संख्या में विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम समाज की अपनी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं पर आधारित होगा। वस्तुतः इस पाठ्यक्रम को लागू करने से विद्यालय, समुदाय की गतिविधियों का केन्द्र बन कर उसके हित सम्पादन का महत्वपूर्ण साधन बन जायगा।

प्रयोजना के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई एवं इस सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक का नवीन पाठ्यक्रम तैयार किया गया वह इस नये पाठ्यक्रम के आधार पर बांसवाड़ा, भीलवाड़ा एवं जोधपुर के दस—दस प्राथमिक विद्यालयों में यह पाठ्यक्रम अब तक लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु अध्यापकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया गया है एवं इस योजना के फलस्वरूप चयनित विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि हुई है एवं सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ने की प्रवृति में भी कमी आई है।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रभावित होकर राज्य सरकार इस योजना को तीन जिलों के स्थान पर अब छः जिलों में संचालित करेगा। नये चयनित जिले अलवर, कोटा व नागौर हैं। योजना से लाभान्वित विद्यालयों की कुल संख्या भी 30 से बढ़ा कर 130 कर दी गई है।

तहसील टोडाभीम एवं नादौती के लिये भू—जल योजना

412. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या भू-जल विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अदिवासी बहुल टोडाभीम एवं नादौती तहसीलों (सवाई-माधोपुर) में जहां के आदिवासियों का कृषि ही एक मात्र जीविकोपार्जन का माध्यम है, सिंचाई हेतु नलकूप लगाने की योजना बनाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर का पुनः सर्वेक्षण करावेगी जिससे बदली हुई मानसून परिस्थितियों में भू-जल का सही भान हो सके ? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1978–79 में पंचायत समिति टोडाभीम का पुनः सर्वेक्षण कराया गया था जिसके आधार पर यह पाया गया कि वहां भू-जल का विकास भू-जल रिचार्ज की अपेक्षा अधिक है जिससे कुओं के जल स्तर में गिरावट आ रही है। इन परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र के लिए नलकूप योजना बनाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार नादौती क्षेत्र में

(भूजल मन्त्री)

सर्वेक्षण के आधार पर इस क्षेत्र को नलकूप बनाने के उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः नलकूप बनाने की योजना नहीं बनाई गई।

(2) वर्तमान में सरकार के समक्ष इस जिले का पुनः सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सवाई-माधोपुर जिले का अर्द्ध-विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण किया जा चुका है एवं उसके बाद इस जिले में बनास बेसिन में आने वाले क्षेत्रों का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण किया जा रहा है।

आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास की योजना

413 श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रदेश में कितने जिले आते हैं? इनके छांटने का क्या माप दण्ड अपनाया गया है?

(2) इनके विकास के लिए सरकार के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) योजना आयोग द्वारा 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है। इस हेतु योजना आयोग के निर्देशानुसार निम्नलिखित 6 माप दण्ड अपनाये गये थे:—

1) प्रमुख फसलों का प्रति व्यक्ति (ग्रामीण जनसंख्या) उत्पादन मूल्य

2) प्रति 1000 श्रमिकों में गैर कृषि श्रमिकों की संख्या

3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन मूल्य (ग्रोस)

4) प्रति एक लाख की जन संख्या में फैक्ट्री श्रमिकों की संख्या

5) बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग

6) प्रति एक लाख की जनसंख्या के लिए उपलब्ध सड़कों की लम्बाई

(2) औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उद्योग विभाग द्वारा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिला चित्तौड़गढ़ की लघु एवं माध्यम सिंचाई योजनाएं

414. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की कितनी लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का कार्य कब से चल रहा है और अब तक इन योजनाओं पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(2) इन सिंचाई योजनाओं को पूरा होने पर कितनी कृषि भूमि सिंचित होगी? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज

(श्री नन्दलाल मीणा)

पर रखें।

(3) वर्ष 1980 के पश्चात किस सिंचाई योजना को हाथ में लिया गया है और कितनी लघु सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में 11 लघु सिंचाई योजनाओं व 3 मध्यम सिंचाई योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं पर अब तक क्रमशः 512.15 लाख एवं 352.80 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। सूची संलग्न है।

(2) तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 11425 हैक्टेयर्स व 11 लघु सिंचाई योजनाओं से 5188 हैक्टेयर्स कृषि भूमि सिंचित होगी। तहसीलवार विवरण संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(3) वर्ष 1980–81 में दो लघु सिंचाई योजनायें तलैया(प्रतापगढ़) व जीतावल (चित्तौड़गढ़) शुरू की गई हैं। सोमी (कपासन)रामपुरिया)(कपासन) एवं ओरिया (प्रतापगढ़) योजानए सरकार के विचाराधीन हैं।

"सूची—क"

(जिला चित्तौड़गढ़ में लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रगति एवं खर्च का विवरण)

कृ० सं०	नाम योजना	तहसील	आरम्भ होने का वर्ष	अनुमानित लागत लाखों में	अब तक का खर्चा लाखों में	योजना के पूर्ण होने पर सिंचित भूमि (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
मध्यम :						
1.	बस्सी परियोजना	मगरार	1979—80	233.81	19.30	2177
2.	गम्भीरी मोडर्नाइजेशन योजना	निम्बाहेड़ा	1978—79	345.40	59.50	3846
3.	वागन सिंचाई परियोजना	डुंगला	दिसम्बर 1977	550.00	274.00	5402
				1129.21	352.80	11425
लघु :						
1.	माडिया महादेव	चित्तौड़गढ़	1970—71	39.94	43.10	334
2.	लुहारिया	भदेसर	1979—80	46.80	24.90	404
3.	बरखेड़ी	चित्तौड़गढ़	79—80	20.27	9.00	175

"सूची—क"

1	2	3	4	5	6	7
4.	अरनिया	कपासन	1978—79	15.91	7.80	280
5.	बनाकिया	चित्तौड़गढ़	1978—79	60.26	20.70	707
6.	गाडोला	प्रतापगढ़	1978—79	13.33	11.10	320
7.	कालादेह	बेगूं	1978—79	18.05	8.30	171
8.	भूपालसागर फीडर	कपासन	1966—	110.93	33.10	2104
9:	देवलिया	माण्डलगढ़	1979—80	16.58	8.00	150
10.	चितांबल	चित्तौड़गढ़	1980—81	48-51	1-35	401
11.	तलैया	प्रतापगढ़	1980—81	22-30	——	142
				412-88	159-33	5188
			कुल योग :—	1542,09	512,15	16613

अजमेर नगर के बाजारों को देर तक खुले रखने की छूट देना

415–श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विश्व भर में अजमेर की दरगाह शरीफ एवं पुष्कर तीर्थ का विशेष महत्व है ? यदि हां तो सरकार द्वारा विशेष तीर्थ स्थल होने के नाते इन स्थानों पर कौनसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विशेष तीर्थ स्थल, यथा हरिद्वार, नासिक, वाराणसी आदि नगरों में शाप एक्ट लागू नहीं है ? यदि हां, तो अजमेर को शाप एक्ट से मुक्त क्यों नहीं किया जाता ?

(3) क्या यह सही है कि दरगाह शरीफ एवं पुष्कर तीर्थ में 24 घण्टे यात्री आते जाते रहते हैं ? यदि हां, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिये अधिक समय बाजारों के न खुलने से सभी यात्री परेशानी अनुभव करते हैं ? यदि हां, तो शाप एक्ट से छूट अजमेर नगर को कब दिलायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर एवं पुष्कर दोनों ही स्थानों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक आवास गृह तथा अजमेर में एक पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित किया हुआ है।

(2) इस प्रकार की राजस्थान के बाहर की कोई सूचना इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। अजमेर को एक्ट से मुक्त करना श्रमिकों के हित में नहीं है।

(3) यात्रियों की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली दुकानों तथा होटलों, ढाबों, चाय, औषधियों आदि की दुकानों को समय की पाबन्दी से मुक्त किया हुआ है।

लोकायुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर कार्यवाही

416. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लोकायुक्त का गठन कब हुआ था ? गठन की तारीख से अब तक कितनी रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं तथा सदन की मेज पर रखी गई हैं ?

(2) इन रिपोर्ट्स पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) लोकायुक्त का गठन 1973 में हुआ था। अब तक कुल 6 रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं जिनमें से प्रथम चार रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखी जा चुकी हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन रिपोर्ट्स में दिये गए सुझावों का परीक्षण कर समय-समय पर उचित कार्यवाही की गई है जिसका उल्लेख इन रिपोर्ट्स के साथ संलग्न स्पष्टीकारक ज्ञापनों में किया हुआ है।

जमवा रामगढ़ क्षेत्र की खानें

417. श्री भैरूं लाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत दो वर्षों में जमवा रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कौन-कौन सी

(श्री भैरूंलाला भारद्वाज)

खानों का उत्खनन हो रहा है ?

(2) क्या इन खानों पर मजदूरों के लिए पेयजल, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, श्रम कल्याण केन्द्र आदि की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र की समस्त खानों के उत्खनन के पट्टे इसी क्षेत्र के ग्राम वासियों, भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जाति, जन जाति के बेरोजगारों के नाम आवण्टित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या इस क्षेत्र की खानों के लिए एप्रोच रोड बना दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक सड़क निर्माण करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में जमवा रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में संलग्न सूची के अनुसार 72 खनन पट्टों पर उत्खनन हो रहा है।

(2) जी हां, खानों में कार्यरत मजदूरों के लिए पट्टाधारी द्वारा पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है। केन्द्रीय श्रम विभाग द्वारा इन खानों के समीप ग्राम-स्थल के निकट एक आयुर्वेदिक औषधालय चालू है, इसके अतिरिक्त जमवा रामगढ़ में राजकीय डिस्पेन्सरी भी उपलब्ध है। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा हेतु ग्राम-रायपुर में प्राथमिक स्कूल, ग्राम-रानीजी का खवा में माध्यमिक स्कूल चल रहा है, जहां श्रमिकों के बच्चों की समुचित शिक्षा की व्यवस्था है। खानों की सुरक्षा का कार्य भी पट्टाधारी द्वारा कराया जाता है एवं उसका नियंत्रण भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किया जाता है।

(3) जी नहीं, खनिज सम्बन्धित रियायत देने का कार्य माइन्स एण्ड मिनरल रेगुलेशन एक्ट के तहत किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रधान खनिज के खननपट्टे देने हेतु ग्रामवासियों, भूमिहीनों आदि को ही प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रधान खनिजों के विकास के लिये तकनीकी ज्ञान व अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, इसलिये खननपट्टों का आवंटन गुणों के आधार पर किया जाता है। अप्रधान खनिजों के खननपट्टों का आवंटन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 के अन्तर्गत किया जाता है परन्तु इसमें क्षेत्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। अप्रधान खनिजों में खनिज बजरी, कंकर, मोरम, चुनाई पत्थर के खनन पट्टे खानों में काम करने वाले मजदूरों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व भूमिहीनों को आवंटित करने का प्रावधान है।

(4) जमवा रामगढ़ तहसील के नकची की घाटी से नायला वाया झारूड़ा, पालरी, सरजोली करीब ग्यारह किलोमीटर लम्बाई की एप्रोच रोड निर्माणाधीन है, जिस पर मार्च, 1980 तक 7,98,542 रुपया व्यय हो चुका है एवं वित्त वर्ष 1980-81 में 1 80,000 रुपया व्यय करने का प्रावधान है। इस सड़क के निर्माण से सिलिका सैण्ड व लाइम स्टोन के खनिजों के आवागमन में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त रायपुर लाइम स्टोन क्षेत्र की खान के लिए पहले से ही सड़कें विद्यमान है तथा डगोता, रायसाला खान क्षेत्रों में भी सड़क विद्यमान है।

सूची

अमेवा रामगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत अप्रधान खनिज के खनन पट्टों की सूची

क.सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	ग्राम	एरियां	पट्टे की अवधि
1.	श्री दाऊदयाल शर्मा	चूना पत्थर	रायावाला	500'×500'	28.3.78 से 10 वर्ष
2.	श्री शिवकुमार	,,	रायपुर	29989.20 व. मी.	30.1.78 से ,,
3.	महावीर कुमार गंगवाल	,,	गोरेट	500'×500'	16.4.78 से ,,
4-	शिव कुमार अग्रवाल	,,	रायपुर	200'×200'	14.6.78 से ,,
5.	कृष्ण कुमार शर्मा	,,	,,	23226.14 व. मी.	25.5.78 से ,,
6.	ज्ञानचन्द गंगवाल	,,	गोरेट	500'×500'	5.6.78 से ,,
7.	जानीमल सिन्धी	,,	पालड़ीखुर्द	152-4×152-4 व.मी.	20.11.78 से ,,
8.	रेवाचन्द सिन्धी	,,	,,	167-64×152-4 व.मी.	3.10.77 से ,,
9.	नारायणी दास सिन्धी	,,	रायावाला	500'×500' व.मी.	20.8.77 से ,,
10.	राष्ट्रीय पाषाण एवं खनिज उद्योग	,,	ढानीवाड़ा	153'×153' व.मी.	2.7.75 से 5 वर्ष
11.	लक्ष्मी नारायण गुप्ता	,,	बरखेड़ा	152-5×152-5' व.मी.	24.3.79 से 10 वर्ष
12.	श्रीमती श्रीदेवी शर्मा	,,	ढानीवाड़ा	450×555-5"	14.3.77 से ,,

261

क.सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	ग्राम	एरिया	पट्टे की अवधि
13.	श्री रामराय शर्मा	चूना पत्थर	बरखेड़ा	153' × 153'	25.2.76 से 5 वर्ष
14.	आनन्द कुमार शर्मा	,,	रायवाला	155 × 160'	26.2.77 से 10 वर्ष
15.	गोकुलनारायण आदित्यनारायण	,,	रायपुर	1320' × 1320'	1.4.77 से ,,
16.	सत्येन्द्र कुमार जैन	,,	गोरेटरायपुर	152-4'×152-4'	6.6.77 से ,,
17.	,,	,,	गोरेट पालड़ी	,,	9.1.79 से ,,
18.	सत्य नारायण मोदी	,,	सरजोली	2000' × 800'	4.4.79 से ,,
19.	अपूर्वकुमार शर्मा	,,	पालडो	500' × 500'	28.9.79 से ,,
20.	श्रीमती सुमनलता पारीक	,,	जारुडा	1000' × 300'	25.10.79 से ,,
21.	श्री आनन्द कुमार शर्मा	,,	खरड़	180×170 फीट	13.5.80 से ,,
52.	,,	,,	भाखडा	1000'×250'	23.2.80 से ,,
23.	प्रेम प्रकास गुप्ता	,,	बरखेड़ा	153'×153'	20.7.79 से ,,
24.	राजस्थान खनिज एजेन्सी	,,	ढानकोटडा	152-4'×243-84'	.85.80 से ,,
25.	दूलाराम माली	,,	,,	152-5' × 152-5'	,, ,,
26.	श्री मोहनलाल शर्मा	,,	खारड	,,	4.8.75 से ,,
27.	गप्पू लाल मोदी	,,	फतेहपुर	210'×152'-5	15.7.76 से ,,
28.	रामकिशोर गुप्ता	,,	रायावाला	500'×500'	13.10.77 से 10 वर्ष
29.	दामोदर विजय	,,	रायपुर	400'×200'	18.11.74 से 5 वर्ष
30.	अनिलकुमार पारीक	,,	,,	243-80'×141-45	13.5.78 से ,,
31.	गूंगासिंह	,,	गोरेट	500'×500	2.2.72 से ,,

क.सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	ग्राम	ऐरिया	पट्टे की अवधि
32.	मोहनलाल अग्रवाल	चूना पत्थर	गोरेट	29225-82 व.मी	26.3.75 से 5 वर्ष
33.	श्रीराम शर्मा	,,	खरड़	152-5×152-2	1.8.75 से ,,
34.	श्री कन्हैया लाल शर्मा	,,	,,	,,	16.8.77 से 10 वर्ष
35.	श्री नारायण लाल शर्मा	,,	खानकोटड़ा	152-4×152-4	30.7.80 से ,,
36.	जयपुर लाइम स्टोन कं.	,,	पासलवास	191 × 45 है.	4.10.78 से ,,
37.	श्री प्रकाश चन्द जैन	संगमरमर	घाटी	304-73×91-41	20.9.77 से ,,
38.	श्रीमती बीरवाला पुरोहित	,,	रायसाला	90×50 व.मी.	15 2.78 से ,,
39.	श्री परमानन्द पवार	,,	,,	500'×500'	2.3.79 से ,,
40.	श्री प्रकाशचन्द जैन	,,	राम गोपालपुर	60×50 व.मी.	20.8.78 से ,,
41.	श्री महावीर सिंह कसाना	,,	रामसोला	500×500'	24.12.79 से ,,
42.	मै. मिनरल एण्ड मैटल उद्योग	,,	गोपालपुरा	757×340'	26.8.77 से ,,
43.	श्री गुलाबचन्द शर्मा	,,	,,	170×152-4 व.मी.	21.8.80 से ,,
44.	श्री प्रकाश चन्द जैन	पट्टी कातला	नोमला	राजस्व सीमा	29 5.77 से ,,
45.	गोरन्द देव गुप्ता	चेजापत्थर	सुराना	150×150'.	27.11.80 से ,,
46.	बाबू लाल	,,	,,	150×150'	20.1.81 से ,,
47.	श्री छीतरमल वारी	,,	,,	5444 व. मी.	28.6.80 से ,,
48.	श्री कं.ट ाश चन्द शर्मा	,,	,,	100×50	18.2.80 से ,,

263

264

जमवा रामगढ़ के अन्तर्गत प्रधान खनिज के पट्टों की सूची

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	ग्राम	एरिया	पट्टे की अवधि
1.	श्री जगनान्थ शीशावाला	सिलीकासैण्ड	पालडी	32-37 हैक्टेदर्स	26.7.66 से 20 वर्ष
2.	कैलाश कुमार पारीक	,,	घूला	32-37 ,,	21.10.70 से ,,
3.	ब्रजेन्द्र मिनरल्स	,,	घूला	251-51 ,,	16.5.74 से ,,
4.	सत्यदेव पारीक	,,	मानोता	23-37 ,,	18.2.63 से ,,
5.	श्री बी. एन. पारीक	,,	,,	78-66 ,,	22.2.70 से ,,
6.	श्री ,,	,,	बुज	207-205 ,,	27.11.73 से ,,
7.	श्रीमती बीरवाला पुरोहित	आयरन ओर	रायावाल	207-305 ,,	5.5.77 से ,,
8.	श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल	सोपस्टोन	कलचपुरी	60-43 ,,	7.8.67 से ,,
9.	श्री हनुमान सहाय गुप्ता	डोलोमाइट	,,	339-13 ,,	7.8.77 से ,,
10.	श्री अशोक मिनरल्स	,,	,,	17-96 ,,	5.10.67 से ,,
11.	मै. जे. एम. डी. एस. प्रा. लि.	सोपस्टोन	डगोधा	8-96 व.मील ,	20.5.61 से ,,
12.	राजस्थान खनिज एजेन्सी	डोलोमाइट सोपस्टोन	रायाबाला	172-62 हैक्टेयर्स	23.7.70 से ,,
13.	जे. एम. डी. एस. प्रा. लि.	डोलोमाइट	डगोधा	480 एकड़	30.5.52 से ,,

क.सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	ग्राम	एरिया		पट्टे की अवधि
14.	श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल	डोलोमाइट	सानकोटडा	509-6	एकड़	19.1.62 से 20 वर्ष
15.	श्री गोकुल नारायण पारीक	,,	रायसोला	312-95	हैक्टेयर्स	5.4.72 से ,,
16.	श्री प्रकाश चन्द जैन	आयरन ओर	नेताला	267-26	,,	17.5.74 से ,,
17.	श्री कुंज बिहारी लाल स्वर्णकार	ऐमेथिस्ट	बिलुची	41-44	,,	28.7.78 से ,,
18.	श्री आर. के. माहेश्वरी	सिलीकासैण्ड	पालडी	216.32	,,	4.2.80 से ,,
19.	श्री विनयचन्द श्रीमाल	सोपस्टोन	नैवर	99-87	,,	9.5.80 से ,,
20.	श्री राम लाल गुप्ता	सिलीकासैण्ड	पालड़ी			
21.	श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल	सोपस्टोन	पीलवा	142-2	एकड़	26.2.61 से ,,
22.	श्री कैलाश अग्रवाल	,,	आमलोदा	258-15	है.	16.8.76 से ,,
23.	श्री अजय कुमार अग्रवाल	,,		206-93	,,	11.10.77 से ,,
24.	,,	,,	सिकड़ी	36-29	,,	26-4-74 से ,,

जमवा रामगढ़ क्षेत्र के कुल स्वीकृत खनन पट्टों की सूची

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनिज अभियन्ता, जयपुर

क्र.सं.	खनिज का नाम	स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या	खण्डित/अध्यापित खनन पट्टों की संख्या	वर्तमान में चालू खनन पट्टों की संख्या
1	2	3	4	5
1	चूना पत्थर	41	5	36
2	मारबल	12	4	8
3	पट्टीकातला व चेजापत्थर	4	—	4
4	सिलीकासैण्ड	8	—	8
5	सोपस्टोन	15	—	15
	डोलोमाइट			
	आयरन ओर			
6	ऐमथिट	1	—	1
योग :—		81	9	72

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के बहुमूल्य गणक यंत्र

418. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) क्या यह सही है कि बहुमूल्य गणक यंत्र आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय में एक लम्बे अर्से से बेकार पड़े हैं ?

(2) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा निदेशक ने उनकी मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ गणक यन्त्र ठीक करवाने हेतु लगभग 14 साल पूर्व दिल्ली भिजवाये गये थे ?

(4) यदि हां, तो उस कम्पनी का क्या नाम था ? अभी तक भी वापस यंत्र क्यों नहीं आये एवं इसमें लापरवाही बरतने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया ? सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) निदेशालय में कुल 150 गणक यंत्र कीमत रुपये 234968/ (केलकूलेटिंग मशीन) अलग अलग किस्म (मेक) के हैं। जिनमें से 117 यंत्र चालू स्थिति में हैं। 21 गणक यंत्र कीमत रुपये 31980/ बहुत पुराने माडल के हैं, जो ठीक नहीं हो सकते हैं तथा 12 गणक यंत्र की कीमत रुपये 7963) ठीक होने के लिए दिल्ली भेजे गए थे जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए।

(3) जी हां। कम्पनी का नाम मै० राज एण्ड शर्मा प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली है।

(4) मै० राज एण्ड शर्मा प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को 12 गणक यन्त्र मरम्मत हेतु भेजे गये थे। कम्पनी द्वारा वापस न भेजने पर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट दिल्ली में दावा दायर किया गया था, जिसका फैसला राज्य पक्ष में हो चुका है। इस मामले में किसी भी राज्य कर्मचारी की लापरवाही नहीं है। अतः उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दोषी कम्पनी से डिस्ट्रिक्ट जज दिल्ली के फैसले के अन्तर्गत जारी की गई डिक्री के अनुसार वसूली की कार्यवाही जारी है।

ग्राम पंचायत सेवा (दूदू) के उप सरपंच

419. श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) क्या यह सही है कि दूदू की ग्राम पंचायत सेवा के उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए उप जिला विकास अधिकारी द्वारा 28 फरवरी, 1981 तिथि निश्चित की गई थी ?

268

(श्री सी. एल. कंवरिया)

(2) क्या राज्यादेश के विपरीत उपरोक्त अधिकारी ने तहसीलदार दूदू को जो उक्त बैठक की अध्यक्षता के लिए नियुक्त थे यह लिखित आदेश दिये थे कि उक्त बैठक में सहवृत्त सदस्य भाग नहीं ले सकते ?

(3) क्या उपरोक्त अधिकारी ने पंचों एवं सहवृत्त सदस्यों को उक्त बैठक के नोटिस जारी किये थे ? यदि हां, तो तामील किस तारीख को हुए ?

(4) क्या दिनांक 28 फरवरी, 1981 को वक्त मीटिंग उक्त अधिकारी ने तार द्वारा उक्त मीटिंग स्थगित करने के आदेश तहसीलदार दूदू को भेजे ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 19 (2) के अनुसार सहयोगी (Associated) सदस्यों को छोड़कर अन्य सहवृत्त (Coopted) तथा निर्वाचित सदस्य मतदान में भाग ले सकते हैं परन्तु राजस्थान पंचायत वृहत्त कोड 1980 जो हिन्दी में प्रकाशित हुआ है और प्राइवेट पब्लिकेशन है, उसमें उप सरपंच के विरुद्ध प्रस्ताव पंचायत के सदस्यों जिनमें सरपंच सम्मिलित हैं, परन्तु सहवृत्त पंच तथा पंचायत के सहयोगी सदस्य सम्मिलित नहीं हैं, की कुल संख्या के बहुमत द्वारा स्वीकृति हो जाय तो सरपंच या उप सरपंच जैसी भी स्थिति हो उस प्रस्ताव के पास होने के 3 दिन के भीतर पंचायतों के प्रभारी अधिकारी को अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करके अपना पद त्याग कर देगा।

इसी राजस्थान पंचायत वृहत्त कोड 1980 के आधार पर उप जिला विकास, अधिकारी, जयपुर द्वारा तहसीलदार दूदू को आदेश दिये गये थे।

(3) जी हां। बैठक के नोटिस जारी किए गए थे जिसमें उप सरपंच श्री पन्नेसिंह के नोटिस की तालीम नहीं हुई और सबकी तामील दिनांक : 21-2-81 को कराई गई।

(4) दि0 28-2-81 को तार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। तहसीलदार दूदू (मौजमाबाद) से दूरभाष पर जानकारी मिली कि उप सरपंच श्री पन्नेसिंह के नोटिस की तामील नहीं हुई है। जिससे बैठक स्थगित की गई।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 390 की सूचना

परिशिष्ट अ

विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति को दिसम्बर, 80 तक आवंटन की सूची

क्र0 सं0	शहर का नाम	जनता	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	कुल योग
1—	अजमेर	75	32	4	2	—	113
2—	अलवर	10	4	—	—	—	14
3—	बीकानेर	44	16	7	1	—	68
4—	भीलवाडा	9	2	—	—	—	11
5—	चित्तौडगढ़	—	5	2	—	—	7
6—	जयपुर	47	34	65	18	7	171
7—	जोधपुर	179	51	3	4	—	237
8—	कोटा	15	87	67	24	—	193
9—	पाली	8	6	—	—	—	14
10—	उदयपुर	89	6	6	2	—	103
	योग	476	243	154	51	7	931

270

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न सं. 398 की सूची

प्रदेश में उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं के विवरण की सूची

(1) प्रदेश में अधिक उद्योग लगाने हेतु उद्योगपतियों को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से गत वर्ष राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 5 ग में अधिसूचित उद्योगों को उनकी स्थापना से 5 वर्ष की अवधि तक बिना कर चुकाये कच्चा माल क्रय करने की सुविधा को बढ़ाया गया है। यह सुविधा दिनांक 31.3.84 तक स्थापित होने वाले अधिसूचित उद्योगों के के लिए रहेगी।

(2) पुराने उद्योगों को भी धारा 5ग के अधीन विदेश में निर्यात के क्रम में विक्रयार्थ माल के विनिर्माण में उपयोगार्थ कच्चा माल एक प्रतिशत की नाम मात्र का विक्रय कर चुका कर क्रय करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(3) एक अप्रेल, 1979 से 31-3-84 तक की अवधि में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को विनिर्माण में उपयोगार्थ विद्युत उर्जा के उपभोग पर विद्युत ऊर्जा शुल्क का उद्योग प्रारम्भ करने से पांच वर्ष तक परिहार का लाभ दिया गया है।

(4) एक अप्रेल 1979 से 31 मार्च। 1984 तक की अवधि में कन्स्ट्रक्शन हेतु पावर लेने वाले उद्योगों को पावर रिबेट दी गई है।

(5) स्थाई बिजली कनेक्शन दिये जाने की तिथि से लघु व मध्यम उद्योगों से 6 माह तक वास्तविक बिजली उपभोग का व्यय ही लिया जावेगा।

(6) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को उन्हें लघुतम उद्योग लगाने पर 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत अनुदान 6 चयनित जिलों को छोड़कर दिया जावेगा। परन्तु अब अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों द्वारा राज्य के अलवर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू, नागौर व भीलवाड़ा जिलों में लघुतम उद्योग स्थापित किये जाने पर उनके स्थाई पूंजी विनियोजन पर 15 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

(7) राज्य में अनुसूचित जाति/जन जाति के उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा विकास शुल्क की दर में 50 प्रतिशत की रियायत जाती हेदी ।

परिशिष्ठ—6

(अतारांकित प्रश्न सं. 399 की सूची)

फालना संचालन इकाई से परिवहन निगम की आवागमन होने वाली वाहन सेवाओं की सूची

फालना संचालन इकाई द्वारा संचालित

क्र०सं०	मार्ग का नाम	संचालित वाहन सेवाओं की संख्या
1.	फालना—देसूरी	2
2.	फालना—जालोर	2
3.	देसूरी—नाकोड़ा	2
4.	देसूरी—जोधपुर	1
5.	फालना—सायरा—नाकोड़ा	2
6.	फालना—बाली	1
7.	भीनमाल—फालना	1
8.	सादड़ी—फालना	2
9.	केलवाड़ा—फालना	1
10.	सोजत—फालना	1

फालना होकर अन्य आगारों की संचालित वाहन सेवायें:—

क्र०सं०	मार्ग का नाम	संचालित वाहन सेवाओं की संख्या	आगार का नाम
1.	उदयपुर—फालना	6	उदयपुर
2.	उदयपुर—सांडेराव	2	उदयपुर
3.	उदयपुर—शिवगंज	1	उदयपुर
4.	उदयपुर—जोधपुर	2	उदयपुर
5.	जालोर—नाकोड़ा	2	जालोर
6.	जालोर—रिखबदेव	2	जालोर
7.	जालोर—चित्तौड़गढ़	2	जालोर
8.	जालोर—फालना	1	जालोर
9.	सिरोही—उदयपुर	2	सिरोही
10.	आबूरोड—उदयपुर	4	आबूरोड
11.	भीलवाडा—आबूरोड	2	भीलवाडा
12.	जोधपुर—उदयपुर	2	जोधपुर
13.	बांसवाडा—जोधपुर	2	बांसवाडा
		45	

परिशिष्ठ—7

अतारांकित प्रश्न सं. 403 की सूची

जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों की सूची

सीकर जिले में कुल 33 सरपंचों के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना जांच चल रही है जिनका पंचायत समिति वाइज विवरण निम्न प्रकार है:—

पंचायत समिति पिपराली:—

1—	श्री सीताराम सरपंच, ग्र. पं. रुघनाथगढ़	अप्रेल 80 से
2—	श्री सवाईसिंह, सरपंच, ग्रा. पं. पलासरा	जून 80 से
3—	श्री रामदेव सिंह, सरपंच, ग्रा. पं. पलसाना	सितम्बर 80 से
	पंचायत समिति घोद:—	
4—	श्री तख्तसिंह, सरपंच, ग्रा. पं. बाडलवास	दिसम्बर 80
5—	श्री मुरलीधर, सरपंच, ग्रा. पं. नांगवा	जुलाई 80
6—	श्री गुमानाराम, सरपंच, ग्रा. पं. श्यामपुरा	मार्च 80
	पंचायत समिति दांतारामगढ़ :—	
7—	श्री शंकर लाल मीर, सरपंच, ग्रा. पं. जाना	अगस्त 79
8—	श्री नारायण लाल सरपंच, ग्रा. पं. गनोडा	फरवरी 80
9—	श्री गोविन्दराम, सरपंच, ग्रा. पं. सांगलिया	अप्रेल 80
	पंचायत समिति फतेहपुर:—	
10—	श्री रामगोपाल, सरपंच, ग्र. पं. बठोद	दिसम्बर 80
11—	श्री बिजेन्द्र सिंह, सरपंच, ग्रा. पं. रोसावा	अक्टूबर 80
12—	श्री पूर्णाराम, सरपंच, ग्रा. पं. राजास	दिसम्बर 80
	पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़:—	
13—	श्री भगवान सिंह, सरपंच, ग्रा. पं. बोडलासी	नवम्बर 80
	पंचायत समिति नीम का थाना:—	
14—	श्री छीतरमल, सरपंच ग्रा. पं. दीपावास	जून 80
15—	श्री बंशीधर शर्मा, सरपंच, ग्रा. पं. सांवलपुरा	तंवरान अगस्त 80 से
16—	श्री शंकर, सरपंच. ग्रा. पं. बिहारी पर	मई 80 से
17—	श्री विनोदी लाल, सरपंच, ग्रा. पं. चौपलाटा	दिसम्बर 80
18—	श्री छगन लाल, सरपंच, ग्रा. पं. पोथलपुर	अक्टूबर 80 से
19—	श्री हनुमान सिंह, सरपंच, ग्रा. पं. बल्लुपुरा	नवम्बर 80 से
	पंचायत समिति श्रीमाधोपुर:—	
20—	श्री बालुराम सैनी सरपंच ग्रा. पं. हांसपुर	फरवरी 80 से
21—	श्री हीरा सिंह, सरपंच, ग्रा. पं. नाथुसर नांगल	मई 80से

22— श्री अगर सिंह, सरपंच, ग्रा. पं. लिसाड़िया जून 80 से

पंचायत समिति खण्डेला:—

23— श्री नागर मल, सरपंच, ग्रा. पं. थोई दिसम्बर 79
24— श्री शंकर लाल, सरपंच, ग्रा. पं. मलिकपुर दिसम्बर 79
25— श्री श्याम लाल, सरपंच, ग्रा. पं. गोविन्दपुरा मार्च 80
26— श्री मालीराम सरपंच, ग्रा. पं. खोरोटी मई 80
27— श्री प्रेम सिंह, सरपंच, ग्रा. पं. हाथीदेह फरवरी 80
28— श्री छगन लाल, सरपंच, ग्रा. पं. झाडली मार्च 80
29— श्री शंकर लाल, सरपंच, ग्रा. प कल्याणपुरा अप्रेल 80
30— श्री गोमाराम, सरपंच, ग्रा. पं. जाजोद अप्रेल 80
31— श्री भगवाना राम, सरपंच ग्रा. पं. बावडी मई 80
32— श्री भोलूराम, सरपंच, ग्रा. पं. दूधवालों का बास मार्च 80
33— श्री रतन लाल, सरपंच, ग्रा. पं. ढाणी गुमानसिंह अप्रेल 80

सूची उन मामलों की जिन पर राज्य स्तर पर कार्यवाही चल रही है

क्र०सं०	नाम सरपंच	पंचायत का नाम	प्राप्त होने की तिथि
1—	श्री सवाई सिंह	पलासरा	17.4.80
2—	,, सीताराम	रुघनाथगढ़	26.4.80
3—	,, भगवान दत्त	रेवासा	14.3.80
4—	,, गणेशाराम	कुमासजमीर	21.3.80
5—	,, रामबक्सराम	सिंगोदड़ा	17.5.80
6—	,, भीनराजकलां	घोंद	3.7.80
7—	,, मोहनदास	साल्यावास	16.4.80
8—	,, रामदयाल	मुण्डरू	12.4.80
9—	,, हरीसिंह	सांगोठ	16.1.80
10—	,, हनुमानसिंह	अलोदा	3.2.81
11—	,, बाबूलाल	अजीतगढ़	6.3.80
12—	,, बीदूराम	खंण्डेलसर	23.4.80

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न सं० 404 की सूची

सूची बाबत वाहन जो वसूली हेतु प्रयोग में लाये गये।

क्र०सं०	गाडी संख्या	विभागीय/किराया	किराया	डीजल/पैट्रोल	मरम्मत अन्य	टोटल खर्च
1—	जीप 2337	योजनान्तर्गत	—	3579=08	9093=99	12673=07
2—	जीप 9750	बैंक	—	4680=38	8607=51	13287=89
3—	मोटर साइकिल 7922	बैंक	—	1091=50	1763=72	2855=22
4—	5101 डी०एच०डी०	किराया	457=34	201=45	—	658=79
5—	3492 आर०आर०के०	किराया	2400=00	509=92	—	2909=92
6—	2374 आर०जे०ई०	किराया	816=59	568=80	—	1385=39
7—	927 आर०जे०एच०	किराया	929=61	208=56	—	1138=17
8—	1974 आर०जे०एफ०	किराया	828=55	621=10	—	1449=65

उपरोक्तानुसार जो किराया एवं विभागीय वाहनों पर राशि खर्च की गई है उसमें ऋण वसूली के साथ साथ मौका निरीक्षण तथा नई पत्रावलियां बनाने हेतु कार्य में ली गई है।

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 405 की प्रति

प्रतिलिपि परिपत्र क्रमांक : शिविरा/भाग्र/22603/दिनांक 24-7-78 द्वारा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर वास्ते समस्त अधीनस्थ कार्यालय

भाषायी अल्प संख्यक संगठनों की अल्प भाषायी विद्यालयों के सम्बन्ध में प्राय: यह शिकायत रहती है कि उनके परिवीक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं है। उनकी मांग है कि इन विद्यालयों के परिवीक्षण का कार्य उसी भाषा विषय के जानकार अवर विद्यालय निरीक्षक/उप जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा जाए। किन्तु प्राय: यह देखा गया है कि विद्यालयों का वर्गीकरण परिवीक्षण की दृष्टि से क्षेत्रवार एवं स्तर वार है।

विभाग सिद्धान्ततः स्वीकार करता है कि किसी भी विद्यालम के परिवीक्षण की आवश्यकता की पूर्ति हो। इस दृष्टि से निर्देश दिये जाते हैं कि:—

(अ) निम्नलिखित जिलों में जहां ऐसे विद्यालयों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, परिवीक्षण की दृष्टि से उनके सम्मुख उल्लिखित भाषा भाषी अवर विद्यालय निरीक्षक को समायोजन द्वारा पद स्थापित किया जाए :—

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)

(1) जयपुर द्वितीय (2) टौंक (3) अजमेर (4) बीकानेर (5) नागौर (6) चूरू (7) झुंझुनू (8) उदयपुर (9) कोटा	उर्दू
(1) श्री गंगानगर	पंजाबी
(1) अजमेर (2) जोधपुर (3) जयपुर प्रथम (4) कोटा	सिन्धी

इस प्रकार जिला शिक्षाधिकारी (छात्र) कार्यालय, कोटा व अजमेर स्थित अवर विद्यालय निरीक्षकों में से एक उर्दू अल्प भाषायी विद्यालयों तथा एक सिन्धी भाषायी विद्यालयों तथा एक सिन्धी भाषायी विद्यालयों के लिए पृथक-पृथक से होंगे।

(आ) इन अवर विद्यालयों निरीक्षकों के परिवीक्षणाधीन शेष अल्प भाषा विद्यालय (छात्रा सहित) भी रखे जाएं तथा फिर भी यदि निर्धारित नार्म्स से कम

276.

ऐसे विद्यालयों की संख्या आती हो तो शेष सामान्य विद्यालय इनके परिवीक्षणाधीन रखे जाएं।

(इ) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) प्रथम में स्थित सिंधी भाषायी अवर विद्यालय निरीक्षक को जयपुर प्रथम व जयपुर द्वितीय (छात्रा विद्यालय सहित) के विद्यालयों के परिवीक्षण के लिए उत्तरदायी बनाया जाए, इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) द्वितीय में स्थित उर्दू भाषायी अवर विद्यालय निरीक्षक को जयपुर प्रथम व द्वितीय (छात्रा विद्यालय सहित) के विद्यालयों के परिवीक्षण के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।

(ई) ये अवर विद्यालय निरीक्षक अपना परिवीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)/संयुक्त निदेशक (छात्र) को प्रस्तुत करेंगे।

(उ) शेष जिलों में, जहां अल्प भाषायी विद्यालयों की संख्या बहुत कम है तथा भिन्न-भिन्न अल्प भाषायी विद्यालय हैं, वहां परिवीक्षण कार्य एक ही अवर विद्यालय निरीक्षक/उप जिला शिक्षा अधिकारी के जिम्मे रखे जाएं, ताकि अल्प भाषायी विद्यालयों की समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके।

कार्यालय, निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/भा0 अ0/22627/80/2 दिनांक 5-9-80

समस्त संयुक्त निदेशक (पुरुष/महिला)

समस्त उप निदेशक (पुरुष/महिला)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा)

सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।

विषय: – भाषायी अल्प संख्यकों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार से अल्प संख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु उनके पत्रांक: एफ 13 (56) शिक्षा-1/77 दिनांक 5-8-80 द्वारा निम्नांकित निर्देश प्राप्त हुए हैं, इन निर्देशों के अनुसार बिन्दुवार व्यवस्था की जाकर अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब भेजने का श्रम करें ताकि इस विषय में राज्य सरकार को तदनुसार अवगत किया जा सके।

277

(1) जिला शिक्षा अधिकारियों को अल्प भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने की जो सुविधा राज्य सरकार ने दे रखी है उसको शीघ्र क्रियान्वित किया जावे।

(2) जिस रजिस्टर में प्रवेश फार्म के अनुसार अभिभावकों की मांग दर्ज की जाती है उसको जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में मंगाकर यह निर्णय कर ले कि इस वर्ष उन्हें अल्प भाषाओं के विद्यालय कहां–कहां प्रारम्भ करने हैं एवं किन-किन विद्यालयों में अल्प भाषा विषय प्रारम्भ किया जाना है।

(3) जहां कहीं पूरे कार्यभार के अनुसार अतिरिक्त भाषा अध्यापकों की आवश्यकता हो वहां पहले रिक्त पदों के विरुद्ध भाषा अध्यापकों को भर्ती कर लिये जाए तथा इतने ही नये पद सृजन करवाने के लिये निदेशालय को लिख दें जिससे राज्य सरकार से सृजन करवाये जा सकें।

(4) अल्प भाषा पाठ्य पुस्तकों के लिए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल क्रमिक योजना के अनुसार सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद शीघ्र करवायें।

(5) परिवीक्षण के लिये आन्तरिक व्यवस्था इस प्रकार की जावे कि अल्प भाषाओं के विद्यालयों को देखने के लिये उपयुक्त एस. डी. आई. उपलब्ध हों।

(6) विशिष्ट भाषा अध्यापक वहां दिये जावें जहां सामान्य अध्यापकों में उस भाषा को पढ़ाने वाले अध्यापक उपलब्ध न हों।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार शीघ्र कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट तुरन्त भेजें।

एस० डी०/-
(श्रीमती स्वर्ण सूदन)
कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी
(भाषायी अल्पसंख्यक)
4—9—80

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 410 की सूची

अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. अजमेर में विविध प्रयोजन हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

क्र. सं.	माह का नाम	नवीन चाह के लिये	कुंआ गहरा के लिये	विद्युत डीजल पम्प सैट के लिये	पक्का धोरा	अमरूद	ट्रैक्टर
1-	जुलाई 80	2	2	1	—	—	—
2-	अगस्त 80	3	3	2	—	—	—
3-	सितम्बर 80	2	-	5	—	1	—
4-	अक्टूबर 80	-	1	8	1	—	—
5-	नवम्बर 80	3	3	10	1	—	—
6-	दिसम्बर 80	5	3	1	—	—	1
7-	जनवरी 81	8	6	11	—	—	—
8-	फरवरी 81	36	8	—	—	—	—
	योग:	59	26	38	2	1	1

कुल योग :- 127

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 414 की सूची का विवरण

फिजिबिलिटी प्रतिवेदन के अन्तर्गत जैतारण तहसील में प्रस्तावित ग्रामों की सूची का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	गांव का नाम
1)	हैण्ड पम्प योजना कोथारिया	1—कोथारिया
2)	,, पीपलिया	2—पीपलिया
3)	,, प्रतापपुरा	3—प्रतापपुरा
4)	,, खरियावास	4—खरियावास
5)	,, सिनला	5—सिनेला
6)	,, हुमावास खुर्द	6—हुमावास खुर्द
7)	,, जूजन्दा	7—जूजन्दा
8)	,, किकन्द्रा	8—किकन्द्रा
9)	,, तलकिया	9—तलकिया
10)	,, लतारिया	10—लतारिया
11)	,, पम्प एवं टैंक योजना सेवरिया	11—सेवरिया
12)	,, पम्प एवं टैंक घरनिया	12—घरनिया
13)	,, चावन्डिया	13—चावन्डिया
14)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जससानी-सांगावास	14—जोधावास
		15—जनसानी
		16—समोरितया
		17—सांगावास
15)	,, डोडगरमा बंकास	18—डांगरमा
		19—फालका
		20—पीपरा
		21—खारडी
		22—बंकास
		23—टोगरा
		24—अखीडी

280

क्र.सं.	योजना का नाम	गांव का नाम
16)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना रास–भूम्डालिया	25—गंगालिया
		26— लिखमानिया
		27—भूमलिया
		28 अमरपुरा
		29—बालूपुरा
		30—कोटमरदयालपुरा
		31—घनेरिया
		32—बासनी चैनपुरा
17)	,, विस्तार योजना अलारा	33—गयास
		34—खसानी
18)	,, विस्तार योजना निमाज जैतारण	35—फटाबर चक
		36—खारीखेटा
19)	,, —,,—बनूण्डा	37—खनान
		38—कन्जाखूडी

(281)

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 419 की सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग, सीकर (राजस्थान)

तृतीय वेतन शृंखला अध्यापकों की सूची जिनका राज्यादेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया है।

क्र.सं.	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	श्री भगवान सहाय	रा.उ.प्रा.वि. बाजोर	रा.उ.प्रा.वि. विक्रम सीकर
2.	,, उदयसिंह	,, कासली	,, विक्रम, सीकर
3.	,, कजोड़मल श. शा.	रा.मा.वि मावण्डा खुर्द	,, गोठडामुकरान
4.	,, हरदेवाराम श. शि.	रा.उ.प्रा.वि. गोठडामुकरान	रा.मा.वि. मावण्डा खुर्द
5.	,, गणपतसिंह स.अ.	,, ,,	रा.उ.मा.वि. दांता
6.	,, चन्द्राराम	,, ,,	रा.उ.प्रा.वि. झोरड़ूगा
7.	,, झाबरमल	,, ,,	,, हरदयालपुरा
8.	,, पन्नेसिंह	,, ,,	,, अमरपुरा
9.	,, बृजमोहन महरिया	रा.मा.वि. तारपुरा	,, गोठडामुकरान
10.	,, हनुमानसिंह स. अ.	रा.उ.प्रा.वि. कवरपुरा	,, लक्ष्मण का बास
11.	,, हरीसिंह	,, सेवा	,, सबूलपुरा
12.	,, श्रवणकुमार	रा.मा.वि. मावण्डा खुर्द	,, महरोजनपुरा
13.	,, रामसिंह शा. शि.	,, टोडादरोवा	रा.प्रा.वि. जेरठी दादियां
14.	,, महालसिंह	,, गारिण्डा	रा.उ.प्रा.वि. घस्सू
15.	,, सुखलालसिंह	,, रघुनाथगढ़	,, पलथाना
16.	,, सुरजनसिंह	रा.उ.प्रा.वि. मण्डावरा	,, पलथाना
17.	,, गणेशराम	,, पलथाना	रा.मा.वि. चडोली खाकोली
18.	,, रामेश्वरसिंह	,, भैरूपुरा	रा.प्रा.वि. वार्ड नम्बर 17 सीकर

1 2	3	4
19 श्री रामसिंह	रा.प्रा.वि. वार्ड नं. 17 सीकर	रा.उ.प्रा.वि. नृसिंहपुरी
20 ,, रामदेव	रा.उ.प्रा.वि. हरदयालपुरा	,, भैरूपुरा
21 ,, सरदारसिंह	,, भैरूपुरा	रा.मा.वि. पचार
22. , गुलालराम	,, हर्ष	रा.उ प्रा.वि. हरदयाल-पुरा
23. ,, भीमसिंह	,, गोकुलपुरा	रा.प्रा.वि. ठीमोली
24. ,, अर्जुनलाल	,, गोकुलपुरा	रा.उ.प्रा.वि. टीमोली
25. ,, पदमसिंह	रा.मा.वि. कासी का बास	,, मोठूका
26. ,, सोहनसिंह	रा.उ.प्रा.वि. बीदसर	,, चूडीमीयान
27. ,, गणपतसिंह	,, बीदसर	,, चूडीमीयान
28. ,, जवाहरमल	, बीदसर	रा.मा.वि. तारपुरा
29. ,, रामनारायण	,, मण्डवाडा	,, चूडौलीरखाबूल
30. ,, किशोरसिंह	,, बिहार	,, पाटन
31. ,, ओमप्रकाश	रा.मा.वि. पाटन	,, थाई
32. ,, भंवरलाल	रा.उ.प्रा.वि. तपीपत्या	,, नागल
33. ,, श्यामसुन्दर	रा.मा.वि. मावण्डा खुर्द	,, रींगस
34. ,, रामकुमार यादव	रा.उ.प्रा.वि. रींगस	,, मावण्ड़ा खुर्द
35. ,, रामचन्द्र	,, रघुनाथगढ़	रा.उ.प्रा.वि. रानसासर
36. ,, गोरखदयाल	रा.मा.वि. लोसल	रा.उ.मा.वि, रवीदपुरा-खड़ी
37. ,, सुखवीरसिंह	,, धोद	रा.उ.प्रा.वि. विरानीयाँ
38. ,, सुमित्रा महला	रा.बा.उ.प्रा.वि. कुदन	,, दिसनाऊ
39. ,, मोहनलाल	रा.उ.प्रा.वि. मोहनपुरा	रा.मा.वि. कोछोर
40. ,, झाबरमल	,, विहार	रा.उ.प्रा.वि. करजी
41. ,, कैलाशचन्द गुप्ता	,, रायपुरा पाटन	,, घाघेला
42. ,, बचनसिंह	,, घाधेला	,, रायपुरा पाटन

1	2	3	4
43.	श्री फूलचन्द शर्मा	रा मा.वि. झालरा	रा.उ.प्रा.वि. नं.4 नीमका.
44.	,, नागरमल	,, कसवाली	रा.प्रा.वि. नं. 4 लक्ष्मणगढ़
45.	,, शिशपाल माहिच	,, गोडियावडा	रा.उ.प्रा.वि. नं. 5 फतेहपुर
46.	,, पूरणमल सैन	,, हसामपुर	रा.मा.वि. बीजोपुर
47.	,, राममोहन शर्मा	,, रायपुरा पाटन	,, हसामपुर
48.	,, सागरमल	,, रोरूबडी	रा.उ.प्रा.वि. तिहावली
49.	,, नत्थूसिंह	,, तिहावली	,, रोरूबडी
50.	,, नागरमल	,, अठबास	,, हरसावा
51.	,, रतनलाल	,, अठवास	,, दिसनाऊ
52.	,, रामनारायण	,, रायपुर पाटन	रा.उ.प्रा वि. समर्थपुरा
53.	,, मानाराम	,, राजपुरा	रा.उ.प्रा.वि. मलिकपुर
54.	,, हनुमान स्वामी	,, अंगुलोई	,, अजमेरा
55.	,, रामेश्वरलाल	,, धौलपुर	रा.मा.वि. खाटूश्यामजी
56.	,, शिवबक्ससिंह	,, गोवद्री	रा.उ.प्रा.वि- भैरूपुरा
57.	,, रामलाल	रा.उ.प्रा.वि. सत्यावास	रा.उ.प्रा.वि. झमेरडीकावास
58.	,, झाबरमल	,, झमेरटोकावास	रा.मा.वि. पलसाना
59.	,, पन्नाराम	,, टाटनवा	रा.उ.प्रा.वि. झिनर छोटी
60.	,, भूरामल जाट	,, मादवाडी	,, किशोरपुरा
61.	,, नारायण लाल	रा.मा.वि. रेवासा	रा.उ.मा.वि. शिश्यूरानोली
62.	,, राजेन्द्र कुमार	,, ढोढसर (जयपुर)	,, अजीतगढ़
63.	,, रामलालसिंह	रा.उ.प्रा.वि. कीवासर (चूरू)	,, अजीतगढ़
64.	,, छगनलाल	,, नं० 4 (जैसलमेर)	,, हरजनपुरा

1	2	3	4
65.	श्री ऋथासिंह	रा.उ.प्रा.वि, लालास (नागौर)	रा उ.प्रा.वि. समथेपुरा
66.	,, मालादास	,, निम्बोल (पाली)	,, ज्यानकीपुरा
67.	,, मोहनलाल	,, माधावास (बाडमेर)	,, मलिकपुर
68.	,, भगवानसिंह	,, मलिकपुर	,, राजपुरा
69.	,, वीरबल महरिया	,, बापासर (जोधपुर)	,, ठीकरिया
70.	,, रामरीछपाल	,, ज्यानकीपुरा	,, भारनी
71.	,, कानाराम यादव	,, हर्ष	,, सिमारला जागीर
72.	,, लक्ष्मीनारायण	,, निम्बेडा	,, मादवाडी
73.	,, महावीर प्रसाद	,, कायमसर	,, लोवाडा
74.	,, कालूराम	रा.मा.वि. कोटडा	रा.मा.वि दिवराला
75.	,, भगवान सहाय	रा.उ.प्रा.वि. ग्रलोदा	रा.उ.प्रा.वि. कंचनपुर
76.	,, मोहनलाल स्वामी	,, पुरानाबास	,, गोभावाली
77.	,, ओमप्रकाश	,, भारनी	रा. प्रा. वि. नं०2 श्री माधोपुर
78.	,, कजोड़मल	रा. प्रा. वि. नं०2 श्री माधोपुर	रा.उ.प्रा.वि. भारनी
79.	,, गोपाललाल	रा. प्रा. वि. नं०7 खण्डेला	,, हासपुर
80.	,, प्रहलादमल स्वामी	रा.उ प्रा.वि. हासपुर	रा. प्रा. वि. नं०7 खण्डेला
81.	,, नाथूलाल सैनी	रा. मा वि. पलसाना	,, हासपुर
82.	,, रामगोपाल सैनी	रा. उ. प्रा. वि. हासपुर	,, कंचनपुर
83.	,, रामनारायण टेलर	रा. उ. प्रा. वि. कोटडीसिमारला	,, हासपुर

1	2	3	4
84	श्री गिरधारीलाल योगी	रा. उ. प्रा. वि. हासपुर	रा. उ. प्रा. वि. कोटडीसिमारला
85.	,, किसनसिह	रा. उ. प्रा. वि. सेंवा	रा. प्रा, वि. व्यापारियान सीकर
86.	,, राजेन्द्रसिह	रा. मा. वि. कोटडी	रा. मा. वि. सिरोही
87.	,, मांगीलाल	रा. मा. वि. खटून्दरा	रा. उ. प्रा. वि. समर्थपुरा
88.	,, बासूदेव शर्मा	रा. उ. प्रा. वि. समर्थपुरा	रा. मा. वि. कावट
89.	,, बनबारीलाल	रा. उ. मा. वि. खटकन्दरा	रा. उ. प्रा. वि. माधवाडी
90.	,, रामावतार शर्मा	रा. उ. प्रा. वि. अगलोई	रा. उ. प्रा. वि. लोरवाडा
91.	,, रामेश्वर लाल	रा. उ. प्रा. वि. लोरवाड़ा	रा. उ. प्रा. वि. अगलोई
92.	,, बनवारीलाल	रा. उ. प्रा. वि. रामपुरा	रा. उ. प्रा. वि. अगलोई
93.	,, प्रहलादमल	रा. उ. प्रा. वि. रामपुरा	रा. मा. वि. हौद
94.	,, मालीराम	रा. उ. प्रा. वि. हौद	रा. मा. वि. गढटकुनेत
95.	,, हरीसिंह	रा. मा. वि. महरौली	रा. उ. प्रा. वि. रींगस
96.	,, गोपालसिह	रा. उ. प्रा. वि. अगलोई	रा. उ. प्रा. वि. हौद
97.	,, सागरमल	रा. उ. प्रा. वि. हौद	रा. उ. प्रा. वि. नाथसर
98.	,, शिवचन्द	रा. उ. प्रा. वि. समर्थपुरा	रा. उ. प्रा. वि. रामपुरा खण्डेला
99.	,, रामेश्वर प्रसाद	रा. मा. वि. गावडी	रा. उ. प्रा. वि. ढाणीगुमानसिंह

1	2	3	3
100.	श्री नाथूलाल बुनकर	रा. उ. प्रा. वि. अलौदा	रा. उ. प्रा. वि. किशोरपुरा
101.	,, पुरुषोत्तम	रा. उ. प्रा. वि. नं 1 लक्ष्मनगढ़	रा. प्रा. वि. नं० 2 लक्ष्मनगढ़
102	,, देवकी प्रसाद	रा. उ. मा. वि. नं० 1 लक्ष्मनगढ़	रा. प्रा. वि. नं० 2 लक्षमणगढ
103.	,, आशाराम जागीड	रा. उ. प्रा. वि. राजपुरा	रा. मा. वि. नं० 4 लक्ष्मनगढ़
104	,, श्यामसुन्दर सैन	रा. उ. प्रा. वि. खण्डेला	रा. उ. प्रा. वि. जुगलपुरा
105.	,, देशराज	रा. मा. वि. लोसल	रा. मा. वि. पीतमपुरी
106.	,, मोहनलाल	रा. उ. प्रा. वि. अमरपुरा	रा. उ. प्रा. वि. माण्डौता
107.	" गिरधारीलाल	रा. उ. प्रा. वि. कोटडीसिमारला	रा. उ. प्रा. वि. नं० 2 श्रीमाधोपुर
108.	,, भैरूबक्स	रा. मा. वि. मुण्डवमदन	रा. प्रा. वि. नं० 3 श्री माधोपुर
109.	,, ग्यारसीलाल	रा. प्रा. वि. नं० 4 खण्डेला	रा. प्रा. वि. नं० 6 श्रीमाधोपुर
110.	,, शिवदयाल शर्मा	रा. उ. प्रा. वि. ज्यानकीपुरा	रा. प्रा. वि. नं० 6 श्रीमाधोपुर
111.	,, राधेश्याम	रा. उ. प्रा. वि. नारनी	रा. उ. प्रा. वि. नं02 श्रीमाधोपुर
112.	,, रामेश्वरलाल	रा. उ. प्रा. वि. कोटडीधायलान	रा. उ. प्रा. वि. रींगस
113.	,, नारायणलाल	रा. उ. प्रा. वि. कंचनपुर	रा. मा. वि. श्री माधोपुर
114.	,, बोदूराम	रा. प्रा. वि. लापवा	रा. उ. प्रा. वि. रींगस
115.	,, कपूरचन्द	रा. उ. प्रा. वि. गुढा	रा. उ. प्रा. वि. नं० 2 श्री माधोपुर

1	2	3	4
116.	श्री सीताराम	रा. मा. वि. कायमसर (नागौर)	रा. उ. प्रा. वि. राजपुरा
117.	,, भागीरथसिंह	रा. उ. प्रा. वि. बिसाला (बाडमेर)	रा. मा. वि. टोडादरीबा
118.	,, दुर्गाप्रसाद शा० शि०	रा. उ. मा. वि. बागला (चूरू)	रा. उ. प्रा. वि रामपुरा
119.	,, फूलचन्द	रा. उ. प्रा. वि. उढीला (नागौर)	रा. उ. प्रा. वि. डासरोली
120.	,, गौरीशंकर	रा. उ. प्रा. वि. दालिया (जैसलमेर)	रा- उ. प्रा- वि- मूण्डवाडा
121.	,, रामचन्द्र यादव	रा. मा. वि. अड़कसर (नागौर)	रा. मा. वि. नागल
122.	,, बद्रीनारायण	रा. मा. वि. भवरानी (जालौर)	रा. मा. वि. दिवराला
123.	,, अर्जुनलाल सैनी	रा. मा. वि. पचलगी (झुन्झुनू)	रा. उ. प्रा वि. रामपुरा
124.	,, नानूराम	रा. उ. प्रा. वि. मकराना (नागौर)	रा. उ. प्रा. वि. चौकडी
125	,, अलाउदीन	रा. उ. प्रा. वि. समदड़ी (बाड़मेर)	रा. उ. प्रा वि. शाहपुरा
126.	,, मोहनलाल	रा. उ. मा. वि. ऊठ (बाड़मेर)	रा. उ. प्रा. वि. अगलोई
127.	,, रामसिंह	रा. मा. वि. बाकरा जालौर	रा. उ. प्रा. वि. माण्डौता
128.	,, विद्याधर टेलर	रा. उ. प्रा. वि. सराय झुन्झुनु	रा. उ. प्रा. वि. नं.-4 नीम का थाना
129.	,, बंशीलाल चौरलिया	रा. उ. प्रा. वि. नालेपुर झुन्झुनु	रा. उ. प्रा. वि. जाचास
130.	,, पूरनमल स्वामी	रा. मा. वि. छापर चूरू	रा. प्रा. वि. घाणा
131.	,, रुघनाथ प्रसाद	रा. उ. प्रा. वि. ढाणी गुमानसिंह	रा. उ. प्रा. वि. कल्याणपुरा

1	2	3	4
132.	श्री बनवारीलाल	रा. उ. प्रा. वि. कल्याणपुरा	रा. उ. प्रा. वि. त्रिलोकपुरी
133.	श्री गौरीशंकर	रा. उ. प्रा. वि. गाडौदा	रा. उ. प्रा. वि. मालाकाली
134.	श्री रामगोपाल शर्मा	रा. उ. प्रा. वि. गुढा	रा. प्रा. वि. नं.-3 श्री माधोपुर
135	श्री ओंकार मल सैनी	रा. मा. वि. दादिया-रामपुरा	रा. उ. प्रा वि गुढा
136.	श्री जयसिंह	रा. मा. वि. गुरारा	रा. उ. प्रा. वि. लिसाड़िया
137.	श्री बनवारीलाल यादव	रा. मा. वि. आसपुरा	रा. उ. प्रा. वि. फतेहपुर
138.	श्री सीताराम	रा. उ. मा. वि. हरसावा	रा. उ. प्रा. वि. अजीतगढ़
139.	श्री मालीराम बुनकर	रा. उ. मा. वि. खण्डेला	रा. मा. वि. अजीतगड़
140.	श्री कन्हैयालाल	रा. उ. मा. वि. अजीतगढ़	रा. उ. मा. वि. खण्डेला
141.	श्री मधुसूदन	रा. उ. प्रा. वि. सतौद	रा. मा. वि. श्री माधोपुर
142.	श्री वावनराम	रा. उ. प्रा. वि. मादवाड़ी	रा. मा. वि. थाई
143.	श्री विश्म्भरदयाल	रा. उ. प्रा. वि. गोविन्दपुरा	रा. उ. प्रा. वि. कोटडी सिमारला
144.	श्री शान्तीलाल	रा. उ. प्रा. वि. मालाकाली	रा. उ. प्रा. वि. गौमावाली
145.	श्री बसन्तराम	रा. उ. प्रा. वि. लाखनी	रा. उ. प्रा. वि. रींगस
146.	श्री रामेश्वलाल	रा. मा. वि. भदौली	रा. मा. वि. श्री माधोपुर
147.	श्री मालीराम वर्मा	रा. उ. प्रा. वि. मालाकाली	रा. उ. प्रा. वि. नाथूसर
148.	श्री मालीराम	रा. मा. वि. श्री माधोपुर	रा. मा. वि. भदौली

1	2	3	4
149.	श्री किशनलाल अरोडा	रा. उ. प्रा. वि. बावड़ी	रा. बा. मा. वि. रींगस
150.	श्री बासूदेव	रा. उ. प्रा. वि. वामनवास	रा. उ. प्रा. वि. सिमारला
151.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	रा. उ. प्रा. वि. जिलो	रा. उ. प्रा वि. जुगलपुरा
152.	श्री दीनदयाल	रा. उ. प्रा. वि. जुगलपुरा	रा. उ. प्रा. वि. कल्याणपुरा
153.	मुरारीलाल	रा. उ. प्रा. वि. जुगलपुरा	रा. मा. वि. ग्रासपुरा
154.	श्री हणमाना राम	रा. मा. वि. ग्रासपुरा	रा. उ. प्रा. वि. फतेहपुर
155.	श्री मुरलीधर	रा. उ. प्रा. वि घोगपुर	रा उ. प्रा. वि. जुगलपुरा
156.	श्री भगवान सहाय	रा. मा. वि. ग्रासपुरा	रा. उ. प्रा. वि. लिसाडीया
157.	श्री रूडमल	रा. उ. प्रा. वि. लिसाडिया	रा. मा. वि. ग्रासपुरा
158.	श्री छीतरमल	रा. उ. प्रा. वि. नीमैडा	रा. उ. प्रा. वि. लिसाडीया
159.	श्री ईश्वरसिंह	रा. उ. प्रा. वि. लिसाडीया	रा. उ. मा. वि. निमैडा
160.	श्री बाबूलाल शर्मा	रा. प्रा. वि.नं-3 खण्डेला	रा. प्रा. वि. ग्रासपुरा
161.	श्री जगदीशप्रसाद शर्मा	रा. मा. वि. ग्रासपुरा	रा. प्रा. वि नं-3 खण्डेला
162.	श्री गोविन्दकान्त	रा. उ. प्रा. वि. मालाकाली	रा. मा. वि. गढ़भोमजी
163.	श्री सीताराम	रा. उ. मा. वि. ढाणी जोरावरसिंह	रा. उ. प्रा. वि. लौरवाड़ा
164.	श्री किशोरीलाल	रा. उ. मा. वि. रामपुरा	रा. उ. प्रा. वि. लौरवाड़ा
165.	श्री वंशीधर डोरवाल	रा. उ. प्रा. वि. रींगस	रा. उ. प्रा. वि नं-3 श्री माधोपुर

290

1	2	3	4
166.	श्री गणेश राम	रा. मा. वि. नं-3 श्री माधोपुर	रा. उ. मा. वि. नागवा
167.	श्री शिवलाल	रा. उ. मा. वि. नागवा	रा. उ. प्रा. वि. रींगस
168.	श्री नारायण शर्मा	रा. उ. मा. वि. रींगस	रा. प्रा. वि. नं-4 श्री माधोपुर
169.	श्री सीताराम भातरा	रा. उ. मा. वि. गावडी	रा. उ. प्रा. वि. रींगस
170.	श्री घासीराम यादव	रा. उ. मा. वि. मंगलना	रा. उ. प्रा. वि. ढाणी गुमान सिंह
171.	श्री रिछपाल यादव	रा. मा. वि. मण्डामदर्नी	रा. उ. मा. वि. कोटड़ी लुहारवास
172.	श्री जगदीश प्रसाद	रा. उ. प्रा. वि. दिसनाऊ	रा. उ. मा. वि. कोटडी घायलान
173.	श्री सुलतानाराम	रा. उ. प्रा. वि. नं-1 नीम का थाना	रा. उ. प्रा. वि. श्यामपुरा
174.	श्री सूर्यनारायण	रा. उ. प्रा. वि. लिसाडिया	रा. उ. प्रा. वि. गोविन्दपुरा
175.	श्री चौथमल	रा. उ. प्रा. वि. भगेगा	रा. उ. प्रा. वि. जुगलपुरा
176.	श्री नन्दकिशोर	रा. उ. प्रा. वि. तपीपल्या	रा. उ. प्रा. वि. ढाकास
177.	श्री श्यामसुन्दर	रा. मा. वि. मण्डेला	रा. मा. वि. दूजोद
178.	श्री जोधराज जाट	रा. उ. प्रा. वि. पुरानावास	रा. उ. प्रा. वि. हासपुर
179.	श्री मालीराम	रा. मा. वि. नीम का थाना	रा. मा. वि. कावट
180.	श्री झाबरमल	रा. उ. प्रा. वि. गोठडा मूकरान	रा. उ. मा. वि. कूवन
181.	श्री पन्नेसिंह	रा. उ. प्रा. वि. गोठडा मूकरान	रा. उ. प्रा. वि. पालडी
182.	श्री हरीराम	रा. मा. वि. कोटडा	रा. उ. प्रा. वि. महावा

291

1	2	3	4
183.	श्री ओंकारमल	रा. मा. वि. जी. डी. रामगढ़	रा. उ. प्रा. वि. कृष्ण पाठशाला फतेहपुर
184.	श्री शुभकरन	रा. उ. प्रा. वि. गौडियावाड़ा	रा. उ. प्रा. वि. ताजसर
185.	श्री मातादीन स्वामी	रा. उ. प्रा. वि. गौडियावाड़ा	रा. उ. प्रा. वि. अजीतगढ़
186.	श्री रतीराम	रा. उ. प्रा. वि- तणीपत्या	रा. उ. प्रा. वि. नं.-3 नीम का थाना
187.	श्री भूरसिंह	रा. उ. प्रा' वि. चूडीमीया	रा. उ. प्रा. वि. रहनावा
188.	श्री शौकत अली	रा. उ. प्रा. वि. चूडीमीया	रा. उ. प्रा. वि. नं.-1 लक्ष्मनगढ़
189.	श्री कन्हैया लाल	रा. उ. प्रा. वि. तिहावली	रा. उ. प्रा. वि· कासली
190.	श्री रामदेव बुनकर	रा. उ. प्रा. वि. अलौदा	रा. मा. वि. मण्डामदनी
191.	श्री रामलाल	रा. उ. प्रा. वि. कायमसर	रा. प्रा. वि. नं.-2 रामगढ़
192.	श्री सोहनसिंह	रा. उ. प्रा. वि. चूडीमीया	रा. उ. प्रा. वि. मीजवास
193.	श्री रामनारायण	रा. मा. वि. चूडौली खाकोली	रा. मा. वि. काशी का वास
194.	श्री कैलाश चन्द	रा. उ. प्रा. वि. सागलिया	रा. उ. प्रा. वि. माण्डीता
195.	श्री गजानन्द	रा. मा. वि. गावडी	रा. उ. प्रा. वि. करजी
196.	श्री ओम प्रकाश	रा. उ. प्रा. वि. हासपन्ड	रा. प्रा. वि. श्री माधोपुर
197.	श्री रामचन्द्र	रा. प्रा. वि. दासाकोढाणी	रा. उ. प्रा. वि. पुलिस लाइन सीकर
198.	श्री मंगलचन्द	रा. मा. वि. ठाकुर सरतगढ़	रा. मा. वि. मण्डेरू

1	2	3	4
199.	श्री भंवरलाल वर्मा	रा. उ. प्रा. वि, नं. 2 नीमकाथाना	रा. मा. वि. ढीढए
200.	श्री मदनलाल शा.शि.	रा. मा. वि. नावडी	रा. मा. वि. पाटन
201.	श्री घासीराम यादव	रा. मा. वि. पिटन	रा. मा. वि. हुसामपुर
202.	श्री चिरंजीलाल	रा. मा. वि. इसामपुर	रा. मा. वि. गावडी
203.	श्री नानाराम	रा. उ. मा. वि. डासरोली	रा. उ. प्रा. वि अजमेरी
204.	श्री दीनदयाल	रा. मा. वि. खपडेला	रा. मा. वि. थाई
205.	श्री दुर्गाप्रसाद	रा. मा. वि. कोटडा	रा. मा. वि. चीपलाटा
206.	श्री दुर्गा प्रसाद	रा. उ. मा. वि. करजी	रा. मा. वि. पाटन
207.	श्री प्रहलाद राम	रा. उ. मा. वि. डावला	रा. उ. प्रा. वि. हासपुर
208.	श्री मुरारीलाल	रा. मा. वि. नागल	रा. उ. मा. वि. अजीतगढ़
209.	श्री मेवाराम	रा. उ. प्रा. वि. मगतपुरा	रा. उ. प्रा. वि. कली
210.	श्री ओमप्रकाश	रा. मा. वि जीडी रामगढ़	रा. उ. प्रा. वि. कृष्णा पाठशाला फतेहपुर
211.	श्री देवाराम	रा. उ. प्रा. वि. रामसीसर	रा. उ. प्रा. वि. सुभाष फतेहपुर
212.	श्री पूरणमल	रा. उ. प्रा. वि. नागवा	रा. मा. वि. रायपुरा जागीर
213.	श्री मूलचन्द	रा. उ. प्रा. वि. गोठडा मूलरान	रा. उ. प्रा. वि. दांता
214.	श्री अर्जुनसिंह	रा. उ. मा. वि. दांता	रा. मा. वि. लोसल
215.	श्री भीमसिंह	रा. उ. प्रा. वि. गोकुलपुरा	रा. उ. प्रा. वि. ठीम्होली

1	2	3	4
216.	श्री अर्जुनलाल	रा. उ. प्रा. वि. गोकुलपुरा	रा. उ. प्रा. वि. ठीम्होली
217.	श्री रामकिसन	रा. उ. प्रा. वि. ठीम्होली	रा. उ. प्रा. वि. ढाकास
218.	श्री सत्यनारायण	रा. उ. प्रा. वि. नं. 2 लक्ष्मणगढ़	रा. उ. प्रा. वि. नखेदडा
219.	श्री राधा मोहन	रा. उ. मा. वि. गोमावाली	रा. मा. वि. थोई
220,	श्री केशवचन्द	रा. मा. वि. मौडकी झुन्झुनू	रा. उ. प्रा. वि. चाचीवाद
221.	श्री ताराचन्द	रा. उ. प्रा. वि. चाचोर्वाद	रा. उ. प्रा. वि. राजपुरा फतेहपुर
222.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	रा. उ. प्रा. वि. मेंड	रा. मा. वि. मामण्डाखुर्द
223.	श्री नत्थीसिंह	रा. उ. प्रा. वि. घमीरा झुन्झुनू	रा. उ. प्रा वि. चाचीवाद
223.	श्री सांवरमल	रा. मा. वि. ककराना	रा. उ. प्रा. वि. जीणमाता
224.	श्री सीताराम	रा. मा. वि. अडकसर	रा. मा. वि. नागले
225.	श्री रामचन्द	रा. मा. वि. मिन्डा नागौर	रा. मा. वि. चीपलाटा
226.	श्री रामसिंह	रा. उ. प्रा. वि. ओंकरा	रा. मा. वि. श्री माधोपुर
227.	श्री बाबूलाल	रा. मा. वि. बवाई झुन्झुनू	रा. मा. वि. श्री माधोपुर
228.	श्री वंशीधर	रा. मा. वि. कहवावायी मीरेवाड़ा	रा. उ. मा. वि. जोरावर नगर
229.	श्री रामसिंह चौहान	रा. मा. वि. हाडेला जालौर	रा. उ. मा. वि. भारनी
230.	श्री भोपालसिंह	रा. उ. प्रा. वि. रानी पाली	रा. मा. वि. दिवाराला
231.	श्री बंशीधर यादव	रा. उ. प्रा. वि. नागौर	रा. मा. वि. भर्दोली

1	2	3	4
232.	श्री मदनलाल	रा. उ. प्रा. वि. ग्राम सरकाकुआ	रा. उ. प्रा. वि. काछवा
233.	श्री ओमप्रकाश	रा. उ. प्रा वि. चलकाना बाड़मेर	रा. उ, प्रा. वि. काछना
234.	श्री रघुनाथ प्रसाद	रा. उ. प्रा. वि. सौनडा नागौर	रा. उ. प्रा. वि. महवा
235.	श्री जगदेव प्रसाद	रा. मा. वि. लेही नागौर	रा. मा. वि. धोंद
236.	श्री प्रहलादमल	रा. उ. प्रा. वि. लूणवा	रा. उ. प्रा वि. भारनी
237.	श्री बजरंगसिंह	रा. मा. वि. उदयपुरिया जयपुर	रा. उ. मा वि. श्री माधोपुर
238.	श्री शिवशंकर	रा. मा. वि. दयालपुरा नागौर	रा. उ. प्रा. वि. ढाणीगुमानसिंह
239.	श्री बंशीधर	रा उ प्रा. वि. शिवजी नगर जालौर	रा. उ. प्रा. वि. लोरवाड़ा
240.	श्री मदन लाल	रा. उ. प्रा वि. गगारडा नागौर	रा. उ. प्रा. वि. पृथ्वीपुरा
241.	मदनलाल	रा.मा.वि. कुली गंगानगर	रा.उ.मा.वि. खोटिया
242.	श्री बाबूलाल	रा. उ. प्रा. वि. पचलगी झुन्झुनू	रा उ. प्रा. वि. नं 1 नीमकाथाना
243.	श्री नत्थीसिंह	रा. उ. प्रा. वि. उदरासर नागौर	रा. उ. प्रा. वि, फालावा
244.	श्री दाऊलाल	रा. उ. प्रा. वि. जाजोदिया सुजानगढ़	रा. उ. मा. वि. भंगलना
245.	श्री शिवदयालसिंह	पी. सी. वी. उ. मा. वि. सुजानगढ़ चूरू	रा. उ. मा. वि. बावडी
246.	श्री हरीराम	रा. मा. वि. भीन्डा नागौर	रा. मा. वि. भदोली
247.	श्री राधेश्याम	रा. मा. वि. जमात उदयपुरा वाटी	रा. उ. प्रा. वि. रायपुर पाटन
248.	श्री लालचन्द	रा. उ. मा. वि. हुडील नागौर	रा. उ. प्रा वि. सांगलिया
249.	श्री प्रकाश चन्द	रा. उ. प्रा. वि. टहरी नागौर	रा. उ. प्रा. वि. मण्डोली

295

1	2	3	4
250.	श्री मोहनलाल	रा. उ. प्रा. वि. अरनीयाल बाड़मेर	रा. उ. प्रा. वि. भादवाडी
251.	श्री उमरावलाल	रा. उ. प्रा. वि. बजरंग शहर चूरू	रा. उ. प्रा. वि. किशोरपुरा
252.	श्री प्रहलादराय	रा. उ. प्रा. वि. छापर	रा. उ. प्रा. वि. खोटिया
253.	श्री शिवराम	रा. मा. वि. लोहरकी जैसलमेर	रा. मा. वि. चीपलाटा
254.	श्री प्रभूदयाल	रा. प्रा. वि. नं. 4 खण्डेला	रा. प्रा. वि. नं. 1 श्री माधोपुर
255.	श्री चिरंजीलाल	रा. प्रा. वि. बावडी	रा. प्रा. वि. नं. 7 माधोपुर
256.	श्री ओंकारमल	रा. मा. वि. खाटू श्यामजी	रा. मा. वि. भैंसवा
257.	श्री भीमसिंह	रा. उ. प्रा. वि. गोकुलपुरा	रा. मा. वि. रापुरा जागीर
258.	श्री जवाहरसिंह	रा. प्रा. वि. नयाकान सीकर	रा. मा. वि. रापुरा जागीर
259.	श्री दीनदयाल	रा. उ. प्रा. वि. बाजौर	रा. प्रा. वि. नायकान सीकर
260.	श्री अर्जुनलाल	रा. उ. मा. वि. गोकुलपुरा	रा. मा. वि. तारपुर
261.	श्री नरेन्द्रसिंह	रा. मा. वि. फगलवा	रा. मा. वि. टोडानरीबा
263.	श्री गणपतराम	रा. उ. प्रा. वि. सिहोटवडी	रा. मा. वि. बानडा
264.	श्री नमेपाराम	रा. उ. प्रा. वि. नेवटीया फतेहपुर	रा. उ. प्रा. वि. नं. 4 फतेहपुर
265.	श्री प्रहलादराय	रा. उ. प्रा. वि. हर्ष	रा. उ. प्रा. वि. ठीम्होली
266.	श्री चन्द्रसिंह	रा. उ. प्रा. वि. किरडोली	रा. उ. प्रा. वि. नं. 2 माधोपुर
267.	श्री हुक्मसिंह	रा. उ. मा. वि. भादवासी	रा. उ. मा. वि. आनन्द नगर

296

1	2	3	4
268.	श्री रीछपालसिंह	रा. मा. वि. पफलागलवा	रा. मा. वि. धर्मशालयेबरी
269.	श्री केदारमल	रा. उ. प्रा. वि. त्रिलोकपुरा	रा. उ. प्रा. वि. राजपुरा फतेहपुर
270.	श्री गंगाराम	रा. उ. मा. वि. शिश्यू रोनगली	रा मा. वि. सिरोही
271.	श्री.शान्तीदेवी	रा. वन उ. प्रा. वि. कूदन	रा. उ. प्रा. वि. पलथाना
272.	श्री सुल्तानाराम	रा. उ. प्रा. वि. श्यामपुरा	रा. उ. प्रा. वि. नं. 1 नीमकाथाना
273.	श्री बनवारीलाल यादव	रा. उ. प्रा. वि. बिहार	रा. मा. वि. थाई
274.	श्री हजारीलाल	रा. उ. प्रा. वि, रामपुरा बेगाकीनागल	रा. उ. प्रा. वि. रायपुरा पाटन
275.	श्री भीमराज	रा. उ. प्रा. वि. रामपुर बेगाकीनागल	रा. मा. वि. काजाकी नागल
276.	श्रीम नसुखराय	रा. उ. प्रा. वि. हर्ष	रा. उ. प्रा. वि. गोठडा मकरान
277.	श्री दलसिंह	रा. उ. मा. वि. गोठडामकरान	रा. उ. प्रा. वि. हर्ष
278.	श्री रीछपालसिंह	रा. मा. वि. ढाढण	रा. उ. प्रा. वि. विक्रम सीकर
279.	श्री अर्जुनसिंह	रा. मा वि. लीसल	रा. उ. मा. वि. भोगडामूरान
280.	श्री नेमीचन्द	चूरू जिला	रा. उ. प्रा. वि. भमैरड़ाकाबास
281.	श्री प्रभातकुमार	रा. मा. वि. लालास नागौर	रा. उ. मा. वि भमैड़ाकावास
282.	श्री गंगाबक्स	रा. उ. प्रा. वि. फोडी तेजपुर	रा. उ. प्रा. वि. लामीया
283.	श्री छगनलाल	रा. मा. वि. झलालरापाटन	रा. मा. वि. चला
284.	श्री रामेश्वरलाल	रा. उ. प्रा. वि. घीमपुरा	रा. मा. वि. खाटूश्यामजी

297

1	2	3	4
285.	श्री सूरजमल	रा. उ. प्रा. वि. झोमसीर सूरतगढ़	रा. उ. मा. वि. दाता रामगढ़
286.	श्री रामसिंह	रा. उ. प्रा. वि. नृसिंहपुरी	रा. प्रा. वि. वार्ड नं. 17 सीकर
287.	श्री पूतीराम	रा. उ. मा. वि. नागवा	रा. मा. वि. रायपुर जागीर
288.	श्री जोधराज	रा. प्रा. वि. हासपुरा	रा. उ. प्रा. वि. पुगमाबास
289.	श्री सागरमल	रा. उ. प्रा. वि. तिहावली	रा. उ. प्रा. वि. खेकबाडी
291.	श्री बनवारीलाल	रा. मा. वि. कोटडा	रा. उ. मा. वि. नं. 3 नीमकाथाना
292.	श्री रसूलबक्स	रा. उ. प्रा. वि. अमरपुरा	रा. उ. मा. वि. पुलिस लाइन सीकर
293.	श्री मोहनलाल	रा. उ. प्रा. वि. सत्यावास	रा. उ. प्रा. वि. अमेरड़ाकाबास
294.	श्री मोहनलाल	रा. उ. प्रा. वि.	रा. उ. प्रा. वि.
295.	श्री रामकुमार यादव	रा. मा. वि. माण्डोसा मावण्डा खुर्द	रा. मा. वि. अमरपुरा रींगस
296.	श्री सत्यनारायण यादव	रा. उ. प्रा. वि. गोविन्दपुरा	रा. उ. प्रा. वि. लिसाडिया
297.	श्री हरदेवराम	रा. प्रा. वि. गोशाला भीनवाल	रा. मा. वि. चला
298.	श्री गिरधारीलाल	रा. उ. प्रा. वि. डुगील नागौर	रा. उ. प्रा. वि. हासपुर
299.	श्री मदनलाल	रा. उ. प्रा. वि. मझेली शहर	रा. उ. मा. वि. खोटिया
300.	श्री खेताराम	रा. उ. प्रा. वि. बासला झुन्झुनू	रा. मा. वि. बीबीपुरा

कुल तीन सौ स्थानान्तरण

जिला शिक्षा अधिकारी,
(सीकर)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, सीकर (राजस्थान)

द्वितीय वेतन शृंखला के अध्यापकों की सूची जिनका स्थानान्तरण राज्यादेश के अन्तर्गत किया गया

क्र.सं.	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	श्री भंवरसिह. सैन स. अ.	रा.मा.वि. चीपलाटा	रा.मा. वि. पाटन
2.	,, कुन्दन सिह स. अ.	रा.उ.प्र.वि लसमपुर	रा. उ. प्रा. वि. रायपुर पाटन
3.	,, सुन्डाराम प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि. रायपुर पाटन	रा. उ. प्रा. वि. हसामपुर
4.	,, हनुमान प्रसाद शर्मा	रा.मा.वि. गणेश्वर	रा. मा. वि. नीम का थाना
5.	,, थांवरमल शर्मा	रा.मा.वि. मढा मदनी	रा.एच.आर.मा. वि. रामगढ़
6.	,, मन्साराम स.अ.	रा.मा.वि. वाटडानाउ	रा.मा. वि. वलारा
7.	,, बन्शीधर मीणा	रा.मा.वि. कोटडीलुहारवांस	प्र. अ. रा. उ. मा. वि. मोठूका
8.	,, शारदाचरण स.अ	रा.उ.प्रा.वि. मोठूका	रा. मा. वि चीपलाटा
9.	,, मालीराम स.अ.	रा.मा.वि. जजोद लछमणगढ़	रा. मा. वि. गढभोपजी
10.	,, दुर्गाप्रसाद स.अ.	रा.मा.वि. रुगनाथगढ़	रा. मा. वि. गुगारा
11.	,, रिछपाल सिह स.अ.	रा.मा.वि. गुगारा	रा. मा. वि. रुगनाथगढ
12.	नारायण सिह प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि. सठोठ	रा. उ. प्रा.वि. मेम्पुरा
13.	,, हरदयालसिह	रा. उ. प्रा. वि. दौसा की ढाणी	रा. उ. प्रा. वि. बढाडर
14.	,, भोपतराम स. अ.	रा. मा. वि. पचार	रा. मा. वि. कटराथल
15.	,, मन्साराम स. अ.	रा. मा. वि मढासुरेरा	रा. मा. वि. रुगनाथगढ़

1	2	3	4
16.	श्री सीताराम शर्मा स. अ.	रा. उ. प्रा. वि. लक्षमणा का बास	रा. उ. प्रा. वि. माधव सीकर
17.	,, चतुर्थीलाल शर्मा स. अ.	रा. उ. मा. वि. कूदन	रा. उ. प्रा. वि. विक्रम सीकर
18.	,, गणेशप्रसाद प्र. अ.	रा. उ. प्रा. वि. बाजौर	रा. उ. प्रा. वि. विक्रम सीकर
19.	,, पोखरमल स. अ.	रा. मा. वि. रैवासा	रा. क. उ. मा. वि सीकर
20.	,, रामचन्द स. अ.	रा. मा. वि. गणेश्वर	रा. मा. वि. लोसल
21.	,, मुकन्दसिंह स. अ.	रा. मा. वि. लोसल	रा. मा. वि. गणेश्वर
22.	,, सीताराम पारीक	रा. मा. वि. दूजोद	रा. क. उ. मा. वि. सीकर
23.	,, मानसिंह स. अ.	रा. मा. वि. कौछोर	रा. मा. वि. मंडामदनो
24.	,, सांवरमल शर्मा स. अ.	रा. मा. वि नीम का थाना	रा. उ. मा. वि. श्री माधोपुर
25.	,, मोहम्म इब्राहीम	रा. क. उ. मा. वि. सीकर	रा. उ. प्रा. वि. पुलिस लाइन सीकर
26.	,, रामनाथ जाट स. अ.	रा. मा. वि. गढभोपली	रा. मा. वि. पलसाना
27.	,, मदनलाल स. अ.	रा. मा. वि. पाटन	रा. मा. वि. बाय
28.	,, पन्नालाल बुनकर	रा. मा. वि. चीपलाटा	रा. मा. वि. बानूड़ा
29.	,, पुरुषोत्तम शर्मा	रा. मा. वि. गौरिया	रा. मा. वि. कांवट
30.	,, शंकरलाल स. अ.	रा. मा. वि. कांवट	रा. मा. वि. गोरियां
31.	,, मदनलाल शर्मा	रा. उ. मा. वि. हरिपुरा	रा. उ. प्रा. वि. हरिदास का बास
32.	,, पुष्करदत्त स. अ.	रा. उ. मा. वि. शिश्यूरानोली	रा. क. उ. मा. वि. सीकर

1	2	3	4
33.	श्री बलदेव बिहारी	रा. मा. वि. रैवासा	रा. क. उ. मा. वि. सीकर
34.	,, राधेश्याम दाधीच	रा. मा. वि. दूजोद	रा. चित. उ. मा. वि. सीकर
35	,, भवरलाल स. ग्र.	रा. मा. वि. कासका बास	रा. मा. वि. कोलीड़ा
36.	,, महावीरप्रसाद स. ग्र.	रा. मा. वि. बलारां	रा. जी. डी. मा. वि. रामगढ़
37.	,, गौरीशंकर स. ग्र.	रा. उ. मा. वि. नयाबास	रा. उ. प्रा. वि. भगेगा
38.	,, ग्रर्जुनराम जाट	रा. उ. प्रा. वि. बिरानिऊ	रा. मा. वि. कांवट
39.	,, गिरधारीलाल वर्मा	रा. उ. प्रा. वि. लिखभा का बास	रा. उ. प्रा. वि. जुगलपुरा
40.	,, छोटूराम स. ग्र.	रा. उ. मा. वि. नीमेड़ा	रा. मा. वि. गुहाला
41.	,, गुगनराम स. ग्र.	रा. मा. वि. गोरिया	रा. मा. वि. खण्डेला
42.	,, रामदीन चुलैट	रा. मा. वि. गुरारा	रा. उ. मा. वि. श्री माधोपुर
43.	,, धन्नीराम ग्रार्य प्र. ग्र.	रा. मा. वि. ग्रलफसर	रा. मा. वि. जी. डी. रामगढ़
44.	,, रामनारायण शर्मा	रा. मा. वि. गुहाला	रा. उ. प्रा. वि. चौकड़ा
45.	,, मंगलचन्द शर्मा स. ग्र.	रा. उ. प्रा. वि. चौकड़ी	रा. मा. वि. नीम का थाना
46.	,, सांवरमल सोनी	रा. मा. वि. कोटड़ा	रा. मा. वि. नीम का थाना
47.	,, मुकन्दसिंह स. ग्र.	रा. मा. वि. लौसल	रा. क. उ. मा. वि. सीकर
48.	,, ग्रब्दुल रसीद स. ग्र.	रा. मा. वि. जाजोद	रा. क. उ. मा. वि. सीकर
49.	,, बजरंगलाल स. ग्र.	रा. मा. वि. कटराथल	रा. क. उ. मा. वि. सीकर

1	2	3	4
50.	श्री वृजमोहन स. अ.	रा. मा. वि. बैंसवा	रा. उ. प्रा. वि. खीरवा
51.	,, धर्मवीर प्र. अ.	रा. उ. मा. वि. खीरवा	रा. मा. वि. बैंसवा
52.	,, परसराम शर्मा स. अ.	उ. प्रा. वि. भावथड़ी	रा. मा. वि. बाटडानाउ
53.	,, सांवलराम स. अ.	रा. मा. वि. टमकोर	रा. मा. वि. कोछोर
54.	,, हनुमानसिंह कसबां	रा. उ. प्रा. वि. हेतमसर झुंझुनु	रा. उ. मा. वि. गागियासर
55.	,, कृष्ण आर्य स. अ.	रा. उ. प्रा. वि. घड़ीबा चूरू	रा. उ. प्रा. वि. मोरठूंगा
56.	,, रामलाल यादव	रा. मा. वि. गंदेली गंगानगर	रा. मा. वि कांवट
57.	,, मोहनसिंह बीसा	रा. मा. वि. नवल्डी झुंझुनु	रा. मा. वि. धर्मशाला वैरी
58.	,, दामोदर प्रसाद स. अ.	रा. उ. प्रा. वि. पैंड झुंझुनु	रा. मा. वि. बाथ
59.	,, भागीरथसिंह स. अ.	रा. उ. प्रा. वि. मोरठूंगी	रा. चित. उ. मा. सीकू
60.	,, सत्यनारायण स. अ.	रा. मा. वि. लौसल	रा. उ. मा. वि. श्री माधोपुर
61.	,, रेवराम स. अ.	रा. उ. प्रा. वि. मूण्डा	रा. जी.डी. मा. वि. रामगढ़
62.	,, हनुमान सहाय गुप्ता	रा मा. वि. नांगल	रा. उ. मा. वि. श्री माधोपुर
63.	,, मोहम्मद आमीन	रा. उ. मा. वि. श्री माधोपुर	रा. मा. वि. रामगढ़ सेठान
64.	,, श्रीनिवास शर्मा	रा. मा. वि. प्रीतमपुरी	रा. मा. वि. सिरोही
65.	,, कल्याण बक्स माथुर प्र. अ.	रा. उ. प्रा. वि. त्रिलोकपुरा	रा. चित. उ. मा. वि. सीकर
66.	,, मुरलीधर स. अ.	रा. चित. उ. मा. वि सीकर	रा. उ. प्रा. वि. त्रिलोकपुरा

1	2	3	
67.	श्री ओमप्रकाश स. स.	रा. मा. वि. हाथीदेह	रा. मा. वि. कांवट
68.	,, महेशदानसिंह	रा. मा. वि. गौवटी	रा. मा. वि. महरौली
69.	,, मोहरीलाल	रा. उ. मा. वि. डावला	रा. मा. वि. गढ़भोपजी
70.	,, रिछपालसिंह स. अ.	रा. उ. मा. वि. शिश्यूरानोली	रा. उ. मा. वि. रसीदपुरा खूडो
71.	,, पुष्पचन्द सूद स. अ.	रा. उ. प्रा. वि. रसीदपुरा	रा. मा. वि. कटराथल
72.	,, ओमप्रकाश स. अ.	रा. मा. वि. कौवट	रा. मा. वि. गुहाला
73.	,, वंशीधर शर्मा स. अ.	रा. मा. वि. गुरारा	रा. मा. वि. खंडेला
74.	,, रतनसिंह स. अ.	रा. मा. वि. टोडादूरीबा	रा. मा. वि. कटराथल
75.	,, रामेश्वर लाल स. अ.	रा. मा. वि. हाथीदेह	रा. मा. वि. पाटन
76.	,, नानूराम स. अ.	रा. मा. वि. जाजोद (लछ)	रा. उ. प्रा. वि. एच.पी. रामगढ़
77.	,, बाबूलाल स. अ.	रा. मा. वि धोद	रा. क. उ. मा. वि. सीकर
78.	,, भगवानसिंह स. अ.	रा. मा. वि. रूगनाथगढ़	रा. उ. प्रा. वि. गोकुपुरा
79.	,, रामकृष्ण शर्मा	रा. मा. वि. कटराथल	रा. क. उ. मा. वि. सीकर
80.	,, मामराज सिंह	रा. मा. वि. बीबीपुर	रा. मा. वि. बीदासर
81.	,, विजयपाल सिंह स. अ.	रा. मा. वि. पलासरा	रा. मा. वि. बीदापुर
82.	,, मईनुदीन कुरेशी	रा. मा. वि. कटराथल	रा. उ. प्रा. वि. माधव सीकर
83.	,, सीताराम स. अ.	रा. उ. प्रा. वि. मावडाकलां	रा. मा. वि. गणेश्वर
84.	,, गोकुलचन्द स. अ.	रा. उ. प्रा. वि. रालसासर	रा. उ. प्रा. वि. बिहारीपुर
85.	,, बहादुरसिंह स. अ.	रा. उ. प्रा. वि. बिहारीपुर	रा. मा. वि. नीम का थाना

(303)

1	2	3	4
86.	श्री मांगीलाल टेलर स.अ.	रा. मा. वि. हाथीदेह	रा. मा. वि. सिरोही
87.	,, बलदेवकुमार स० अ०	रा. मा. वि. मूण्डरू	रा. मा. वि. धर्मशाला बेरी
88.	,, निजामुदीन स० अ०	रा. मा. वि. खांचरिया बास	रा. मा. वि. दाता
89.	,, बिहारीलाल प्र० अ०	रा. उ. प्रा. वि. मंडोली	रा. मा. वि. गांडी
90.	,, प्रहलादसिंह स०अ०	रा. मा. वि. कोटडा	रा. उ. प्रा. वि. मडोली
91.	,, कांतीलाल स० अ०	रा. मा. वि. मांवडा खुर्द	रा. मा. वि नीम का थाना
92.	,, मोहम्मद आमीन	रा. उ. प्रा. वि. शिश्यूंरानोली	रा. चित. उ. मा. वि. सीकर
93.	,, अर्जुनराम स० अ०	रा. उ. प्रा. वि. बिर्रानियां	रा. उ प्रा. वि. कल्याणपुरा
94.	,, नारंगलाल गोदारा	रा. मा. वि. खूड	रा. एच. आर. मा. वि- रामगढ़
95.	,, कुशलसिंह स०अ०	रा. एच. आर. मा. वि रामगढ़	रा. मा. वि. खूड़
96.	,, सुल्तानसिंह स०अ०	रा. मा. वि. कान्तुताचू	रा. मा. वि. गारीण्डा
97.	,, जगदीश प्रसाद स० अ०	रा. मा. वि. वडाउ	रा. मा: वि. थोई
98.	,, रामावतार यादव	रा. मा. वि. आलकी गंगानगर	रा. मा. वि. छाजा की नांगल
99.	,, मंगलचन्द स०अ०	रा. उ. प्रा. वि. रण नागौर	रा. उ. प्रा. वि. अलफसर
100.	,, छाजूराम स०अ०	रा. उ. प्रा. वि. सराय	रा. मा. वि. नीमका थाना
101.	,, बजरंगसिंह स०अ०	रा उ. प्रा. वि. दुर्गापुरा जयपुर	रा. मा. वि. करड
102.	,, मोतीसिंह स०अ०	रा. उ. प्रा. वि. उदयपुरिया जयपुर	रा.मा.वि विवराला

1 2	3	4
103. श्री भागीरथ प्रसाद स० अ०	रा. मा. वि. टहला अलवर	रा. उ. प्रा. वि. श्री माधोपुर
104. ,, हजारीलाल स०अ०	रा०मा०वि० सराय	रा०उ०प्र०वि० ठीमोली
105 ,, बलवीरसिंह स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० टहलवा	रा०उ०प्रा०वि० रौलसागर
106. ,, लालचन्द सैनी स० अ०	रा०उ०प्रा०वि० सिपल्या	रा०मा०वि० आमाबास
107. ,, हरीराम स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० रामगढ़ जैसलमेर	रा०मा०वि० पीपराली
108. ,, रामस्वरूप जोशी	रा०मा०उ०प्रा०वि० सीकर	रा०मा०वि० बाटडानाउ
109. ,, भंवरसिंह स०अ०	रा०मा०वि० कंवसीकाबास	रा०चित०उ०मा०वि० सीकर
110. ,, सत्यनारायण स० अ०	रा०उ०मा०वि० दांता	रा०उ०प्रा०वि० डांसरोली
111. ,, रामकिशोर स०अ०	रा०मा०वि० बाहोता	रा०मा.वि. श्री माधोपुर
112. ,, राधेश्याम स०अ०	रा०मावि० दूजोद	रा०क०उ०मा०वि० सीकर
113. ,, रतनसिंह स०अ०	रा०मा०वि० कटराथल	रा०मा०वि टडादरीवा
114. ,, शेरसिंह स०अ०	रा०मा०वि० मूण्डरू	रा०मा०वि० धर्मशाला बेरी
115. ,, जगदीश चन्द स० अ०	रा०मा०वि० रैवासा	रा०ब्रा०उ०मा०वि० सीकर
116. ,, इन्द्रचन्द दीक्षित	रा०उ०प्रा०वि० गोकुलपुरा	रा० उ० प्रा० वि० सरवड़ी
117. ,, रामेश्वर लाल प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० सरबड़ी	रा०उ०प्रा० वि० नं०2 लीसल
118. ,, बनवारीलाल शर्मा	रा०उ०प्रा०वि० नं०2 लीसल	रा०उ०प्रा०वि० गोकुपुरा
119. ,, जगदीश प्रसाद स० अ०	रा०मा०वि० पचार	रा०मा०वि० खूड़

1	2	3	4
120.	श्री विद्याधरसिंह स०अ०	रा०मा०वि० गुगारा	रा०मा०वि० जाजोद (लछू)
121.	,, शोभागसिंह स०अ०	रा०मा०वि० चूडोली खाखोली	रा० उ० प्रा० वि० भादवाली
122.	,, मोहनलाल शर्मा	रा०उ०प्रा०वि० मोटला का बास	रा०मा०वि० दूजोद
123.	,, धामीराम स०अ०	रा०मावि० मंडासुरेरा	रा०मा०वि० बानूडा
124.	,, शिवपालसिंह स०अ०	रा०मा०वि० श्रामावास	रा०क०उ०मा०वि० सीकर
125.	,, विजयपालसिंह	रा०मा०वि० बीनोपुर	रा०मा०वि० पलासरा
126.	,, सत्यनारायण स०अ०	रा०उ०मा० वि० श्री माधोपुर	रा०मा०वि० लोसल
127.	,, फतेह मोहम्मद स० अ०	रा०मा०वि० बाय	रा० उ० मा० वि० दांता रामगढ़
128.	,, प्रेमसिंह स०अ०	रा०मा०वि० बगस	रा०मा०वि आसपुरा
129.	,, दयाराम स०अ०	रा०मा०वि० नपलड़ी	रा० क० उ० मा० वि० सीकर
130.	,, सुमुन्द्रसिंह स०अ०	रा०मा०वि० सिगारावरु	रा०मा०वि० दांयिदा रामपुरा
131.	,, जमनालाल स०अ०	रा०मा०वि० सिगौद जयपुर	रा०उ०मा०वि० कूदन
132.	,, नवीनचन्द स०अ०	रा०मा०वि० पचलंगी	रा०मा०वि० बाय
133.	,, निजामुदीन स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० दांता	रा०मा०वि० खाचरियाबास
134.	,, मदनलाल शर्मा स० अ०	रा०मा०वि० फफाना	रा०उ०प्रा०वि० दांता रामगढ़
135.	,, सुरेन्द्र वर्मा स०अ०	रा०मा०वि० रैवासा	रा०चित०उ०प्रा०वि० सीकर
136.	,, रामस्वरूप जोशी	रा०मा०वि० घाटडानाउ स० अ०	रा०उ०मा०वि० साँघत सीकर

306

1	2	3	4
137.	श्री परसराम सैनी	रा०उ०प्रा०वि० बाजोर	रा०उ०प्रा०वि० बिक्रम सीकर
138.	,, नथूसिह स०अ०	रा०मा०वि० तारपुरा	रा०मा०वि० कौलीडा
139.	,, परमेश्वरलाल स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० अबाय जैसलमेर	रा०ना०वि० धोद
140.	,, रामनारायण वर्मा	रा०मा०वि० मण्डावरा झुन्झुनू	रा०उ०मा०वि० रींगस
141.	,, हरिसिंह स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० ऊबला नागौर	रा०मा०वि० दूजौद
142.	,, भागीरथसिंह स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० ढढला गंगानगर	रा०क०उ०मा०वि० सीकर
143.	,, गोवरधनसिंह स० अ०	रा०उ०प्रा०वि० पापड	रा० उ० प्रा० वि० बामनवास
144.	,, पृथ्वीसिंह स०अ०	रा०उ०प्रावि० चूडौली खांखोली	रा० उ० प्रा० वि० सिहोट छोटी
145.	,, मनोहरलाल स०अ०	रा०उ०प्रा०वि०	सिहोट छोटी झु० किला झुन्झुनू
146.	,, लाल सिंह स०अ०	रा०मा०वि० पलासरा	रा०मा०वि० बीबीपुर
147.	,, नन्दराम सिंह स० अ०	रा०मा०वि० सिरोही	रा०मा०वि० प्रीतमपुरी

जिला शिक्षा अधिकारी
सीकर

307

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न सख्या 423 की सची

कर्मचारियों की सूची जिनके विरुद्ध 1980 में कार्यवाही की गई

क्र० सं०	नाम जिला	कर्मचारियों की संख्या
1-	अजमेर	15
2-	बाड़मेर	19
3-	भरतपुर	1
4-	बीकानेर	3
5-	बूंदी	2
6-	चित्तौड़गढ़	26
7-	डूंगरपुर	2
8-	झालावाड़	13
9-	जालौर	2
10-	जोधपुर	5
11-	कोटा	6
12-	नागौर	3
13-	पाली	3
14-	सवाई माधोपुर	15
15-	सिरोही	5
16-	टोंक	15
	योग	135

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 442 की सूची

अजमेर जिले की पंचायत समिति श्रीनगर में दिनांक 6/6/80 के बाद दिये गये काश्कारों को कनेक्शनों की सूची

क.सं.	नाम उपभोक्ता	ग्राम	दिनांक
1)	श्री अमरचन्द पुत्र नारायादास	मोहत्री	3/12/80
2)	,, भीमा पुत्र सवाई रावत	बूबानी	11/11/80
3)	,, दूदा पुत्र उमा रावत	,,	11/11/80
4)	,, भाना पुत्र सावता	,,	11/11/80
5)	,, रुपा पुत्र जाला	,,	11/11/80
6)	,, चांदकरण पुत्र मोहनलाल	कानपुरा	20/11/80
7)	,, नादानसिंह पुत्र श्यामसिंह	चाचियावास	4/2/81
8)	,, कानसिंह पुत्र भीमसिंह	,,	4/2/81
9)	,, कजोड़ सिंह पुत्र अमर सिंह	,,	4/2/81
10)	,, जोधा पुत्र गोपाल	,,	4/2/81
11)	,, श्रवण सिंह पुत्र भीम सिंह	,,	4/2/81
13)	,, चांदकरण पुत्र मोहन लाल	कानपुरा	17/2/81
13)	,, हजारी पुत्र बचना	चाचियावास	23/2/81
14)	,, श्रवण सिंह पुत्र भीमसिंह	,,	23/2/81
15)	,, बालू पुत्र भीमसिंह	,,	23/2/81
16)	,, सैयद पुत्र गुलाम मोहम्मद	वीर	13/6/80
17)	,, लादू	श्री नगर	27/6/80
18)	,, माल	कानाखेडी	25/6/80
19)	, माना	मदारपुरा	25/6/80
20)	,, मूला पुत्र नन्दा	सानोद	30/7/80
21)	,, उगमा पुत्र गणेश	,,	30/7/80
22)	,, नन्दा पुत्र धन्ना	,,	30/7/80
23)	,, अगमा पुत्र नन्दा	,,	30/7/80
24)	,, हन्सा पुत्र छाजा	,,	30/7/80
25)	,, बरमा रावत	गुड्ढा	जुलाई, 80
26)	,, उगमा पुत्र धन्ना	,,	,,

क्र.सं.	नाम उपभोक्ता	ग्राम	दिनांक
27)	श्री देवा पुत्र अन्ना	माखुपुरा	11/8/80
28)	,, पांचू पुत्र हजारी	,,	11/8/80
29)	,, मिया पुत्र माना	,,	11/8/80
30)	,, गोमा पुत्र लाला	,,	28/8/80
31)	,, पेम सिंह पुत्र सोडानसिंह	मगरा	28/8/80
32)	,, घीसा पुत्र छोटू	होशियारा	28/8/80
33)	,, सज्जन सिंह पुत्र गुमानसिंह	सानोद	8/9/80
34)	,, मुनीर खां पुत्र कमरू खां	माखुपुरा	29/10/80
35)	,, मंगला पुत्र दूला	जाटिया	30/10/80
36)	,, उगमा पुत्र घीसा	,,	30/10/80
37)	,, हेटर पुत्र हेरीज	कल्याणीपुरा	22/10/80
38)	,, रामकरण पुत्र ओंकार	रामनेर की ढाणी	11/11/80
39)	,, घघा पुत्र मेवा	श्रीनगर	18/11/80
40)	,, जेठू पुत्र छीतर	आखरी	24/11/80
41)	,, छोटू पुत्र माना	,,	24/11/80
42)	,, मांगी लाल पुत्र भैरू	माखुपुरा	10/11/80
43)	,, सोहन सिंह/हरी सिंह	,,	28/11/80
44)	,, हसनबेग/हंजाबेग	बोर	1/12/80
45)	,, अकबर बेग/चांद बेग	,,	1/12/80
46)	,, बाबू बेग/जहांगीर बेग	,,	1/12/80
47)	,, उद्धा/ज्वारा	,,	1/12/80
48)	,, श्रवण रान/हजारी नाथ	,,	23/12/80
49)	,, हालू/हीरा	,,	30/12/80
50)	,, पांचू/घीसा	खाजपुरा	1/12/80
51)	,, सुआ/लादू	,,	23/12/80
52)	,, देवा/आना	माखुपुरा	23/12/80
53)	,, शाहनूर/हंसवर खां	गगवाना	30/12/80
54)	,, अमरचन्द/नारायण	मोहनी	3/12/80
55)	,, दल्ला/कामड़	आखरी	3/12/80
56)	,, राम नाथ	भूडोल	11/12/80
57)	,, अता मोहम्मद/करामत खां	गगवाना	22/12/80

क्र.सं.	नाम उपभोक्ता	ग्राम	दिनांक
58)	श्री शम्भू/इन्दू	गगवाना	26/12/80
59)	,, अर्जुनमीणा /इन्दू	पारासिया	1/1/81
60)	,, हीरा/मंगला जाट	रामनेर की ढाणी	31/1/81
61)	,, सोनी/मंगला	,,	31/1/81
62)	,, कान सिह/भीम सिह	चाचियावास	4/2/81
63)	,, मादान सिह/श्यामसिह	,,	4/2/81
64)	,, कजोड सिह/अमर सिह	,,	4/2/81
65)	,, जोधा/गोपाल	,,	4/2/81
66)	,, श्रवण सिह	,,	4/2/81
67)	,, रोडदास/जेठूमल	चोंडियावास	6/2/81
68)	,, सुखाराम/भागूराम	गगवाना	11/2/81
69)	,, चांदकरण/मोहन	कानपुरा	17/2/81

(311)

परिशिष्ट—51
अतारांकित प्रश्न संख्या 426 की सूचना

1— नाइयों की वस्ती
2— नौखा
3— शैरूवाला
4— अगनैर
5— रणघीसर
6— भाटियों की ढाणी
7— गोगड़ियावाला
8— खैतालाई वुर्ज
9— सुरूसागर (टोकला)
10— डैह
11— गुलाम वाला
12— विश्नोइयों का बैरा
13— गडियाला
14— झझु
15— गजनैर
16— खिखनिया
17— नया गांव
18— कौलासर
19— पावूसर
20— खैती लाई मूलवान
21— लम्बाना
22— गोलरी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अन्तर्गत इस जिले में दिनांक 30.11.80 को काम के बदले अनाज योजना के 742 अपूर्ण काम थे उनमें से पंचायत समितिवार निम्नप्रकार कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ करने की स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं।

क्रमांक	नाम पं. समिति	कार्यों की संख्या	गेहूं अथवा चावल की मात्रा — गेहूं	चावल	फैमिन मद से 2–40 अ0/80 की दर/पैसा (हजारों में)		सामग्री (हजारों में)	योग (हजारों में)
अभावग्रस्त क्षेत्र में								
1.	बेगू	91	457.60	—	54.92	—	118.85	189.75
2.	भेसरोडगढ़	33	252.00	—	30.24	—	42.10	105.10
3.	चित्तौडगढ़	25	308.00	102.04	30.59	4.10	45.10	122.16
4.	राशमी	21	224.00	—	26.88	—	35.40	91.40
5.	भूपालसागर	16	72.00	37.20	10.70	1.46	17.00	44.23
	योग	186	1213.60	139.60	145.64	5.56	258.90	552.64
					7.69 एन0 आर0 ई0 पी0 योजना से			
एन0 आर0 ई0 पी0 योजना जोन अभावग्रस्त क्षेत्र								
1.	चितौडगढ़	23	—	278.00	15.99	—	28.30	87.39
2.	भोपालसागर	9	—	56.00	3.08	—	14.36	29.26
3.	प्रतापगढ़	34	—	238.00	22.90	—	44.10	103.98
	योग	71	—	572.00	41.97	—	36.76	220.63

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न सं. 428 की सूची

क.सं.	नाम पंचायत समिति	वर्ष 80-81 में अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों का विवरण ग्रामीण रोजगार योजना में लिये गये								
			शालाभवन	औषधालय	पंचायतघर	पेयजलकूप	सड़कें	तालाब	एनीकट	अन्य	योग
1.	चित्तौड़गढ़	96	23	8	4	21	27	3	1	9	96
2.	कपासन	47	16	1	4	9	5	5	8	3	47
3.	राश्मी	77	26	3	4	4	24	6	2	4	77
4.	भूपालसागर	33	15	–	5	11	2	–	1	–	33
5.	बेगूं	37	6	2	1	10	–	1	4	13	37
6.	भैंसरोड़गढ़	39	7	1	2	16	10	1	–	2	39
7.	प्रतापगढ़	81	29	2	4	34	4	2	2	4	81
8.	अरनोद	102	26	3	6	35	19	4	6	3	102
9.	निम्बाहेडा	53	20	1	3	4	11	–	3	11	53
10.	छोटी सादडी	39	17	–	5	3	8	2	3	1	39
11.	बडी सादडी	52	15	2	2	12	15	1	–	5	52
12.	मदेंसर	43	19	–	11	4	2	–	2	5	43
13.	डूंगला	43	14	–	8	6	6	6	3	–	43
		742	233	22	59	169	133	31	31	64	742

(2) तहसील प्रतापगढ़ में पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद में क्रमशः 81, 102 कुल 183 में से पंचायत समिति प्रतापगढ़ के कार्यों (अपूर्ण) को ग्रामीण रोजगार योजना में प्रारम्भ कराने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है।

वर्ष 80-81 में 31.7.80 तक प्रतापगढ़ तहसील में निम्न प्रकार पंचायत समितिवार काम के बदले अनाज योजना के अपूर्ण कार्यों को निम्न प्रकार पूर्ण किये गये हैं।

क्रमांक	नाम पं0 समिति	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या
1.	प्रतापगढ़	153	72	81
2.	अरनोद	200	98	102
	योग	353	170	183

इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में अपूर्ण कार्यों में से प्रतापगढ़ तहसील की पंचायत समिति प्रतापगढ़ के 34 कार्यों को पूर्ण कराने हेतु स्वीकृति दी गई है।

315

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न सं. 137 की सूची

क्रमांक	वर्ष	गवर्नमेन्ट द्वारा निर्धारित भाव (प्रति क्विण्टल) रुपयों में	मिल द्वारा आरंभ से दिया गया भाव (प्रति क्विण्टल) रुपयों में	बढ़ाये गये ाव की अतिरिक्त चुकाई कीमत (रुपयों में)
1.	1967-68	7-64	15-00	17,73,667-19
2.	1968-69	7-37	10-00	15,04,370-16
3.	1969-70	7-48	7-48	—
4.	1970-71	7-37	7-37	—
5.	1971-72	7-97	8-50	1,93,568-43
6.	1972-73	7-96	8-50	7,20,069-95
7.	1973-74	9-13	10-32	21,93,575-11
8.	1974-75	8-38	12-00	39,35,576-77
9.	1975-76	9-70	13-00	25,60,970-25
10,	1976-77	9-30	12-25	24,31,888-96
11.	1977-78	9-70	12-25	28,96,431-47
		9-70	11-50	
12.	1978-79	12-2[illegible]	10-50 (जोधपुर हाई कोर्ट के आदेशानुसार)	—
13.	1979-80	14-56	14-56	—
14.	1980-81	14-84	23-00	सीजन चालू है। भुगतान सीजन के समाप्त होने पर ही किया जा सकेगा।